(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम विधान सभा के तृतीय सत्र का 12वां दिवस [संख्या 10

शुक्रवार

दिनांक 25 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 265

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री यदुनाथ सिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें ।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे तो नहीं हैं लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं
प्रश्न संख्या 265

श्री दीपेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

माननीय सदस्य, इस पर विचार नहीं करें ।

प्रश्न सं. 267

श्री अमराराम चौधरी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कैलाश मेघवाल ।

अवधूत श्री गणेश गिरी द्वारा की गई हत्याओं का प्रकरण

268. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह अगस्त, 1981 में जयपुर के निकट दुर्गापुरा उपनगरी के एक कृषि फार्म से अवधूत वनाम गणेश गिरी नामक व्यक्ति को कई हत्याओं के मामलों में लिप्त पाये जाने के कारण पकड़ा गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? उक्त व्यक्ति पर कितनी हत्यायें करने का आरोप है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य एवं संगीन आरोपों के आधार पर इस अवधूत के 4-5 सक्रिय सहयोगियों को भी इन हत्याओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो वे कौन कौन थे ? कृपया उनके नामों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

Page No. 2

(2)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) अवधूत के सहयोगियों पर क्या आरोप थे ? क्या यह सही है कि पुष्ट संगीन आरोप होने के बावजूद अवधूत के सभी सहयोगियों को पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो किस किस कारण से ?

(4) क्या यह सही है कि अवधूत के इन सहयोगियों ने खुले आम उन व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी देकर आतंकित कर रखा है जिन्होंने पुलिस को इन व्यक्तियों को पकड़वाने में सहयोग दिया था ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(5) क्या सरकार कई व्यक्तियों की हत्या में लिप्त इन समाज कण्टकों को पुन: गिरफ्तार करने पर विचार करेगी ताकि ये अन्य लोगों को जान व माल से नुकसान नहीं पहुंचा सकें ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) अब यह प्रकरण किस चरण में है और सभी लिप्त मुजरिमों का चालान कर अदालत में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

राज्य मंत्री गृह, (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) जी हां। अवधूत गणेश गिरी को दिनांक 13-8-1981 को गिरफ्तार किया गया है। अब तक अवधूत ने 5 व्यक्तियों की हत्यायें करना कबूल कर लिया है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) पुलिस को ऐसी जानकारी नहीं मिली है।

(5) अभियोग का अन्वेषण जारी है। अन्वेषण से अभियोग में लिप्त पाये जाने वाले सब ही व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) अभी अनुसंधान जारी है, इतने गंभीर मामले में लिप्त अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। इन अनुसंधानों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के प्रयत्न जारी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल: ये जो 5 हत्याएं अवधूत ने स्वीकार की है, क्या इनको आप प्लाण्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर मानते हैं ? अगर मानते हैं तो इस दृष्टि से तफतीश करने क प्रयत्न किया है या नहीं ? कब-कब ये हत्याएं हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें दो राय नहीं। प्रत्येक प्लान के बारे में तो तफतीश से ही पता लगेगा इन्वेस्टीगेशन जारी है, इसलिये अभी कुछ कहना मुश्किल है। तारीखों का अध्यक्ष महोदय कहें तो ब्रीफली कह दूं इसकी जानकारी इस प्रकार है अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले 13-8-81 को थाना कोतवाली के अन्दर एक लड़के कार्तिकेय के गुम होने की रिपोर्ट की गयी। जब रिपोर्ट की गयी तो उन्होंने कुछ पता लगाया कि जयपुर के स्टेशन व कनकपुरा के स्टेशन पर उतरता। वहां से तांगे में बैठते पाया गया। तांगे पर बैठ कर रवाना हुआ उसके बाद घर नहीं पहुंचा छानबीन के बाद पता लगा घर वालों ने बताया और कुछ लोगों ने कहा कि उस ढोंगी के पास बैठा होगा उसके पास आता जाता है। जब ढोंगी के पास घर वाले पहुंचे तो कुछ को ये कहा कि महेश के साथ कानपुर चला गया है 17 तारीख को आ जायेगा। जब दूसरा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
गुप गया तो उससे कह दिया कि 19 को लौट आयेगा। तो पुलिस को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछ ताछ आरंभ की उसके बाद में कबूल किया। अब कत्ल जिस तारीख में हुए उनका आपके सामने विवरण रखता हूं। कार्तिकेय की लाश ऊंट के पास वाले बाड़े में 14-8-81 को, महेश शर्मा की 14-8-81 को, राम किशन आचार्य की 18-8-81 को, राम निवास शर्मा की 19-8-81 को और घीसा कुमारी की 23-8-81 को – घीसा कुमारी की लाश बरामद नहीं हुई उसकी हड्डियां बरामद हुई। बाकी 4 लाशें पुलिस ने बरामद कीं।

श्री कैलाश मेघवाल : डेट आफ मर्डर नहीं बताई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बता रहा हूं, कार्तिकेय की 2-8-81, आचार्य की कुछ माह पूर्व की डेट उसने दी है, खुद ने बताया है, जब उसकी जांच की उसी के आधार पर सूचना दे सकता हूं। कार्तिकेय की 5-8-81 को, महेश शर्मा की 2-8-81 को, राम किशन आचार्य की कुछ माह पूर्व, राम निवास शर्मा की 5-7-81 को, घीसा कुमारी की डेढ़ वर्ष पूर्व उसने हत्या करना स्वीकार किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ वर्ष पहले से हत्याओं में चार पांच व्यक्तियों का सहयोग करना पाया गया है। क्या इस पृष्ठभूमि में एन्टीसिडेन्ट्स, जिस से उसका सम्पर्क था और जिस कार्यालय में ज्यादातर जाता था, उनके बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस कर रही है या नहीं? कितने लोगों को मुकदमों में पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है और कितनों में रखना बाकी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब इतनी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। पुलिस ने रिमाण्ड सबसे पहले 365 में लिया आज की तारीख में पुलिस कस्टडी में है। उसको गिरफ्तार किया था, 14-8-1981 को, सबसे पहले रिमाण्ड दिया उसके बाद 21 तारीख तक 365 का रिमाण्ड चल रहा था, केस कायम था किडनैपिंग का बाद में कत्ल खुल गया तो उसके बाद कत्ल के जुर्म में पुलिस कस्टेडी में पुलिस रिमाण्ड में रखा गया। जहां तक मेरी जानकारी है, यह दिनांक 3-9-81 तक पुलिस में रहा और बाद में जुडिशियल कस्टडी में रहा।

श्री कैलाश मेघवाल : 5 हत्याएं इसने कबूल की। इनमें कितने में पुलिस कस्टेडी में रखा था? जैसा मैंने पूछा कि एन्टीसिडन्ट्स और सम्पर्क के बारे में, मैं यह भी पूछ लू कि क्या राज्य सरकार एक व्यक्ति द्वारा इतनी हत्या करना मानती है या इसको किसी षड़यन्त्र का भाग मानती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख के बाद करीब 19 दिनों तक इसको पुलिस कस्टडी में रखा गया। पांचों केसों की जानकारी पुलिस को उसी दौरान मिली। अब एक बात रहती है कि क्या इसमें किसी की कांसप्रेसी है या कोई सिंगल हैंडेड मर्डर कर सकता है ? यह एक बड़ा पर्टीनेंट प्रश्न पूछा है। स्वयं मेरे दिमाग में यह आया था और मैंने स्वयं इसके बारे में जानकारी की है, अध्यक्ष महोदय। जो एक तरह का केमिकल होता है, जो जहर की श्रेणी में आता है उसको वह लोगों को खिला देता था। उसको खाने के बाद जब वह बेहोशी की हालत में आ जाता था या बिल्कुल बेहोश हो जाता था तो उसका

Page No. 4

(4)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
गला घोट कर मार देता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी दो मृतकों के बारे में जानकारी मिली थी कि उनकी गला घोट कर हत्या की गई। बाकी के बारे में अभी मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, जिनकी हत्यायें की गई है, उनके द्वारा बाबा को कुछ सामान वगैरह, नगद जेवर दिए गए थे। जब उनकी हत्या की गई उस समय उनके शरीर पर कुछ कपड़े जेवर थे वे कपड़े सामान वगैरह पुलिस ने किससे बरामद किये ? जिनसे बरामद किय उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता था। अभी इस केस के इंवेस्टीगेशन की दृष्टि से मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन....

श्री भंवरलाल शर्मा : Then I withdraw.

श्री अध्यक्ष : केस अनुसंधान के स्तर पर है इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। कृपया अब इसको समाप्त कीजिए।

प्रश्न संख्या 269
अगला प्रश्न श्री भैरूंलाल मीण।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

म्युनिसिपल बोर्ड्स में भूमि विक्रय से जमा राशि

270. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बस्सी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूमि विक्रय से जो पैसा म्युनिसिपल बोर्ड्स को प्राप्त होता है, वह म्युनिसिपल बोर्ड में जमा न होकर एक पृथक् डवलपमेंट फण्ड में जमा किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डवलपमेंट फण्ड में से पैसा निकालने की प्रक्रिया इतनी दुरूह है कि जिसके कारण पैसे को पुनः प्राप्त करना अति कठिन हो जाता है ?

(3) क्या म्युनिसिपल बोर्ड, बाड़मेर एवं बालोतरा के पास भी कोई ऐसे फंड है ? यदि हां, तो उनमें अब तक पृथक् पृथक् कितना जमा हो चुका है ?

(4) क्या उक्त फंड्स में से म्युनिसिपल बोर्ड्स या स्थानीय जिलाधीश पैसा उठाने के लिए सक्षम नहीं है ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार इस पद्धति को कुछ सरल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटवाला) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त विकास फंड में जमा पैसा जिला मुख्यालय की दशा में जिलाधीश व अन्य नगरपालिकाओं की अवस्था में उप जिलाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कभी भी आहरित किया जा सकता है।

Page No. 5

(5)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) म्युनिसिपल बोर्ड, बाड़मेर के विकास फंड में पृथक् पृथक् निम्न राशियां जमा हैं :—

1. बीकानेर बैंक 1,80,391.43 पैसा
2. कोऑपरेटिव बैंक 3,68,85 .09 पैसा
3. फिक्स डिपोजिट 58,987.10 पैसा

म्युनिसिपल बोर्ड, बालोतरा के विकास फंड में कोई राशि जमा नहीं है।

(4) राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 25 के प्रावधानानुसार जिलाधीश या उप जिलाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर अध्यक्ष या प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी विकास फण्ड में से राशि का आहरण कर सकते हैं।

(5) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या भूमि विक्रय के सिवाय और भी कोई सोर्स इस फण्ड में पैसे आने का है?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : जब भूमि विक्रय के अतिरिक्त और कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो आजकल भूमि कोऑपरेटिव सोसायटीज और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज को

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : दे रही है तो ऐसी स्थिति में इसका सोर्स और क्या रहेगा?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : यह हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी कहां से आ गई? बाड़मेर में कहां सोसायटी है?

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज तो सभी जगह हो रही है।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : अभी तो मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया है। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया है कि डवलपमेंट फण्ड, जो भूमि विक्रय होती है उसमें से पचास प्रतिशत पैसा जमा कराया जाता है।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : जमा कराया वह तो ठीक है लेकिन पैसा आएगा ही नहीं। अब जमीन कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज को गवर्नमेंट दे रही है तो यह पैसा कहां से आएगा।

(व्यवधान)

श्री **भंवरलाल शर्मा** (हवामहल)। आप दोनों के बीच में . . .

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : आप खड़े होकर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें, मैं आपको भी जवाब दे दूंगा। आपका बाड़मेर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य की बात को सुन रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को कोई प्रश्न पूछना हो तो खड़े होकर पूछ लें। इस तरह से बैठे बैठे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनकी खुद की बाड़मेर की कुछ समस्या है जिसके आधार पर इन्होंने प्रश्न पूछा है, मुझे इनकी बात को समझ लेने दीजिए कि किस मकसद से प्रश्न पूछ रहे हैं। यह अपने यहां का विकास करना चाहते हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि अभी तो जो भूमि विक्रय होती है उसका पचास प्रतिशत विकास फण्ड में जमा कराया जाता है। अब को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की बात कर रहे हैं तो वह स्थिति जब आएगी तब बात करेंगे।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : अभी स्थिति आ गई है।

श्री **छोगाराम बकोलिया** (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से मालूम करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री **छोगाराम बकोलिया** : म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो भूमि अवाप्त की जाती है, क्या यह सही है कि जनरली वह भूमि प्राप्त कर उसका बेचान होता है? क्या अनुसूचित जाति के लोगों की ही भूमि अवाप्त करके सैल कर दी जाती है? क्या बाड़मेर में ऐसी कोई पोजीशन आई है

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : अलग से प्रश्न।

श्री **देवदत्त तिवाड़ी** : अब ऐसी स्थिति बाड़मेर में आ गई है कि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज को गवर्नमेंट भूमि दे रही है तो म्यूनिसिपल बोर्ड्स के पास भूमि कहां रह जायेगी और उनके पास पैसा कहां से आएगा?

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : इसके बारे में नियम बन रहे हैं, उसके हिसाब से डवलपमेंट चार्जेज म्युनिसिपैलिटीज को मिलेंगे। म्युनिसिपैलिटीज ही वहां डवलपमेंट करायेंगी। इसके अलावा पैनल्टी जो वसूल होगी वह पैनल्टी भी म्युनिसिपैलिटीज को मिलेगी।

श्री **अध्यक्ष** : अगला। प्रश्न, श्रीमती भगवतीदेवी।

महिला सदन, जयपुर एवं अजमेर

271. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को जयपुर एवं अजमेर के महिला सदन में कुछ लड़कियों के साथ अनैतिक व्यवहार की शिकायत प्राप्त हुई है?

(2) क्या सरकार ने इनकी जांच करवाई है? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री चेतराम मीणा) : (1) (2) एवं (3) राज्य महिला सदन, जयपुर के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उत्तर रक्षा गृह, अजमेर की 4 महिला आवासनियां गृह के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री पांचूराम के साथ दिनांक 8-6-80 को पलायन कर गई थीं। उनमें से सुश्री लीला पुत्री लक्ष्मणलाल के साथ बलात्कार

(श्री चेतराम मीणा)

करने की रिपोर्ट मांगलियावास थाना (अजमेर) में दर्ज हुई थी जिसकी एफ. आई. आर. न. 35/80 है। बाद जांच पुलिस ने 3 अभियुक्त (1) सदर्लसिंह पुत्र जागीर सिंह सिख निवासी लुधियाना, हाल होटल मांगलियावास, (2) कश्मीरसिंह पुत्र अमरसिंह, कौम सिख, निवासी गुरुदासपुरा, (3) चरणसिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह कौम सिख निवासी अमृतसर के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 376/354 आई. पी. सी. के प्रस्तुत कर दिया है।

राज्य सरकार ने इसकी जांच करवाई है। मामला न्यायालय में होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जयपुर के इस महिला सदन से बहुत सी आवासनियां भाग गई जिनके बारे में काफी दिनों तक चर्चा चलती रही ? क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके साथ कोई गैर कानूनी, अनैतिक कर्म कोई पर्टीक्यूलर वाकया हुआ है, उनके साथ कोई अनैतिक वारदात हुई है जिसकी वजह से महिला सदन से इतनी अवासनियां भाग गई हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या जून, 81 में श्रीमती जुबेदा के साथ बहुत मारपीट सदन में की गई ? इससे अलावा और भी कई महिलायें वहां रही हैं और उन महिलाओं के साथ भी बहुत मारपीट की गई ? जब अस्पताल में भर्ती की गई जुबेदा तो वह अस्पताल से लापता हो गई ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार क्यों किया गया ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो यह प्रश्न अलग से है। फिर भी मैं निवेदन कर देता हूं कि श्रीमती जुबेदा बेगम के बारे में माननीय सदस्या ने जो कहा है उसके बारे में श्रीमती तीजादेवी, जो उस समय अधीक्षिका थी, को निलम्बित कर दिया गया है। इसकी जांच चल रही है, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो श्रीमती जुबेदा के बारे में बता रहे थे कि श्रीमती तीजादेवी को सस्पेंड कर दिया गया है तो तीजादेवी तो बार-बार सस्पेंड होती रही है। मगर जो महिला खो गई है, जो अस्पताल से गायब हो गई उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई? समाज कल्याण विभाग कहता है कि पुलिस जिम्मेदार है और पुलिस कहती है कि समाज कल्याण विभाग जिम्मेदार है। इसलिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको भी इजाजत दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह ओरिजिनल

Page No. 8

(8)

(श्री बेसराम मीणा)
प्रश्न जिस तरह का पूछा है उसकी मैंने रिपोर्ट दी । यदि माननीय सदस्या अलग से प्रश्न करेंगी तो आगे जवाब दे देंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : अलग प्रश्न कैसे है? मूल प्रश्न नैतिक और अनैतिक का है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं··

श्री **अध्यक्ष** : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है ।

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो आवासनियां आवास गृह में हैं उनके सुधार के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न है ।

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** : उनके खिलाफ कोर्ट में केसेज चल रहे हैं वहां किस स्तर पर हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न है । महिला सदस्या को एक-एक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा । आर्डर प्लीज। श्रीमती अरोड़ा ।

(व्यवधान)

श्री **अनंगकुमार** जैन (झालरापाटन) : मंत्री महोदय जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

श्री **भैरूंलाल भारद्वाज** : जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, जो आवासनियां इस सदन में रखी जाती हैं, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है? एक बात । उनकी सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध है ?

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना के लिये बताना चाहती हूं आवासनियां किस तरीके से रखी जाती हैं, यह सारा असंतोष इसी कारण से है । मंत्री महोदय सुधार के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न । कुमारी पुष्पा ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय ने पहले सवाल के जवाब में कहा है महिलाओं के साथ कोई अनैतिक व्यवहार नहीं किया है । मेरा सवाल है, आप अनैतिक व्यवहार में किन किन व्यवहार को मानते हैं ? मारपीट को अनैतिक व्यवहार मानते हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : इसे परिभाषित करना बड़ा कठिन है ।

सुश्री पुष्पा जैन : जुबेदा बेगम के बारे में क्या आपको उन परिस्थितियों का मालूम पड़ा जिन परिस्थितियों में उसे भागना पड़ा? आपको मालूम है या नहीं ? आपने मालूम किया या नहीं ?

श्री **राजबहादुर** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी कि महिला सदस्या को एक एक प्रश्न की अनुमति दूंगा यह संविधान की धारा 14 व 16 के खिलाफ पड़ता है ।

श्री **अध्यक्ष** : आप तो उस श्रेणी में नहीं हैं ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उसमें तो आप भी आ जायेंगे ।

श्री चेतराम मीणा : जहां तक अनैतिक व्यवहार की परिभाषा की....

सुश्री पुष्पा जैन : मारपीट को आप अनैतिक व्यवहार मानते हैं या नहीं ?

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, मारपीट की परिभाषा क्या है यह बताने की क्या जरूरत है। मारपीट हुई। आवास गृह की अधीक्षिका हैं उनके अनुसार खाने और सब्जी, मसाले की मांग कर रही थीं, इस बात पर झगड़ा हुआ और उसकी वजह से मारपीट हुई ।

सुश्री पुष्पा जैन : महिलाओं के साथ मारपीट हुई, उसको नैतिक मानते हैं आप ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : मेरी कोशिश के बावजूद माननीय सदस्य हस्तक्षेप कर जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। मैं एक प्रश्न पूछने की आपको अनुमति देता हूं ।

श्रीमती विद्या पाठक : महिला जुबेदा बेगम को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया, उसके पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गये। प्राइवेट डॉक्टर ने हॉस्पिटल को रेफर किया, उसने वह केस नहीं लिया क्योंकि वह गर्भवती थी । उसने कहा कि उसके गर्भ को खतरा उत्पन्न हो जायगा। हास्पिटल में भर्ती करवाया, वहां से वह गायब हो गई। पुलिस से पूछा गया, पुलिस ने जो जवाब दिया वह स्टेटमेंट मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आवासनियां महिला सदन में रखी जाती हैं, उनकी समाज कल्याण विभाग परवाह नहीं करता है । हमारी शंका है, नागरिकों की शंका है, उनको लापता कर दिया जाता है। क्या विभाग मानता है इसको ? अभी बाढ़ से वह महिला सदन टूट गया, वहां एक भी अधिकारी या महिला अधीक्षिका नहीं थी, और कोई भी मौजूद नहीं था। क्या यह सरकार की अनैतिकता नहीं है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जुबेदा बेगम के बारे में मैंने निवेदन किया कि जांच की जा रही है और श्रीमती तीजा देवी को सस्पेण्ड कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अब इजाजत नहीं दूंगा। मैंने केवल महिला सदस्याओं को इजाजत दी थी। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय ने यह कहा कि मारपीट की परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि मारपीट को दुराचरण नहीं मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसकी व्याख्या न करें, कृपया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिला सदन के जो अधिकारी हैं, क्या उनके कर्त्तव्यों में है कि मारपीट की जाए, उनको खाना नहीं दिया जाए, ठीक से रहने नहीं दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल ।

Page No. 10

(10)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ मारपीट हुई, क्या यह नैतिकता है ? जुबेदा बेगम गर्भवती थी, वह गर्भवती हालत में गायब हुई । उसके डिलीवरी कहां हुई ? सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं ।

(व्यवधान)

महिला सदन के नाम पर भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है वहां पर ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिला सदन में आवासनियों को जाकर देखिये, संभालियें, व्यवस्था कीजिये ।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय ले रहे हैं। श्री गोपाल पचेरवाल ।

थाना बूंदी में चांदी चोरी का दर्ज मामला

272. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है थाना बूंदी में माह अगस्त, 1981 में 30 किलो चांदी चोरी का मामला दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा किस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई ?

(2) क्या यह सही है कि चांदी चोरी प्रकरण में पुलिस द्वारा एक मेटाडोर गाड़ी पकड़ी गई ? यदि हां, तो कब और कहां तथा इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) दिनांक 25-8-81 को श्री पारसकुमार जैन, निवासी रामपुरा कोटा द्वारा उसके रिश्तेदार सुनील कुमार को किन्हीं अज्ञात बदमाशों द्वारा बूंदी बाईपास से रोडवेज की बस से उतार कर 30 किलो चांदी सहित मेटाडोर गाड़ी में बैठा कर ले जाने की रिपोर्ट करने पर अ. सं. 123/81; धारा 365 ता. हि. के अन्तर्गत थाना कोतवाली बूंदी पर दर्ज किया गया। अब जुर्म धारा 392 ता. हि. और जोड़ा जाकर अनुसंधान जारी है ।

(2) जी हां । दिनांक 6-9-81 को एरोड्रम कोटा के पास पैट्रोल पम्प की साइड से लावारिस हालत में मिली । संदिग्ध अभियुक्तों का पता लग चुका है । गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास जारी हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, 6-9-81 को जो मेटाडोर पकड़ी गई है वह किस की है ? किस स्थान पर किसके मकान पर पकड़ी गई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लावारिस हालत के अन्दर मेटाडोर पकड़ी गई, जो मेरे पास सूचना है ।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी): किस स्थान पर ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया एरोड्रम कोटा के पास पैट्रोल पम्प की साइड में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी ।

श्री हजारीलाल शर्मा : यह मेटाडोर किसके नाम पर दर्ज है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके अभी कागजात नहीं मिले । यह पता नहीं है कि गाड़ी किस की है । (व्यवधान) आप पूछिये ।

श्री हजारी लाल शर्मा : इसका रजिस्ट्रेशन किस के नाम है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी तक कागजात बरामद नहीं हुए हैं । कुछ कहना मुश्किल है ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : दिनांक 7-9-81 के 'अधिकार' दैनिक कोटा में छपे हुए समाचार के अनुसार विधि मंत्री जी के प्लॉट पर वह मैटाडोर बरामद की गई है। उसका खण्डन मंत्री महोदय ने नहीं किया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अखबार के अन्दर क्या खबर छपी इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। विधि मंत्रीजी का वहां खाली प्लाट है। किसी भी माननीय सदस्य का, मेरा हो सकता है, जो किसी कब्जे में नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका हाथ है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पैट्रोल पंप किसका है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि बूंदी जिले में सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा मुलजिमों को बचाने के लिये अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है ? मुलजिमों को घूमते हुए मैंने बूंदी में देखा है ?

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना देनी चाहिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने एस. पी., बूंदी को टेलीफोन पर कहा है।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : राम किशन दास का मर्डर हुआ, सब ने सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बाद भी मुलजिम नहीं पकड़े गये।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो आप पकड़िये।

श्री दुलाराम : हम तो आपको पकड़ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो आरोप लगाया गया है कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य मुलजिमों को संरक्षण दे रहे हैं यह इस बात से साबित नहीं होता है। यह राजनैतिक आधार पर आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष को बदनाम करने की नियत से जब कि रिपोर्ट में मुलजिमों के नाम नहीं थे। अगर सत्ता पक्ष का हाथ होता तो पुलिस में उनको नामजद कैसे कर दिया। यह राजनैतिक भावना से विधि मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : राजस्थान विधान सभा में मैंने सवाल पूछा इसलिये नाम आ गया। अगर विधि मंत्री का हाथ नहीं होता तो मुलजिम गिरफ्तार कर लिये जाते। यह मेरा आरोप है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको कब तक गिरफ्तार कर लेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसका निर्णय तो स्वयं कर सकते हैं। विधान सभा को किस दिन सम्मन किया गया, प्रश्न किस दिन भेजा, किस दिन सचिवालय में भेजा, 4-9-81 को मुलजिम नामजद कर दिये गये। यह सूचना गलत है कि प्रश्न पूछने के बाद नामजद किये गये। यह आरोप निराधार है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुलजिम विधि मंत्री जी के निवास पर खड़े रहे...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जिला बूंदी में सरकार बनाम खेतसिंह 20-8-80 को केस थाना में दर्ज किया गया जिसमें

Page No. 12

(12)

(श्री दाऊदयाल जोशी)
मुख्य मुलजिम है खेतसिंह जिसको संरक्षण दिया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं किया गया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, ये मुलजिम विधि मंत्री के निवास पर हैं ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री गोपाल पचेरवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं एक पूरक प्रश्न की इजाजत दूंगा । श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछा गया कि गाड़ी का नम्बर क्या है ? उसके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या पता नहीं चल सकता कि उसका मालिक कौन है ? 7-9-81 के बाद मालिक का नाम भी नहीं मालूम हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसकी नम्बर प्लेट नहीं, उसके इंजिन का नम्बर लेना पड़ेगा, कम्पनी के पास जाना पड़ेगा, वहां से किसको बेची, किसको ट्रांसफर की गई, यह सब...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 7-9-81 को आज 18 दिन हो गये । आप जैसे मंत्री कैसे सरकार चला रहे हैं ? आप..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती सूरज देवी !

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री नाथू सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री भवरलाल शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

इन्ट्राविन फार्मा, हैदराबाद से खरीदी गई दवाइयां

273. **श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दवाइयों के ठेके में (1-4-79 से 31-3-81 तक) पिछले औषधि कैटलाग नं. 346 ग्लूकोस चढ़ाने की बोतल व कैटलाग नं. 347 सैलाइन वाटर बोतल की निविदायें कांच की बोतल में सप्लाई करने के वास्ते आमंत्रित की गई थीं ? यदि हां, तो इन्ट्राविन फार्मा, हैदराबाद की निविदा रबड़ की गास्केट में स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन्ट्राविन फार्मा हैदराबाद को ठेका देने के वास्ते चिकित्सा निदेशक ने उनकी निविदा की शर्तों में निविदा खुलने के बाद काट-छांट करवाई ? यदि नहीं, तो कृपया उपरोक्त कैटलाग की असल निविदाओं की प्रति की सूची सदन की मेज पर रखें:

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

(3) क्या यह सही है कि इस फर्म द्वारा सप्लाई किये हुए ग्लूकोज एवं सैलाइन वाटर के 80 में से 75 बैंच सब स्टेण्डर्ड पाये गये ? यदि हां, तो क्या सब स्टेण्डर्ड दवाओं की कीमत उससे वसूल कर ली गई ?

(4) क्या यह सही है कि इन्ट्राविन फार्मा के स्थानीय एजेन्ट श्री दुर्गानारायण के विरुद्ध सब स्टेण्डर्ड दवाइयों की कीमत के पांच पांच से दस लाख रुपये की वसूली बकाया है ? यदि हां, तो चिकित्सा निदेशक द्वारा अब तक वसूली क्यों नहीं की गई ? कृपया, वसूली योग्य रकम व अब तक की गयी वसूली का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

चिकित्सा मंत्री (श्री सी. एल. कंवरिया): (1) जी हां, कैटलाग नं. 346 व 347 के लिये न्यूटल ग्लास की बोतल में सप्लाई के वास्ते निविदायें आमंत्रित की गई थीं।

इन्ट्राविन फार्मा, हैदराबाद को रबड़ की गास्केट सप्लाई करने की स्वीकृति नहीं दी गई थी ।

(2) जी नहीं, संबंधित निविदाओं की फोटोस्टेट कापी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) स्टोर पर्चेज कमेटी के निर्णय सं. 4, जो दिनांक 11-6-79 को लिये गये थे, के अनुसार उक्त फर्म के सप्लाई के बार-बार इंटेंसिव सेम्पल उठाये जाकर जांच कराने की आवश्यकता थी अतः कुल 91 सेंपल लिये गये जिसमें दो प्रकार की त्रुटियां पाई गईं :—

(1) जिसमें बोतल में केवल फंगस लगा हुआ था ।

(2) जी स्टेरलिटी टैस्ट में फेल हुई। उक्त सेम्पल के बारे में सूचना ड्रग कंट्रोलर आन्ध्र प्रदेश को तार द्वारा अथवा पत्र द्वारा समय समय पर दी जाती रही है । खराब सप्लाई का पैसा नहीं दिया गया है इसलिये फर्म्स से पैसा वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) इंट्राविन फार्मा हैदराबाद में स्थित है, विभाग का उससे सीधा ही कांट्रेक्ट है एवं आदेश एवं माल सीधा हैदराबाद से ही प्राप्त होता है । दुर्गानारायण नाम का कोई भी व्यक्ति इन्ट्राविन फार्मा का नहीं है, न ही उसे किसी प्रकार के अधिकार दिये हुए हैं, और न ही विभाग ने उसके मार्फत आदेश अथवा माल की सप्लाई ली है ।

(निविदा के लिये कृपया, परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि टेन्डर ग्लास बोटल के इन्वाइट किये गय थे वह आप हैदराबाद की फर्म से लेना चाहते हैं और किसी लोकल फर्म से नहीं लेना चाहते हैं जब कि वह फर्म ब्लैक लिस्ट हो गई है और उसका ड्रग लाइसेन्स भी सस्पेन्ड कर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : यह सही नहीं है । बोटल के टेन्डर आमंत्रित किये गये थे । आपने इन्ट्राविन फार्मा, हैदराबाद के बारे में पूछा है रबड़ गास्केट के बारे में । यह रबड़ गास्केट है, बोतल नहीं । इसके ऊपर ढक्कन है इसलिये उसको आप शायद बोतल समझ रही हैं । बोतल या तो ग्लास की होती है या पी. वी. सी. की होती है । इस तरह

Page No. 14

(14)

(श्री सी. एल. कंवरिया)
रबड़ गास्केट का कोई टेन्डर आमंत्रित नहीं किया गया है।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : रबड़ गास्केट का टेन्डर है। . . .

श्री सी. एल. कंवरिया : मैंने जैसा कि निवेदन किया है, निविदा रबड़ गास्केट के लिये आमंत्रित की गई थी। यह तो ऊपर के ढक्कन का नाम है।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : आप ऑफिसर को बचाना चाहते हैं इसलिये आप ढक्कन की बात कह रहे हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को निवेदन करूंगा कि जिसके लिये निविदा आमंत्रित की गई है वह या तो ग्लास की होती है या पी. वी. सी. की एप्रूव्ड बोतल होती है। आपने जो प्रश्न पूछा है वह रबड़ गास्केट का है कि उसको स्वीकार करने का क्या कारण है। यह ऊपर का ढक्कन होता है, यह बोतल नहीं है। आप गलत समझ बैठी हैं। इसके लिये टेन्डर आमंत्रित करने और उसको स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दुलाराम (रायसिहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के बारे में पूछना चाहता हूं प्रश्न के भाग (2) में माननीय सदस्या ने पूछा है कि निविदा खोलने के बाद क्या उसमें कोई कांट-छांट की गई है ? इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : मैंने पहले ही निवेदन किया है, जी नहीं, संबंधित निविदा की फोटोस्टेट कापी सदन के पटल पर रख दी गई है। इसमें किसी प्रकार की काट-छांट नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न की इजाजत दूंगा। इसके बाद में स्थगित प्रश्न लूंगा।

श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम : मंत्री महोदय ने बताया है कि फोटो स्टेट कोपी सदन के पटल पर रख दी गई है। असल कापी क्यों नहीं रखी गई ? असल में कहीं कोई गड़गड़ कर के यह डुप्लीकेट सदन में रख दी गई है। असल कापी रखी जाये।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि असल की ही फोटोस्टेट होती है। फोटो स्टेट हू-बहू असल ही होती है।

श्री दुलाराम : आप असल कापी के बारे में जाने क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। कहीं आप का कोई अधिकारी दोषी है। आप क्यों छिपा रहे है? असल क्यों नहीं रखते?

श्री सी. एल कंवरिया : असल भी दिखाई जा सकती है। फोटो स्टेट बिलकुल हु-बहु उसकी कापी है। फोटो स्टेट का मतलब असल कापी के बराबर है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य यह देखना चाहते हैं तो उनको असल भी दिखाई जा सकती है।

श्री दुलाराम : मेरी तो इच्छा नहीं है...

श्री सी. एल. कंवरिया : असल कापी दिखाई जा सकती है।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न में साफ कहा गया

(श्री बुलाराम)

है कि असल निविदा रखने की कृपा करें। असल सदन के पटल पर रख दें।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में निवेदन करता चाहता हूं कि असल की ही फोटो स्टेट कापी है। आप असल देखना चाहते हैं तो वह भी दिखाई जा सकती है।

श्री बुलाराम : मुझे जरूरत नहीं है। आपने क्यों नहीं रखी?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

गवर्नमेन्ट के डाक्यूमेन्ट अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो उनको दिखाये जा सकते है। जो फोटोस्टेट कापी आती है वह असल ही है। वह सदन की मेज पर आ गई है। यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है असल कापी भी उनको बतायी जा सकती है। जो असल डाक्यूमेंट हैं वे तो अपने स्थान पर ही रहते हैं।

स्थगित प्रश्न काफी है। इसलिये 15 मिनट का समय और रहेगा।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : जो नये टेन्डर खोले जा रहे हैं उनमें भी इस फर्म को आर्डर दिये गये हैं जब कि पहले के 80 में से 75 सेम्पल इसके गलत निकले हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : प्रश्न का जवाब बाद में दे दें।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्या यह कह रही हैं कि 75 सेम्पल जो लिये गये हैं वे सब स्टेन्डर्ड पाये गये हैं। तो यह किसी की शिकायत पर नहीं हुआ है। यह तो जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने देखे हैं। उसमें 75 सेम्पल ऐसे मिले हैं जो कि सब स्टेन्डर्ड थे। उसकी शिकायत कन्ट्रोलर आफ ड्रग्स को की गई। उनके डाइरेक्शन के मुताबिक जो दवाइयां खराब हैं, उनका रिप्लेसमेन्ट किया जा सकता है। इसके बावजूद हमारे यहां से उनको बंद कर दिया गया है और आज तक पैसा नहीं दिया गया है। यह किसी की शिकायत पर नहीं हुआ है। यह तो डिपार्टमेन्ट ने खुद ने किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। अब स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : ये इस प्रश्न को दबाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाखों रुपये की जीवनरक्षक दवाइयां थीं। अगर इस तरह से गलत दवाइयां लोगों को दी जायेंगी...

(व्यवधान)

इसलिये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। इस प्रश्न को आप किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : एक बात और कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। प्रश्न के माध्यम से इससे ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 274 था˙˙

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का एक मिनट में उत्तर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। स्थगित प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन : आज वन विभाग कर्मचारी उन पर अत्याचार करते हैं....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : और माननीय सदस्य समय ले लेते हैं और हमारा प्रश्न रह जाता है।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बता दें मंत्री महोदय कि चैयरमैन आफ पर्चेज कमेटी और डाइरेक्टर एक ही व्यक्ति हैं क्या? यह बात है तो एक ही ने गड़बड़ की है।

दूसरी बात है कल मुझे धमकी दी गयी कि यदि यह प्रश्न सदन में लायेंगे तो ठीक नहीं होगा। जिस आदमी ने इन्फार्मेशन दी है उसको सस्पेंड किया जायेगा˙˙˙

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : एक माननीय सदस्य को चैलेंज किया गया है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। माननीय सदस्या को धमकी किसने दी है˙˙˙

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है। यह सदन का अपमान है।

एक माननीय सदस्य : जैसी धमकी दी गयी है, वह बहुत गम्भीर है।..

एक माननीय सदस्य : जो टेबलेट खरीदी जा रही हैं वे गलत हैं तो इससे लोगों के˙˙

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। धमकी देने का प्रश्न है वह अलग है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य हैं पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया बैठें। यह शान्त हो जायं फिर आप बोल लेना।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : मंत्री महोदय से इनकी सुरक्षा करायी जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : जिस अधिकारी ने धमकी दी है, उसको सस्पेंड किया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। कृपया, स्थान ग्रहण करें। कृपया, शांति से सुने।

एक माननीय सदस्य : जिस व्यक्ति ने भी महिला सदस्या को धमकी दी है उसको सस्पेंड किया जाय।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सदन में प्रश्न पूछने के लिये उनको धमकी दी गयी है। यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : यह मामला है तो इस प्रश्न को अन्य किसी माध्यम से उठाया जा सकता है। इस समय मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो धमकी दी गयी है महिला सदस्य को.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य को जब अपने कार्यों के निर्वहन के लिये धमकी दी जायें तो उसके लिये नियमों के अन्दर प्रावधान हैं। उन नियमों का उपयोग करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों का तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन माननीय सदस्या सदन के बीच में कह रही हैं। हमारे को बताया जाय कि मंत्री महोदय उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से माननीय सदस्या ने विधान सभा में बात कही, वह आपकी जानकारी में भी आ गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप माननीय सदस्या से इस बात की पूरी जानकारी करके अपने लेवल पर कार्यवाही करेंगे ? यह बहुत गम्भीर सवाल खड़ा हो गया है इसलिये मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी करके, उस आदमी को दण्डित किया जाये, और सरकार सदस्या की सेफ्टी के लिये ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री राम कंवार बेरवा (फागी): हरिजन मंत्री होकर के यह बात करें। जो फर्म है, जो ठेकेदार है उसने गलत दवाइयां दी हैं..

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : धमकी कब दी गयी, किसने दी, कहां दी, क्यों दी....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। संक्षेप में, मंत्री महोदय।

श्री सी. एल. कंवरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सेम्पल्स के बारे में कहा। मैं इसका बड़ा स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि जिन फर्म से निविदायें आमंत्रित की गयी थीं उसके लिये स्टोर पर्चेज कमेटी बनी जिसके 9 सदस्य थे, फाइनेंस सैक्रेटरी, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सदस्य, और अन्य इस प्रकार 9 सदस्य होते हैं जिनमें डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ भी होता है। तो इन 9 सदस्यों की स्टोर पर्चेज़ कमेटी थी उसने निविदायें स्वीकार करीं। इसलिये यह कहना कि एक आदमी ही सब कुछ कर लेता है, या किया है। गलत है। 9 सदस्यों की एक कमेटी ने यह सब निविदायें स्वीकार की। इसके बावजूद इस प्रकार की कंडीशन लगायी गयी कि क्योंकि यह फर्म नयी नयी आयी है उससे टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं और अप्रूव भी किये गये हैं इसलिये सेम्पल समय-समय पर चैक किये जायें। इस चैकिंग में गड़बड़ी पायी गयी तो आन्ध्र प्रदेश के कंट्रोलर ऑफ मैडिकल ड्रग्स को लिखा गया। उन्होंने कहा कि हमने सारी मशीनरी देख ली है ऐसी बात कभी कमी हो जाती है। फिर भी उस कम्पनी को जो पेमेंट करना था वह अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि ड्रग कंट्रोलर ने लिख दिया है कि सिर्फ जो खराब दवाइयां निकली हैं उनको वापस भेज दिया जाय और दूसरी मंगवा ली जायं इसके बावजूद हमने उसको पेमेंट नहीं किया है। इतने कदम उठा लिये गये हैं।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

अब यह कहा गया कि धमकी दी गयी। किसने दी, यह तो पता लगे · · · ·

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री सी. एल. कंवरिया : मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई धमकी दे · · ·

श्री भगवानदास शास्त्री : सफाई पेश कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है।

श्री सी. एल. कंवरिया : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला 1979 का है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बोतल के टेन्डर मांगे गये, वे ही बोतलें सप्लाई क्यों नहीं की गयीं, दूसरी क्यों सप्लाई की गयीं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : और यह भी बता दें कि यह दुर्गानारायण नामक व्यक्ति है जिसकी 14 फर्म हैं · · · · ·

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह मामला किस वर्ष का है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : जैसा कि मैंने निवेदन किया यह मामला 1979 का है। नम्बर दो यह है, प्रश्न यह उठाया कि दुर्गानारायण कौन है।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह कौन है, इसकी कौन-कौन सी फर्म हैं . . .

श्री सी. एल. कंवरिया : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं। दुर्गानारायण नाम का आदमी कोई नहीं है।

(व्यवधान)

आप खामोश रहिये।

श्री दुलाराम : आप खामोश रहिये, यह नहीं कह सकते हैं। शान्त रहें, यह कह सकते हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : शान्त रहें और खामोश रहें, दोनों में क्या अन्तर है। एक उर्दू का शब्द है और दूसरा हिन्दी का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : स्थगित प्रश्न नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। अब कोई विषय विचारणीय नहीं है सदन के समक्ष।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आवासन मण्डल द्वारा पंजीकरण हेतु प्रदत्त आवेदन-पत्र

265. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि आवासन मण्डल ने पंजीकरण हेतु 1972-73 में फार्म मांगे थे ? यदि हां, तो क्या उनमें महिला आवेदकों से उनके पति की आय लिखने के लिए भी कोई कालम था ?

(2) यदि नहीं, तो वर्ष 1972-73 में पंजीकृत महिलाओं के फार्म्स की अब लॉटरी

(श्री यदुनाथसिंह)

खुल जाने के बाद उनको यह नोटिस क्यों दिया गया है कि चूंकि आपने अपने पति की आय को छिपाया है, अतः क्यों नहीं आवंटन रद्द कर दिया जाय ?

(3) क्या पुरुष आवेदकों से भी उनकी पत्नी के सर्विस में होने की स्थिति में उनकी आय की सूचना चाही गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सूचना के अभाव में ऐसे पुरुषों को भी आवंटन रद्द करने सम्बन्धी नोटिस जारी किए गये हैं ? यदि नहीं, तो इस भेद-भावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

(4) क्या आवासन मण्डल उपर्युक्त परिस्थिति को दृष्टिगत कर प्रभावित महिला आवेदकों का आवंटन बरकरार रखने पर विचार करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, फार्म में इस प्रकार का उल्लेख नहीं था, किन्तु सामान्य पंजीकरण योजना, 1973 की पंजीकरण पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 4 पर नियम संख्या 7 (2) में पति/पत्नी की सम्मिलित आय दर्शाये जाने का प्रावधान था।

(2) क्योंकि पति/पत्नी की सम्मिलित आय दर्शाये जाने का प्रावधान था अतः नियमानुसार ही आवंटन रद्द किये जाने का नोटिस दिया जा रहा है।

(3) पुरुष आवेदकों द्वारा जहां आय छुपाने का कोई प्रकरण सामने आया है तो उन्हें भी आवंटन रद्द करने संबंधी नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(4) क्योंकि यह बोर्ड की 91वीं बैठक दिनांक 4-6-81 को विचार-विमर्श हो चुका है इसलिये पुनः अभी विचार करने का कोई इरादा नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की आवास समस्या

266. श्री द्रोपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार की दृष्टि में एक औसत ग्रामीण परिवार के रिहायशी मकान के लिए क्या औसत आवश्यकता है ?

(2) उक्त मापदण्ड के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवारों के पास रिहायशी मकानों की व्यवस्था है ?

(3) उक्त मापदण्ड के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने और मकान बनाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी मकानों की कमी को दूर करने हेतु सरकार के पास कितनी पूंजी लगाने की योजना विचाराधीन है और इस पूंजी की व्यवस्था किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी की जा रही है ?

(5) क्या सरकार कोई ग्रामीण आवासन मण्डल की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और उसका क्या स्वरूप होगा ?

उत्तर

(1) एक औसत ग्रामीण परिवार के

(पंचायत मंत्री)

लिए स्वयं के रहने तथा खाना पकाने के के लिए स्थान एवं मवेशियों के बांधने, चारा-फूस रखने के लिए मकान एवं छप्पर की कम से कम आवश्यकता होती है।

(2) इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है, मगर मोटे रूप से कहा जा सकता है कि 15 से 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास उपरोक्त अनुसार भी पूरी व्यवस्था नहीं होती है।

(3) उक्त मापदण्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 से 10 लाख मकान और बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सरकार ने 8.54 लाख रिहायशी भू-खण्ड अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को अब तक आवंटित किये हैं व चालू वर्ष में 1.00 लाख भूखण्ड और आवंटन करना प्रस्तावित है। मकान बनाने हेतु राज्य सरकार इन लोगों को 750 रु. प्रति परिवार अनुदान तथा 5000 रु. तक का ऋण उपलब्ध कराती है।

(4) वर्ष 1980-81 में 75.00 लाख रुपये की राशि 10,000 भवन बनाने हेतु रखी गई थी। चालू वर्ष में यह राशि बढ़ा कर 225.00 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे 750 रु. प्रति परिवार अनुदान देकर 30,000 मकान बनाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में 450.00 लाख रुपये हाउसिंग एण्ड अरबन डवलप-मेन्ट कार्पोरेशन (HUDCO) दिल्ली से 15,000 मकान बनाने के लिए तथा 300.00 लाख रुपये जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन से 6000 मकान बनाने के लिये ऋण के रूप में प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इस तरह इस वर्ष 51,000 ग्रामीण भवन बनाने का लक्ष्य है।

(5) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य लघु उद्योग निगम की इकाई ट्रेड सैन्टर के व्यापार की प्रगति

267. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में राज्य लघु उद्योग निगम की इकाई ट्रेड सन्टर से कितनी लघु इकाइयों ने इस सैन्टर के मार्फत व्यापार किया तथा कितने-कितने रुपयों का ?

(2) इस ट्रेड सैन्टर से क्या वर्ष 1978-79 से 1980-81 में इकाइयों को दिए गये व्यापार में कोई प्रगति की है ? यदि हां, तो कृपया, प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो इसके कारण सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध निगम के प्रबन्धक ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या निगम ने इस सैन्टर के व्यापार के लिए कोई सीमा तय की है ? यदि हां, तो वर्ष 1978-79 से 1980-81 के लिए कितनी सीमा तय की गई तथा किस आधार पर ?

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई ट्रेड सैन्टर के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों द्वारा किये गये व्यवसाय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। व्यापार में प्रगति न होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं:—

(उद्योग मंत्री)

1. व्यवसाय नीति का रिव्यू करके, उसको रेशनेलाइज किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न हैं:-

(i) ट्रेड सेन्टर को प्राप्त आर्डर की इकाइयों में से न्यूनतम दरों वाली इकाई को सप्लाई आर्डर दिया गया।

(ii) प्राप्त आर्डर की रजिस्टर्ड इकाइयों को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर ही न्यनतम दरों पर सप्लाई आर्डर दिया गया।

(iii) अब 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की सुविधा जी.टी.आर. (Goods Transports Receipts) पर बन्द कर दी गई है जिससे इस प्रावधान के दुरुपयोग को सीमित किया जा सके। किन्तु अधिकतम माल रोड ट्रान्सपोर्ट से ही जा सकता है। अतः इस सुविधा के बन्द करने से व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(iv) व्यवसाय बढ़ाने के स्थान पर प्रदेश की पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को व्यवसाय के लिए प्रेरित करने एवं टेलेक्स, टेण्डर सूचना, उद्योग एवं व्यापार से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराना आदि पर बल दिया गया। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि व्यवसाय में गिरावट, नीति परिवर्तन आदि के कारण हुई। अतः कोई अधिकारी विशेष जिम्मेदार नहीं है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 3 देखें)

उदयपुर सम्भाग के आदिवासियों के लिए सिंचाई योजना

269. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाकों में सिंचाई के साधन हेतु कांया नदी, टीडी नदी, पड़ना आदि नदियों का पानी रोककर, सिंचाई के लिए कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो, क्यों?

उत्तर

उदयपुर जिले के आदिवासी इलाकों में सिंचाई के साधन हेतु पिलावर गांव के पास, टीडी द्वितीय बांध योजना बनाई जा रही है। इस योजना का आकलन बना लिया गया है एवं इसकी जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर तहसील के राजपुरा ग्राम के पाये गये शव

204. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों सीकर तहसील के राजपुरा ग्राम के पांच व्यक्तियों के शव प्राप्त हुये हैं?

(2) क्या इन शवों की शिनाख्त हो चुकी है? यह मामले आत्म हत्या के हैं या हत्या के?

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक सूचना देने के 24 घंटे पश्चात् पुलिस मौके पर पहुंची?

(4) इस संबंध में जांच कार्य किस स्टेज पर है?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में राजपुरा गांव के निवासी किसी भी व्यक्ति का कोई शव पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है।

(गृह मंत्री)

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

जयपुर शहर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदस्थापित अधिकारियों के टेलीफोन पर व्यय

205. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कुल कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं ?

(2) इन अधिकारियों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों पर औसतन माहवार कुल कितना खर्च आता है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 80 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं ।

(2) उक्त अधिकारियों में से अब तक केवल 60 अधिकारियों के बारे में सूचना प्राप्त हो सकी है जिनके निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों पर औसतन कुल 31, 600 रुपये प्रति माह खर्चा आता है ।

चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन से हथियार का गायब होना

206. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस लाइन, चित्तौड़गढ़ से भारी मात्रा में हथियार गायब हुए हैं ? यदि हां, तो उनका अनुमानित मूल्य कितना है ?

(2) हथियार गायब होने की सूचना सरकार को कब मिली ?

(3) इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । इन हथियारों के मूल्य के बारे में अभी अनुसंधान जारी है ।

(2) दिनांक 23-4-80 को मिली ।

(3) प्राथमिक जांच से हैड कानस्टेबल नानकराम एवं आर. आई. नरपतसिंह दोषी पाये गये थे, जिन्हें निलम्बित किया जा चुका है । अन्य अधिकारियों के बारे में अपराध शाखा, सी. आई. डी. द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने पर ही मालूम हो सकेगा ।

डीडवाना स्थित सोडियम सल्फेट फैक्ट्री का प्राइवेट पार्टी को सौंपा जाना

207. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार डीडवाना स्थित सोडियम सल्फेट फैक्ट्री को किसी प्राइवेट पार्टी को सौंप रही है ? यदि हां, तो क्यों व किसको तथा किन शर्तों पर ?

उत्तर

सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना को मैसर्स डीडवाना कैमिकल प्रा. लि., जयपुर

Page No. 23

23

(उद्योग मंत्री)

को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया है। इस इकाई को पट्टे पर देने का निर्णय मंत्रि-मंडल की बैठक दिनांक 13-2-80 में लिया गया जिसका समर्थन राज्यपाल महोदय के सलाहकार (के.) द्वारा दिनांक 12-5-80 को किया गया। मन्त्रिमण्डल में लिये गये निर्णय के अनुसार पट्टे की शर्तों का अनुमोदन मंत्री मंडल से कराया जाना था, अतः मामले को पुनः मन्त्रिमण्डल के सामने प्रस्तुत किया गया और उनकी आज्ञा दिनांक 20-1-81 की अनुपालना में संयंत्र को पट्टे पर देने की कार्यवाही की गई जिसका मुख्यतः निम्न कारण है :

(1) विद्युत की अनियमित सप्लाई एवं असामान्य व्यवधान विद्युत की कमी के कारण उत्पादन 40 से 50 प्रतिशत तक प्रभावित होना।

(2) रेल्वे वैगन्स एवं कोयले की प्राप्ति न होने के कारण से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव का पड़ना।

(3) पुराने संयंत्र के पुराने पार्ट्स को बदलने हेतु संयंत्र का बन्द रहना।

(4) ग्रीष्मकाल में संयंत्र की क्षमता को कम किया जाना।

(5) इकाई को विभागीय रूप में चलाने में कठिनाईयां आना।

(6) फर्नेस आयल के भावों में असाधारण वृद्धि के फलस्वरूप एक तरफ इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि होते पर भी वर्ष 72-73 में इस रसायन की विक्रय दर रु. 1800/- प्रति मै. टन थी, जो लाभदायक थी। वर्ष 74-75 में विक्रय दर घट कर रु. 605/- प्रति मै. टन रह गई तथा तेल के भावों में अबाध बढ़ोतरी से उत्पादन लागत दो-गुनी हो जाने के कारण से यह संयंत्र दो वर्ष लाभ में रह कर वर्ष 74-75 से निरन्तर हानि में रहने लगा।

फर्नेस आयल से चालित वायलर को कोयले से चालित वायलर में बदलने के विन्दु पर भी एक समिति के द्वारा विचार कराया गया और उनके सुझावानुसार 17 लाख रु. का विनियोजन के उपरान्त भी वांछित कोयला प्राप्त हो सकेगा या नहीं, एवं संभावित विनियोजन को मद्देनजर रखते हुए पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। पट्टे की शर्तों का वर्णन परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(पट्टे की शर्तों के लिए कृपया, परिशिष्ट 4 देखें।)

बजाज सीमेन्ट, उदयपुर द्वारा सीमेन्ट का उत्पादन

208. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बजाज सीमेंट, उदयपुर ने 1 अप्रेल, 1980 से 1 सितम्बर, 1981 तक कितने सीमेन्ट का उत्पादन किया ? कृपया माहवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उसके बैग के वजन एवं उसकी क्वालिटी की जांच की जाती है ? यदि हां, तो, उक्त अवधि में यह कब की गई एवं उसकी क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

(3) क्या जनता से सीमेन्ट के बैग के वजन एवं सीमेन्ट की क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सलंग्न है ।

(2) जी हां। सीमेन्ट बैग्स का वजन समय समय पर माप–तोल निरीक्षक द्वारा किया जाता है । अन्तिम निरीक्षण दिनांक 15-9-81 को किया गया एवं वजन प्रमाणित किया ।

(3) राजस्थान बिल्डर्स, भीण्डर, द्वारा सीमेन्ट वजन बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है । अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 5 देखें)

छठी पंचवर्षीय योजना में हाइडल प्लान्ट लगाने का प्रावधान

209.श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में कितने हाइडल प्लांट लगाने का प्रावधान है ? ये प्लांट किस-किस क्षेत्र में, कहां–कहां एवं कितनी–कितनी लागत से बनाये जावेंगे ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना में दो हाइडल प्लांट लगाने का प्रावधान है । एक प्लांट बांसवाड़ा में (माही हाइडल प्रोजेक्ट) जिसके अन्तर्गत दो विद्युत गृह होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 73.142 करोड़ रुपये है, लगाया जाना है । दूसरा अनूपगढ़ में (अनूपगढ़ हाइडल स्कीम) लगाया जावेगा । इसकी अनुमानित लागत 6.51 करोड़ रुपये है । इसके अलावा छठी पंच-वर्षीय योजना में 3,355 लाख रुपयों का प्रावधान नई उत्पादन योजनाओं-मिनी-हाइडल व तापीय परियोजनाओं के लिए रखा गया है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त अग्रिम सहायता

210. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी राशि अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है ?

(2) इस राशि में से कितनी कितनी राशि किन किन कार्यों में लगायी गयी है ?

(3) इस राशि में से कितनी राशि केन्द्र सरकार को वापस लौटानी पड़ेगी और कितनी राशि का समायोजन होगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना काल 80-85 में भारत सरकार से राज्य सरकार को वर्ष 1980-81 में राहत कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से 24.41 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । वर्ष 1981-82 में राहत कार्यों के लिए 29.898 करोड़ की अग्रिम आयोजना सहायता के आवंटन के पेटे 15 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त हुए हैं ।

(2) राशि के उपयोग का कार्यवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम 4 व 6

(सहायता मंत्री)

में उपलब्ध है। वर्ष 1981-82 की अग्रिम आयोजना सहायता के उपयोग का समय 30-9-81 तक का है।

(3) अग्रिम योजना सहायता जिस वर्ष प्राप्त होती है उससे सूखा समाप्त होने के पश्चात् अगले 5 वर्षों में प्राप्त होने वाली योजना सहायता में समायोजित होती है। अग्रिम योजना सहायता 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। ऋण की राशि 15 वर्षों में भुगतान की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया, परिशिष्ट 6 देखें।)

पुलिस थाना, सांचोर, जिला जालोर में दर्ज एफ. आई. आर.

211. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि एफ. आई. आर. संख्या 100, दिनांक 30-8-1978 पुलिस थाना, सांचोर, जिला जालोर में दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं किस किस के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी ?

(2) उक्त एफ. आई. आर. संख्या 100, पुलिस थाना सांचोर का चालान किस अदालत में कब किया गया ? किन-किन मुलजिमान के विरुद्ध किस-किस जुर्म में चालान किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह रिपोर्ट श्री जैतमालसिंह, पुत्र श्री वीजैराजसिंह, राजपूत, निवासी भूतेल द्वारा श्री गुरजन, पुरखा, तुलछा, बगता, रामलाल, कालू, मोवता, भीवड़ा, करना, राजमल, प्रेमा, देवा, सेषा, वधा, जावता, मल्ला, छगना, रूड़ा पुत्र रूपा व रूड़ा पुत्र अनदा, के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।

(2) इस अभियोग का चालान दिनांक 22-12-78 को जूडिशल मजिस्ट्रेट, सांचौर की अदालत में धारा 147, 447, 427 ता. हि. में किया गया था जो विचाराधीन अदालत है।

अजमेर के दरगाह बाजार से विस्फोटक सामग्री के होलसेल व्यापारी के गोदाम में लगी आग से हानि

212. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर की सीमा में दरगाह बाजार में गत वर्ष विस्फोटक सामग्री के एक होलसेल व्यापारी के गोदाम में आग लग गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने लोग मारे गये, और कितने जख्मी हुये थे तथा विस्फोटक पदार्थ के अलावा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि विस्फोटक विशेषज्ञ के आने से पूर्व ही मलबा दुर्घटना स्थल से हटा दिया था ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से, किसके द्वारा किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटना की जांच के लिए कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो किस को जांच अधिकारी लगाया गया था ? क्या जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कृपया, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

28

(श्री गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। इस विस्फोटक काण्ड में 4 व्यक्ति मारे गये और 2 व्यक्ति घायल हुए थे। पड़ौस की 6 दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं जिनमें अनुमानित 16,000 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(2) जी हां। म्युनिसिपल बोर्ड, अजमेर द्वारा मलबा घटना स्थल से हटाया गया था। कारणों का पता नहीं लग सका है।

(3) इस दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना गंज पर अभियोग नं. 14/80 धारा 304 ए, 286 भा.दं.स. दिनांक 28-2-80 को पंजीबद्ध किया जाकर, अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया गया। अनुसंधान लगभग पूर्ण है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुसंधान पूर्ण हो जायेगा। अत: प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर नगर के औद्योगिक क्षेत्र, परबतपुरा में आवंटित प्लाट

213. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर के इण्डस्ट्रियल एरिया, परबतपुरा में कितने-कितने प्लाट, किस-किस को, कब-कब आवंटित किये गये हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन आवंटित प्लाटों में से कितने प्लाटों पर उद्योग प्रारम्भ कर दिये गये हैं। तथा कितने प्लाट खाली पड़े हुए हैं? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या खाली पड़े प्लाटों को नियमानुसार सरकार पुन: लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या इस इण्डस्ट्रियल एरिया में लघु उद्योगों की प्राथमिक आवश्यकताओं का आधार भूत ढांचा तैयार कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) खाली पड़े हुए भू-खण्डों के आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् प्लाट वापस लिये जावेंगे।

(4) इण्डेस्ट्रियल एरिया, परबतपुरा में लघु उद्योगों के प्राथमिक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पक्की डामर की सड़कें, पानी एवं बिजली सप्लाई की लाइनें सम्पूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध करा दी गई हैं। सामान्य सुविधाएं: जैसे बैंक, पोस्ट आफिस इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र से लगभग एक किलोमीटर के फासले पर उपलब्ध होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जैसलमेर में बेकार नस्ल की गायों का तस्करों द्वारा बेचान

214. श्री **चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जगदीश सिंह)

(1) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला जैसलमेर में हर वर्ष बालदिया भाट द्वारा हजारों की संख्या में बिना दुधारु व बेकार नस्ल की गायें लाई जाती हैं जो तस्करों द्वारा पाकिस्तान को बेची जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष के भीषण अकाल में भी हजारों की संख्या में जैसलमेर जिले में ये गायें प्रवेश कर चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बालदिया-भाट फलोदी तहसील की दिशा से 1500 गायें लेकर, हाल ही में आए थे। इसमें से 1200 गायें ग्राम रामदेवरा में से होती हुई बीकानेर जिले में चली गई हैं। शेष 300 गायों को नाचना के उत्तर में स्थित ग्राम रामचन्द्र वाला, भारेवाला एवं भाला आदि गांव में ले गए हैं। इसी प्रकार जैसलमेर सी- डिवीजन में बालदिया-भाट 600 गायें लेकर आये थे जिनमें 300 गायें गांव लुनार, करला, हतार एवं फलोदी के लोगों को बेच दी हैं। बाकी गायें इसी क्षेत्र में हैं। गायों के पाकिस्तान में जाने की कोई सूचना अब तक जिला प्रशासन को नहीं मिली है।

(2) सीमा पर स्थित बी. एस. एफ. की सीमा चोकियों एवं पुलिस दोनों पूर्व में ही सतर्क हैं तथा उन्हें भविष्य में और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिये हैं।

प्रदेश में हस्तकला के विकास हेतु हस्तकला मण्डल की स्थापना

215. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हस्तकला के उत्थान हेतु सरकार द्वारा हस्त शिल्पियों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

(2) क्या हस्तकला के विकास के लिए देश में हस्तकला मण्डल की स्थापना की जायगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) प्रदेश में हस्तकला विकास के के लिये सरकार के पास क्या कोई नीति विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) हस्तकला उत्थान हेतु निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं:—

(1) मास्टर क्राफ्ट्स मेनके अधीन प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिये जाते हैं।

(3) अखिल भारतीय हस्तकला मण्डल एवं रीजनल डिजाइन एण्ड टैक्निकल डवलपमेन्ट सेन्टर-बैंगलोर द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण के लिये इनके (हस्त शिल्पियों) आवेदन भिजवाये जाते हैं।

(4) डिजाइन सेन्टर एवं क्राफ्ट म्यूजियम, राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा स्थापित, इस कार्य के लिय स्थापित किये हुए हैं।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विभाग द्वारा हस्तशिल्पियों को ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

(6) हस्तकला सप्ताह की अवधि में शिल्पियों द्वारा बनाये गये माल पर 5% की बिक्रीकर छूट दी जाती है।

(7) राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा आपने म्यूजियम के माध्यम से बनाये गये माल की बिक्री का प्रबन्ध किया जाता है।

Page No. 28

(उद्योग मंत्री)

(8) राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा हस्तकला को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(9) राज्य की समस्त पंचायत समितियों में विलेज इण्डस्ट्रीज ब्यूरो खोले हुए हैं, जो कि हस्तशिल्पियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(10) राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा ऐसे उद्योगों को भी सहायता दी जाती है जो काफी प्रचलित थे और अब जो खतम होने की स्थिति में हैं तथा जो अविकसित पड़े हैं उन्हें भी पुनर्जीवित किये जाने का प्रयास किये जाते हैं।

(2) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विशिष्ट जानकारी हेतु विदेशों में भेजा जाना

216. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दस वर्षों में कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कार्यरत विभागों की विशिष्ट जानकारी के लिए विदेशों में भेजा गया ? विभागवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) इन अधिकारियों को स्वदेश लौटने की थोड़ी अवधि के बाद ही अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर दिया गया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस प्रकार दक्षता प्राप्त कर लौटने के पश्चात् उन अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य विभागों में किया जाना जनहित में होता है ?

उत्तर

(1) गत दस वर्षों में कुल 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कार्यरत विभागों की विशिष्ट जानकारी (प्रशिक्षण) के लिये विदेशों में भेजा गया। विभागवार सूची संलग्न है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना प्रश्न के भाग (1) में संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पदस्थापन समय समय पर विभिन्न विभागों में किया जाता है। अतः उनके द्वारा विदेश प्रशिक्षण से प्राप्त दक्षता का लाभ राज्यहित में ही होता है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 8 देखें)

सहायक लोक अभियोजक की कैम्प कोर्ट से अनुपस्थिति

217. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री रोशन लाल तिवाड़ी, सहायक लोक अभियोजक वर्ष 1978 से जनवरी, 1980 तक न्यायालय न्यायिक, रेल्वे मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां कार्यरत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक लोक अभियोजक निम्न तारीखों में बाहर विभिन्न स्थानों पर जो कैम्प कोर्ट लगते हैं उनमें अनुपस्थित रहे:— 9-1-78, 9-3-78, 21-3-78, 27-3-78, 10-4-78, 15-5-78, 20-5-78, 26-7-78, 19-8-78, 16-9-78, 8-12-78, 11-1-79, 12-1-79, 31-1-79, 12-2-79,

(श्री यदुनाथ सिंह)

17-3-79, 31-3-79, 1-4-79, 12-4-79, 5-11-79, 8-11-79, 21-1-80, 23-1-80.

(3) क्या यह सही है कि उन्होंने उक्त तिथियों में कैम्प कोर्ट से अनुपस्थिति के बावजूद भी टी.ए. डी.ए. उठाया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री रोशन लाल तिवाड़ी 28-5-1979 को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये थे और उन पर इ.एफ.टी.नं. 11248 के जरिये जुर्माना किया गया था ? यदि हां, तो क्या एक राज्य कर्मचारी का यह आचरण सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता के अनुकूल है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न में दर्ज सभी (तारीख 27-3-78 के अतिरिक्त) तारीखों में रेलवे मजिस्ट्रेट, जयपुर ने जयपुर के बाहर विभिन्न स्थानों पर कैम्प कोर्ट लगाये थे। श्री रोशन-लाल तिवाड़ी ने कैम्प कोर्टस में उपस्थिति नहीं दी, ऐसी रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त होने पर उसकी जांच करवाई जा रही है। यह भी लिखना उचित होगा कि रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट, जयपुर के रीडर (श्री श्याम-लाल वर्मा) ने इसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर में भी की है, जहां प्राथमिक जांच के पश्चात् श्री तिवाड़ी के विरुद्ध धारा 420, भा.द.स. एवं 5(1)(डी) (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में मामला पंजीकृत किया जा चुका है और वर्तमान में अन्वेषणाधीन है।

(3) उक्त तिथियों में कैम्प कोर्ट में श्री तिवाड़ी के अनुपस्थित रहते हुए उनके द्वारा यात्रा भत्ता उठाने के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अन्वेषण जारी है। 27-3-78 के अलावा सभी दिनों के यात्रा भत्ता बिल्स बनाकर श्री तिवाड़ी ने विभाग को प्रस्तुत किये हैं जिनमें कतिपय दिनांकों का यात्रा भत्ता श्री तिवाड़ी ने प्राप्त कर लिया है। कतिपय दिनांकों का यात्रा भत्ता का भुगतान बैंक से उठा लिया है लेकिन श्री तिवाड़ी ने केशियर से भुगतान प्राप्त नहीं किया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कुछ बिल्स विभाग द्वारा रोक लिये गये हैं। विभाग द्वारा भी श्री तिवाड़ी की अनुपस्थिति के संबंध में जांच कराई जा रही है।

(4) श्री तिवाड़ी द्वारा अप्रेल-मई, 1979 में बिना टिकट रेल में यात्रा करने एवं उन्हें चार्ज किये जाने संबंधी एक शिकायत निदेशालय में प्राप्त हुई थी। श्री तिवाड़ी ने इस शिकायत को गलत बताया है। चूंकि शिकायत गुमनाम थी अतः उस पर कार्यवाही नहीं की गई।

जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर हानि में

218. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर गत कई वर्षों से नुकसान में चल रहा है ? यदि हां, तो 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में कुल कितना नुकसान हुआ है ? कृपया, वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें ?

Page No. 30

(30)

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) जयपुर उद्योग को राज्य सरकार का मय ब्याज के अगस्त सन् 1981 तक कितना पैसा देना है ? क्या सरकार द्वारा पैसा वसूल करने का कोई नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो कब ? और नहीं, तो उसको वसूल नहीं करने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार उसको अपने कब्जे में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर को बैंकों, मजदूरों, माइन्स, विद्युत, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार, रेलवे आदि का पैसा देना है ? यदि हां, तो अगस्त, 1981 तक कुल असल व ब्याज की कितनी राशि देय है ?

उत्तर

(1) जी हां, नुकसान का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष		राशि (लाखों में)
1978-79	219	अंकेक्षित बैलेन्स शीट के आधार पर
1979-80	438	"
1980-81	437	अंकेक्षण की अपेक्षा में अनुमानित ।
जुलाई, 81	40	अंकेक्षण की अपेक्षा में प्रोविजनल ।
अगस्त, 81	40	"

(2) जयपुर उद्योग को राजस्थान सरकार को अगस्त, 1981 तक 469.65 लाख रुपये मय ब्याज के देना है। सहायता उपक्रम घोषित करने के पूर्व जयपुर उद्योग के प्रबन्धकों को बकाया राशि चुकाने हेतु समय 2 पर नोटिस दिये गये थे। दिनांक 4-3-1978 से राजस्थान रिलीफ अण्डरटेकिंग्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1961 के अन्तर्गत दी जयपुर उद्योग लि. को रिलीफ अण्डरटेकिंग घोषित किये जाने के कारण इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। फिर भी उद्योग विभाग की ऋण संबंधी बकाया की वसूली हेतु पर्सनल गारन्टर्स के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा दी इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट, 1951 के तहत नियुक्त इन्वेस्टीगेशन कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा अपनी टीका भिजवाई जा चुकी है। उक्त इकाई के अधिग्रहण किये जाने संबंधी प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन हैं। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार इसे टेक-ओवर करने में सक्षम नहीं है। अतः अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जाना है।

(3) जी हां। अगस्त, 1981 तक कुल असल व ब्याज की राशि क्रमशः रुपये 2,104.72 व रुपये 532.62 लाख कुल 2,637.34 लाख रुपये दी जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर द्वारा देय है। मजदूरों व रेलवे का कोई बकाया देय नहीं है।

ग्राम दोराई (नसीराबाद) में जहर से हुई मृत्यु

219. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दौराई (नसीराबाद) में शुक्रवार, दिनांक 21-8-81

(31)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
को सोहन नामक व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया ?

(2) यदि हां, तो इसके संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति तथा एफ. आई. आर. की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, दिनांक 21-8-81 को श्री मोहन नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसके कारणों के बारे में अनुसंधान जारी है।

(2) मामला अनुसंधानाधीन है। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(एफ. आई. आर. की प्रति के लिये कृपया, परिशिष्ट 9 देखें।)

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी

220. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रतापगढ़ पुलिस ने जगदीश को सुमित्रा धर्म पत्नी श्री मनोहर सिंह के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में गिरफ्तार किया है ?

(2) यदि हां, तो एफ. आई. आर. की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एफ. आई. आर. की नकल संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

आदिवासी क्षेत्र, प्रतापगढ़ को जिला बनाया जाना

221. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य को कुछ और जिलों में विभक्त करने का है ? यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़ को भी जिला बनाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

जी हां, कुछ बड़े जिलों का विभाजन कर, छोटे जिले बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। सम्पूर्ण प्रस्ताव पर राज्य की भौगोलिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मद्दे नजर रखते हुए इसमें निर्णय लिया जावेगा।

कोटा नगर को तीसरी विमान सेवा से जोड़ा जाना

222. श्रीमती विद्या पाठक (जयपुर ग्रामीण): क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय स्तर पर कोटा नगर को तीसरी विमान सेवा से जोड़े जाने की कार्यवाही चल रही है ?

(2) यह योजना क्या है ? सरकार

(श्रीमती विद्या पाठक)
ने राज्य में कहां कहां के लिये प्रस्ताव भेजे हैं ? राज्य में यह किन शर्तों पर आरम्भ की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

(2) भारत सरकार द्वारा "वायुदूत" सेवा तीसरी विमान सेवा के रूप में उत्तरान्चल में चालू की गई है। इस विमान सेवा को राजस्थान सहित भारत के अन्य राज्यों में प्रारम्भ करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा तीसरी विमान सेवा से जोड़ने हेतु प्रारम्भिक रूप से कोटा के अतिरिक्त निम्न स्थलों के प्रस्ताव भेजे गये हैं:—

1. जैसलमेर।
2. बीकानेर।
3. आबूरोड़।
4. चितौड़गढ़।
5. अजमेर।
6. भरतपुर।

"वायुदूत" विमान सेवा राजस्थान में चलाये जाने के लिये अभी शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।

थाना माणक चौक, जयपुर में पत्रकार की पिटाई

223. श्रीमती विद्या पाठक (जयपुर-ग्रामीण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 19-8-1981 को थाना माणक चौक, जयपुर में एक पत्रकार श्री गजानन्द शर्मा की निर्मम पिटाई की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) यह पिटाई किसके आदेश से, और किस-किस के द्वारा की गई ?

उत्तर

(1) इस संबंध में उप महानिरीक्षक, रेन्ज को आवश्यक जांच करने के आदेश दे दिये हैं।

(2) जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

केशवराय पाटन क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं

224. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशवरायपाटन क्षेत्र में कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ? कितनी भूमि असिंचित है, और सिंचाई के क्या-क्या साधन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि केशवराय-पाटन क्षेत्र की असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु विभाग के पास निम्न परियोजनायें प्रस्तावित हैं:—

1. बूंदी ब्रांच कैनाल विस्तार योजना।
2. कुन्हाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी विस्तार योजना।

(3) यदि हां, तो इन योजनाओं की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) केशोराय पाटन क्षेत्र में 37,222

Page No. 33

(33)

(सिंचाई मंत्री)
हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है व असिंचित भूमि 41339 हैक्टेयर है। चम्बल परियोजना की बाईं मुख्य नहर एवं इसकी शाखाओं के अलावा क्षेत्र कुओं द्वारा भी सिंचित किया जाता है।

(2) जी हां।

1. बूंदी ब्रांच कैनाल विस्तार योजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा रही है एवं स्वीकृति के अभाव में प्रारम्भ नहीं की गई है।

2. कुन्हाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी विस्तार योजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। एवं मार्च, 82 तक पूर्ण होने की संभावना है।

झालावाड़ के सुनेल कस्बे में उप-तहसील खोलना

225. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार 20 उप-तहसीलें और 6 तहसीलें खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त उप-तहसीलों में से झालावाड़ के सुनेल कस्बे में एक उप-तहसील खोलने का सरकार विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पहले उप-तहसील थी? यदि हां, तो वह किस कारण से व किस वर्ष में वहां से हटाई गई?

(4) क्या यह सही है कि सुनेल कस्बे में उप-तहसील नहीं होने से वहां के आस-पास रहने वाले किसानों को बहुत परेशानी होती है?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ नई तहसीलें एवं कुछ नई उप-तहसीलें स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। कब तक स्थापित की जावेगी इसकी निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, यह सही है कि जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा के कस्बे सुनेल में पहले उप-तहसील थी जहां नायब तहसीलदार कार्य करता था। सुनेल उप-तहसील को तोड़ी जाकर सन 1958 में तहसील पिड़ावा में विलीन कर दी गई। इस तहसील को तोड़ने के कारण प्रशासनिक थे।

(4) जनता की सुविधा के लिये ही नई तहसीलों की स्थापना की जा रही है, परन्तु भौगोलिक व राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख कर इस महत्व-पूर्ण मामलों पर विचार किया जावेगा।

मोर नदी से कुशलगढ़ को पीने के पानी की सप्लाई

226. श्री फतेसिंह (कुशलगढ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में वाटर वर्क्स की स्कीम मंगलेश्वर से जल लेने की थी?

(श्री फतेसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि वाटर वर्क्स विभाग द्वारा कुशलगढ़ को पानी देने के लिये कार्य आरम्भ किया जाकर मोर नदी से पानी सप्लाई किया जा रहा है ?

(3) मोर नदी से जल उपलब्ध कराने हेतु वाटर वर्क्स स्कीम में कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? अब तक कितनी राशि खर्च की गई, कितना कार्य अब तक बाकी रहा है ? कार्य की धीमी गति का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में हिरन नदी के कुओं से पानी सप्लाई किया जा रहा है। मोर नदी वाला कार्य प्रगति में है।

(3) संदर्भित योजना 7.08 लाख रु. की लागत की स्वीकृति की गई थी। योजना पर अब तक कुल 7.19 लाख रु. व्यय किये जा चुके हैं। पाइप लाइन की टेस्टिंग व क्वार्टर का कुछ काम को छोड़कर शेष सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। आवश्यकतानुसार 6" व्यास की पाइप लाइन की सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण योजना पर कार्य की गति धीमी रही।

पेयजल योजना की स्वीकृति

227. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति गांव भैंसा कमंड, पंचायत समिति गांव कोशीवाड़ा, पंचायत समिति गांव सेमा-पंचायत समिति गांव शिशोदा में जल योजना के लिये सरकार को राशि जमा कराई है ?

(2) यदि हां, तो कौन से सन् में ?

(3) इन गांवों में जल योजना किस सन् में प्रारम्भ की जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम भैंसा कमंड को छोड़ शेष सभी उल्लेखित ग्रामों हेतु पंचायत द्वारा अनुदान राशि जमा कराई गई है।

(2) ग्राम कोशीवाडा व शिशोदा हेतु वर्ष 1972 में, व ग्राम सेमा हेतु वर्ष 72 व 74 में, अनुदान राशि जमा कराई गई है।

(3) ग्राम कोशीवाडा, भैंसा कमंड व शिशोदा में पेयजल योजना चालू कर दी गई है व ग्राम सेमा की पेयजल योजना वर्ष 1981-82 में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

सलूम्बर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

228. श्री धार्नसिंह मीणा (सलूम्बर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? यदि नहीं किया गया तो, क्या कारण हैं ? क्या सरकार भविष्य में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सलूम्बर में सात हजार विद्युत् उपभोक्ता हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सलूम्बर में सहायक अभियंता, आर.एस.ई.बी.का कार्या-

Page No. 35

(35)

(श्री मानसिंह मीणा)
लय नहीं है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में सहायक अभियंता का कार्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी गांव का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं होने से किसी गांव को विद्युतीकृत नहीं किया गया। पंचायत समिति, सलूम्बर क्षेत्र के 117 ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा कर एक योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सलूम्बर में 1210 विद्युत् उपभोक्ता हैं।

(3) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गिरवा के सहायक अभियंता का मुख्यालय सलूम्बर में स्थित है।

(4) एक सहायक अभियंता का कार्यालय सलूम्बर में पहले से ही स्थित है। वर्तमान कार्यभार के अनुसार सलूम्बर में एक और सहायक अभियंता के कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयसमन्द के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

229. श्री मानसिंह मीणा (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयसमन्द के अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग का कार्यालय उदयपुर में है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कार्यालय का क्षेत्राधिकार सलूम्बर, सराड़ा और धरियावद तहसील है ?

(3) क्या सरकार इस अधिशाषी अभियंता का कार्यालय सलूम्बर में स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। प्रशासनिक दृष्टि से इस कार्यालय को उदयपुर रखा जाना ज्यादा उपयुक्त है।

कामां क्षेत्र में कस्बा पहाड़ी के लिये पेयजल योजना

230. श्री चांद खां (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में कस्बा पहाड़ी तथा ग्राम नूनेरा, नोगांवां ग्रामों के लिये जल प्रदाय योजना की मंजूरी हो गई है ? क्या इसके निर्माणार्थ आवेदित टेण्डर पर भी स्वीकृति हो गई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू हो जायगा ?

(2) तहसील कामां में शेष गांवों में पेयजल की क्या योजना है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि घाटमीका के कुछ गांवों में पानी पीने को नहीं है व पानी एक एक दो दो मील से लाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री चांद खां)

इन गांवों को पानी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) केवल ग्राम नोनेरा व नौगांवा हेतु क्षेत्रीय योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत कार्य हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई है। कार्य तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् वर्ष 1981-82 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। कस्बा पहाड़ी में पहले से ही योजना संधारण में है।

(2) राज्य सरकार कामां तहसील के शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों में छठी पंचवर्षीय योजना काल में वांछित धन राशि की उपलब्धि होने पर पेयजल उपलब्ध कराने का टेन्टेटिव लक्ष्य रखती है।

(3) ग्राम धाटमीका में हैण्ड पम्प लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

तहसील नागौर के ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

231. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील नागौर के किन किन ग्रामों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील नागौर के जिन गांवों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है उनमें से कौन कौन से ग्राम में सन् 1981-82 में किस किस प्रकार के पेयजल वितरण की व्यवस्था किये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) नागौर तहसील में वर्ष 1981-82 में लगभग 43 अन्य गांवों में मार्च, 82 तक विभिन्न प्रकार की स्वीकृत पेयजल योजनाओं से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का टेन्टेटिव लक्ष्य है, सूची प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

छठी पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायत समिति नागौर व मूंडवा क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण

232. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, नागौर व मूंडवा क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में बिजली पहुंचाना प्रस्तावित है ?

(2) पंचायत समिति नागौर व मूंडवा के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है ?

(3) पंचायत समिति नागौर व मूंडवा के किन किन ग्रामों में सन् 1981-82 में विद्युतीकरण करने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभी तक छठी पंचवर्षीय योजना काल में पंचायत समिति, नागौर व पंचायत समिति मूंडवा के क्रमशः 13 व 8 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) पंचायत समिति, नागौर के 16 व पंचायत समिति, मूंडवा के 10 ग्रामों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है।

(3) इस वर्ष के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन पंचायत समितियों के लिये निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है :—

क्र.सं. ग्राम का नाम	क्र. सं. ग्राम का नाम
पंचायत समिति, नागौर	पंचायत समिति, मूंडवा
1. भूण्डेल	11. पांचोरी
2. चावन्डिया	12. बजलाना
3. कालरी	13. भण्डारिया खुर्द
4. जोशियाद	14. बारनी कलील
5. वरंग गांव	15. गोठड़ा
6. रामधनु	16. पीरजस
7. भौर	17. पाली जोधा
8. देऊ	18. जनाना
9. तानवास	19. शंखवास
10. कारुण्ड	20. कटल
	21. फिरोध
	22. पीथेलऊ
	23. वैन

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सराड़ा तहसील (उदयपुर) में सड़कों का कार्य

233. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सराड़ा तहसील, जिला उदयपुर में वर्ष 1980-81 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

(2) उक्त कार्यों में कितने मजदूरों को लगाया गया ?

(3) वर्ष 1980-81 में अकाल राहत कार्य पर सराड़ा तहसील में कितनी राशि व्यय हुई ?

(4) क्या इस कार्य के अन्तर्गत बाकी अधूरी सड़कों का निर्माण इस वर्ष में पूरा करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील सराड़ा में वर्ष 1980-81 में अकाल राहत के अन्तर्गत 14 सड़क कार्य प्रारम्भ हुये।

(2) उक्त कार्यों पर करीब 4800 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(3) वर्ष 1980-81 में सराड़ा तहसील में करीब 20.00 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

(4) वर्ष 1980-81 में जो सड़क राहत कार्यों में स्वीकृत की गई थीं उन सड़कों को वर्ष 1981-82 में भी निरन्तर चालू रखा जाकर पूर्ण कराने का प्रयास किया गया है। फिर भी जो कार्य अधूरे रह गये हैं, उन कार्यों को यदि आगामी फसल खरीफ सम्वत् 2038 में तहसील सराड़ा में अभाव की स्थिति रही, तो पुनः राहत कार्य चालू किये जायेंगे, उनमें इन अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।

बिजली की राशि का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटना

234. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुओं पर बिजली की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर विद्युत् कनेक्शन काट दिये जाते हैं ?

(2) यदि हां, तो इस आधार पर गत दो वर्षों में प्रदेश में कितने कुओं के विद्युत् कनेक्शन काट दिये गए ?

(3) क्या इसी प्रकार उद्योगपतियों द्वारा भी उद्योगों में खपत हुई बिजली का भुगतान समय पर नहीं कराये जाने पर उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितने उद्योगों के विद्युत् कनेक्शन काटे गए ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि बिजली की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर विद्युत् कनेक्शन काट दिये जाते हैं। किन्तु जिन उपभोक्ताओं द्वारा न्यायालयों में मुकदमे दायर किये जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाते हैं उनके कनेक्शन के संबंध में न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) प्रदेश में प्रति वर्ष बिजली की बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर काटे गये कुओं के कनेक्शनों की संख्या हजारों में होती है, जो कि इतनी अल्पावधि में संकलित कर बता पाना संभव नहीं है।

(3) जी हां, यह सही है कि उद्योगपतियों द्वारा भी उद्योगों में खपत हुई बिजली का भुगतान समय पर नहीं कराये जाने पर उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। समूचे राज्य में गत दो वर्षों में कितने उद्योगों के कनेक्शन काटे गये, इसकी सूचना इतनी अल्पावधि में संकलित करना सम्भव नहीं है।

जयपुर शहर में उद्योगों पर विद्युत् बोर्ड की बकाया राशि

235. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में किन-किन उद्योगों पर विद्युत् बोर्ड की कितनी कितनी राशि बकाया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन उद्योगों से यह राशि वसूल करने के लिए अब तक क्या क्या उपाय किये गये और वसूली न होने के क्या कारण हैं ?

(3) अब यह राशि कितनी अवधि में वसूल कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मध्यम एवं एच.टी. की श्रेणी में आने वाले उद्योगों पर विद्युत् बोर्ड की बकाया राशि बताते हुये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिये कुछ उद्योगों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिये गये हैं। कुछ केस जिलाधीश (वसूली) को भेज दिये गये हैं। कुछ मामलों में कोर्ट केस चल रहे हैं, इस कारण वसूली नहीं हो पा रही है।

(3) निश्चित अवधि बतलाना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

Page No. 39

(39)

राज्य की विद्युत् उत्पादन क्षमता

236. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रति वर्ष कितनी है एवं आवश्यकता कितनी है ?

(2) राज्य विद्युत् के मामले में आत्म-निर्भर कब होगा ?

(3) विद्युत् उत्पादन की क्षमता बढ़ाये जाने के लिये चालू पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा अब तक उन प्रयासों का परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न स्रोतों, जिनमें अन्तर्राज्यीय योजनाओं में राजस्थान का हिस्सा व केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ राजस्थान अणु बिजली घर की क्षमता शामिल है, से वर्तमान में विद्युत् उत्पादन क्षमता 1201.5 मेगावाट है। जब कि पीकिंग क्षमता 756 मेगावाट है। इसके विपरीत अनियंत्रित मांग के अनुसार पीक डिमाण्ड 1138 मेगावाट है।

(2) यह कहना संभव नहीं है।

(3) विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अनेकों नई योजनायें स्वीकृत की गई हैं व अन्य राज्यों से विभिन्न योजनाओं में हिस्सेदारी ली गई है जिनके परिणामस्वरूप चालू पंच-वर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् लाभ लेने का लक्ष्य है:—

क्रमांक	स्त्रोत का नाम	वर्ष 1984-85 तक स्थापित क्षमता	वर्ष 1984-85 तक राज्य का हिस्सा
1.	देहर जल परियोजना (द्वितीय)	2 × 165 मे. वा.	66 मे. वा.
2.	पोंग जल परियोजना (द्वितीय)	2 × 60 मे. वा.	70 मे. वा.
3.	कोटा थर्मल पावर स्टेशन	2 × 110 मे. वा. 1 × 210 मे. वा.	430 मे. वा.
4.	माही जल परियोजना	2 × 25 मे. वा.	50 मे. वा.
5.	अनूपगढ़ जल परियोजना	9 मे. वा.	9 मे. वा.
6.	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	5 × 200 मे. वा.	124 मे. वा.

इसके अलावा 103.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पलाना लिग्नाइट योजना की तकनीकी स्वीकृति करा ली गई है। इस योजना के क्रियान्वित होने पर 120 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। अभी दिनांक 13-9-81 को हिमाचल प्रदेश सरकार से भी सहमति हुई है। जिसके अनुसार उन्होंने कोल व पार्वती विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान को हिस्सेदार बनाना स्वीकार कर लिया है तथा निर्माणाधीन संजय (भाभा) परियोजना से भी सरप्लस बिजली राजस्थान को देना स्वीकार किया है। नाथपा झाकड़ी विद्युत् परियोजनाओं से भी बिजली प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा राज्य में मिनी पन बिजली परियोजनाओं तथा नये तापीय विद्युत गृहों की स्थापना के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। इन सबसे राज्य में विद्युत् की उपलब्धि में काफी सुधार होगा।

ग्राम गढ़तकनेत (सीकर) में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना

237. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम गढ़तकनेत (सीकर) में पेयजल व्यवस्था हेतु विभाग की क्या योजना है ?

(2) क्या उक्त ग्राम में पानी के लिए टंकी बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों को योजना का लाभ कब तक मिल पायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम गढ़तकनेत (सीकर) (तहसील श्री माधोपुर) हेतु पम्प एण्ड टैंक योजना स्वीकृत है।

(2) जी हां। ग्रामवासियों को वर्ष 81-82 में मार्च, -82 तक टंकी से पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा।

सोजत शहर में मीठे पानी की व्यवस्था

238. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत शहर में जो पानी दिया जा रहा है वह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है ? क्या इस बाबत वहां की स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है ?

(2) क्या यह सही है कि सोजत शहर को मीठा पानी देने हेतु पास में सुकड़ी नदी में दो कुओं का निर्माण किया गया था लेकिन इनमें भी पानी की मात्रा बहुत कम निकली इस कारण अभ भी मुख्यतया रेन्दड़ी से पानी दिया जाता है, जो खारा है ?

(3) क्या यह सही है कि सोजत 5-6 किलोमीटर दूर गांव रेन्दड़ी के कुओं में अच्छा पानी निकला है ? क्या इन कुओं से सोजत को पानी देने के लिए सरकार को योजना बना कर भेज दी गयी है ? यदि हां, तो इसमें कितना खर्चा लगेगा तथा यह योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूकड़ी नदी के पास बनाये गये दो कुओं से कुल 70,000 से 75.000 गैलन प्रति दिन ही पानी प्राप्त होता है। इसमें धन्धेड़ी के स्रोतों से प्राप्त 3.00 लाख गैलन प्रतिदिन पानी को मिलाकर शहर में वितरित किया जाता है।

(3) जी हां। रेन्दड़ी ग्राम को स्रोत लेते हुए योजना बनाई गई है जिसकी अनुमानित लागत 14.50 लाख रु. है। इस योजना को स्वीकृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। धन उपलब्धि को ध्यान में रख कर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

भूमि रूपान्तरकरण

239. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूमि रूपान्तरकरण के बारे में गजट में अधिसूचना कब तक जारी हो जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जो भूमि अवाप्ति कार्यवाही के अन्तर्गत है, मास्टर प्लान में दर्शायी गैर आवासीय भूमि पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कालोनी बन गई हो, जो भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत हो या जो मकान वन विभाग की भूमि पर बन गए हों, उसे भी नियमन किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नियमन शुल्क शहरी जमा बन्दी शुल्क और बने हुए मकानों पर 18/-रुपये प्रति वर्ग गज के जुर्माने के अलावा और भी शुल्क वसूल किया जावेगा ? यदि हां, तो क्या यह शुल्क एक साथ जमा कराना अनिवार्य है ?

(4) क्या सरकार दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब व गुजरात सरकार की तरह नियमन शुल्क वसूल करने की पद्धति को अपनाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार भविष्य में भी कृषि भूमि पर निर्मित समितियों को भी नियमित करने का नियम बना रही है ? यदि हां, तो कृपया, प्रस्तावित नियमों की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तरण करने के मामले में राज्य-सरकार ने विस्तार से विचार कर उपयुक्त निर्णय भी लिये हैं, एवं रूपान्तरण हेतु नये नियम बनाए जा रहे हैं जो कि अतिशीघ्र घोषित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(2) ऐसी भूमियों के लिए भी राज्य सरकार ने उपयुक्त निर्णय लिये हैं ।

(3) नियमन शुल्क, शहरी जमाबन्दी शुल्क, रूपान्तरण शुल्क आदि के बाबत भी नये नियमों में समुचित रूप से व्यवस्था की जा रही है ।

(4) नियमन शुल्क के बाबत नये नियमों में व्यवस्था की जा रही है ।

(5) सहकारी समितियों के मामलों में भी विशद रूप से विचार होकर नियमों में व्यवस्था की जा रही है ।

रामगंज मंडी तहसील (कोटा) की भूमि की सिंचाई के लिए तकली नदी पर बांध का सर्वेक्षण

240 श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी तहसील ज़िला कोटा की 7386 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए तकली नदी पर बांध बनाने का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या यह बांध ग्राम मदनपुरा में बनाने का सर्वेक्षण किया गया है ?

(2) यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? इस बांध के निमार्ण हेतु सरकार कब तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रही है ?

(4) इस बांध में कितने गांवों के डूब में आने की सम्भावना है ? गांवों के नाम की सूची एवं पूरा ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा जिले की रामगंज मण्डी

(सिंचाई मंत्री)
तहसील में तकली नदी पर सिंचाई हेतु बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(2) योजना एवं उसके आकलन की जांच की जा रही है। योजना के आकलन की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति व धनराशि की उपलब्धता के पश्चात् इस योजना के निमार्ण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा सकेगी।

(3) स्वीकृति लेने की आवश्यकता है।

(4) इस बांध के डूब में रामगंज मण्डी तहसील के सोहनपुरा, सारण खेड़ी, समोलिया, दूरकली एवं तमोलिया गांव डूब में आयेंगे। डूब क्षेत्र के गांवों का ब्ल्यू प्रिन्ट संलग्न है।

(ब्ल्यू प्रिन्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया है।)

कोटा व झालावाड़ जिलों की आहू नदी की सहायक नदी पर रींवा सिंचाई हेतु सर्वेक्षण

241. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा व झालावाड़ जिले में बहने वाली आहू नदी की सहायक नदी पर रींवा सिचाई योजना हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है ? इसके द्वारा कितनी भूमि की सिचाई की जावेगी तथा किस किस गांव की भूमि की सिचाई होगी ? तहसीलवार गांव का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ? कृपया, योजना के ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रींवा सिचाई योजना का सर्वेक्षण व आकलन बनाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अतः सिंचित क्षेत्र में जाने वाले बांधों के नाम अभी नहीं बताये जा सकते हैं।

(2) सर्वेक्षण एवं आंकलन का कार्य पूर्ण होने पर ही योजना का ब्ल्यू प्रिन्ट सदन के पटल पर रखा जा सकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण

242. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति चेचट, जिला कोटा के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष कितने गांव बचे हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शेष कितने गांवों के विद्युतीकरण हेतु सरकार को सिफारिश की गयी है तथा यह कब तक स्वीकृत हो जावेंगे। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, चेचट के 116 ग्रामों का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-81 तक किया जा चुका है। अब 49 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, चेचट के उपरोक्त 49 अविद्युतीकृत ग्रामों की एक योजना आर. एम. एन. पी. श्रेणी के अन्तर्गत बनाई

(विद्युत मन्त्री)

जाकर माह मार्च, 1980 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को वित्तीय सहायतार्थ भेजी गई थी जो कि निगम अधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणियों के आधार पर निगम के पुराने मापदण्डों पर आर्थिक दृष्टि से असाध्य पाई जाने के कारण निगम से माह नवम्बर, 1980 में वापस ले ली गई। अब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने माह सितम्बर, 81 से योजना की साध्यता के लिये नये मापदण्ड निर्धारित किये हैं। उनके आधार पर पं. स. चेचट की योजना की साध्यता की पुनः जांच की जावेगी। अतः योजना की स्वीकृति के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

खारची विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल वितरण सुविधा हेतु कार्यवाही

243 श्री मेहसिंह गुर्जर (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल वितरण सुविधा हेतु विगत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है? कृपया, ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या आगामी चार वर्षों में विभिन्न गांवों में पेयजल हेतु सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(3) किन किन गांवों में पेयजल वितरण हेतु क्या-क्या योजना है एवं इसकी क्रियान्विति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र में कुल 138 ग्रामों में से 58 ग्रामों में पिछले 2 वर्षों (1979-80 व 1980-81) में जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सूची संलग्न है।

(2) धन की उपलब्धि होने के अनुसार आगामी चार वर्षों में समस्याग्रस्त ग्रामों की योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) खारची विधान सभा क्षेत्र में कुल 138 ग्रामों में से कुल 69 ग्रामों में मार्च, 81 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं व वर्ष 1981-82 में 17 ग्रामों की योजनाओं का आइडेन्टिफिकेशन अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में 59 ग्रामों में जल वितरण चालू किया गया है। शेष ग्रामों में धन की उपलब्धि के अनुसार पेयजल वितरण करवाये जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 14 देखें।)

अजमेर नगर में हैण्ड-पम्प की व्यवस्था

244 श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में अजमेर नगर में कई स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाये गये जिनके लिये विभिन्न मोहल्लों की जनता द्वारा सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर रोड पर लगभग 300 की आबादी वाली सन्त कंवरराम कालोनी तथा महावीर कालोनी में एक एक और 500 की आबादी वाले नरसिंहपुरा मोहल्ले में दो हैण्ड पम्प लगाये गये ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या कारण था कि 3,000 की आबादी वाले रामनगर मोहल्ले में मोहल्ले वालों की ओर से प्रार्थना-पत्र द्वारा मांग करने के बावजूद एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया जब कि पानी वहां बहुत ही कम गहरायी पर उपलब्ध है ?

(4) अब इस मोहल्ले में कब तक हैण्ड पम्प लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981 में अजमेर शहर में विभिन्न मोहल्लों में पेयजल समस्या के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, केवल प्रार्थना-पत्र का ही आधार नहीं था।

(2) सभी सन्दर्भित क्षेत्रों में केवल एक एक हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

(3) रामनगर मोहल्ले में समस्या को देखते हुए एक हैण्ड पम्प लगाया गया है।

(4) हैण्ड पम्प लगाया जा चुका है।

वर्ष 1981 में तहसील फागी व चाकसू में कुओं पर सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन

245. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1981 में तहसील फागी व तहसील चाकसू में कितने विद्युत कनेक्शन सिंचाई के लिए कुओं पर दिये जावेंगे ? कृपया प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1981 में जितने [illegible] देने का लक्ष्य रखा गया था उतने नहीं दे पायेंगे ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या तहसील फागी व चाकसू में अनुसूचित जातियों। जन जातियों को कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1981-82 में तहसील फागी व चाकसू में सिंचाई के लिए 115 विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। चाकसू तहसील में केवल एक आर. ई. सी. स्कीम चाकसू पंचायत समिति की चालू है और उसमें चालू वित्तीय वर्ष में 85 विद्युत कनेक्शन कृषि हेतु देने का लक्ष्य है। इसी प्रकार फागी तहसील में भी केवल एक आर. ई. सी. स्कीम पंचायत समिति, फागी की है और उसमें चालू वित्तीय वर्ष में 30 विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

(2) वर्ष 1981-82 के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कुओं को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां, अनुसूचित जाति/जन जाति को कनेक्शन देने में प्राथमिकता पूरे राज्य में दी जाती है।

सिकराय तहसील में गांवों का विद्युतीकरण

246. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय तहसील के कितने गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं ? इनमें से कितनों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र के कितने गांवों में विद्युतीकरण विचाराधीन हैं ? ये

(श्री रामकिशोर मीणा)
कितने अर्से से पेंडिंग हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इसको कब तक पूर्णतः विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सिकराय तहसील के 51 गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है । इनमें से 50 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्तमान में इस क्षेत्र के एक गांव डोलिका विद्युतीकरण वर्ष 1979-80 से विचाराधीन हैं । मण्डल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 1981-82 के अन्तर्गत इस गांव का विद्युतीकरण वर्ष 1981-82 में प्रस्तावित नहीं है । अतः इस गांव के वित्तीय वर्ष 1982-83 में विद्युतीकृत किये जाने की संभावना है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राजस्थान में विद्युत उत्पादन एवं लाइन लोसेज

248. श्री छोगा राम बकोलिया (रेवदर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितना विद्युत् उत्पादन होता है ?

(2) इस उत्पादन का कितना प्रतिशत लाइन लोसेज हो जाता है ?

(3) लाइन लोसेज को कम करने हेतु विद्युत् विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है तथा उससे कितना प्रतिशत लाइन लोसेज कम हो सकेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन स्त्रोतों से विद्युत उपलब्ध होती है, उनका वर्ष 1980-81 में उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:—

क्र. सं.	उत्पादन का स्त्रोत	उत्पादन (मिलियन यूनिट्स में)
1.	राणा प्रताप सागर	380.69
2.	जवाहर सागर	286.97
3.	राजस्थान अणु शक्ति उत्पादन परियोजना	1,225.138
4.	स्थानीय छोटे पावर हाउसेज से उत्पादन	31.218

(2) सिस्टम लोसेज का प्रतिशत सभी स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा पर निकाला जाता है । वर्ष 1979-80 में सिस्टम लोसेज जिसमें लाईन लोसेज भी शामिल हैं, 25.2 प्रतिशत रहे । वर्ष 1980-81 के आंकड़े अभी पूर्ण रूप से संकलित नहीं होने से प्रतिशत अंकित करना संभव नहीं है ।

(3) लाइन लोसेज को कम करने के उपायों में उच्च वोल्टेज की प्रणाली को आवश्यकतानुसार (धनराशि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए) शीघ्रातिशीघ्र मजबूत (स्ट्रेन्दन) करने पर जोर दिया जा रहा है । चालू वार्षिक योजना में उच्च एवं अति उच्च दाबीय लाइनों व प्रसारण चौकियों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है । इसके अन्तर्गत लोसेज कम करने हेतु प्रसारण चौकियों पर आवश्यकतानुसार कैपेसिटर भी लगाये जा रहे हैं । इन प्रयासों से लोसेज कितने प्रतिशत कम हो जावेंगे, इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

लालसोट तहसील में अकाल राहत कार्यों के तहत सड़कों का कार्य हाथ में लेना

249. श्री राम सहाय सोनड (लालसोट): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लालसोट तहसील में अकाल राहत कार्यों के तहत कितनी सड़कों का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया गया, कितने कार्य पूरे हो चुके व कितने अधूरे पड़े हुए है ?

(2) क्या सरकार अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो अधूरे कार्य कब तक पूरे करा दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि यदि ये अधूरे पड़े हुए सड़कों के कार्य सरकार पूरा कराने के लिए शीघ्र हाथ में लेती है तो इस क्षेत्र के आवागमन के साधन सुलभ हो जावेंगे व बाढ़ पीड़ित लोगों को रोजगार मिल जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में इस वर्ष अकाल राहत के तहत 10 सड़कों के कार्य स्वीकृत किये गये थे । इनमें से 4 कार्य तो श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण शुरू नहीं किये जा सके, बाकी कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है ।

(2) राज्य सरकार की नीति हमेशा ही अधूरे रह गये राहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की रही है । जो कार्य अधूरे रह गये है उन्हें उपलब्ध साधनों के आधार पर पूरे कराने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

कोटा में स्थापित ताप बिजली घर के लिये अपेक्षित मशीनरी व साज सामान

250. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा में स्थापित ताप बिजली घर के लिए अपेक्षित मशीनरी व साज सामान कितना कहां से व कितने रुपये का मंगाया गया है ?

(2) यह सामान कब मंगाया गया था? क्या यह सामान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इस सामान पर अब तक कितना डेमरेज चढ़ चुका है, और इस समय यह कहां है ?

उत्तर

(1) मुख्य मुख्य मशीनरी व साज समान के बारे में वांछित विवरण देते हुये सूची 'अ' सलग्न है ।

(2) सामान मंगाने की तिथि, प्राप्त समान का विवरण उपरोक्त तालिका 'अ' में दर्शा दिया गया है । प्राप्त सामान विद्युत मण्डल के पास है तथा वर्तमान में ऐसा कोई मुख्य उपकरण रेलवे से छुड़ाना बाकी नहीं हैं । अत : इस पर अब डमरेज चढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें

1980 में विद्युत विभाग द्वारा मंगाया गया सामान

251. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई): क्या

Page No. 47

(47)

(श्री नाथूसिंह)

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् विभाग द्वारा 1980 में मंगाया गया सामान अभी भी रेलवे गोदामों में पड़ा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो इसकी कितना मूल्य है व कब से व क्यों पड़ा हुआ है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सन् 1980 में प्राप्त कोई भी सामान वर्तमान में रेलवे गोदामों में पड़ा हुआ नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अगस्त, 1981 में परमाणु विद्युत गृह में भारी पानी का नष्ट होना

252. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परमाणु विद्युत गृह में अगस्त, 1981 में कितना भारी पानी नष्ट हुआ तथा इसकी अनुमानित कीमत क्या है ?

(2) उक्त भारी पानी के नष्ट होने का क्या कारण है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) व (2) क्योंकि यह विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है इसका उत्तर राज्य सरकार द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है।

1980-81 की अवधि में रावतभाटा स्थित परमाणु बिजली घर की इकाइयां का बंद होना

253. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावतभाटा स्थित परमाणु बिजली घर की इकाइयां वर्ष 80-81 में कब तथा क्यों बन्द हुई ?

(2) उक्त विद्युत् घर के बार बार बन्द होने का क्या कारण है ?

(3) सरकार इस विद्युत संकट को भी स्थायी रूप से हल करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में अणु बिजली घर की इकाइयों के बन्द होने का समय व कारण संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

(2) बन्द होने के कारण संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

(3) इन इकाइयों का समय समय पर बन्द होना अप्रत्याशित नहीं है। इन इकाइयों से वार्षिक विद्युत उत्पादन निर्धारित शिड्यूल से कम नहीं हो रहा है।

(तालिका के लिए कृपया, परिशिष्ट 18 देखें।)

हिमाचल प्रदेश सरकार की बिजली परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी

254. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि

Page No. 48

(48)

(श्री **घनश्याम तिवाड़ी**)

हिमाचल प्रदेश सरकार सतलज नदी पर पार्वती बांध एवं कोल परियोजना से बिजली उत्पादन हेतु योजना बना रही है?

(2) क्या यह सही है कि इन परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी है?

(3) क्या यह सही है कि हिमाचल सरकार ने इस योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा राजस्थान की उपेक्षा की है।

(4) इन परियोजनाओं से कितनी विद्युत् उत्पन्न होगी तथा राज्य सरकार इसमें हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी के लिये राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों में दिनांक 13-9-81 को सहमति हो गई है।

(3) इन परियोजनाओं पर भू मापन एवं अनुसंधान का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभी यह कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है। उपरोक्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है।

(4) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार कोल बांध परियोजना तथा पार्वती बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः 600 मेगावाट तथा 1900 मेगावाट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं में राजस्थान को हिस्सेदार बनाने के लिये अपनी सहमति दे दी है।

राज्य में 60 करोड़ की लागत से 6 ताप विद्युत गृहों का बनाना

255. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री ने अजमेर में यह वक्तव्य दिया कि राज्य में शीघ्र ही 60 करोड़ की लागत से 6 ताप विद्युत गृह बनाये जायेंगे ?

(2) यदि हां, तो यह ताप विद्युत् गृह किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे तथा कितने समय में पूर्ण होंगे ?

(3) क्या यह ताप विद्युत् गृह राज्य सरकार अपने साधनों से बनायेगी ?

(4) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इनका प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर व श्री गंगानगर जिलों में उपयुक्त स्थान पर 60 मेगावाट के ताप विद्युत् गृह लगाने की सम्भावनाओं के लिये सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(3) इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(4) छठी पंचवर्षीय योजना में नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु 3355 लाख रुपये का प्रावधान है।

गोनेर, जयपुर में डाक्टर का अभाव

256. श्रीमती विद्या पाठक (जयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 18 जुलाई, 1981 से 25 जुलाई, 1981 तक जबकि राज्य में बाढ़ का प्रकोप भीषणतम था, गोनेर (जयपुर) में कोई डाक्टर ड्यूटी पर नहीं था ?

(2) यदि हां, तो ऐसे आवश्यक समय में वहां डॉक्टर के अभाव के लिये कौन जिम्मेदार है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) यहां भविष्य में डाक्टर की सेवा निरन्तर उपलब्ध रहे इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) गोनेर के डाक्टर की इन दिनों अन्यत्र ड्यूटी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगाई हुई थी।

(2) गोनेर बाढ़ग्रस्त नहीं था। अतः चाकसू, जयपुर, लालसोट आदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस डाक्टर को अन्य डाक्टरों के साथ ड्यूटी पर लगाना आवश्यक समझा गया।

(3) राज्य सरकार द्वारा गोनेर में एक चिकित्सक का पद इस कार्य के लिये स्थाई रूप से सृजित किया हुआ है।

राज्य में बड़े कस्बों में एक-एक रेफरल हास्पिटल खोलना

257. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह योजना है कि प्रतिवर्ष बड़े कस्बों में एक एक रेफरल हास्पिटल खोला जायेगा ?

(2) यदि हां, तो झालावाड़ जिले में अभी तक कितने और कहां कहां ऐसे हास्पिटल खुल चुके है ? भवानी मण्डी कस्बे में रेफरल हास्पिटल कब तक खुल जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सवाई मानसिंह अस्पताल में लाश को रखे जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज रूम बनाने की व्यवस्था

258. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सवाई मानसिंह-अस्पताल में लाश को रखे जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज रूम बनाने की व्यवस्था की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के शव-गृह में लाश रखे जाने हेतु कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट स्थापित है जो कार्य कर रहा है। अलग से कोल्ड स्टोरेज रूम बनाने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जयपुर जिले के अस्पतालों में लाश के पोस्ट मार्टम की व्यवस्था

259. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाश के पोस्ट मार्टम के लिये जयपुर जिले में किस किस अस्पताल में व्यवस्था की हुई है ? सूची, कृपया सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पर्याप्त मानती है? यदि नहीं, तो उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की योजना से सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि जुरिस्डिक्शन के आधार को लेकर कई बार पोस्टमार्टम के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में मना कर दिया जाता है? क्या राज्य सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल के अधिकारियों को यह निर्देश देने का विचार रखती है कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो, वे लाश के पोस्ट मार्टम करने से मना न करें? यदि हां, तो सारी स्थिति से सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के लगभग सभी राजकीय चिकित्सालयों में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जहां चिकित्सक पदस्थापित है, में लाश के पोस्टमार्टम करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

(2) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां।

अब एसी व्यवस्था है कि जब कभी ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के डाक्टर अवकाश आदि पर रहते हैं तो उस स्थिति में लाश को पोस्टमार्टम हेतु जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया जाता है। उसका पोस्टमार्टम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वारा पोस्टमार्टम के लिए गठित एक चिकित्सकों के दल में से एक चिकित्सक को भेजकर कराया जाता है। यदा कदा मेडिकल जूरिस्ट, एस. एम. एस. अस्पताल से निवेदन करने पर वे भी लाश का पोस्टमार्टम कर देते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भेजे गये पोस्टमार्टम के लिये अधिकृत चिकित्सक को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य में आई-फ्लू तथा पक्षाघात की शिकायत

261. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दिनों राज्य में महामारी के रूप में फैले अभिष्यन्द (आई फ्लू) को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि अलग से खर्च की गई और क्या क्या प्रयत्न किए गए ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस रोग के दुष्परिणाम-स्वरूप पक्षाघात (लकवे) की शिकायत राज्य भर में फैली थी? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को राज्य की किन-किन डिस्पेंसरियों में भर्ती करवाया गया व कितनों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया ?

उत्तर

(1) आई फ्लू की बीमारी के इला

(स्वास्थ्य मंत्री)

के लिये दवाओं पर लगभग 2,33,545/-रु. खर्च किया गया। रोकथाम के लिये रोग से बचने के उपायों पर दैनिक पत्रिकाओं में विशेष विज्ञापन रेडियो एवं टेलीवीजन पर रोकथाम की शिक्षा प्रसार एवं जानकारी के लिये परिचयों के मुफ्त वितरण पर प्रत्येक की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में विभिन्न टोलियों ने प्रचार एवं प्रसार कार्य किया, मुफ्त दवायें वितरित की व इलाज किया गया।

(2) जी हां इस रोग के कथित दुष्परिणाम स्वरूप पक्षाघात की शिकायत जिन जिलों से प्राप्त हुई उनका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	जिले का नाम	भर्ती हुए लोगों की संख्या	चिकित्सालय का नाम, जहां भर्ती हुआ	परिणाम रोग-मुक्त हुये अथवा इलाज हुआ
1.	कोटा	20	महारावल भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा	16 रोगी ठीक हो गये, 4 का इलाज चल रहा है।
2.	जयपुर	28	एस. एम. एस. चिकित्सालय, जयपुर	23 को स्वास्थ्य लाभ हुआ। 4 का इलाज चल रहा है, 1 की मृत्यु हो गई।
3.	बून्दी	2	जिला चिकित्सालय, बून्दी	2 को स्वास्थ्य लाभ हुआ।
4.	नागौर	5	राजकीय चिकित्सालय, नागौर	5 को स्वास्थ्य लाभ हुआ।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 19 देखें)

होम्योपैथिक चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण न होना

262. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जाता है जब कि एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक उपचार बिल भुगतान योग्य है ?

(2) यदि हां, तो यह असमानता क्यों है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस से घायल युवक का इलाज

264. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 11 जून, 1980 को राज्य पथ परिवहन निगम, की बस ने साइकल सवार युवक, श्री नरेन्द्र को टक्कर मार कर घायल कर दिया था ? क्या तब से श्री नरेन्द्र जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसके सिर, हाथ, पैरों, मूत्राशय में भारी चोट लगी? यदि नहीं, तो कहां कहां चोटें आई हैं ? क्या वह गम्भीर अवस्था में था फिर भी चिकित्सालय में उसका समुचित इलाज नहीं किया है तथा अभी तक भी सरकार ने अथवा निगम ने कोई समुचित चिकित्सा की सुविधा तथा सहायता नहीं दी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रधान मंत्री ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि पूरी सुविधा के साथ नरेन्द्र का ठीक इलाज किया जावे ? सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाये ?

(4) क्या सरकार श्री नरेन्द्र का सही तरीके से पूरा इलाज करवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) श्री नरेन्द्र कुमार, आत्मज श्री किशन मिश्र दिनांक 1-8-80 को रात्रि के लगभग 10-00 बजे राजस्थान रोडवेज की बस की चपेट में आ गये व उसी दिन से जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती है ।

(2) जी हां, वह गम्भीर अवस्था में था परन्तु यह गलत है कि उसका चिकित्सालय में समुचित इलाज नहीं किया गया। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में श्री नरेन्द्र का पूरी सावधानी और पूर्णरूप से समुचित इलाज किया जा रहा है। उसी के कारण आज वे जीवित हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जहां तक इस चिकित्सालय का संबंध है उन्हें पूर्ण रूपेण व्यवस्थित रूप से इलाज किया जा रहा है ।

(3) जी नहीं। इस विषय में श्री मिश्रा का पत्र प्रधान मंत्री सचिवालय के द्वारा प्राप्त हुआ था। पूरी सावधानी के साथ एवं पूर्ण सुविधानुसार उच्चतम तरीके से इलाज किया जा रहा है।

(4) श्री नरेन्द्र का जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में पूर्ण व्यवस्थित रूप से इलाज चल रहा है तथा सारी दवाइयां चिकित्सालय में उपलब्ध है उन्हें दी जा रही हैं ।

पी. बी. एम. अस्पताल में मानसिक चिकित्सा के वार्डों की व्यवस्था

265. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पी. बी. एम. अस्पताल में मानसिक चिकित्सा के वार्ड में 50 बिस्तर स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि वास्तव में इस वार्ड में स्वीकृत संख्या 50 होने के बाव-

(श्री देवीसिंह भाटी)

जूद सिर्फ 35 ही बिस्तर मरीजों को उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(2) क्या पिछले 15 वर्षों में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार की सरदार पटेल मेडिकल कालेज में साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएट तक की कक्षायें चालू करने की योजना है ?

उत्तर

(1) पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में मानसिक चिकित्सा वार्ड के लिये अलग से कोई शैय्याएं स्वीकृत नहीं है। वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुये उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें 35 शैय्याएं आवंटित की गई हैं।

(2) भर्ती लायक रोगियों की संख्या करीब उतनी ही रहती है जितनी कि शैय्याएं उन्हें आवंटित की गई हैं।

(3) हां।

राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर व रीडर्स के पद

266. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर व रीडर्स के कितने पद खाली हैं ? राज्य सरकार का उपरोक्त पदों को कब तक भरने का विचार है ?

उत्तर

मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर के कुल 4 एवं रीडर्स के 15 पद रिक्त हैं। इनको भरने की कार्यवाही चल रही है।

राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक

267. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जावे ?

(2) राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक के पद हैं व कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? कृपया स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची (मारवाड़ जंक्शन) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहां दो अथवा दो से अधिक पद सृजित है।

(2) राज्य के 232 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में से कुल 53 महिला चिकित्सक लगाये हैं जिनमें 3 की कार्यग्रहण रिपोर्ट आना बकाया है। सूची संलग्न है।

(3) महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर लगाया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

राज्य में दूरबीन नसबन्दी

268. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

(श्री कैलाश मेघवाल)
यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दूरबीन नसबन्दी हेतु दिनांक 31-3-81 तक राज्य सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? क्या उन लक्ष्यों को इस तारीख तक पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 31-3-81 को कितने डाक्टरों को दूरबीन से नसबन्दी करने हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है ?

(3) दिनांक 31-3-81 तक गुजरात से कितने डाक्टर बुलवाये गये, उन डाक्टरों ने कुल कितने नसबन्दी आपरेशन किये और उन पर राज्य सरकार को कितना खर्चा वहन करना पड़ा ?

(4) क्या सरकार अब राजस्थान में दूरबीन नसबन्दी में प्रशिक्षित डाक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर भी गुजरात के डाक्टरों को बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दूरबीन नसबन्दी हेतु दिनांक 31-3-81 तक राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के लिये 1.34 लाख नसबन्दी आपरेशन का लक्ष्य राजस्थान राज्य के लिये निर्धारित किया गया था परन्तु राज्य सरकार ने सभी स्थितियों को देखते हुए विभाग ने केवल 90,000 करने को आश्वासन दिया ।

(2) दिनांक 31-3-81 तक राज्य के मेडिकल कालेजों के अतिरिक्त 19 चिकित्सकों को दूरबीन पद्धति से नसबन्दी करने हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

(3) वर्ष 1980-81 में गुजरात एवं महाराष्ट्र से बुलाये गये 11 डाक्टरों द्वारा कुल 59,536 नसबन्दियां दूरबीन पद्धति द्वारा की गई। राज्य सरकार द्वारा दूरबीन नसबन्दी आपरेशन करने के लिये प्रति केस रु. 14/- एवं रुपये 7 उनके लेपरोस्कोप यन्त्र के रख-रखाव के दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टीम को वास्तविक किराया एवं आवास, भोजन की सुविधा देय है । लगभग 1.7 लाख रुपया खर्च हुआ है ।

(4) वर्तमान में राज्य में प्रशिक्षित डाक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। प्रशिक्षित हुए डाक्टरों में से जो पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें शिविरों में लगाया जा रहा है तथा जो अभी पूर्ण दक्ष नहीं हो पाये हैं उन्हें बाहर से आने वाले डाक्टरों के साथ लगा कर दक्ष करवाया जा रहा है ।

नगर परिषद, अजमेर द्वारा नगर में सफाई की व्यवस्था

269. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अजमेर द्वारा नगर में सफाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) सरकार अजमेर नगर में भविष्य में सफाई की समुचित व्यवस्था करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

[redacted]

55

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद्, अजमेर में सफाई की समुचित व्यवस्था की हुई है।

(2) नगर में सीवरेज योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान साधनों के अतिरिक्त नगर परिषद् सफाई में सुधार हेतु वर्ष 81-82 में 2 नये ट्रेक्टर, 1 आटोमैटिक लीडर, 100 नये हाथ ठेले, 1 नया टेंकर, फावड़े एवं तगारी खरीदने की कार्यवाही कर रही है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य

270. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर के अन्तर्गत लगभग सात वर्ष पूर्व कुछ निर्माण कार्य श्री मुरारीलाल, ठेकेदार द्वारा किये गये थे, लेकिन कार्य वर्क-आर्डर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होने से उसका चुकारा नहीं किया गया था?

(2) क्या इस ठेकेदार को करीब दो माह पूर्व, वर्क आर्डर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य नहीं होने व पत्रावली पर भारी एतराज होने के बावजूद, रोके रखे गये बिलों का चुकारा कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री मुरारी लाल, ठेकेदार को न्यास के पत्र संख्या 19040, दिनांक 20 मार्च, 1974 द्वारा राशि 24,758.11 पैसे का कार्य आदेश वैशाली नगर में 5 दुकानें निर्माण का दिया गया था। कार्य ठेकेदार द्वारा स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया गया था। स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य होने के कारण इस सम्बन्ध में इसका चुकारा नहीं रोका गया था बल्कि भुगतान रोके जाने का कारण था कि इन्जीनियर ने 5 दुकानों के बजाय 10 का ले आउट ठेकेदार को दिया था और ठेकेदार एग्रीमेंट की शर्त संख्या 11 एवं 12 के तहत इन्जीनियर के निर्देश अनुसार कार्य करने को बाध्य रहता है।

(2) उक्त ठेकेदार को इन दुकानों के निर्माण के अन्तिम बिल रु. 5,742.47 का भुगतान दिनांक 31-3-81 को दिया गया है। पार्टी को फाइनल भुगतान निर्माणाधीन दुकानों से अधिक दुकानें न्यास के आदेश के अभाव में केवल इन्जीनियर द्वारा 10 दुकानों का ले आउट पर ही निर्माण करने के कारण नहीं दिया गया था। न्यास द्वारा पार्टी को 10 दुकानों के निर्माण पर अन्तिम बिल कुल राशि 30,413.40 पैसे का भुगतान उनके द्वारा बार बार मांग करने व न्यास के भूतपूर्व अध्यक्ष (जिलाधीश एवं अध्यक्ष) के आदेशों के अनुसार किया गया।

जिला भरतपुर के कस्बा कामां की नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें

271. श्री चाव खां (कामां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा कामां की नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कस्बे की नगरपालिका स्वयं के साधनों से

(श्री चाव खां)
वर्तमान सड़कों की मरम्मत कराने एवं जहां सड़क नहीं हैं वहां सड़क निर्माण कराने में असमर्थ है ?

(3) क्या सरकार इस नगरपालिका की सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों के निर्माणार्थ आर्थिक सहायता के रूप में कुछ विशेष अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विशेष अनुदान कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, कस्बे की कुछ सड़कें ऐसी हैं, जो मरम्मत योग्य हैं ।

(2) जी हां, नगरपालिका कामां द्वारा सड़कों के निर्माण पर वर्ष 78-79, 79-80 व 80-81 (30 सितम्बर, 80 तक) में निम्न प्रकार व्यय किया है:—

'78-79	79-80	'80-81
1,68,053.16	54,039.28	24,037

(3) प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य सरकार विचार कर रही है ।

राजस्थान में कार्यरत पत्रकारों को आवास सुविधा

272. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत कितने पत्रकारों को आवास सुविधा प्राप्त है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । कृपया, यह भी बतायें कि राज्य सरकार ने आवास हेतु यह भूमि किस वर्ष में और किस दर पर दी थी ?

(2) क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों के नक्शे कदम पर राजस्थान में पत्रकारों को वे सभी सुविधायें प्रदत्त करेगी जो अन्य राज्यों के पत्रकारों को उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत 10 पत्रकारों को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सुविधा प्रदान की गयी है जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है । पूर्व में नगर न्यास, जयपुर द्वारा 54 अधिस्वीकृत पत्रकारों को जयपुर में भू-खंड आवंटित किये गये थे जिसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है । इन भू-खंडों की दर आदि के संबंध में जानकारी नगर आयोजना एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा संकलित की जा रही है । इसी के साथ प्रदेश के अन्य नगरों में स्थापित नगर न्यासों द्वारा यदि कोई भू-खंड पत्रकारों को आवंटित किये गये हैं तो उसकी भी जानकारी इस विभाग द्वारा संकलित की जा रही है ।

(2) राज्य सरकार अधिस्वीकृत पत्रकारों को और सुविधायें देने के लिए विचार कर रही है । इसके लिये पत्रकारों की एक गठित समिति ने विभिन्न पत्रकार संगठनों से प्राप्त मांग-पत्रों पर विचार कर कुछ सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की हैं जिन पर आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अंतिम निर्णय लेने से पूर्व अध्ययन किया जा रहा है ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 21 देखें)

नगरपालिका गंगाशहर द्वारा नियमित किये गये कब्जे सरकार द्वारा रद्द

274. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नगरपालिका, गंगाशहर के भू. पू. अध्यक्ष श्री मांगीलाल भूरा द्वारा नियमित किये गये 26 व्यक्तियों के पुराने कब्जे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-5-1977 को निरस्त कर दिये गये ? यदि हां, तो वे हटाये गए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, कब्जे नहीं हटाये गये क्योंकि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7/-(187) एलएसजी 58/1151-1632, दिनांक 9-5-77 के अनुसार इन कब्जों के नियमन का मामला पालिका के विचाराधीन है।

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा बीड़ी के कच्चे माल पर चुंगी

275. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर पूर्व नगर परिषद् सीमा में बीड़ी बनाने के कच्चे माल के आने पर चुंगी बहुत वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किस दर पर ?

(2) दिनांक 1-4-1980 से 31-8-1981 तक किस किस बीड़ी के कारखाने के मालिक से कितनी कितनी राशि कितने कितने माल पर चुंगी के रूप में वसूल की गई ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, बीड़ी पत्ता पर 50 पैसा प्रति क्विंटल एवं बीड़ी तम्बाकू पर 3 रु. प्रति क्विंटल की दर से चुंगी वसूल की जाती है।

(2) चाही गई सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

276. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर ने अपने पत्र संख्या न्यास/योजना प्रथम/9176, दिनांक 24-9-1979 द्वारा केशवनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर को आनासागर सरक्यूलर रोड योजना, अजमेर में 44 भू-खंड आवंटित किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र में समिति को शेष 22 भू-खंड आनासागर सरक्यूलर रोड योजना में जब भी उपलब्ध होंगे, योजना के आरक्षित मूल्य पर आवंटित करने का वचन दिया गया था।

(3) यदि हां, तो क्या उपरोक्त शेष 22 भू-खंड उक्त समिति को आवंटित किये जा चुके हैं ?

(4) क्या यह सही है कि आनासागर सरक्यूलर रोड योजना, अजमेर में दिनांक 24-9-1979 से 5-8-1980 तक भू-खंड

(श्री कैलाश मेघवाल)

नीलाम किये गये ? यदि हां, तो कितने ? उक्त समिति को शेष 22 भू-खंड पैरा एक में उल्लेखित पत्रानुसार नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। न्यास द्वारा जारी पत्र क्रमांक न्यास योजना/प्रथम 9176 दिनांक 24-9-79 में इसका उल्लेख है। किन्तु न्यास की बैठक दिनांक 5-8-80 में सकारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) हां, यह सही है कि आनासागर सरक्यूलर रोड योजना में दिनांक 24-9-79 से 5-8-80 तक 68 भू-खंड नीलाम किये गये हैं। उक्त समिति को शेष 22 भू-खंड इसलिये नहीं दिये गये क्योंकि न्यास ने इसे उचित नहीं समझा। न्यास के निर्णय दिनांक 10-1-79 के अनुसार कितनी भूमि समिति की थी। उसे एडजस्ट करने का निर्णय था। न्यास को पत्र जारी होने के बाद समिति की मांग पर पुनः विचार होकर यह निर्णय लिया गया था कि उनकी जितनी भूमि थी, उससे अधिक दी जा चुकी है।

नगर आयोजना कार्यालय में अधिकारियों के रिक्त पद

277. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नगर आयोजना कार्यालय में मुख्य नगर नियोजक (चीफ टाउन प्लानर) के अन्तर्गत उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक के कितने पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरने की सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भरे जा सकेंगे ?

उत्तर

नगर आयोजना विभाग में वर्ष 1977 से 1980 तक 12 पद उप नगर नियोजक एवं 10 पद सहायक नगर नियोजक के रिक्त हैं। निकट भविष्य में यह पद भरे जा सकेंगे।

अजमेर नगर परिषद द्वारा प्लाईवुड व सनमाइका की आवक पर चुंगी

278. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में व्यापारियों द्वारा प्लाईवुड एवं सनमाइका की सीट्स मंगाई जाती हैं ? क्या उन पर चुंगी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो चुंगी किस तरह से वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्लाईवुड एवं सनमाइका में विभिन्न किस्म एवं वर्ग होते हैं और उनकी इस किस्म और वर्ग की प्रमाणिकता के लिये नगर परिषद्, अजमेर में कोई भी कर्मचारी विशेष योग्यता प्राप्त नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्लाईवुड और सनमाइका का माल आने पर व्यापारियों द्वारा उनके बिल प्रस्तुत किये

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाने पर उनका विश्वास नहीं किया जाता है और माल को नहीं छोड़ा जाता है, जिससे व्यापारियों को समय पर माल नहीं छोड़ने से कई तरह की परेशानियां होती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। प्लाईवूड पर 1% की दर से व सनमाइका पर 2% की दर से कीमत के आधार पर चुंगी वसूल की जाती है।

(2) यह सही है किन्तु उक्त नियमों में किसी भी वस्तु के मूल्य के बारे में शंका होने पर उस वस्तु के व्यापार करने वाले दो व्यापारियों से जानकारी कर मूल्य निर्धारण करने व तदनुसार चुंगी वसूल करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अलग वस्तु का ज्ञान रखने वाले विशेष योग्यता प्राप्त कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं। परन्तु कतिपय मामलों में कीमत की शंका होने पर माल चैक कर निर्धारित बाजार मूल्य पर चुंगी नियमों के अनुसार कार्यवाही कर माल छोड़ा जाता है।

राज्य में टी० वी० स्टूडियो के निर्माण का प्रस्ताव

279. श्री नाथूसिंह (बादीकुई) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्र सरकार ने जयपुर में टी.वी. स्टूडियो का निर्माण कराने का राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ?

(2) यदि हां, तो उस प्रस्ताव में कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं ?

(3) राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है व अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) राज्य सरकार जयपुर में दूरदर्शन स्टूडियो के शीघ्र निर्माण के लिये लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिये आवश्यक भूमि आवंटित कर उसका कब्जा भी दे दिया है।

सुखाड़िया सर्किल, उदयपुर स्थित रेस्टोरेन्ट का आवंटन

280. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के सुखाड़िया सर्किल (रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के सामने) वाले पार्क के पास कोई रेस्टोरेन्ट आवंटन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया है ? यदि हां, तो किसे और कितने में दिया गया एवं ऑक्शन में कौन कौन पार्टियों ने बोली में भाग लिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस नीलामी में अनियमितता हुई है ?

(3) क्या मंत्री महोदय इस मामले के सारे कागजात मंगाकर व बोली लगाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

(60)

(नगर आयोजना मन्त्री)

उत्तर

(1) यह सही है कि उदयपुर में सुखाड़िया सर्किल पर नगर परिषद् की 5 दुकानों में अनुज्ञा शुल्क पर रेस्टोरेन्ट इत्यादि का ठेका दिनांक 15-9-81 को अधिकतम बोली दाता श्री नवीनचन्द के नाम रु. 1921/- प्रति माह अनुज्ञा शुल्क ठेके देने हेतु दो बार नीलामी क्रमशः दिनांक 30-3-81 व 15-9-81 को की गई। किन्तु दिनांक 30-3-81 की नीलामी में बोली कम आने व कुछ खामियां रह जाने के कारण परिषद् द्वारा पुनः दिनांक 15-9-81 को नीलामी की कार्यवाही की गई। नीलामी में भाग लेने वालों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) प्रशासक, नगरपरिषद, उदयपुर जांच कर रहे हैं। जांच परिणाम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

नगर परिषद उदयपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारी

281. श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद्, उदयपुर में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनकी संख्या के निर्धारण का आधार क्या है ?

(2) क्या 1981 की जनगणना के कारण सफाई कर्मचारी बढ़ाये जायेंगे ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) नगर परिषद, उदयपुर में 702 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इनकी संख्या का निर्धारण राजकीय विज्ञप्ति सं. एफ 24(2) इन्टेंग / डी एल बी / 66 / 4644, दिनांक 6-2-1967 के अनुसार किया गया है, जो 1-3-67 से प्रभावशील हुआ था। इसके अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या का आधार 1000 की जनसंख्या पर 4 सफाई कर्मचारी रहा है।

(2) जी हां। अभी सन् 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

ग्राम पंचायत, इटावा को नगरपालिका बनाना

282. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1981 की जनगणना को दृष्टिगत रखते हुए और इटावा कस्बे के विकास हेतु क्या सरकार इटावा ग्राम पंचायत को नगरपालिका के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

नवम्बर, 80 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, इटावा को नगरपालिका बनाने के मामले को समाप्त कर देने का निर्णय लिया था। सन् 1981 की जनगणना के आंकड़े जनगणना विभाग ने अभी उपलब्ध नहीं कराये हैं। वर्तमान में इटावा को नगरपालिका बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डूंगरपुर से संगमरमर के खनन हेतु आदिवासियों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

284. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला डूंगरपुर में कितने स्थानों पर संगमरमर का पत्थर मिलता है ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासियों ने इनके खनन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं और उन्हें खनन हेतु कब तक स्वीकृत दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में संगमरमर का पत्थर नहीं मिलता है।

(2) संगमरमर हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है। अतः स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता।

मेड़ता, नागौर में स्वीकृत चूने पत्थर के पट्टे

285. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव धनापा-पून्दलु, तहसील मेड़ता जिला नागौर में किन-किन व्यक्तियों के नाम चूना-पत्थर का पट्टा स्वीकृत है ?

(2) इन पट्टेधारियों के इस खनन क्षेत्र की रॉयल्टी का असेसमेंट किस साल तक हो चुका है और किस साल से बकाया है तथा दिनांक 31-8-1981 तक राज्य सरकार की कितनी बकाया रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पट्टेधारियों को पट्टा निरस्त करने का नोटिस भी दिया जा चुका है ? यदि हां, तो नोटिस कब दिया गया और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य सरकार अपनी बकाया वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) गांव धनापा-पून्दलु तहसील मेड़ता, जिला नागौर में जिन व्यक्तियों के नाम चूना पत्थर के पट्टे स्वीकृत हैं उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र 1 के कॉलम 2 पर दिये गये हैं।

(2) पूर्ण विवरण संलग्न विवरण-पत्र संख्या 1 में दर्शाया गया है

(3) कतिपय मामलों में पट्टे निरस्त करने वास्ते नोटिस दिये गये थे। पूर्ण विवरण संलग्न विवरण-पत्र संख्या 2 में दर्शाया गया है।

(4) राज्य सरकार वसूली हेतु भू-राजस्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

(विवरण-पत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

खनिज आधारित उद्योग

286. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने खनिज आधारित कारखाने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
लगाने का प्रावधान है ?

(2) कौन-कौन से खनिज पर आधारित एवं किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी लागत से बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना काल में खनिज आधारित उद्योग लगाने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जब भी कोई खनिज भण्डार उचित मात्रा व श्रेणी में उपलब्ध होता है और उस पर किसी उद्योग के लगने की संभावना होती है तो वहां उद्योग लगाने हेतु उपक्रमियों को हर प्रकार की उचित सहायता/सुविधा उपलब्ध कराई जाकर प्रोत्साहित किया जाता है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में खनिज आधारित, जिन मुख्य उद्योगों की स्थापना हो चुकी है तथा लगने की संभावना है, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें।)

भिक्षावृत्ति निवारण

287. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने भिक्षुक हैं व कहां-कहां ?

(2) भिक्षावृत्ति निवारण हेतु राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं तथा समें कहां तक सफलता मिली ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में भिक्षुकों की संख्या 47,290 है। भिक्षावृत्ति निरोध हेतु अधिनियम विचाराधीन है तथा जयपुर, अजमेर और उदयपुर में सेवा सदन (भिक्षुक गृह) संचालित किये हुए हैं जहां व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें बुनाई, काष्ठ कला एवं लुहारी में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्म निर्भर बन सकें।

(2) उपरोक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप 1040 भिक्षुकों को उनके परिवारों में पुनः स्थापित किया गया तथा 1737 भिक्षुकों को औद्योगिक (व्यवसायिक) प्रशिक्षण दिया जाकर पुनर्स्थापित किया गया।

जयपुर-कोटा राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कार्य

288. श्री **महावीरप्रसाद जैन** (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर-कोटा मार्ग राष्ट्रीय राज-मार्ग घोषित हो चुका है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा और यह कितने चरणों में व कब तक पूरा होगा ?

(2) इस मार्ग पर टोंक में बाई-पास किधर हो कर निकलेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस सड़क को पूरा करने का कार्य भारत सरकार द्वारा वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर आधारित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस मार्ग पर टौंक बाई-पास राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12 के किलोमीटर 96-97 से आरम्भ होकर सवाई माधोपुर रोड किलोमीटर 2 से होता हुआ वापस राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर 101-102 पर पुनः जुड़ेगा ।

पोकरण से सांकड़ा व ओला सड़क का डामरीकरण

289. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पोकरण से सांकड़ा व पोकरण से ओला की सड़क पर गत तीस वर्षों में डामर नहीं बिछाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इन सड़कों पर डामर बिछाने की स्वीकृति हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके ? यदि हां, तो अब इन सड़कों पर डामर का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

पोकरण से सांकड़ा व पोकरण से ओला एक ही सड़क है । यह पोकरण से ओला वाया सांकड़ा जाती है ।

(2) जी नहीं ।

केवल अकाल राहत कार्य के माध्यम से इस सड़क का कार्य कराया जा रहा है । पहले 6 कि. मी. में डामर हो चुका व 32 कि. मी. ग्रेवलिंग हो चुका है, और 41 कि. मी. सांकड़ा से ओला तक यह ग्रेवल सड़क बन चुकी है ।

राजकीय मुद्रणालय व सी. ए. डी. के भवनों की निर्माण सामग्री की जांच

291. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर में राजकीय मुद्रणालय एवं सी. ए. डी. की बिल्डिंग के निर्माण एवं उनमें काम में लाई गई सामग्री के सम्बन्ध में कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन है तथा जांच कार्य किस स्टेज पर है ?

उत्तर

बीकानेर में राजकीय मुद्रणालय व सी. ए. डी. भवन से संबंधित एक आरोप स्थानीय समाचार-पत्र जागृत जनमत में प्रकाशित हुआ था। जिसके आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है। कार्यों से संबंधित रिकार्ड एकत्रित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

खोरालाडखानी से दुहाली (जमवारामगढ़) सड़क निर्माण पर हुआ व्यय

292. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील जमवा-रामगढ़ में खोरालाडखानी से स्थान दुहाली तक 3 कि. मी. लम्बी सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितना खर्चा हुआ है

(64)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

जी नहीं ।

बोरालाडखानी सम्पर्क सड़क अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.8 कि. मी. ग्रेवल सड़क बन चुकी है। इस पर 1.6 लाख रुपये व्यय हुए हैं। अकाल राहत कार्य बन्द होने के कारण कार्य अधूरा रह गया है।

महिला सदन, जयपुर की आवासनी को पिटाई

293. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोंद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महिला सदन, जयपुर की आवासनी जुलेखा बेगम की माह जून, 1981 में पिटाई की गई और बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था ?

(2) यदि हां, तो उसकी पिटाई क्यों तथा किसके द्वारा की गई ? इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु गंभीरता से विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रारम्भिक जांच के अनुसार श्रीमती तीजा देवी तत्कालीन अधीक्षिका महिला सदन, जयपुर ने आवासनियों द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार नाश्ता, सब्जी एवं मसाले की मांग करने के प्रसंग में एक आवासनी श्रीमती जुलेखा की पिटाई की। प्राथमिक जांच में श्रीमती तीजादेवी दोषी पाई गई थी। इन्हें निदेशालय द्वारा 15-6-81 से निलम्बित कर दिया गया है। जांच की जा रही है ।

(3) जी हां ।

श्रीमाधोपुर में राज. राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस स्टेण्ड का निर्माण

295. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) श्री माधोपुर (सीकर) कस्बे से रींगस के बीच प्रतिदिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों का आवागमन है ?

(2) क्या श्री माधोपुर में राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस स्टेण्ड बनाये जाने का मामला विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद है ?

उत्तर

(1) श्री माधोपुर कस्बे से रींगस के बीच प्रतिदिन निगम की वर्तमान में 34 एकल सेवायें संचालित हैं ।

(2) जी नहीं, श्री माधोपुर में निगम के वाहनें उसी स्थान से संचालित हो रहे है जहां से राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी वाहन स्वामियों के वाहनें संचालित होते थे। जहां पर नगरपालिका द्वारा निर्मित स्थान में निगम का टिकिट घर कार्य कर रहा है तथा यात्रियों के लिए एक यात्री विश्रामालय उपलब्ध है। बढ़ते हुए यातायात के दबाव के अनुरूप यह स्थान पर्याप्त नहीं है। निगम ने सभी नगरपालिकाओं

(यातायात मंत्री)

को बस स्टेण्ड बनाने के लिए अनुरोध किया हुआ है।

युवक कल्याण बोर्ड गठन संबंधी प्रकरण

296. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) युवकों की कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में "युवक कल्याण बोर्ड" का गठन किए जाने के विषय में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या युवक कल्याण एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार के पास कोई अन्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार युवक कल्याण बोर्ड के माध्यम से युवक कल्याण की गतिविधियों की उपयोगिता एवं आवश्यकता को स्वीकार करती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का वर्तमान में युवा बोर्ड गठन करने का कोई विचार नहीं है।

(2) वर्तमान में इस प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन नेहरू युवक केन्द्र; राष्ट्रीय केडट कौर, राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन तथा युवक कल्याण से संबंधित विभिन्न सरकारी, अर्द्ध सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है।

(3) जी नहीं।

बिन्दु नं. 2 में इसका उत्तर सम्मिलित है

(4) युवा कल्याण बोर्ड के गठन की सरकार फिलहाल आवश्यकता नहीं समझती है।

चूरू से हरिद्वार तक सीधी बस सेवा

297. श्री भालू खां (चूरू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चूरू से हरिद्वार तक राज्य पथ परिवहन निगम की सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु स्थानीय विधायक द्वारा मांग की गयी थी ? यदि हां, तो बस सेवा प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक बस सेवा प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, चूरू से हरिद्वार एक अन्तर्राज्यिय मार्ग है जिस पर हरियाणा, केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक समझौता सम्पन्न होने के पश्चात् ही वाहन संचालन सम्भव हो सकता है।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किराये में वृद्धि

298. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पथ परिवहन निगम की बसेज के किराये की दर मई, 1980 में प्रति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किलोमीटर क्या थी एवं आज क्या है ? निगम को अप्रेल, 1979 से मार्च, 1980 तक कितनी आय हुई एवं अप्रेल, 1980 से अप्रेल, 1981 तक कितनी ?

(2) राज्य सरकार द्वारा किराये में की गई 50 प्रतिशत वृद्धि वर्तमान शासन काल में बढ़ी हुई महंगाई के अनुपात में है या उससे भी अधिक है ? यदि अधिक है तो उसका औचित्य क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम की बसों की किराये की दरें मई, 1980 में प्रति किलोमीटर निम्न प्रकार थीः—

1. साधारण सेवा 4.4 पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी.
2. द्रुतगामी/मेल सेवा 4.9 " " कि. मी.
3. सेमी डील. सेवा 5.9 " " "
4. डीलक्स सेवा 6.9 " " "

वर्तमान में निगम की बसों की किराया दर; जो दिनाक 25-6-81 से लागू है, निम्नानुसार हैः—

1. साधारण सेवा 6.6. पैसे प्रति यात्री प्रति किं. मी.
2. द्रुतगामी/मेल सेवा 7.3 " " "
3. सेमी डील. सेवा 8.9 " " "
4. डीलक्स सेवा 10.3 " " "

निगम को अप्रेल, 1979 से मार्च, 1980 तक एवं अप्रेल, 1980 से अप्रेल, 1981 तक निम्न आय हुईः—

	रुपये लाखों में
अप्रेल, 79 से मार्च, 80	3159.90
अप्रेल, 80 से अप्रेल, 81	4025.19

(2) जी नहीं। निगम के किरायें में अन्तिम वृद्धि दिनांक 1-4-78 को हुई थी। इसके बाद कल पुर्जो एवं डीजल ऑइल इत्यादि की दरों में बढ़ोतरी होने की स्थिति में निगम ने राज्य सरकार को किरायें की वृद्धि के प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें दिसम्बर, 79 में केवल 25 प्रतिशत की वृद्धि ही स्वीकार की थी एवं 16-9-80 से लागू कराया गया। कुछ समय बाद ही फिर भारत सरकार द्वारा डीजल ऑइल में बढ़ोतरी की, जिससे निगम ने राज्य सरकार को अपने किराये की वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखे व राज्य सरकार ने सिर्फ 20 प्रतिशत की वृद्धि की जिसे 25-6-81 से लागू कराया गया।

प्राथमिक पाठशाला दांता (सांचोर) के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

299. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक पाठशाला, ग्राम दांता, पंचायत नैनोल, पंचायत समिति, सांचोर के शिक्षकों के विरुद्ध स्थानीय सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं किस-किस के विरुद्ध एवं उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला के शिक्षकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के पूर्व उनका तबादला करने की भी मांग की गई थी ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री परसराम मोरदिया)

(3) उक्त शिक्षकों की शिकायतों की जांच की जाकर उनको कब तक दण्डित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्व श्री मेराराम व रूपाराम अध्यापकों के विरुद्ध शिकायत की गई थी। जांच किये जाने पर कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये हैं।

(2) जी हां। श्री रूपाराम अध्यापक काठोल का स्थानान्तरण प्राथमिक शाला, दांता में जिलाधीश जालौर के आदेश दिनांक 29-7-79 के निर्देशानुसार किया गया। श्री मेराराम अध्यापक प्राथमिक पाठशाला दोषी नहीं पाये जाने के कारण उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(3) जांच में कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये हैं, अतः दण्डित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

केशोराय पाटन (बूंदी) की ग्राम पंचायतों को दिया गया अनुदान

300. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत, समिति, केशोरायपाटन, जिला बूंदी की ग्राम पचायतों को सन् 1980-81 व 1981-82 में कितना-कितना अनुदान दिया गया है ? सूची पंचायतवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान की राशि खर्च कर दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों पर ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, केशोरायपाटन की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1980-81 में अनुदान स्वरूप दी गई राशि रुपये 2,04,-849.76 की सूची संलग्न है। वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा जिला बूंदी को अनुदान रुपये 4,32,000) का आवंटन किया जा चुका है जिसे पंचायत समिति द्वारा पंचायतों को वितरण करने की कार्यवाही जिला स्तर पर जारी है।

(2) जी हां, उक्त राशि में से रुपये 1,43,193.68 पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्यों पर खर्च किये जा चुके हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़) के अम्बा माता के मेले हेतु जिलाधीश द्वारा पंचायतों को टैक्स वसूली हेतु दिया गया आदेश

301. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में लगने वाले अम्बा माता के मेले की व्यवस्था के लिये जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने वर्ष 1980 में पंचायतों को अपनी सीमा में टैक्स वसूल करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत ने कितनी राशि टैक्स के रूप में वसूली की ?

(2) क्या यह सही है कि जिस ग्राम पंचायत सीमा में मेला लगता है उसे ही कर वसूली के लिये अधिकृत किया जाता है ?

Page No. 68

(68)

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) क्या मेला कर वसूली के मामले में पंचायतों में विवाद उत्पन्न हुये हैं ? यदि हां, तो पंचायतों के मध्य विवाद को निपटाने के लिए जिला प्रशासन क्या यह जरूरी नहीं समझता कि पंचायतों के बजाय कोई और व्यवस्था की जाय ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । ग्राम पंचायत अपनी सीमा 5,000) रु. तक के आय के मेले के लिये टैक्स वसूली के लिये स्वंय सक्षम है ।

(3) जी हां । अम्बा माता मेले के अवसर पर ग्राम पंचायत, कुलमीपुरा व सिद्धपुरा के बीच कर वसूली का विवाद चला था जिनके लिये वर्ष 1980 में जिस क्षेत्र में अम्बा माता का मन्दिर है उस पंचायत को व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिये गये थे, 5,000) रु. से कम आय के मेले के लिये पंचायत स्वयं सक्षम है । अत: अन्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

बीकानेर शहर के उद्यान एवं वाटिकायें

302. श्री **देवीसिह भाटी** (कोलायत): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में कितने उद्यान व वाटिकायें हैं ? उनमें से कितने रियासती काल के उद्यान हैं ?

(2) बीकानेर के उद्यान व वाटिका किस-किस विभाग की देख रेख में हैं ? इनमें प्रत्येक में कितने-कितने चौकीदार नियुक्त हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन उद्यानों की स्थिति अच्छी नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनकी सुव्यवस्थित देख-रेख व रख-रखाव हेतु उच्च स्तरीय जांच करवा कर सही व्यवस्था करवायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उद्यानों में सरकारी विभागों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा लिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन विभागों ने निर्माण के पूर्व अनुमति प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में नये कोई सरकारी उद्यान व वाटिका नहीं हैं । केवल रियासत के समय के निम्न उद्यान हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग द्वारा संधारित किये जा रहे हैं ।

1. गंगा निवास पार्क 2. रतन बिहारी पार्क 3. लक्ष्मी नारायण जी पार्क 4. गिनानी पार्क ।

(2) बीकानेर के राजस्थान सरकार के निर्दिष्ट उद्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग द्वारा देख-रेख किये जा रहे हैं । इनमें नियुक्त चौकीदारों का विवरण इस प्रकार है :—

(वन मंत्री)

1. गंगा निवास पार्क	)	
2. रतन बिहारी पार्क	)	11 चौकीदार व 2 हैड चौकीदार
3. गिनानी पार्क	)	
4. लक्ष्मी नाथ जी पार्क		1 चौकीदार
कुल :		14 चौकीदार

(3) सन् 1974 से 1980-81 तक का वर्षवार व्यय परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है। जितना बजट आवंटन पार्कों के लिये किया जाता है उसके अनुसार उनका रख-रखाव सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। यह सही है कि जनता की अभिरुचि दिन प्रतिदिन पार्कों के अच्छे रख-रखाव के लिये बढ़ रही है इससे अधिक रख-रखाव पर अधिक व्यय संभव नहीं है।

(5) जी नहीं। उक्त उद्यानों में किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

(परिशिष्ट "अ" के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

आदिवासियों द्वारा प्रतापगढ़ को वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट

303. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माही एवं कडाणा से प्रभावित आदिवासी कृषकों द्वारा वन भूमि पर प्रतापगढ़ तहसील में किये गये अतिक्रमण की विस्तृत जांच के लिये जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब और जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा कब किस-किस स्थान पर जाकर मौका कब्जा की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की ?

(2) राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के यह ध्यान में लाये जाने पर कि माही डेम के निर्माण से प्रभावित ग्राम चोतरिया एवं कमलाकुण्डी, पटवार मण्डल, देवगढ़, तहसील प्रतापगढ़ में विगत 10 वर्षों से बसे क्रमशः 40 व 18 आदिवासी परिवारों के फसल उगाये गए क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, इस तथ्य की जांच जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ के माध्यम से कराई गई थी। जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ द्वारा कमलाकुण्डी व ग्राम चोतरिया (मगरी) में स्थिति विवादास्पद आराजी नम्बर 284 पर जाकर मौका दिनांक 11-8-81 को देखा गया था एवं कब्जे की वास्तविक स्थिति बाबत रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई।

(वन मंत्री)

(2) जिलाधीश से प्राप्त प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर का पर्यटन-स्थल घोषित किया जाना

304. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर टाइगर प्रोजेक्ट को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए आवागमन व रहने का क्या इन्तजाम किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्थान पर विदेशी पर्यटक आते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उस स्थान पर पर्यटकों की सुविधाएं कोई नया डाक बंगला या होटल कब तक बनवा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उस स्थान पर कैमरे द्वारा फोटो खींचना वर्जित है ?

उत्तर

(1) टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर जाना-माना पर्यटक स्थल है । फिलहाल वहां जाने वाले पर्यटक जयपुर से या अन्य स्थलों से रेल या सड़क मार्ग द्वारा अपने साधनों से ही आते जाते हैं। रहने के लिये इस समय एक डाक बंगला एवं एक जिन होटल, सवाई माधोपुर में उपलब्ध है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा झूमर बावड़ी का कब्जा संभाल लिया गया है और उसे सुधारा जाकर आधुनिक सुविधाओं-युक्त विश्राम भवन बनाया जा रहा है ।

(2) जी हां । पर्यटकों के आवास हेतु पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एक पर्यटक आवास गृह झूमर बावड़ी में बना रहा है जो शीघ्र ही पर्यटकों के लिये उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(3) जी नहीं । वन विभाग में कुछ राशि जमा कराकर पर्यटक कैमरे का उपयोग कर सकते हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-9-81)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अकाल राहत कार्यों के तहत बनी सड़कें

24. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में संवत् 2037 के अकाल राहत कार्यों के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं ? कृपया तहसीलवार सड़कों की संख्या व लम्बाई बतायें ।

(2) अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुई सड़कों में से कितनी सड़कों पर ग्रेवल बिछाया गया और कितनी अधूरी रह गईं ? तहसीलवार सड़क के नाम व लम्बाई बताने की कृपा करें ।

(3) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की सड़कों पर कुल कितना धन खर्च किया गया ? प्रत्येक सड़क एवं ट्रान्सपोर्ट पर तथा लेबर पर कितना व्यय हुआ ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । जैसलमेर जिले में

Page No. 71

(71)

(अकाल राहत मंत्री) ।

प्रभाव स्थिति संवत 2037 में 76 सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य, जिनकी लम्बाई 1082.45 किलोमीटर है, व बाड़मेर जिले में 239 सड़क कार्य जिनकी लम्बाई 33-64. 88 किलो मीटर है, स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जैसलमेर जिले की स्वीकृत सड़कों में से 66 सड़कों पर ग्रेवल बिछाया गया और 55 अधूरी रहीं जिन पर कार्य चालू है। बाड़मेर जिले में 239 स्वीकृत सड़कों में से 199 पर ग्रेवल बिछाया गया और 129 अधूरी रही।

(3) जैसलमेर जिले में अकाल राहत 76 सड़कों के कार्यों पर लगी मजदूरी व ट्रान्सपोर्ट को मिलाकर कुल खर्चा 31-8-81 तक 1,22,77,454/— रुपये हुआ है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के 239 सड़क राहत कार्यों पर मजदूरी व ट्रान्सपोर्ट को मिलाकर कुल खर्चा अभी तक 7,56,48,000/— रुपये का हुआ है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें।)

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्नों का स्थगन

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया है। प्रश्न स्थगित किया गया था वह आज की प्रश्न सूची में है। आज सरकार ने किस किस प्रश्न को स्थगित कराने के लिए प्रार्थना की है ? वह कौन-कौन से प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं आपको उत्तर देता हूं। 5 प्रश्नों को स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना की थी। 280 भैरूंसिंह गुर्जर का प्रश्न है। 283 श्री भंवरलाल शर्मा का प्रश्न है। 288 श्री मोहनलाल मोदी का प्रश्न है। 289 श्री श्री भैरूंसिंह गुर्जर का प्रश्न है। 146, श्री हरिसिंह (193) का प्रश्न है।

सुश्री पुष्पा जैन: 280 मेरा है, माननीय अध्यक्ष।

श्री भंवरलाल शर्मा: मैं आपका ध्यान प्रश्न 283 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन): मैं एक निवेदन कर दूं कि 283 प्रश्न सहायता मंत्री जी से पूछा गया है। मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर तैयार है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा: 283 प्रश्न मैंने 15 तारीख को दिया है या 14 को, समय से पूर्व।

श्री अध्यक्ष: लेट दिया था फिर भी जल्दी आ गया।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा: उसका उत्तर नहीं देने का कारण यह नहीं है जो माननीय मंत्री-जी ने बताया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह का मैटर यहां नहीं उठाया जायेगा। यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका उत्तर जान बूझ कर टाला है ।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, बाढ़ एवं राहत): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के स्कोप के अनुसार इसका उत्तर स्वायत शासन मंत्री जी को देना चाहिए, मुझे गलत एड्रेस किया गया है । किसी बात को छिपाने का प्रश्न नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाढ़ का काम सहायता विभाग में था, बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रश्न विभाग से ही करना था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, जिस प्रकार का प्रश्न आया उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, स्थान ग्रहण करें । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी ...

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा अधिकार है कि मैं सबसे पहले सदन को सम्बोधित कर सकूं, उस अधिकार का मैं उपयोग कर रहा हूं । इसलिए कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने व्यवस्था दी थी ।

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में आपको अवसर दे दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मेरी बात सुन लें फिर आप कह लें, प्लीज, कृपा करके ।

मैंने आपसे कहा था कि 14 तारीख का प्रश्न है जो 21 को आया है । स्थगित आपने कर दिया था । आज, मैं समझती हूं, विधान सभा के सत्र का अंतिम दिन है । कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा का प्रश्न उस दिन टरका दिया था । आज भी यह रह जायेगा तो, मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं होगा । गरीब लोगों की बस्ती का प्रश्न है, इसका उत्तर मंत्री महोदय से दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी । आपने व्यवस्था दी थी कि मैं इसका उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : प्रश्न का उत्तर मैंने लिख भेजा । इस सम्बन्ध में जो सूची मांगी वह मैंने सदन की मेज पर रख दी है । कोई टरकाने जैसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसको उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल सूची देने से काम नहीं चलता है । आपकी इन्टेंशन देखनी है । आपने इसमें रेगुलेराइज करने के बारे में मुझे कुछ नहीं लिख भेजा । खण्ड (2) का उत्तर आपने नहीं दिया । इस उत्तर के सम्बन्ध में गफलत है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे यहां के मकानों को तुड़वाने की इन्टेंशन रखते हैं इसलिए इस प्रश्न को टाल रहे हैं और केवल सूची बताकर अपने उत्तरदायित्व को समाप्त कर रहे हैं । इन्होंने धमकी दी है कि मकान जो बन रहे हैं उनको तुड़वाऊंगा । जो बन रहे हैं उनको तुड़वाने की और जो बने बनाये हैं भी उनको तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । आप अवहेलना कर रही हैं, माननीय सदस्या ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ×××

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में पीने के पानी के अभाव के विषय में ।

2. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा, तहसील पीपल्दा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को उचित मूल्य की चेतक कापियां अधिक मूल्य लेकर बेचे जाने के विषय में ।

3. श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा व अन्यत्र कृषि भूमि को अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित करके नियमों के विपरीत बेच देने के विषय में ।

4. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में बढ़ती हुई महंगाई के सम्बन्ध में ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के बीच में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वे अपने घर बैठ कर ठीक कर रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब उनका घर खराब है ।

श्री अध्यक्ष : 5. श्री मोहन लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर नगरपालिका क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा फर्जी पट्टे बना कर भूमि बेचने के विषय में ।

6. श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जगत शिरोमणीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में 3 परिवारों के घर जल कर राख हो जाने के विषय में ।

7. श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत ओलवाड़ा, तहसील सवाई माधोपुर व ग्राम पंचायत, बामनवास के सरपंच द्वारा हजारों रुपयों के गबन की घटना के विषय में ।

8. श्री कुंजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के सिंचाई अभियंता द्वारा कथित घोटाला व सीमेंट के दुरुपयोग के संबंध में ।

9. सर्व श्री मेघराज तावड़ व उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के सरदारपुरा गांव के निवासी श्री पांच गूजर की हत्या के विषय में ।

10. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में टेस्ट रिलीफ वर्क्स चालू न करने के संबंध में ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में खोदे जा रहे हैण्ड पम्पों का कार्य ठीक से न होने के विषय में।

12. सर्व श्री नन्दलाल मीणा व बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा में नगर परिषद् की अकर्मण्यता से नगर में सफाई व रोशनी के अभाव के विषय में।

13. सर्व श्री दाऊदयाल जोशी व गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राणाप्रताप सागर के केचमेंट क्षेत्र में डूब में आने वाले पेड़ों की कटाई का ठेका अनियमित ढंग से दिये जाने के संबंध में।

14. डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री महावीरप्रसाद दण्ड, निवासी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की हत्या के विषय में।

15. श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 17 सितम्बर की रात्रि को जोधपुर के पास मण्डोर में दरगाह पर प्रार्थना करते हुए वृद्ध मुसलमानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में।

16. श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित कक्षा 5 की विज्ञान की पुस्तक में अशुद्धियां होने के संबंध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है।

1. श्री हंसराज शर्मा, ग्राम पंचायत, मलारना डूंगर में आई बाढ़ से प्रभावित निवासियों को पंचायत द्वारा प्लाटों का पट्टा न देने के विषय में।

राज्य सरकार ने बताया है कि इस मामले में की गई जांच में यह पाया गया है कि जिन पट्टों के द्वारा 66 व्यक्तियों को निःशुल्क जमीन आवंटित की गई थी वे नियमानुसार नहीं थे। अतः 15 पट्टे निरस्त किये गये और 51 पर निगरानियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

2. श्री रतनलाल ताम्बी: जहाजपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी से पंचायत समिति के कर्मचारी, पंच व सरपंच परेशान होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच की गई और उन्हें कई बार दण्डित भी किया गया है तथा मशीन की कमी व वांछित अंशदान के अभाव में कुछ कार्य पूरे नहीं हो सके।

3. श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर आन्दोलन।

राज्य सरकार ने बताया है कि वर्ष 1981-82 के बजट में किसी भी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

4. श्री रामकंवार बैरवा : गत 17 जुलाई को बाण्डी नदी पर आई बाढ़ के संबंध में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस को सूचना मिलते ही उसने घटनास्थल पर तुरन्त पहुंच कर आवश्यक कार्य-

(श्री अध्यक्ष)

बाही प्रारंभ कर दी थी ।

5. श्रीमती विद्या पाठक : जयपुर के कुछ प्रमुख मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि ।

सरकार ने बताया है कि पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण कुछ रास्ते बन्द हो गये थे, अतः ट्रकों को अन्य रास्तों से जाने की अनुमति दी गई थी, जैसे ही स्थिति ठीक होगी ट्रकों का आवागमन इन मार्गों से बन्द कर दिया जायेगा ।

6. श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस स्टेशन, भदेसर, जिला चितौड़गढ के थानेदार द्वारा गंगरार कस्बे के श्री रामचन्द्र महाराज की पिटाई करने पर हुई उनकी मृत्यु के विषय में ।

सरकार द्वारा बताया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रबन्धक, भदेसर को निलम्बित कर दिया गया है एवं उप-अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अभियोग का अनुसंधान किया जा रहा है ।

7. श्री हंसराज शर्मा : सवाई माधोपुर के मोरेल बांध को जयपुर खण्ड में ले लेने के विषय में ।

सरकार ने सूचित किया है कि इस बांध का निर्माण कार्य बड़ा होने के कारण प्रशासनिक कारणों से जयपुर खंड के अधीन रखा गया है और इससे काश्तकारों को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इस वर्ष बांध में पानी नहीं होने के कारण सिचाई नहीं होगी ।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

जैसी कि पूर्व में व्यवस्था की जा चुकी है, जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है उन पर माननीय सदस्य चाहें तो दो-दो मिनट बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

अभी आसन पैरों पर है । मेरी बात सुनिये पहले । एक व्यवस्था देना चाहता हूं ।

जैसा कि माननीय सदस्य भी जानते हैं कि आज सदन का सत्रावसान होने जा रहा है । माननीय सदस्यों की बहुत सी समस्यायें रह गई होंगी इसलिये वे चाहते हैं कि आज के आज ही कह दें । उन पर मैं कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मेरी बात सुनिये ।

जिन माननीय सदस्यों ने आज अथवा पूर्व में स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और उनके बारे में राज्य सरकार से जानकारी नहीं आई है उसके लिये मैं एक घंटे का समय दूंगा । यह तो है कि जब सत्र प्रारम्भ हुआ उस दिन से स्थगन प्रस्ताव आने लग गये थे । एक घंटे का समय है और समय नहीं लें तो मेरे पर छोड़ दें । अपनी इच्छा व्यक्त कर दें कि मैं बोलना चाहता हूं । मैं उस विषय पर विचार करके आपको समय दे दूंगा, पहले आपका काम निबटा देता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आप खड़े हो जाते हैं ।

(श्री अध्यक्ष)

एक बजे बराबर। अब स्थगन प्रस्ताव भी हैं, अन्य कार्य भी हैं इसलिये माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये एक घंटे का विशेषकर समय निश्चित किया जाता है। मैं अपना स्थान ग्रहण करूं और आप बोलना शुरू हो जावें उससे पहले एक छोटा सा कार्य है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप अपना कार्य बैठ कर करें।

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

श्री लच्छूराम को 17 सितम्बर, 1981 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने को अनुमति।

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 17 सितम्बर, 1981 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

श्री राजबहादुर एवं श्री भंवरलाल शर्मा : स्वास्थ्य की कामना के साथ।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

अब मैं आज वाले स्थगन प्रस्ताव अथवा जिनके सरकार से उत्तर प्राप्त होने की मैंने व्यवस्था दी है, उनके नाम पुकारता हूं। उसके पश्चात् मैंने कुछ माननीय सदस्यों को आज अथवा कल आश्वासन दिये थे, उनके नाम पुकारूंगा। उसके बाद में जिन माननीय सदस्यों की शिकायतें रह जायं उनके नाम मैं एक-एक करके इधर से शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

अब आप व्यवस्था—

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आपकी धारणा ही ऐसी है कि सब अवसर समाप्त हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सबको अवसर दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री दीपेन्द्रसिंह जी, जो सरकार पर चार्ज लगाकर आये थे, आज तक उपस्थित नहीं हैं। क्या उनका कोई प्रार्थना-पत्र आया है बीमारी का?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं यह सूचना नहीं दे सकता।

अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं जिनके स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना था।

श्री अध्यक्ष : बाद में। पहले आज के कार्य का संपादन हो।

सुश्री पुष्पा जैन : ताकि हमें जानकारी हो जाय। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स...

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बाधा डालेंगी तो मैं कुछ भी सुन नहीं सकूंगा।

मुझे हाउस में देने दिया जाय। जब यह कार्य समाप्त हो जाय उसके बाद में माननीय सदस्य बिराजे हुये ही अपना हाथ ऊंचा कर लें एक-एक। अभी नहीं।

श्री हंसराज शर्मा : ग्राम पंचायत मलारना डूंगर में आई बाढ से प्रभावित निवासियों को पंचायत द्वारा प्लाटों का पट्टा न देने के विषय में।

कृपया समय का ध्यान रखें। यह नहीं कि माननीय सदस्यों के भाषणों में बार बार हस्तक्षेप करना पड़े। उससे आपके भाषण का प्रवाह भी टूट जाता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि सम्मानीय सदस्यों को कुछ बीच में कहूं।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ समय पूर्व जब बाढ़ आई और बाढ़ के अन्तर्गत मलारना डूंगर क्षेत्र के हजारों परिवारों के मकान बह गये तब उनकी दयनीय स्थिति को देख कर हमारे यहां के कार्यकर्त्ताओं ने और जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने 27 तारीख को मौके पर जाकर मलारना डूंगर में जो आबादी का स्थान खाली पड़ा था, 70 हरिजन परिवारों को वहां पर बसाने का मौके पर आदेश दिया। उसी के अन्तर्गत वहां के नायब तहसीलदार, सरकारी कर्मचारियों और जनता के लोगों ने 30 परिवारों को प्लाट्स दे दिये। प्लाट्स देने के बाद उस स्थान पर जिनको प्लाट्स दिये गये थे उन्होंने अपनी बुनियादें खोदी और 30 बाई 20 प्लाट्स में अपने मकानों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया वहां की जनता के सहयोग से। उस समय वहां हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी पहुंचे थे जहां झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई थीं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, दो-दो मिनट का समय।

श्री हंसराज शर्मा : झुग्गी झोंपड़ी का जो सामान आया था, निर्माण मंत्री ने भी दिया किन्तु मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जिन गरीब हरिजनों को वहां आबाद होना था उनको आबादी का पट्टा ग्राम पंचायत ने अभी तक नहीं दिया। यह कह कर नहीं दिया कि 77 प्लाट्स ग्राम पंचायत के द्वारा अन्य लोगों को दे दिये गये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन 77 लोगों को पहले प्लाट्स दिये गये थे उनमें से 15 तो वहां के कर्मचारी नगरपालिका के, पंचायत के हैं और कुछ मैम्बर्स के रिलेटिव्स हैं उनके हैं और 18 आदमी मृतक के परिवार के हैं। बाकी जितने पैसे वाले लोग हैं उनके हैं। केवल 77 में से केवल 10 आदमी हैं जो वाकई पट्टा लेने के काबिल थे। मुझे इसमें संदेह है सरपंच का वहां के हरिजनों को आबाद न होने देने की दृष्टि से केवल मात्र एक षड़यन्त्र था। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां हरिजन आबाद हो गये हैं, जिनकी झोंपड़ियां बन गई हैं, जिन्होंने बुनियादें भर दी हैं वहां रिक्त स्थान भी पड़ा हुआ है जो आबादी का है। ग्राम पंचायत विरोध कर रही है तो जिलाधीश, सवाई माधोपुर से अविलम्ब आदेश दिये जायें, जो बाढ ग्रस्त क्षेत्र के

(श्री हंसराज शर्मा)

सताये हुए हों ....

(12.24 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनको आवासीय दृष्टि से पट्टा दिया जाय लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के सरपंच इस मामले से अत्यन्त रुष्ट हैं कि बिना पूछे कलेक्टर ने जनता को वहां आबाद कर दिया है। इसलिये वहां से उठा कर दूसरी जगह फेंकना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब कलेक्टर ने आदेश दे दिया था तो जो पहले पट्टा दिया गया था उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया ? इसलिये जो अब पट्टे दिये गये है अवैध हैं, उनको कैंसिल किया जाय। बाढ़ से सताये हुये लोग वहां आकर बस गये हैं, उनको पट्टे दिये गये हैं और राज्य सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है, वह सहायता उनको दी जाय। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है। ग्राम पंचायत ने गलत तरीके से पैसे खाकर पट्टों को देने में भ्रष्टाचार का जो सतूना किया है उसकी संपूर्ण जांच कराई जाय। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। शाहपुर पंचायत समिति में विकास....

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर आंदोलन।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : इस पर मैं कल बोल चुका था। लेकिन मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव था उस पर बोल दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय ने फर्माया था कि दो-दो मिनट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की पुलिस छात्रों और अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म ढा रही है। इससे वहां नागरिकों में और छात्रों में भारी रोष है। पुलिस के लोग जो नागरिकों पर जुल्म ढा रहे हैं, वह छात्रों ने मिलकर वहां के पुलिस अधिकारियों को बताया। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। यह जो जुल्म की कहानी है इसको संक्षेप में निवेदन करूंगा। 23 जुलाई की बात है। छात्र नेता शिवलाल पारेता, जो कि एक छात्रावास में रहते हैं, को पुलिस पकड़ कर ले गई और नंगा करके उसकी पिटाई की। उसकी इतनी पिटाई की कि उसके दोनों हाथ तोड़ डाले। कोटा के सारे अखबारों में छपा है और यह उसकी फोटो है, दोनों हाथ उसके टूटे हुए हैं। छात्र नेता इसका दोष क्या था ? यही कि शराब का अवैध धंधा इस स्थान पर चल रहा है। अवैध शराब के धंधे की सूचना देने पर इस छात्र नेता की पिटाई की गई। इसके विरोध में वहां के छात्र एस. पी., कलेक्टर और डी. आई. जी. से मिले और यहां आकर आई. जी. से भी मिले लेकिन उसके बावजूद जो सर्किल इन्सपेक्टर मानसिंह है, जिसके नेतृत्व में इस छात्र नेता की पिटाई की गई है और जिस सिपाही ने पीटा उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस घटना को लेकर छात्रों में भारी रोष है।

(श्री हीरालाल आर्य)

दूसरी घटना कैथूनीपोल थाने की है। इस थाने में छात्र सादिक अली की; बिना कारण वहां के हैड कान्सटेबल फकीरचन्द ने निर्मम पिटाई की। इस पिटाई से उस छात्र के हाथ में फैक्चर हो गया; एक हाथ टूट गया। इसका दोष क्या था? यह स्वयं को भी पता नहीं है। इसके खिलाफ में वहां के छात्र एस. पी. से मिले। इस सादिक हुसैन की पिटाई क्यों की? क्या इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी? कोई रिपोर्ट नहीं। छात्र बैठा था; उसको पकड़ कर पिटाई की और हाथ तोड़ दिया। इस घटना की कोटा के अखबारों में फोटो छपी है। इस तरह से पुलिस जुल्म कर रही है।

तीसरे, मैं उद्योग नगर थाने की घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां मजदूरों की बस्ती इंदिरा गांधी नगर है, उसमें मजदूर लोग रहते हैं। उसमें कन्हैया लाल नामक व्यक्ति रहता है। उसका एक शिव नारायण से किसी मामले में झगड़ा हो गया तो शिव नारायण ने पुलिस में आकर रिपोर्ट थानेदार को की जिसका नाम रामसिंह मीणा है। वह 4-5 सहयोगी लेकर गया और वहां मजदूर बस्ती में जाकर कन्हैया लाल ड्राइवर को पकड़ लाया। वहां से पिटाई करता हुआ लाया, गाली गलौज करता हुआ लाया। उसने कहा, मेरा दोष क्या है? उसने कहा कि तुम झगड़ा करते हो। थाने में इतनी बुरी तरह से पीटा। थानेदार ने कहा, 100) रु. लाओ। जब 100) रु. नहीं दिये तो थानेदार ने कन्हैया लाल को हथकड़ी से सिर में लगाई, हाथों की हथकड़ी से सिर में चोट आई और सिर में चोट आने से हड्डी टूट गई सामने की। हड्डी उसके पास मौजूद है, इस हड्डी की लोकल अखबारों में फोटो छपी है। इसके विरोध में इंदिरा गांधी नगर के नागरिकों ने जुलूस निकला जो कोटा कलेक्टर, एस. पी. से मिला लेकिन अफसोस है कि कोटा पुलिस इस तरह से छात्रों और अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म, अत्याचार कर रही है। इसके खिलाफ वहां के नागरिकों और छात्रों में रोष है। कन्हैया लाल अभी अस्पताल में है। गरीब है, बेहोश है, स्मरण शक्ति गायब है। उसे मुआवजा दिया जाना चाहिये। सरकार सो रही है। बताने के बावजूद भी जो पुलिस कर्मी हैं, जो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जिससे कि वहां का छात्र सुलग रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि कोटा की पुलिस जुल्म कर रही है जिससे वहां पर बड़ी विस्फोटक स्थिति नहीं हो जाए, वहां के नागरिकों को और वहां के छात्रों को आन्दोलन के लिये बाध्य नहीं होना पड़े। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन पुलिस कर्मी ने अपराध किये हैं, जुल्म ढाये हैं नागरिकों और छात्रों पर, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि वहां की जनता में पुलिस के प्रति भी थोड़ी श्रद्धा बढ़ सके। नहीं तो आतंक वहां पर भयंकर है और कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बाधा मत डालिये। मैं दूंगा आपको बाद में बोलने का अवसर।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय. . .

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जुल्म कर रहे हो छात्रों और नागरिकों पर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा: उपाध्यक्ष महोदय, जो कल दिया है उत्तर मुझे, उपाध्यक्ष, महोदय, और आज जो सरकार का उत्तर आया उस पर बोलूं। सरकार ने आज मेरे स्थगन प्रस्ताव का उत्तर दिया है उस पर बोलूं या कल जो दिया उस पर बोलूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन से मेरा निवेदन है कि 17 तारीख को रात को बान्डी नदी में बस बह गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्री डिग्गी कल्याण जी को जाने वाले यात्री बसों में ऊपर और नीचे बैठकर सफर करते हैं। उस समय बस आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं होती है। वहां यात्रियों की बड़ी भारी भीड़ रहती है। रात को करीब 8 बजे बान्डी नदी में करीब डेढ़-दो फीट पानी था, बीच में ही जाकर उसका इन्जन बन्द हो गया। इन्जन बन्द होने के पश्चात् वहां से एक ट्रक रवाना हुआ। उस ट्रक ने जाकर फागी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद इसमें करीब चार घन्टे की देरी कर दी। मह और निवेदन करना है कि उस बान्डी नदी; जहां बस बही है, से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बणजारों की एक ढाणी थी इसमें करीबन 50 परिवार बसे हुए हैं। एक बैरवाओं की ढाणी थी, जाटों की ढाणी थी, मालियों की ढाणी थी, एक बाग की ढाणी थी। वहां दूसरे दिन 10 बजे पता चला था इस बात का। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर उन ढाणियों के लोगों को पुलिस रात को इतला देती तो काफी लोग वहां मिल सकते थे। 17 तारीख की रात को बस बही और दूसरे दिन 18 तारीख को वहां से सात किलोमीटर दूर संगूरिया गांव में, जयपुर में चांदपोल के बाहर मालियों की बस्ती का रहने वाला आदमी पानी में बह कर एक किनारे लग गया। वह इस बुरी तरह से पड़ा था कि उसकी उठ कर के अपने आप खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। संगूरिया गांव के आदमियों को वह आदमी दिखाई पड़ा और उसको वह वहां लाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, उस काली रात में पुलिस अगर लोगों को इतला नहीं दे या और कोई भी इन्तजाम नहीं करे तो लोगों के मरने के सिवाय और क्या हो सकता है। आप ही यह देखिये कि अगर आसपास वाले लोगों की मदद लेते और इधर मालपुरा उधर दूसरी तरफ दूदू वगैरह कहीं से पुलिस और अधिक मात्रा में बुलाकर के उन लोगों की खोजबीन की जाती तो अधिक लोग बच सकते थे और कोई उपाय हो सकता था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जवाब मुझे दिया गया है वह मनगढ़न्त है। सीधा साधा उत्तर देने में इनको क्या परिश्रम हुआ होगा।

Page No. 81

(81)

(श्री रामकंवार बेरवा)

साहब, मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने सब कुछ किया लेकिन मुझे इससे संतोष नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं।

दूसरे इसके साथ-साथ कल मेरा आया था एक स्थगन प्रस्ताव, रामनिवासपुरा गांव, चाकसू में भोमाराम बैरवा के परिवार के 17 लोग 19 तारीख को ढूंढ नदी की बाढ में बह गये। उनके परिवार को एक नया पैसा भी अभी तक सहायता नहीं मिली है। वह खुद ही उसमें दब गया, उपाध्यक्ष महोदय, दोनों पति पत्नी थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां सो रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी आपको अनुमति नहीं दूंगा मैं। आप बैठ जाइये।

श्री राम कंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया था कि इन सब पर बोल दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके ऊपर बोल सकते थे, बोल लिये। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम कंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि....

(व्यवधान)

आप तो बड़े उदार है हमारे प्रति।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कायदे-कानून से बाउन्ड हूं।

श्री राम कुंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, आप उन लोगों को इतने हल्के फुलके ढंग से ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, दो लोगों की जानें गई हैं। आप मुझे एक दो मिनट बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप विराज जायं। आपकी इज्जत करता हूं, आप एम. पी. रहे हैं।

श्रीमती विद्यापाठक : जयपुर के कुछ प्रमुख मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तृत चर्चा कर चुकी हूं। एक ही बात कहना चाहती हूं कि जो जवाब सरकार की तरफ से आया है कि बाढ़ की वजह से रास्ते खराब हो गये थे इसलिये कुछ समय के लिये रूट डाइवर्ट किया है। मंत्री महोदय यहां होते तो उनकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहती हूं कि ये मार्ग तीन-साढ़े तीन साल से खराब चल रहा है। तीन साल का मेरे को मालूम है

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : तीन साल पहले तो आप ही थे।

82

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्रीमती विद्या पाठक : आप, माननीय दुलाराम जी, फिर यह निर्णय कर लीजिये कि जो हमने किया था वही आप करेंगे, या जो हमने नहीं किया था वह आप भी नहीं करेंगे या जो पहले कमी रह गई उसको कन्टीन्यू करेंगे। उस को आप सिद्धान्त बना लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : इन्होंने मेरा नाम लिया है। आपको क्या एतराज है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है कि बाढ़ की वजह से से रास्ता खराब हो गया था, यह बिलकुल गलत है। यह रास्ता निरन्तर चलता आ रहा है जब कोई शिकायत होती है बीच में व्यवस्था हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात का ध्यान रखिये। जो गलती जनता पार्टी वालों ने करी वही आप भी करें, यह कोई दलील नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल गलती का नहीं, सवाल व्यवस्था का है । व्यवस्थायें तो सरकारी अधिकारी करते हैं। आपके सुपरविजन में करते हैं। अब अव्यवस्थायें जब भी हो जायें आपके ध्यान में आ जायें उनकी व्यवस्था की जाय। मगर यह दलील देना कि यह सड़क बाढ के कारण खराब हुई है, बिलकुल गलत है । यह जवाब ही गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल । पुलिस स्टेशन भदेसर; जिला चित्तौड़गढ के थानेदार द्वारा गगरार कस्बे के श्री राम चन्द्र महाराज की पिटाई करने पर हुई उनकी मृत्यु के विषय में ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): उसका तो निलम्बन हो गया । अब कुछ नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : Sorry । श्री हंसराज शर्मा। सवाई माधोपुर में मोरेल बान्ध के जयपुर खण्ड में ले लेने के विषय में ।

श्री हंसराज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में मोरेल बांध एक बहुत बड़ा बान्ध है। उस बांध के माध्यम से हजारों काश्तकारों ने । ...

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोल चुके है । माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी बात सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय । यह बोल चुके है लेकिन नियम यह है कि दस दिन के स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन पर राज्य सरकार ने जो कहा है हम उस पर बोलेंगे । अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि मैं इनको रिजेक्ट कर रहा हूं। इसलिये बोल रहे हैं।

श्री दुलाराम : यह प्रस्ताव ही गलत है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हंसराज शर्मा : मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माननीय सदस्य दुलाराम जो

(श्री हंसराज शर्मा)
को इसमें क्यों दर्द हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। Come to the point.

श्री हंसराज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोरेल बांध सवाई माधोपुर डिवीजन का सबसे बड़ा बान्ध है। और काश्तकारों के सामने समस्या आती है तो सारी समस्याओं का समाधान सवाई माधोपुर में रहने वाले काश्तकार सवाई माधोपुर में जाकर कर लेते हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि राज्य सरकार द्वारा सवाई माधोपुर के इलाके को जयपुर खंड में क्यों लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो मोरेल की तबाही हुई, जो बांध टूट गया, जो करोड़ों की क्षति हुई उसमें या तो आपके अधिकारियों की लापरवाही रही है, या उनकी अयोग्यता का कारण है, या उनकी टेक्निकल गलतियां रही हैं। इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने उसको जयपुर डिवीजन में लेने का निर्णय किया है, मेरा ऐसा मानना है। क्या यह सही है कि इस प्रकार से वहां की जनता को, वहां के काश्तकारों को वंचित कर दिया जाय।

(12. 41 म.प.)
(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : वह बांध सवाई-माधोपुर में है, उसे जयपुर खण्ड में लिया जा रहा है। मैं यह भी कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी गलती थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा जो बंधों को असुरक्षित रखा गया है उसको छुपाने की दृष्टि से सवाई-माधोपुर में से हटा कर जयपुर खण्ड में लिया जा रहा है। मैं इस पर निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में मोरेल बांध था उसमें आज और कल में काफी परिवर्तन हुआ है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले बांध बनाया गया था वह लेवल से 45 फीट की हाइट पर था। साढ़े आठ सौ फीट की सीमा थी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : मैं उसको लेने का कारण बता रहा हूं, सरकार उसका डिविजन सवाई माधोपुर से जयपुर में क्यों करना चाहती है? इसी संबंध में; मैं निवेदन कर रहा हूं कि राज्य सरकार ने जानबूझ कर के साढे आठ सौ फीट भूमि थी उसको केवल एक सौ चालीस कर दिया। 120 फीट जगह बन्द कर दी। उन्होंने 15-15 पिलर बना कर के इस प्रकार के दो-दो फीट के बनाये। उनको घटाकर 500 गज कर दिया। यदि उसका 45 फीट के लेवल पर टाप लेवल था तो उसको टेक्निकल दृष्टि से क्यों बन्द कर दिया गया? बांध को ऊंचा नहीं किया गया, और जीरो से 31 तक जो पाइंट था उसको भी नहीं किया गया। जब बरसात आई तो बरसात में बांध टूट गया और बांध के टूटने के कारण वहां पर जनता का, सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसलिये, अध्यक्ष महोदय......]

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध को सवाई-माधोपुर से हटा कर जयपुर डिवीजन में लिया गया है इसको वापस सवाई माधोपुर में रखा जाये। अन्यथा सवाई माधोपुर का जिस समय मोरेल बांध तैयार होगा तो काश्तकारों का संबंधित सिंचाई विभाग से काम पड़ता है, उसे निवटाने के लिये उन्हें बार-बार जयपुर का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए उसको वापस सवाई माधोपुर डिवीजन में लिया जाये। उसकी जांच कराई जाये और बड़े टेक्निकल लोगों से कराई जाये जो सी. आई. डी. और सी. बी. आई. या बाहर के हों। यदि संबंधित विभाग के लोग जांच करेंगे तो सही जांच नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सुनाऊं किसे? सुनने वाले गृह मंत्री हो सकते हैं, वह तो हैं ही नहीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गूंगी, बहरी, अंधी है इसके सामने मैं क्या कहूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को सरदारपुरा जिला भीलवाड़ा के सांगरिया गांव में सरपच श्री गजराज सिंह ने पांचू गूजर परिवार के लोगों की हत्या की। आक्रमण किया गजराज सिंह और उसके भाई मजूभ सिंह . . .

श्री अध्यक्ष : नाम न लें तो अच्छा होगा।

श्री मेघराज तावड़ : ने इन पर आक्रमण किया और पांचू गूजर को बचाने के लिये उनकी भाभी साइरी और उसका लड़का अमरा पहुंचे उनके साथ भी बुरे तरीके से मारपीट की। भाभी की टांग टूट गयी और अमरा का पांव टूट गया। उसके बाद शाहपुरा अस्पताल में उनको भर्ती करवाया। शाहपुरा अस्पताल के डाक्टर ने उनको बुरी तरह से दवाइयां दीं। ये वजह साबित होने के बाद डाक्टर ने कहा कि चौबीस घण्टे के बाद मौत होगी। चार तारीख को उसकी डैथ हो गयी। पूछने पर डाक्टर ने बताया कि वह तो यहां से फरार है। अब आप ही बतायें जो आदमी सीरियस हो, उसको वहां से फरार कैसे बताया गया? इस पर सरपंच, जो सांगरिया का है, का साथी जो काफी प्रभावशाली नेता है सम्पतलाल, नाम इसलिये लेना चाहता हूं कि वह प्रभावशाली नेता है उसने लाश को दबाने की कोशिश की, लाश को जलाने की कोशिश की। जब वहां के थानेदार को बताया तो उसने उसकी डाक्टरी करवाई। अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा के डाक्टर ने बाद डाक्टरी, उसको 50 चोटें थीं लेकिन तीन चोटें बताई। उसने यह तो जरूर लिखा कि सीरियस चोटें हैं, उसका एक्स रे कराया जाये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसका एक्सरे नहीं करवाया गया। यह बताया गया कि वह आया नहीं और भाग गया। उसको दवाई दी गयी तीन तारीख को और स्लिप पर लिखी गई चार तारीख जबकि वह तीन तारीख को भर्ती हुआ। तो, अध्यक्ष महोदय, इससे मालूम पड़ता है कि इस केस को दबाने की कोशिश की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है आप कुछ देख रहे हैं। इसके बाद उसकी भाभी और उसका लड़का, उसका एक भतीजा आये, तीनों को चोटें थीं। उनकी वहां डाक्टरी नहीं करवाई

(श्री मेघराज तावड़) :

गयी । इससे यह साफ जाहिर है कि जो मुलजिम लोग हैं उनकी पकड़ा नहीं गया। बारम्बार दौड़ते रहे, जयपुर आये, मंत्री जी से मिले और विधायकों से मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश की । डॉक्टर के ऊपर दबाव डाला गया, वहां के एस. पी. के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को धमकियां गयी। उसके बाद वह सरपंच उस इलाके में बन्दूक लेकर बड़ी देर तक घूमता रहा। जब उसकी जांच कराने के लिये, कार्यवाही करने के लिये लोग एस. पी. भीलवाड़ा के पास पहुंचे, उनका भतीजा हीरा, जिसने यह रिपोर्ट दी है, 19 तारीख को, एस. पी. ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया और कहा क्यों दुश्मनी पालते हो। यदि इस प्रकार पुलिस भी कहने लगे तो और ऐसे मुलजिमों को बचाने की कार्यवाही करे तो आप मुझे बतायें, आप ही इसका निर्णय कीजिये, उन लोगों को जेल में डाला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्य मंत्री के इलाके का सवाल है और वह जो मुलजिम है यह कहता है कि मुख्य मंत्रीजी ने दौरा किया मैं उनके साथ गया। मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर दबाव डालना चाहता है। वहां के माननीय मंत्री महोदय रामलाल उपाध्याय है उनके साथ भी गया। मैंने तमाम लोगों से दरख्वास्त की, लेकिन सुनवाई नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, आज तक मुलजिम घूमते फिर रहे हैं, स्वतन्त्र रूप से घूमते फिर रहे हैं जिनकी जमानत 16 तारीख को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी, उसके बाद पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा। वहां की पुलिस भी मिली हुई है। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, पोस्टमार्टम की, वह मेरे पास है। यह मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। 3 तारीख को भर्ती हुए, 4 तारीख को रिलीव की गयी। इस तरह से इनको बुरी तरह से पीटा गया, और साइरी उनको बचाने गयी उसको भी पीटा उसके 15 टांके आये हैं। आज भी वह अस्पताल में है। उनको डराने, गवाहों को डराने को धमकी दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि जो मुलजिम हैं, प्रभावशाली हैं और कांग्रेस से, सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को बचाया गया तो न्याय मिलने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिये मैं पुनः कहूंगा कि यह बहरी, गूंगी, अंधी सरकार है, यह कहां तक चलेगी और कब न्याय दिलाने की स्थिति में आयेगी, कब उन लोगों को गिरफ्तार करेगी, करेगी भी या नहीं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थगन प्रस्ताव लिया है.....

श्री अध्यक्ष : आपने बोलने का इरादा किया था वकीलों के राज का झूठा मुकदमा, उसके बारे में बताइये। वह बकरी का मामला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, वह बकरी का मामला नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : आखिर आप बकरी से इतना चिढ़ती क्यों हैं, बकरी की भी चोरी, चोरी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बकरी की चोरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आखिर आपने पहचान

(श्री अध्यक्ष)

तो लिया, इतने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं...

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पन्नाराम सन ऑफ छोटूराम नागवारा के रहने वाले हैं। नागवारा में 90 परिवार सवर्ण जातियों के और 10 परिवार मेघवाल जाति के हैं। इन पर जो कि पांच साल पहले 75 के थे, इतना अन्याय कर रखा है कि ये आये दिन एक न एक मामला लेकर गड़बड़ करते हैं। उनके बाड़े कब्जे में कर लिये, उनकी लड़के उनके मवेशियों को चुरा कर ले गये। इतना ही नहीं, उनको खेतों पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी इस तरह के अत्याचार बहुत गलत है। एक ओर तो सरकार यह कहती है कि हम तो हरिजनों के बड़े रक्षक हैं और पिछड़े हुओं को आगे बढ़ायेंगे, दूसरी ओर जो सवर्णों के अत्याचार हैं वे बहुत ज्यादा हैं। मान्यवर, इसमें एक बात है जो ध्यान देने की है वह यह है कि श्री छत्रसिंह सन ऑफ श्री मूल सिंह का जो दामाद है कल्याण सिंह जी के, वे मकराना में डी वाई. एस. पी. है......

श्री अध्यक्ष : नाम से नहीं कहें, ओहदे से कहें। नाम से न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : डीवाई. एस. पी. हैं जो वे इनके दामाद है। उन्होंने कहा मेरे दामाद के रहते मैं उनको यहां से उखाड़ कर फेंक दूंगा। हम तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। मान्यवर, इतना अत्याचार मेघवाल जाति पर हो और वहां के अधिकारी ध्यान नहीं दें, बल्कि रिश्तेदारों के लिये यह काम करें कि मुकदमा दर्ज नहीं होने दें और पिछले एक मुकदमे में तीन साल तक चालान पेश नहीं होने दिया, तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी उनकी सुरक्षा के लिये सरकार प्रबन्ध करें, ताकि इस तरह के अन्याय नहीं हो। मान्यवर, 10 मामले हैं छत्रसिंह, गोविन्द सिंह, करण सिंह, छोटू सिंह कोई जाति हो ये सवर्ण हरिजनों पर इस तरह अत्याचार करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है वह इनकी सुरक्षा करे, और बचावे। और जो अधिकारी इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या, आज सदन का आखिरी दिन है। विषय सूची काफी लम्बी है.....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं यह कहना, चाहूंगी मेरे पास मूल कागजात हैं। इनको वहां से निकालने का षड्यन्त्र फेल होना चाहिये और उस अधिकारी का अविलम्ब तबादला करके सुरक्षा की जानी चाहिये, सरकार की ओर से।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगी, श्रीमान, लक्ष्मणगढ़ में रहता था महावीर प्रसाद दण्ड जिसकी उम्र थी लगभग 70 साल की। वहां एक मंदिर था रघुनाथ जी का उसका पुजारी था, सेवा पूजा के लिये रखा था। जब महावीर प्रसाद जी के पिताजी का देहान्त हो गया वे जब वहां से गये इन चार दिनों के अन्दर वहां एक आदमी ने प्रभावशाली आदमियों के संरक्षण में उस पुजारी की हत्या कर दी–रघुनाथ जी के मंदिर के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
पुजारी की–लक्ष्मणगढ़ के थे वे और उनके स्थान पर, महावीर प्रसाद के स्थान पर गद्दीनसीन के रूप में अपने आपको समझ लिया। यह रजिस्टर्ड मन्दिर था, देवस्थान का मन्दिर था। इस मामले का मुकदमा चला। वे पेशियों में मेरे यहां ठहरते थे। उनका कहना था कि वे कोई काम नहीं करते। ये दण्ड साहब तीन तारीख को गये यह कह कर कि मैं लक्ष्मणगढ़ जा रहा हूं। मान्यवर, वे वहां पहुंचे नहीं और पहुंचे तो मालूम यह पड़ा कि 5 तारीख को उनकी अजमेर में हत्या कर दी गई, मान्यवर, इस तरह से इन मामलों में देरी करने से। मैंने परसराम जी मोरदिया, जो वहां के एम. एल. ए. है, से बाबाजी को मिलाया था कि आप इस बीच में पड़ कर इस मामले को ठीक करायें। इसकी जांच कराई जाय।

मेरा यह आरोप है कि वह यहां पेशी पर आते थे, एक दिन मैं गई थी मेरे सामने दण्ड साहब को धमकी दी थी उन्होंने, धमकी देकर अजमेर ले गये और उनका कत्ल किया है। यह संगीन मामला है। इस मामले की जांच करवाई जाय....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या, समाप्त करें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा मामला एक और है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात सुन लें. ...

(व्यवधान)

हंसा रानी हत्याकाण्ड।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को बोलना है। एक बजे तक का समय है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मुझे अनुमति दें, यह मामला रह जायगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अच्छे तरीके से मामला सामने रखा जा सकता है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर हंसा रानी, एम. ए.; बी. एड. लड़की थी जोधपुर में महामन्दिर क्षेत्र में ब्याही थी। दफ्तरियों के मोहल्ले की लड़की थी। चार साल पहले शादी हुई थी। शादी में दहेज मांगा। पांच लड़कियां थी, फिर भी उस दीपचन्द, जो पोरबन्दर में सर्विस करता है, क्लर्क था, काफी दहेज दिया। मान्यवर, आये दिन यह कहने लगे दहेज लाओ। मान्यवर, यह उसकी फोटो है। बड़ी कोमल लड़की है, जिसकी शादी अशोक धारीवाल से हुई थी। चार साल में कई पत्र अपने मां-बाप को लिखे, मैं क्या करूं। किसको आपने मुझे सौंप दिया। पत्र की नकल है मान्यवर, मेरे पास। 24 अप्रेल को वे ले गये नाकोड़ा के मन्दिर में। वह पोरबन्दर जाना चाह रही थी, लेकिन नहीं जाने दिया। मान्यवर, 29 तारीख को जला कर मार डाला गया। यह उसकी जली हुई की फोटो है। यह दहेज का संगीन केस है, यह व्यवस्थाओं का प्रश्न है। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो इस प्रकार के जुर्म और बढ़ेंगे। मान्यवर, धारीवाल को पकड़ा नहीं गया है। वह इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है धारीवाल। मान्यवर, उसकी गिरफ्तारी न हो, और अपने प्रभाव के आधार

Page No. 88

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
पर पत्नी को जला दे, मान्यवर यह ठीक नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बता दिया आपने। समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसने खुद ने बयान लिखे हैं। उसका अंगूठा चिपका लिया-अगर वह ठीक होती, उसने कहा था जब तक वह जीवित थी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा: इसकी सी. बी. आई. से जांच होनी चाहिये। इतनी सज्जन लड़की थी। एक मिनट में समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में कहां समाप्त करती हैं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक मिनट में ही बन्द कर रही हूं।

मुख्य मंत्री जी ने 1977 में इस लड़की को पुरस्कार दिया था। एक फोटो है। इस तरह लड़कियां दहेज के कारण रोज मरती रहें तो इस व्यवस्था को कौन देखेगा। कानून का सख्ती से पालन होना चाहिये, ताकि दहेज न लिया जाय और न दिया जाय। दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही पकड़ा जाय। मैं यही बात कह कर समाप्त करती हूं कि सी. बी. आई. से जांच करवाई जाय ताकि हम न्याय कर सकें। सरकार इसके लिये बाध्य करेगी। मैं इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल। माननीय सदस्य गण, समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरी मजबूरी है।

(अनुपस्थित)

श्री जीत मल जैन।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, दो मिनट का समय मांगते है और बोलने लगते है तो पांच मिनट मुझे बिठाने में लग जाते है। मैंने निवेदन कर दिया...

एक माननीय सदस्य : दो-दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : . . . (व्यवधान) सदन के प्रांगण आ जाते हैं तो पांच मिनट मुझे माननीय सदस्य को बिठाने में, और व्यवस्था देने में लग जाते है। नतीजा यह होता है कि जिस विषय पर चर्चा करने की इजाजत देना चाहते हैं वह रह जाता है।

श्री जीत मल जैन।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। शिक्षकों के माध्यम से।

दो मिनट में आप भी पूरा करेंगे। आपका भाषण लम्बा हो गया और ऊंचा चढ़ गया तो दिक्कत हो जायेगी।

(व्यवधान)

अब आपसी मनवार न करें। एक माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 11-3-81 को राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर दो ढाई

Page No. 89

(89)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हजार शिक्षक धरने पर बैठे थे, राजस्थान विधान सभा के बाहर पिछले पांच दिनों से शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों के पदाधिकारी केवल इतना चाहते हैं कि 11-3-81 को राजस्थान शिक्षक संघ की शिक्षा सचिव महोदय से बात हुई और बात होने पर कई मुद्दों पर सहमति हो गई। वे मुद्दे शिक्षकों के लिये अत्यन्त हितकारी हैं। उसके बाद भी न उन मुद्दों पर कोई आदेश प्रसारित हुए और न इम्प्लीमेंट हुए हैं। एक-दो उदाहरण बताना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से। बी. एड. परीक्षा में प्रवेश के लिये 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक। इस प्रकार की सेवा बनाई हुई है। जो सेवा अधिकारी हैं उनके लिये मांग की थी-वे कई सालों से नौकरियां कर रहे हैं उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि प्रवेश नहीं मिलेगा तो आगे उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती है इसलिये 40 प्रतिशत से घटाया जाय। शिक्षा सचिव ने सहमति दे दी लेकिन आज तक 11-3-81 के बाद कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया। जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, किस प्रकार बी. एड. में प्रवेश करने के लिये कहा। निवेदन किया गया था एक वर्ष जिसकी नौकरी हो जाय, एक अंक दिया जायगा, पांच वर्ष हो जायं तो पांच अंक दिये जायेंगे। शिक्षा सचिव ने कहा था एक एक अंक तो नहीं बल्कि अधिक की हम व्यवस्था करेंगे लेकिन उसके आदेश प्रसारित नहीं हुए हैं। उसके आदेश प्रसारित नहीं हुए। सैकण्ड ग्रेड में सीधी भर्ती होती है, अध्यापकों की, 50 पर्सेन्ट आर. ई. सी. सी. रूल्स के अनुसार, उसमें आयु सम्बन्धी शर्त 40 वर्ष थी, सेवारत अध्यापकों की। शिक्षकों ने निवेदन किया 45 वर्ष की आयु हो, सेवा नियमों के अनुसार अंक बढ़ाये जायें, सहमति हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक विद्यालय में सैकण्ड ग्रेड के प्रधान अध्यापक को लगाया जाय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्स्ट ग्रेड प्रधान अध्यापक को लगाया जाय, 9-10 में सैकण्ड ग्रेड को पढ़ाने के लिये लगाया जाय, माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक फर्स्ट ग्रेड को बनाया जाय। ये छोटी छोटी मांगें हैं। शिक्षा सचिव ने सहमति दे दी लेकिन सहमति देने के बाद आदेश प्रसारित नहीं किये। एक छोटी सी मांग रखी है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, यह बात कह कर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय को, उन्होंने स्थानान्तरण नीति बना दी है। एक बिन्दु है उसका, 31 जुलाई के बाद किसी के तबादले नहीं किये जायेंगे, किन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासनिक दबाव से, 1-2-3-4-10 तबादले हो सकते हैं किन्तु ढाई हजार तबादले, का आदेश पहुंच गया राज्य सरकार के पास से 4 सितम्बर को और फिर सोचा विधान सभा आ रही है, मारे जायेंगे, 10 दिन फेस करना है, इसलिए रोका जाय। आज विधान सभा का अन्तिम दिन है, 4 तारीख के ऑर्डर ढाई हजार के पड़े हैं उनके पास, ऑर्डर चला गया, 25 तक कल 26 तारीख है, कई तो हो चुके हैं इन तीन दिन में, किन्तु ढाई हजार पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, नीति को उन्होंने बनाया है, मैंने स्वागत किया, राजस्थान के सब लोगों ने स्वागत किया .....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ढाई हजार स्थानान्तरण हैं, 2 हजार तो नीति के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
विरुद्ध हो चुके हैं, ढाई हजार और होने वाले हैं। इस प्रकार की····

श्री मोहन लाल मोदी : नीति विरुद्ध हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नीति विरुद्ध हैं, बहुत अच्छा। नीति विरुद्ध तो आप कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : ढाई हजार सारे राजस्थान में ज्यादा थोड़े ही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ××

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को एक्सपंज किया जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी उचित मांगों पर सचिव शिक्षा ने निर्णय ले लिया है, सहमति दे दी है, उसके आदेश प्रसारित करें और उनको राहत दें। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। श्री जीतमल जैन। एक विषय पर दो माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे। अब 15 मिनट के लिए व्यवस्था के अन्तर्गत समय और बढ़ाता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): किसके लिए ?

एक माननीय सदस्य : जी नहीं, पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट में सब समाप्त हो जायगा। मैंने पूर्व में ही व्यवस्था दे दी थी कि दो-दो मिनट बोलेंगे। यह विशेष सूचना दे रहा हूं आपको इतना ही कह सकता हूं। मैंने दो-दो मिनट का समय दिया।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आप इधर से लेते हैं। आप इस बार इधर से लीजिये। हमेशा ही इधर से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें। ऑर्डर प्लीज। अब जो मेरे आंख के सामने पड़ेंगे, उनको मैं अवसर दे दूंगा। आपकी बाढ़ के बारे में चर्चा होगी।

श्री जीतमल जैन।

(व्यवधान)

आप स्पेसिफाई मत कीजिए।

श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 सितम्बर, 1981 को बारां गांव जो, खेतड़ी से 10 किलो मीटर दूर है, में वहां के पुजारी श्री बनवारी लाल की कुछ लोगों ने हत्या कर दी—

श्री अध्यक्ष : पुजारियों की हत्या बहुत हो रही है, क्या बात है।

एक माननीय सदस्य : पुजारियों के पास पैसा बहुत होता है।

श्री जीतमल जैन : प्रद्युम्नसिंह जी बोले हैं, बहुत अन्याय है। उसके बाद उसके अन्दर केवल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मैं स्वयं भाभड़ा 19 तारीख को वहां होकर आया हूं। आम लोगों की शिकायत यह है कि पुजारी जी की जो हत्या की गयी, उसमें 8 में से 6 लोगों को पुलिस ने वापस छोड़ दिया। उन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, विशेष रूप से ग्राम सेवक को, जो कि हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था और जिसको गवाह के लिए बुलाया गया था। बाद में

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

उसकी पिटाई की है थाने में बुला कर। उसने बताया था मुझे। अब उससे बयान बदलवाने की चर्चा आम तौर से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी इस बात को नोट कर लें और इस बारे में जांच करवा लें कि वस्तु स्थिति क्या है। यह रामसिंह और उसके साथी एक शिवसिंह, जिसको कि अभियुक्त बनाया गया और हरिजन जाति से है, का भी कहना है कि वह हत्या के अन्दर नहीं था, वह केवल सूचना देने के लिए भागा था कि इस प्रकार कुछ लोगों ने पुजारी जी की हत्या कर दी है। जब वह व्यक्ति उस ग्राम के सार्वजनिक कार्यकर्ता गोस्वामी जी से उसकी शिकायत करने के लिए अलवर से जयपुर आया, 12 सितम्बर को आने के बाद यहां कांग्रेस होस्टल में ठहरा और अन्य लोगों, जिन लोगों से मिलना था, से वह मिला और उनसे मिलने के बाद शाम को 5 बजे वह एस. एम. एस. हास्पिटल से वहां के स्थानीय विधायक बाबूलाल जी बैरवा से मिला, 5 बजे से लेकर साढे नौ बजे के बीच में कहां रहा, इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन साढे नौ बजे जयपुर की पुलिस उसकी लाश को उठा लिया और उठाने के बाद 13 तारीख को पोस्ट मार्टम हुआ। इसमें पुलिस ने लापरवाही की है। उसकी जेब में डायरी थी, जिसमें पूरा पता लिखा हुआ था। उसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास में है सदन के पटल पर रख देता हूं। पुलिस ने पोस्ट मार्टम करने से पहले —

श्री **अध्यक्ष** : विस्तार से नहीं, माननीय सदस्य।

श्री **जीतमल जैन** : पुलिस को पोस्ट मार्टम करने के पहले चाहिए था कि उनकी जेबों की तलाशी लेती ताकि उनका व्हेयर अबाउट का पता लगता, कि कहां के रहने वाले हैं। उनके घर वालों को समय पर सूचना देते ताकि वे आते। लेकिन पुलिस ने इस बात की जानकारी कोई प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और 13 तारीख को उनकी लाश को लावारिश कह कर फूंक दिया गया है।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री **जीतमल जैन** : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट।

उनकी डायरी के अन्दर एक चिट्ठी निकली है, जिसमें इस बात को उन्होंने कहा है, जिससे यह साबित होता है कि इस प्रकार की उनको धमकियां दी जा रही थीं कि अगर बनवारी लाल के मामले को आगे उठाया तो उनकी जान को खतरा है। ये चिट्ठी जो मेरे पास है, मैं सदन के सम्मुख रख देता हूं, डायरी की कुछ स्पष्ट फोटो स्टेट कॉपी आपके सामने रखी हैं, इसमें विशेष रूप से बात लिखी है कि 20——

श्री **अध्यक्ष** : श्री भंवरलाल शर्मा। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री **जीतमल जैन** : उन्होंने 21 जनवरी के कार्य में लिखा है कि 20 रुपये एक दिये हैं और 300 रुपये एक दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो हत्याओं का मामला है, इस में जानकारी प्राप्त करके वास्तव में जो अपराधी हैं, उसको उनको पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री **अध्यक्ष** : श्री महाराम। किस विषय पर बोलेंगे ?

श्री **महाराम चौधरी** : मेरा तो पानी का विषय एक ही है।

श्री **अध्यक्ष** : तीन मिनट का समय

श्री **महाराम चौधरी** : विषय तो मेरा हमेशा के लिए निश्चित् है, पानी की दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय, आज का मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, वह यह है कि जो हमारे क्षेत्र के अन्दर हैण्ड पम्प लग रहे हैं और लग गये हैं वे तो खराब हो गये और हो रहे हैं लेकिन जो दूसरे हैण्ड पम्प लग रहे हैं, उनमें तो कुछ सुधार किया जाय। मेरे क्षेत्र में 200 और ढाई सौ फीट गहराई पर पानी आता है मैंने सवाल पूछा था, किन-किन गांवों में आप हैण्ड पम्प लगा रहे हैं · · ·

श्री **अध्यक्ष** : गांव अन्दर बसे हुए हैं ?

श्री **महाराम चौधरी** : इन गांवों में पेयजल समस्या सुलझाने के लिए जो हैण्ड पम्प लगा रहे हैं, वहां इतना जल स्तर नीचे है कि ये हैण्ड पम्प लगाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे, अध्यक्ष महोदय, आकिड़ा, फाचिलका, साठौला, इन गांवों के नाम से भी जानकारी होती है कि साठौला नाम इसलिए पड़ा कि 60 फीट गहरा पानी वहां पर है। दूसरे जो हैण्ड पम्प खोदे जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, उनके अन्दर प्राइवेट ठेकेदार, जो राजस्थान के नहीं हैं, हैदराबाद के मध्य प्रदेश के, दूसरी जगहों के ठेकेदार हैं यहां आकर के मंहगी रेट से हैण्ड पम्प की खुदाई का काम करते हैं इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि भू-जल विभाग की, पी.एच.-ई.डी. की जो ट्यूब वैल खोदने की मशीनें हैं, वे बहुत सी बेकार पड़ी हैं, उनको काम में नहीं लिया जा रहा है और ठेकेदारों की मशीनों को काम में लेकर खुदवाई का काम किया जा रहा है जिससे वह खोदते तो डेढ सौ फीट हैं और पैसा चार्ज करते हैं कम से कम 180 फीट के हिसाब से। इसके साथ-साथ में जो पाइप हैंड पम्प के लिये काम में लिया जाता है, जहां पानी है वहां पर तो ढाई सौ फीट पाइप लगाये जाते हैं और जहां पानी नहीं है वहां पर नहीं लगाया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे डेढ सौ फीट पर पानी है और जो आपका ट्यूब वैल खोदा गया उसके अन्दर 130 से 140 फीट पाइप ही लगाया जा रहा है तो जो पाइप बच जाता है वह कागजों के अन्दर बता दिया जाता है और पाइप का ब्लैक हो जाता है। मेरा आपकी मार्फत यह निवेदन करना है कि जो कुछ ट्यूब वैल हमारे क्षेत्र में खोदे गये हैं उनमें सिर्फ पांच सात नहीं तो दो-तीन का ही आप इंसपेक्शन करवा लीजिए, उनकी जानकारी करवा लीजिए जिससे अच्छी तरह से मालूम हो जावेगा कि उनमें कितने फीट पाइप की चोरी हुई है और कितना कुआ गहरा खोदना चाहिए। उतना नहीं खोद करके कम खोद करके ज्यादा गहरा खोदने का बिल बनाया गया है।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री **महाराम चौधरी** : आज का जो स्थगन प्रस्ताव है · · · · · · ·

(व्यवधान)

(श्री महाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को आते ही सबसे पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य । स्थगन प्रस्ताव पर बहस नहीं होगी । समाप्त कीजिए ।

श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री **महाराम चौधरी** : बहस का सवाल नहीं है । मैं इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के अन्दर और विशेष कर आपके क्षेत्र के अन्दर पेयलज योजना बन रही है उन जल योजनाओं के अन्दर आपको में दावे के साथ कहता हूं····

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : जल योजना मंत्रीजी के क्षेत्र में जो जल योजनायें अच्छी तरह से चल रही हैं उनमें नलों का उपयोग नहीं होना चाहिए। उनके गांव ही मध्य में हैं।

श्री **महाराम चौधरी** : और इसके साथ मेरा निवेदन है कि आपके मेरे और मंत्री महोदय के क्षेत्र में जितने भी गांव आस-पास के हैं, वहां पर जो योजनायें बन रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आप वहां के स्थानीय आदमियों से, आपसे या मेरे से जानकारी प्राप्त करके यह पता लगायें कि वास्तव में वे बिल्कुल व्यवहारिक हैं। जन संख्या को बिल्कुल लाभान्वित नहीं करने वाली हैं । एक भी ऐसी नहीं है····

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त हुआ । आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री **महाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, कागजों में पानी बता देंगे लेकिन वास्तव में पानी कायम है क्या ?

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, समाप्त हुआ ।

श्री गोपाल पचेरवाल । किस विषय पर बोल रहे हैं आप ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : एक तो मेरा जोधपुर के बारे में है और दूसरा नोहर मण्डी के बारे में है ।

श्री **अध्यक्ष** : दोनों पर आप कह दें ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोहर जिला गंगानगर में 1-9-81 से काफी विवाद चल रहा है । वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह का वातावरण बना रखा है जिसके कारण वहां का सारा वातावरण अशांति की ओर जा रहा है । वहां के बदमाशों ने लोगों को इतना आतंकित कर रखा है, वे अपने साथियों को जीपों में बिठा कर घूमते हैं जिससे मंडी 1-9-81 से लगातार बन्द हो रही है । वहां के व्यापारियों ने फैसला किया है कि अगर वहां के मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया और मुलजिमान ने जिस तरह से मारपीट की है, लोगों को आतंकित कर रहे हैं और वातावरण बिगाड़ रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अनिश्चित काल तक मण्डी बन्द रखेंगे । मण्डी बन्द करने की घोषणा की है इसलिए वहां का सारा व्यापार ठप्प है, वहां का सारा वातावरण अशान्त है । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के कुछ अधिकारियों को कड़ा निर्देश दें कि वहां के व्यापारियों की रक्षा की जाय

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वहां के ग्रामीणों की रक्षा की जाय और वहां का जनजीवन अरक्षित है इन बदमाशों की वजह से उनसे उसकी रक्षा की जावे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि माननीय भाटी साहब यहां बैठे हैं वह जोधपुर के उस पूरे प्रकरण से परिचित हैं। 17-9-81 को एक बुलेटिन प्रकाशित कर माली समाज की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में कुछ वहां के कांग्रेस के लोगों ने जो बुलेटिन निकाला उसकी कापी भी मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो सदन के पटल पर पेश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब रात को मीटिंग समाप्त हुई तो 17-9-81 की रात को 11 बजे जहां पर मुसलमानों की एक दरगाह है, वहां पर वह अपने खुदा की इबादत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। रात्रि को 11 बजे के लगभग अपने खुदा की इबादत वे दरगाह में कर रहे थे। अचानक ही वहां के असामाजिक तत्वों ने, कांग्रेस के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। उसके साथ भयंकर मारपीट की गई और उनको भयंकर रूप से घायल कर दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें करीम नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसको दफनाने के लिए जा रहे थे, उस मय्यत में माननीय मंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय भी शरीक हुए थे। जनता ने देखा था कि क्या लोमहर्षक रूप से उसकी मृत्यु हुई। मंत्रीजी को भी पता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान, उसमें निर्दोष आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो सही मुलजिमान हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। यह विरोधी पक्ष के लोग कह रहे हैं, कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह निर्दोष व्यक्ति है और जो सही मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सरकार आये दिन मुसलमानों की हिमायत की बात करती है। जमशेदपुर का दंगा हुआ तो इन्दिरा गांधी पहुंची लेकिन जोधपुर में मुसलमानों को मारा जाय, जोधपुर के मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाय तो मुख्य मंत्रीजी और गृह राज्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में एक शब्द कहने को तैयार नहीं हैं। यह जो घटना हुई है इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के आस पास बाउण्ड्री वाल बनाने की इजाजत यू. आई. टी. से मांगी। यह कहा था कि क्योंकि जानवर आते हैं, लोग अवैध रूप से प्रवेश करते हैं इसलिए हमें इस कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बनाने की इजाजत दी जावे। नगर विकास न्यास ने मौका जरूर देखा, वहां के अधिकारियों ने उसका मौका देखा लेकिन यू. आई. टी. ने बाउण्ड्री वाल की इजाजत नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान, दो दिन पहले मेरा क्वेश्चन था कि मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को सुधारने का क्या प्रोविजन है। उत्तर मिला कि इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप वोटों के लालच में मुसलमानों की बात करते हो, आप मुसलमानों की हिमायत की बात करते हो, आप उनके धार्मिक स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते। उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकते।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनको न्याय नहीं दिला सकते। तो, श्रीमान् मैं मांग करना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चाहता हूं और सरकार से निवेदन है कि अभी भी वहां के लोग मिल रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करें और मुसलमान परिवार के करीम' खां के परिवार को आप मुआवजा देने की घोषणा करें। गृह राज्य मंत्री से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुसलमान परिवार का करीमखां मजदूरी करके अपना पेट पालता था, अपने बच्चों को पालता था, क्या, गृह राज्य मंत्रीजी आप की उस करीम खां के परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग देने की क्षमता है? आप अपने मुख्य मंत्रीजी से पूछ कर आर्थिक सहायता देने की घोषणा करें। करीम खां के परिवार को राहत दी जावे। जो मुसलमान हैं उनके लिए राजनीति से दूर हट कर, राजनीति से परे होकर क्या आप इन मुलजिमान को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे ?

इन दो प्रस्तावों के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि नोहर मण्डी में बन्द चल रहा है। वहां के मुलजिमान को और जोधपुर के मुलजिमानों को आप गिरफ्तार करने की कोशिश करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मेरे तो चार पांच स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : एक पर बोल लीजिए, दो मिनट।

(व्यवधान)

मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : सिर्फ यही अर्ज करना है मेरे को, उसी दिन पांच हजार रुपयों का अनाउन्समेंट कर दिहा गया था और उनके परिवार को दे भी दिया गया है।

श्री गोपाल पचेरवाल: आप तो वहां के असली मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दीजिए। आप वहां के प्रभारी मंत्री हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में बुरी तरह से हरी खेजड़ी काटी जा रही है। वहां एक तरफ तो वन विभाग पेड़-पौधे लगाने पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो वीरान और टीबों का क्षेत्र है, जहां मुश्किल से एक किलोमीटर में दस-पांच खेजड़ी होती है, उनके पीछे भी ठेकेदार लोग लग गये हैं और अपने भट्टों के ऊपर बीकानेर जिले में ही नहीं बल्कि बीकानेर से बाहर बुरी तरह से खेजड़ी को काट कर ले जा रहे हैं। इसलिए वन विभाग को विशष तौर से निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय को विशेष तौर से कहूंगा कि आप उस क्षेत्र में विशेष तौर से ध्यान दें। आप अपनी एस्कोर्ट भिजवायें और निगरानी करायें जिससे जो खेजड़ी कट रही है और बाहर जा रही है उसको रोका जावे, वरना हमारा क्षेत्र तो ऐसा है कि जिसमें मुश्किल से तो खेजड़ी उपलब्ध होती है। खेजड़ी की छाया के नीचे बैठने के लिए जगह हमको नहीं मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह रखना चाहूंगा कि अभी अकाल राहत मंत्रीजी ने घोषणा की थी हाउस के अन्दर कि जहां इस

(श्री देवीसिंह भाटी)

वर्ष अकाल की स्थिति बनी है वहां टेस्ट रिलीफ वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं परन्तु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कोलायत तहसील के अन्दर 30 गांव ऐसे हैं जहां पर एक बूंद बारिश नहीं हुई है। वहां कोई टेस्ट वर्क शुरू नहीं हुए हैं। न पेयजल की कोई व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आज के दिन यह स्थिति नहीं सम्भाली तो हजारों की तादाद में गायें, बकरियां बुरी तरह से मरेंगी और उनके साथ आदमी भी मर जायें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अकाल राहत मंत्री महोदय बीकानेर जिले की ओर विशेष तौर से ध्यान दें। जहां बारिश नहीं है वहां टेस्ट वर्क तुरन्त शुरू किय जावें। पेयजल न होने की वजह से दूरदराज गांवों में, टीबों में पिछले वर्ष भी दो व्यक्ति कोलायत तहसील में मर गये थे, एक सदायत खां और दूसरा मूरी खां मर गये। मैं चाहूंगा कि उन टीबों···

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उस क्षेत्र में, टीबों वाले क्षेत्र में जहां टैंकर नहीं पहुंच पाते वहां ऊंटगाड़ी से या दूसरी व्यवस्था करके पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जावे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, दो माननीय सदस्य बोल लें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे बीकानेर शहर में जूनागढ़ बाग की खाई टूट गई और उसके बाद में····

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, 16-7-81 की बाढ़ आई थी, उससे जूनागढ़ की खाई टूट गई। खाई टूटने से आज दिन तक उसकी मरम्मत नहीं की। जिसका परिणाम यह रहा कि 4-9-81 को होम गार्ड की मेटाडोर गाड़ी चालीस फीट की गहरी खाई में गिर गई और उसका चालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं जिला प्रशासन, राहत कार्य मंत्री इस ओर ध्यान दें। वरना बीकानेर की जनता बख्सने वाली नहीं है। अगर और हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और कोई मंत्री पहुंच गया तो उसका मुंह उत्तर से दक्षिण घुमा दिया जायेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये। मेरी बात सुन लीजिये। वही बात सुबह वाली आ जाती है तो मेरा डेढ़ घंटे का समय देना माननीय सदस्यों को व्यर्थ रहा। आपके दलके काफी सदस्य बोल चुके हैं। आप तय कर लीजिये, मैं दो माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा। इससे अधिक नहीं दे सकता। तय करके बता दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपस में तय कर लीजिये। अब यह स्थिति फिर आ रही है।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, महत्वपूर्ण सवाल है, गांव के गांव खाली हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस तरह से चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, अकाल और बाढ़ के ऊपर निश्चित चर्चा दो दिन की हो चुकी। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह चर्चा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा नहीं हुई तो वह चर्चा हुई हुई मानी गई।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैंने इस संबंध में ध्यान दिलाया था....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीरप्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई।

आप अपने दल के दो सदस्यों के नाम बता दें। मैंने आपका का नाम पुकार लिया था। आप उपस्थित नहीं थे। दो माननीय सदस्यों के नाम उपनेता महोदय तय करके बता दें। मैं उनको अवसर दे दूंगा या मुझ पर छोड़ दीजिये दो के मैं नाम पुकार दूंगा।

श्री चांद खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मुझ अवसर दिया जाय। आज तक 12 दिन तक एक दिन भी टाइम नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री चांद खां। दो मिनट में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कहना चाहेंगे। काय, के बारे में ?

श्री चांद खां : मैं कहूंगा क्लेम के बारे में। मेरे क्षेत्र में गलतियां हो रही हैं उनके बारे में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव...

श्री चांद खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप धीरज से कहिये ताकि मैं सुन सकूं, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री चांदखां : मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था और प्रश्न भी पूछा था। न प्रश्न का जवाब दिया और न ही स्थगन प्रस्ताव का। आपने बताया कि जांच के लिये भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप किसके बारे में कहना चाहते हैं, मुझे यह बतायें।

श्री चांद खां : सवाल इस बात का है, मेरे क्षेत्र में जिला भरतपुर में मुसलमान जो हैं, उनको सरकार ने जमीन देने का, मकान वापस करने का वायदा किया था। कस्टोडियन की जमीनें हैं वह उनको न दी जाकर उनको दी जा रही है जो भूमिहीन नहीं हैं। उनको वह जमीन दी जाती तो यह होता कि गरीबों को दे रहे हैं लेकिन भूमिहीनों को नहीं दी जा रही है, जब कि देनी चाहिये थी। वहां पर एक-एक बीघा पर करीब-करीब पांच सौ रुपये पटवारी

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चांद खां)
गिरदावर, जो वहां वसूली का कार्य देख रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। हजारों बीघा अब तक उनको अलॉट कर चुके हैं जिनका क्लेम बाकी नहीं है, जो भूमिहीन नहीं हैं। इसलिये कल को सरकार के सामने मसला आयेगा क्लेम पूरा करना है, उसको जमीन वापस करनी है, तो सरकार उनको कहां से जमीन देगी ? यह सरकार के सामने मसला आयेगा। मैं यह चाहता हूं वहां जो अलॉटमेंट हुए हैं उनको कैंसिल किया जाये। क्लेम बकाया है उन लोगों को जमीन दी जाये, जो कीमत दिलाने का काम करते हैं, वह चार सौ रुपये उनको दें। जनाब, तुरन्त कार्यवाही करें तो क्लेम पर कीमत लेना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब दो माननीय सदस्यों के मुझे नाम दे दीजिये। मैं उन्हें अवसर दूंगा। आपके दल से दो सदस्य बोलेंगे। मैंने काफी माननीय सदस्यों को अवसर दे दिया है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा सबको बुलवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक बजे तक का टाइम दिया था। उसके बाद भी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव थे। मैंने समय और बढ़ा दिया 25 मिनट 15 मिनट और बढ़ाने को तैयार हूं। पांच मिनट बाद इन विषयों पर चर्चा स्वतः ही समाप्त हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक मसला है…

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया है, आपने व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने विशाल हृदयता का परिचय दिया। सभी माननीय सदस्यों को मैंने अवसर दिया। अब जितने स्थगन प्रस्ताव 14 तारीख से आये, जिन पर सरकार का उत्तर नहीं है, उन सब में मैं अवसर दे दूं, इसके लिये…

(व्यवधान)

मैं दो माननीय सदस्यों को अवसर दे सकता हूं। यदि आप…

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

मैंने आपको अवसर दे दिया अब दुबारा नहीं दे सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : आदिवासी छात्रावासों का आम मसला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसलिये आपको मौका दिया था। आप बोले नहीं। मैं क्या करूं।

श्री मेघराज तावड़ : वह अलग से था।

श्री अध्यक्ष : अलग से ! फिर सभी माननीय सदस्य के अलग अलग आ जायेंगे। मैं माफी चाहता हूं। आप दो नाम बता दें।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम मिलना चाहिये। मेरी पार्टी का मैं अकेला हूं। ना तो कोई मैंने इतने प्रश्न किये, मैं आपके अनुशासन का पालन करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी तरफ नहीं देखें। मैं सीट पर यहां खड़ा होकर बोलूं तभी, अध्यक्ष महोदय आप भी समझेंगे

(श्री मेघराज तावड़)
मैं मानूंगा मेरी तरफ तो नजर नहीं पड़ती है, मैं टेबल पर खड़ा होकर बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे सत्र में स्थगन प्रस्ताव दिये उनका एक का भी उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अवसर दे दिया । अब दुबारा नहीं दे सकता ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का नाम लेने वाली यह सरकार आदिवासियों के छात्रावासों की जमीन बेच कर खा रही है । छात्रावास की तमाम जमीन आदिवासियों के नाम पर ठेकेदारी चलाने वाले लोगों ने बेच दी । अध्यक्ष महोदय, यह करोड़ों की जमीन थी, उसको लाखों में बेचा, उसका कोई हिसाब नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का मौका दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से सदन की कार्यवाही...., आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो फिर मेरे स्थगन प्रस्ताव का आप सरकार से जवाब दिलायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, हमारे आदिवासियों के छात्रावास के नाम की जमीन है, यह सरकार नहीं सुनेगी तो आन्दोलन खड़ा होगा, अशांति पैदा होगी । क्या यह हरिजनों की सेवा करने वाली सरकार कहलाती है, हरिजनों और आदिवासियों का ठेका लेने वाली सरकार उनकी जमीनों को बेच करके ...

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें ।

श्री मेघराज तावड़ : छात्रावास का जितना सामान था, टेबल कुर्सी वह भी बेचा जा रहा है । और +++

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । एक्सपंज किया जाय ।

किसी का भी नाम आपत्तिजनक तरीके से बिना पूर्व सूचना के ना लें ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिय नाम ले रहा हूं, मुख्य मंत्री इस तरफ ध्यान .....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री मेघराज तावड़ : ××× और

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय जवाब देने के लिये तैयार हैं । दोनों मंत्री तैयार होकर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप आपस में भी तय कर नहीं सकते । मैं नाम नहीं लूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम क्रम तय कर देते हैं । नाम आपको दे देते है उसके अनुसार बोलेंगे ।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : दो के नाम लूंगा पहले कहे देता हूं। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : वृक्षों के संबंध में दो तीन मिनट में बात समाप्त करेंगे। आप मानहानिकारक तरीके से किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले करके पद से संबोधित करेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के 75 वर्ग फीट एरिया में मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक षड़यंत्र रचा गया, मत्स्य पालन विभाग व मछली पालन के नाम पर टेण्डर जारी किये गये। 22-8-80 को विज्ञप्ति प्रसारित की गई कि 75 वर्ग फीट के क्षेत्र में हम मछली का उत्पादन करना चाहते हैं। 1157 लेवल से लेकर 1162 लेवल तक पानी और पानी के बाहर जो पेड़ झाड़ियां खड़ी हैं उनको कोई न काटे। चार व्यक्तियों ने मिल कर 6-9-80 को टेण्डर दिया। चारों एक ही परिवार के थे, गुलाम अब्बास पुत्र कमरूद्दीन, पालमवाला, देहली गेट, सूरत। यह वही व्यक्ति है जिसने सुखाड़िया जी के कार्यकाल में रामविलास पाण्डे के नाम पर अपने को कुख्यात किया था। मेरा निवेदन करना यह है कि जैसे ही यह विज्ञप्ति प्रसारित हुई वन विभाग ने इस पर क्लेम किया। कलेक्टर के यहां गये। चित्तौड़ के कलेक्टर श्रीवास्तव ने एप्लीकेशन पर 9-1-81 को स्टे आर्डर प्रसारित किया। लेकिन स्टे आर्डर पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और परिणाम यह रहा कि वह बराबर पेड़ काटते रहे। आखिरकार जब लगा कि कलेक्टर पेड़ न काटने देने के लिये तुला हुआ है तो कलेक्टर श्रीवास्तव को वहां से परिवर्तित कर दिया। नये कलेक्टर मि. आर्य ने जाते ही 16-2-81 को उस स्टे आर्डर, जो श्रीवास्तव ने स्टे आर्डर दिया था, को रद्द कर दिया और पेड़ काटने की छूट दे दी। 11 दिन तक लगातार जो पेड़ काटे उनका कोयला बना कर लगातार 11 ट्रक कोयला निकालने दिया। 75 क्विं. कोयला एक ट्रक में आता है जिसकी कीमत 5960 रु. होती है। 11 ट्रक कोयला 10 दिन में निकाल दिया। जैसे ही कृषि विभाग को पता लगा कि कृषि विभाग ने गलती कर ली है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : कृषि विभाग ने नोटिस दिया। कृषि विभाग द्वारा 5-5

श्री अध्यक्ष : अब आप विस्तार में वकील की तरह जाय, इतना तो समय है नहीं। इसलिये जो तथ्य है उनको रख दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी बात है वह यह है, अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग का नोटिस निकला....

श्री अध्यक्ष : गैर कानूनी तरीके से लकड़ी काट कर सरकार को, जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात है ना ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा कहना यह है कि इसमें घपला हुआ है। जैसा कि कृषि विभाग ने 17-2 को आदेश दिया जो 3-3-81 को पहुंचा। लगातार 12 दिन तक वह आदेश एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा जब कि कलेक्टर आर्य का आदेश एक ही दिन, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, मिल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया लेकिन कृषि विभाग का आदेश रुक गया। मेरा यह कहना है कि इस कृषि विभाग में जो राजेन्द्र जैन है उन्होंने...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नाम नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस आर्डर को रुकवाया। पार्टी जब पहुंची और स्टे लाने गई और स्टे का नोटिस मिला तो 15 दिन तक जवाब नहीं गया तो फिर कोर्ट में.....

(व्यवधान)

इसलिये 11 दिन का मेरा सीधा-सादा आरोप है कि 10 लाख रुपये की कृषि मंत्रालय के मंत्री द्वारा या संबंधित व्यक्ति द्वारा खाया-पीयी हुई है, इसमें घपला हुआ है, जांच करवायें। एक करोड़ की लकड़ी काट ले गये और एक करोड़ का, दस करोड़ का घपला किया गया। यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा। यह आखिरी वक्ता होंगे, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्यों को सदन में अनर्गल, निराधार आरोप किसी भी मंत्री पर लगाने का अधिकार है? आपके मुंह से निकल जाय जो सही है। आप खुदा है क्या? जो मर्जी आये जो बोल सकते हैं। आपके चिल्लाने से.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मानहानिकारक नाम न लिये जांय, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई स्थगन प्रस्तावों पर।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं कृषि मंत्री जी से कह रहा हूं इसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती कमला : अगर कोई अनियमितता हुई है तो कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अनियमितता के लिये तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्यासी से धर्म-ध्यान देकर पूछो...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्रीमती कमला : पेड़ कटवाने को न तो कोई अधिकृत है, न अख्तियार है न दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। स्थान ग्रहण कीजिये। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये। क्योंकि आज सत्र का अन्तिम दिन था इसलिये मैंने माननीय सदस्यों को···

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये मैंने कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आपके रह गये हैं···

(व्यवधान)

यदि आप कहना चाहें तो दो मिनट में कह सकते हैं लेकिन बड़ा दुःख है···

(व्यवधान)

सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल रह जाएं···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। आज की कार्य सूची के अनुसार, मेरी व्यवस्था माननीय सदस्य गण···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसलिये अब मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैं किसी विषय के बारे में चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य····

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मैं आदेश न दूं तब तक अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ..×××

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसका पालन होगा। मेरा निवेदन है कि श्री राम किशोर मीणा और श्री वंशीलाल पटवा को दो दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट लेकिन दो से तीसरा मिनट नहीं होगा और मानहानिकारक मामले बिना सूचना के नहीं कहे जाऐंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मेरा नाम आपने काट दिया है।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये····

श्री अध्यक्ष : यह मामला आप पहले उठा चुके हैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये चर्चा कर चुके हैं। इसलिये इजाजत नहीं दे सकता। आप चेम्बर में मिल लें। मैं आपको बता दूंगा।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम महिला दूरबीन का कार्यक्रम है उसके अन्दर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अमेरिका से आयातित रिंग काम में लेने,

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशोर मीणा)

महिला आपरेशन के अन्दर काम में लेने के लिये कहा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रिंग काम में नहीं ली जा रही है। यह इस प्रकार की रिंग है जिसमें सिलेकाम पदार्थ होता है। जहां पर यह रिंग फिट की जाती है वह वहां से 10-15 साल तक नहीं हटती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आया है कि इसके अन्दर नकली रिंग काम में ली गई है। नकली रिंग की वजह से जो कार्यक्रम सफल होना चाहिए था वह कार्यक्रम फेल हो रहा है। गत वर्ष 27 दिसम्बर, 1980 को मेरे यहां पर यह कार्यक्रम हुआ था जिसमें 189 महिलाओं के आपरेशन किये गये थे उनमें से 84 महिलाओं के गर्भ रह गये। आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, एक महिला, जो दूदू की रहने वाली है का दूरबीन का आपरेशन दूसरी बार 22-9-80 को हुआ और 6-6-81 को तीसरा आपरेशन कराया है। डा. पुष्पा गुप्ता जनाना अस्पताल की अधीक्षिका है उसने डाइरेक्टोरेट को लिख कर दिया है कि इस महिला ने दस हजार रुपये मानसिक तनाव का मुआवजा चाहा है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के केसेज हो रहे है। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है वह फेल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि जिन एक लाख महिलाओं के आपरेशन किये गये हैं जहां तक र्भ रहने का सवाल है इसमें कोई गंभीर बात, आपत्ति नहीं है लेकिन क्या डिपार्टमेंट यह आश्वासन देने को तैयार है कि जिन महिलाओं के नकली रिंग लगाई गई है, मुझे जहां तक मालूम है, विशेषज्ञों की राय है कि वे महिलाएं 5-6 साल में खतम हो जाएगी और उनके केन्सर होने तक की संभावना बतायी गयी है। इसमें विभाग के कर्मचारी मिल कर काम कर रहे हैं। डाइरेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाला था कि यह फलां रिंग कम्पनी की है उसको इस्तमाल नहीं किया जाएगा, विभाग के द्वारा। यह डाइरेक्टर का आदेश है। उसके बावजूद भी लगातार आज तक नकली रिंग को ही काम में लिया जा रहा है। आर.एम. पारख बोम्बे की कम्पनी है। इस कम्पनी का कोई अता-पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मार्केट में तीन पैसे की है और 90 पैसे इसके चार्ज किये जाते हैं। जहां तक अधिक चार्ज करने या पैसे खाने का मामला है इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि एक लाख महिलाओं के जो आपरेशन हुए हैं उनका भविष्य क्या सुरक्षित है? क्या वे मर नहीं जाएंगी 5-6 साल में? इस तरह के आपरेशन हुए हैं। अकेले जयपुर में 30 केसेज हैं जिनके तीन, तीन बार आपरेशन हुए हैं। सारे केस फेल हो रहे हैं, केवल मात्र एक कारण है...

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री **रामकिशोर मीणा** : जो अधिकारी इस तरह का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक आदेश पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **रामकिशोर मीणा** : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। यह आदेश है–

"50 Falloup rings may kindly be arranged to be supplied to this office, continued for 10 days and the bill of the cost may not exceed Rs. 500.00 at a time.

(श्री रामकिशोर मीणा)

Supply should be completed within 20 days."

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का आदेश दे सकते हैं। इस तरह का आदेश दिया है। अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय ने आदेश दिये हैं कि इस तरह की रिंग काम में नहीं ली जाएगी लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कल तक इसको काम में लिया गया है। क्या डाइरेक्टर महोदय इनके अगेंस्ट में कार्य-वाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : इनको बचाने के लिये, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : कृपया अवहेलना न करें। दो-तीन मिनट हो गये हैं। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री रामकिशोर मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। अवहेलना कर रहे हैं।

श्री बंसीलाल पटवा। आर्डर प्लीज। दो मिनट।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : तीन मिनट।

श्री रामकिशोर मीणा : यह गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें। आर्डर प्लीज।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बंसीलाल पटवा : तीन मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो विषयों पर संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। वैसे तो पांच प्रस्ताव हैं पर दो पर ही बोलूंगा, एक तो मोटर दुर्घटनाओं के संबंध में और दूसरा नगरपालिकाओं से संबंधित।

मोटर दुर्घटनाएं जो राजस्थान में होती हैं उनके जो मुकदमे सुने जाते हैं उनके लिये विशेष रूप से अदालतें कायम हैं जिला प्रशासन पर उनके अन्तर्गत सुने जाते हैं एवं सम्भागीय स्तर पर भी सुने जाते हैं। लेकिन राजस्थान में दोहरी व्यवस्था है। कुछ स्थानों पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सुनवाई होती है जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा जहां संभागीय व्यवस्था है। उदयपुर में उदयपुर के सुने जाते हैं और चित्तौड़ के भी सुने जाते हैं। तो मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि जो संभागीय व्यवस्था है भीलवाड़ा में मोटर दुर्घटना होती है तो उसके लिये वहां जाना पड़ता है। वहां भी कभी मजिस्ट्रेट नहीं मिलते हैं। अगर मजिस्ट्रेट मिल जाते हैं तो गवाही नहीं पहुंच पाती है। इस तरह की अव्यवस्था है जिससे गरीब लोगों के परिवार वाले, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है अप्रोच करते हैं लेकिन संभागीय व्यवस्था के कारण मुकदमे खारिज हो जाते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि प्रत्येक जिला स्तर पर इस तरह की अदालतें हों। यदि यह नहीं हो पाता है तो, प्रत्येक जिला स्तर पर संभागीय अदालतों का गठन किया जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिवार वालों को ठीक समय पर कम्पेन्सेशन मिल सके; न्याय

(श्री बंसीलाल पटवा)

मिल सके। पहला तो निवेदन करना यह है।

दूसरा, नगरपालिका से संबंधित मोटे तौर पर एक ही निवेदन करना चाहता हूं जहां प्रशासक लगा रखें हैं। भीलवाड़ा के प्रशासक बिलकुल निकम्मे साबित हुए हैं। फिर आपने पार्ट टाइम व्यवस्था कर रखी है। इस पार्ट टाइम व्यवस्था से अव्यवस्था फैली हुई है। रोशनी का प्रबंध नहीं है, हरिजनों की भर्ती करने के बाद भी सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, पानी का अभाव है लेकिन पुराने कुओं की सफाई नहीं करायी गयी है, पानी को साफ नहीं कराया जा रहा है और बिजली की दृष्टि से ऐसा है कि प्रतिदिन 100-200 रुपये का सामान खरीदा जाता है। इससे सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सफाई की दृष्टि से सुपरविजन ठीक नहीं है, न चैकिंग होती है, न ही कोई व्यवस्था पूरी तरह है। न ही कोई पानी, सफाई व रोशनी की व्यवस्था है। भीलवाड़ा के लोगों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसलिये निवेदन है कि या तो जल्दी से जल्दी नगरपालिकाओं के चुनाव करवायें या चुनाव नहीं हों तब तक अस्थायी रूप से फुल टाइम प्रशासक नियुक्त करें ताकि कम से कम लोगों की कठिनाई दूर हो, नक्शे पास हों, रेवेन्यू की चोरी नहीं हो रेवेन्यू की भी चोरी होती है।

मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैंने दो प्रश्न उठाये, या तो जिला स्तर पर अदालतों की व्यवस्था करायें या जिला प्रशासन स्तर पर संभागीय अदालतों की स्थापना करें जिससे कि मोटर दुर्घटनावालों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। दूसरा प्रश्न मैंने नगरपालिका के बारे में कहा कि या तो तत्काल चुनाव करवाये जायं या चुनाव नहीं कराते हैं तो प्रत्येक नगरपालिका में स्थायी प्रशासक लगायें जिससे कि रोशनी और सफाई की व्यवस्था ठीक हो और लोगों को नारकीय जीवन से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य पहले मुझे दूसरा बिजनेस शुरू करने दीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक मिनट दे दें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र, प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट भी नहीं दूंगा।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619'ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1980-81 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखेंगे। मुख्य मंत्री।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1980-81 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(106)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई व्यवस्था नहीं है.... .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री शोभाराम, सभापति, जनलेखा समिति, 1980-81 जनलेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे। श्री शोभाराम।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, बस..

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं तो वैसे ही अनावश्यक नहीं बोलता हूं।

(व्यवधान)

दो बजे तक के लिये ....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा विषय ले लिया है, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह पुलिस कर्मचारियों का मामला है। उनका मैस भत्ता बंद कर दिया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैं यह इजाजत नहीं दूंगा....

(व्यवधान)

मैंने नाम पुकारा था, आप उपस्थित नहीं थे। मैं दुबारा नहीं बोलना चाहता हूं। आर्डर प्लीज

श्री शोभाराम।

श्री भंवर लाल शर्मा : उनका मैस भत्ता बंद कर दिया गया है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो वही...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही में बाधा न डालें। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शोभा राम

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री भंवर लाल शर्मा : केवल दो मिनट के लिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया था आप नहीं थे। अंकित नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : ×××

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह निवेदन...

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : × × ×

श्री नाथू सिंह : दो बजे तक हम दोनों बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें। श्री शोभाराम।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का दूसरा प्रतिवेदन

श्री शोभाराम (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1975-76

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शोभाराम)

के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) से संबंधित वाणिज्य कर, राजस्व विभाग, आबकारी यातायात, पंजीयन एवं मुद्रांक और खनिज एवं भू-गर्भ विभाग विषय मामलों पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं किसी को भी।

श्री नाथूसिंह : ... × × ×

श्री भंवर लाल शर्मा : .... × × ×

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर में हैड वर्क्स से उपयुक्त मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद भी राजस्थान को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से फसलों को क्षति।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सुनील कुमार विश्नोई, श्री जीवराज सिंह व श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान नहर में हैड वर्क्स से उपयुक्त मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद भी राजस्थान को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से फसलों की क्षति की ओर राजस्थान नहर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री सुनील कुमार विश्नोई।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको रोकना नहीं पड़ेगा। मैं पुलिस कर्मचारियों के मैस भत्ते के बारे में रखना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नाथूसिंह... × ×

श्री अध्यक्ष : एक घंटे का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके बिना बताये मैं बैठ जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको क्या तकलीफ है।

(1.56 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। पहले आप बैठें। मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसको

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

शिरोधार्य करें । सुनील कुमार विश्नोई ग्रपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें । मुझे क्षमा करें ।

(व्यवधान)

क्षमा करें ।

(व्यवधान)

मुझे दुख होता है कि ग्राप....

व्यवस्था का प्रश्न

ग्रस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का ग्रवसर

श्री **देवीसिह भाटी** (कोलायत) : ग्रध्यक्ष द्वारा तीन दिन पूर्व यह व्यवस्था दी गयी थी ....

श्री **राम नारायण डूडी** (बिलाड़ा) : श्रीमन्, इन लोगों को बैठाया जाय ।

श्री **देवी सिह भाटी** : ग्रासन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि जिन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जवाब ग्रा जाय ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय जिनको ग्रस्वीकार कर दें उन पर सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जावेगा ।

श्री **सभापति** : पहले स्थान ग्रहण करें । मैं उससे पहले कुछ नहीं कहूंगी । मेरा ग्रापसे निवेदन है कि जब बराबर रुकने के लिये कहा जाता है तो ग्राप बराबर ग्रासन की ग्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं । एक मिनट के लिये कहते हैं ग्रौर 10 मिनट ले लेते हैं । ग्रगर ग्राप वचन दें तो मैं दो मिनट दे सकती हूं, वचन के पक्के हों तो दो मिनट का समय

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर विचार

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदया, एक ग्रादेश महानिरीक्षक, पुलिस (विशिष्ट) ने निकाला है 2-9-81 को कि समस्त पुलिस विभाग पर समान प्रक्रिया ग्रपनाये जाने हेतु निदेश दिया जाता है कि मैस भत्ता केवल कार्य वाले दिनों में ही दिया जाये ग्रन्यथा नहीं दिया जाय । इसके ग्रलावा किसी प्रकार के ग्रवकाश पर रहे तो भत्ते का भुगतान नहीं किया जाय । इसका मतलब यह हुग्रा कि......

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : ग्राप व्यवधान न डालें । कृपया, बीच में न बोलें ।

(व्यवधान)

ग्राप ग्रपना भाषण जारी रखें ।

श्री **भंवर लाल शर्मा** : इसका ग्रर्थ यह होगा कि कोई कर्मचारी किसी ग्रवकाश पर जाता है, चाहे वह ग्राकस्मिक हो या उपार्जित, उसे ग्रवकाश पर जाने का मैस भत्ता नहीं मिलेगा । मतलब यह होता है कि छुट्टी पर जायगा तो उसे ग्रवकाश के दिन उपवास करना पड़ेगा, उसको मैस का भत्ता नहीं मिलेगा । वैसे भी उसको मिलता क्या है ? उन कर्मचारियों को मिलता क्या है ? उनका भत्ता बन्द किया है । मैं सभापति महोदया, ग्रापके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह बड़ा ग्रन्याय है उनके साथ । क्या यह छुट्टी नहीं ले सकेंगे ? ग्रौर छुट्टी लेंगे तो भत्ता नहीं मिलेगा ? तो मेरा ग्रापसे निवेदन है यह जो विषय है गरीब कर्मचारियों के बारे में है, सरकार के बजाज

(श्री भंवर लाल शर्मा)

पर भी इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको बचत करनी है तो बड़े अधिकारियों का भत्ता काटिये, उन बेचारे गरीब कर्मचारियों का क्यों? उनसे छोटा कर्मचारी पुलिस में नहीं हैं। ये भत्ता पहले से ले रहे हैं, उनके लिये मन में गुंजाइश करिये। आपकी योजना क्या है, पिछड़े को पहले। पिछड़े को पहले कुछ नहीं, आपको पिछड़े को यदि पहले आगे लाना है तो आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिये। छोटा कर्मचारी होने के बावजूद आकस्मिक अवकाश पर, सी. एल. पर जाय तो उसका भी पैसा काटेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं उन गरीब कर्मचारियों की बददुआएं मत लो, ये तो आपकी रक्षा करते हैं। अगर ये नहीं हों तो आप दौरे, उद्घाटन आदि करके दिखादो। दौरे पर चले तो जाओ। ये रक्षक हैं, आप, कृपा करके इनका भत्ता मत काटिये और कमी करनी है तो किसी बड़े अधिकारी से करिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : आप भी नाथूसिंह जी वचन के पक्के हैं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : हां, और आपसे संबंधित बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदया, महंगाई से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। विशेष रूप से, गृहणियां इससे ज्यादा संबंधित हैं क्योंकि घरों का मैनेजमेंट उनको करना पड़ता है। सभापति महोदया, मैं प्राइस इण्डेक्स, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहना चाहता हूं, जो कंज्यूमर्स प्राइस इण्डेक्स नंबर-78-79 में, 352 खाद्य पदार्थों का था, 80-81 में बढ़ कर 430 हो गया, 78 पाइन्ट बढ़ गया खाद्य पदार्थों में। इसी तरह से 78-79 में अन्य चीजों में 348 था वह 80-81 में बढ़ कर 414 हो गया। 66 पाइन्ट बढ़ गया। इस तरह से, सभापति महोदया, खाद्य पदार्थों के, दूसरी चीजों के, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे कपड़ा हो सब चीजों के दाम बढ़ गये। यह तो राजस्थान के मैंने आंकड़ें दिये हैं लेकिन केन्द्र के आंकड़ें, क्योंकि केन्द्र का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ता है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। 80 में पैट्रोलियम और फर्टिलाइजर में 21 करोड़ रुपया बढ़ाया गया और 81 में 15 करोड़ रुपया बढ़ाया गया। कोल एण्ड स्टील में 80 में 800 करोड़ रुपया बढ़ाया गया और 81 में 1001 करोड़ रूपया बढ़ाया गया। शुगर एण्ड एडिबल आइल्स में 80 में 600 करोड़ रुपये बढ़ाये गये। कुल मिलाकर, सभापति महोदया, 6000 करोड़ रुपया इस समय प्राइसेज में बढ़ाया गया इस कारण से राजस्थान पर बुरा असर पड़ा है। आज स्थिति यह है कि लोगों को भूखों मरने की नौबत आ रही है, अकाल पड़ गया है, खाने को नहीं है। गांवों के अन्दर उनकी स्थिति यह है कि वहां अनाज उधार लेकर खा रहे हैं। कपड़ा पहनने को नहीं। पैट्रोलियम की स्थिति, हालत यह है कि बहुत महंगा है। मिट्टी के तेल को देख लीजिये, पैट्रोल देख लीजिये, दूसरी चीजों को देख लीजिये, कपड़ा देख लीजिये, मोटा कपड़ा देख लीजिये, सभापति महोदया, टूथ पेस्ट देख लीजिये, गैस देख लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके भाव नहीं बढ़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका ज्यादा प्रभाव जो गृहणियां हैं उन पर पड़ता

(श्री नाथूसिंह)

है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मैं तो अपने वचन के अनुसार दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं आधा मिनट आपकी तरफ से और मिल जाय। सभापति महोदया, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : महिलाओं का सवाल है......

श्री सभापति: नहीं, कोई महिला, पुरुष का सवाल नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री नाथूसिंह : इस समय इसका प्रभाव गरीब तबके पर पड़ता है, हमारे मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। अगर कोई चीज सस्ती है राजस्थान के अन्दर तो शराब सस्ती है और गरीब की जिन्दगी सस्ती है और कोई चीज सस्ती नहीं है। इसलिये निवेदन करता हूं कि सरकार कीमतों को स्थिर करें। वेरी कमीशन आया तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह 5 पर्सेन्ट बढ़ती है, प्राइस बीस पर्सेन्ट। कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : जो महिलायें यहां बैठी हैं, घरों की स्थिति उनको मालूम है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बढ़ती हुई महंगाई को तुरन्त रोकें।

श्री सभापति : श्री सुशील विश्नोई

(व्यवधान)

श्री **दुलाराम** : सभापति महोदया, माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अलग अलग प्रस्ताव हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदया, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में 45 गांव, जो स्टेट के अन्दर थे, राजस्थान में मर्ज होने के बाद में कोलायत तहसील में संयुक्त रूप से शामिल कर दिये गये थे। संवत् 2012 और 17 के अन्दर जो समरी सैटलमेंट हुआ था उसमें ऐसे गांवों के गरीब, मुसलमान और हरिजनों के जो झोंपड़े और कुएं थे वह तो दर्ज किये गये परन्तु उनके खेत दर्ज नहीं किये गये। आज ऐसी स्थिति है कि उनको बेदखल कर जो बाड़मेर से, पाकिस्तान से, बाहर से आए हुए शरणार्थी लोग हैं उनको जमीन का आवंटन किया जा रहा है, बहुत बड़ी सूची उन लोगों की है। आज सबूत है उनके खेत हैं, समरी सैटलमेंट के अन्दर उनके पट्टे थे परन्तु खेत दर्ज नहीं किये गये क्योंकि वे अकाल की वजह से बाहर गए हुए थे। मैं सरकार के राजस्व विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सभापति महोदया, ऐसे जो गरीब लोग बाग हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं, उनका सर्वे कराया जाय और उनके खेत उनको वापस दिलाये जावें।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर में हैड वर्क्स से उपयुक्त मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद भी राजस्थान को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध न होने से फसलों को क्षति।

श्री सभापति : श्री सुनील बिश्नोई ।

श्री सुनील बिश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान नहर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो हमारे राजस्थान के हिस्से का पानी है, पोंग डेम का हिस्सा है, कई बार मांग किये जाने पर भी राजस्थान को आज तक हिस्सा नहीं दिया जा रहा है । आज राजस्थान में कठिन परिस्थितियां हैं । राजस्थान भर में अकाल की स्थिति है। मुझे याद आता है, जब मैं गांव जाता हूं मुझे पचपनिया-छपनिया काल के बारे में बताया जाता है और उस अकाल की विभीषिका सुनता हूं तो दिल दहल जाता है । इस समय राजस्थान में उसी तरह से अकाल है, उसी स्थिति में है । हमारे कुछ हिस्से में फसलों के आसार थे, कुछ पैदावार के आसार थे लेकिन पंजाब के द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है जिससे सारी फसल नष्ट हो रही है । पश्चिमी राजस्थान में प्रकृति का प्रकोप है पर यहां तो कैनाल हैं उनमें इरिगेशन होने का पूरा सिस्टम बना हुआ है किन्तु जो हमारा पानी है वह हमें नहीं मिल रहा है । किसानों ने बीज बोया, खाद डाली, इन्वेस्टमेंट किया इसी भरोसे कि हमें पानी मिलेगा, बांध में पानी है फिर भी पानी नहीं मिलता । तो इसको एक मानविक प्रकोप कहना चाहिये जो गंगानगर जिले में है । माननीय सिंचाई मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से पूरी आशा है, मैं उनसे कई बार मिला । पानी की समस्याओं को लेकर गंगानगर जिले के बारे में कई डेलीगेशन आए, चिठ्ठियां और तार आये । लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी हैं; कई जगह लड़ाइयां हो रही हैं, गंगानगर जिले की यह स्थिति हो रही है । 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है और गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा वसूल किया जा रहा है, कैनाल के लिये अलाटेड लैंड का, वाटर कोर्सेज का । पानी की बिगोड़ी ली जा रही है जब उनकी फसल नहीं हुई तो आपको पैसे देंगे कहां से ? गंगानगर जिले के लिये कहते हैं बहुत खुशहाल इलाका है लेकिन आज गंगानगर जिले की यह स्थिति है । मेरे ख्याल से राजस्थान में कहीं भी काश्तकारों की ऐसी स्थिति नहीं होगी जो गंगानगर जिले के काश्तकारों की है। माननीय मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री महोदय की योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है । जितनी बार उनसे मिला उन्होंने मेरी पूरी मदद की । सुबह शाम पूरी कोशिश करी। दिल्ली भी 3–4 बार गये हैं वह हाइएस्ट क्वार्टर्स से मिले हैं। उनसे वार्ता की है, वहां पर और पानी छुड़ाया है । उसके बावजूद भी लाठी के बल पर पंजाब ऐसा कर रहा है वह आप, मेरी समझ में नहीं आता, कितने दिन तक सहन करते रहेंगे ? यही स्थिति रही तो एक दिन वह आएगा कि जो करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें मतीरे और काचरे उगेंगे, पानी तो चलेगा नहीं । आज आपने फर्स्ट स्टेज कम्पलीट की है, इन्टेंसिटी बना दी है उसका 110 पर्सेंट इरिगेशन में है । मेरा राजस्थान कैनाल का क्षेत्र है आप मेरे साथ चलिये, मैं एक टेल पर ले चलूंगा वहां बताऊंगा कि कितने दिन तक पीने का पानी नहीं मिल पाता ।

(श्री सुनील विश्नोई)

इतना ही नहीं, मेरी समझ में नहीं ग्राता, इरिगेशन ग्राफिसर्स से बात की, वे कहते हैं कि पानी है, मौके पर काश्तकार कहते हैं कि पानी नहीं है, I do not know, what is the trouble in the situation. मेरी मुख्य मंत्री ग्रौर सिंचाई मंत्री से पुरजोर शब्दों में दरख्वास्त है कि जो हमारे हैड वर्क्स का कन्ट्रोल है वह बी.वी. एम.वी. से दिला दीजिये, कई बार ग्रादेश हो चुके हैं फिर भी पंजाब ने मनमानी करके पानी नहीं दिया। ग्रगर इसी तरह से चलते रहे तो एक दिन ग्रायेगा ग्रौर सहन नहीं कर सकेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जल्दी से जल्दी हाइएस्ट प्रायोरिटी पर लेकर इस कन्ट्रोल को राजस्थान को नहीं देकर, सेंट्रल बॉडी को देंगे। सेंट्रल बॉडी का डिसीजन हुग्रा, उसके कहने के बावजूद भी वह नहीं देते, क्या कारण है वह तो वही जानें। मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ग्राप सफल होंगे। मुझे पूरी ग्राशा है इसका कन्ट्रोल सेंटर को दे दिया जाय जिससे हमें पानी मिल सके। कुछ तो राजस्थान के डिपार्टमेंट्स को दोषी ठहराऊंगा। जहां हमारा 18,540 क्यूसेक्स पानी है, मेरी जानकारी है इन्होंने 8 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी मांगा नहीं। पानी मिले या नहीं, पानी मांगने में कंजूसी क्यों करते हैं? 18 हजार मांगो। गंगानगर में जमीन पड़ी है जो डैवलप होकर इरिगेटेड हो गई है ग्रौर हम पानी मांग नहीं रहे हैं। पहले 45-45 मील में पानी मिल रहा था। कल की स्थिति में 5100-5200 था। ग्रभी मंत्री महोदय से मिला तो कहा शायद कुछ ग्रौर बढ़ाया है, मुझे भरोसा नहीं होता कितना बढ़ाया होगा। हैड वर्क्स से छोड़ दिया वह बीच में ही गायब कर जाते हैं। ऐसी हालत में दरख्वास्त करूंगा जो इन्टरनल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसके लिये कमेटी बना रखी है, उसमें ग्राप ए. डी. एम. बिठाते हैं, इरिगेशन ग्राफिसर, एग्रीकल्चर ग्राफिसर बिठाते हैं इरिगेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिठा देते हैं लेकिन काश्तकार, जिसको पानी देते है,उसको उस कमेटी में नहीं लिया, वह मांग करता रहा कि हमको कमेटी में लो ताकि वह डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें, पानी मिलेगा या नहीं। काश्तकारों को बताया नहीं जाता कि कब उनकी बारी ग्रायेगी, कब पानी उनको मिलेगा। जब मर्जी ग्राई खोल देते हैं, मर्जी ग्राई नहर बंद कर देते हैं। पूछते हैं तो कहते हैं कि फ्लक्चुएशन ग्रा गया। यह फ्लक्चुएशन की बहुत बड़ी बीमारी है। ग्रगर काश्तकार सदस्य हो ग्रौर पानी का कन्ट्रोल वह देखे तो वह लोगों को बता सकता है कि फ्लक्एचुशन कब ग्रा रहा है?, कब नहरें बन्द करनी हैं। उसको सबसे ज्यादा पता होना चाहिये, कब पानी छोड़ा जाय, कब बन्द किया जाय लेकिन उससे कन्सल्ट नहीं किया जाता। ग्राफिसर्स डिसाइड कर देते हैं कब पानी छोड़ा जाय, कब पानी बन्द किया जाय।

ग्राज की तारीख में जब राजस्थान में भयंकर ग्रकाल की स्थिति है, गंगानगर को पानी मिलता तो करोड़ों की फसल होती। ग्राज करोड़ों की फसल खराब हो गई है। ग्रब पानी मिले भी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है चारा कर लो, लेकिन काश्तकार की जो लागत है वह भी नहीं मिल सकती। ऐसी हालत में, मैं निवेदन करूंगा कि जो राष्ट्रीय स्कीम है वाटर कोर्सेज की, पानी ग्रवेलेबल बहुत है उसको भी ग्रपन प्रॉपरली नहीं बना सकते, न मोबी-

(श्री सुनील विश्नोई)

माइज कर सकते हैं। आज की तारीख में गंग कैनाल बने 50 साल से ऊपर हो गये, अब वाटर कोर्सेज पक्के किये जा रहे हैं, कुए बने, आगे आगे वाटर कोर्सिज बना रहे हैं। वाटर कोर्सेज क्या होंगे? मेरे पास लिस्ट है, आप चाहें तो दे सकता हूं जिसमें डिपार्टमेंट को धन्यवाद के साथ कहता हूं पानी चला कर बताये। 3 के. डी. नीयर कोडी बंद डिस्ट्रीब्यूटरी पर है, 2 जी. एम. नीयर 237 आर. डी., मेरे पास 50 स्थानों की लिस्ट पड़ी है जहां चैकिंग कराई जाय तो पानी नहीं चलता मिलेगा। काश्तकार के करोड़ों रुपये ऐसे ही बर्बाद कर दिये गये हैं। पानी चलता नहीं फिर भी उनको नोटिसेज दे रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान को लोन मिला है हाफ पर्सेन्ट पर, काश्तकार से 9 पर्सेंट ब्याज वसूल कर रहे हैं, एक-एक मुरब्बे के 18-18 हजार वसूल कर रहे हैं। उनसे काश्त के वसूल करें लेकिन डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज काश्तकार से क्यों वसूल किये जा रहे हैं? जीप रनिंग एक्सपेंसेज, मोटर और बंगले के एक्सपेंसेज सब काश्तकारों से लिये जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा इस तरह के अत्याचार काश्तकार सहने वाला नहीं है। जैसे और राज्यों में किया गया है। हरियाणा में पंजाब में सब्सिडी दे रहे हैं, हरियाणा में, 35 पर्सेन्ट दे रहे है पंजाब में 75 पर्सेन्ट दे रहे है तो राजस्थान में कितनी दे रहे हैं? राजस्थान में भी सब्सिडी दी जाय और खाले बनाये जायं। तीन साल कच्चे खाले पानी से चलायें उसके बाद में पक्के करें ताकि पानी वेस्ट न हो। इस मौके पर दरख्वास्त करूंगा कि अनूपगढ़—सूरतगढ़ ब्रांच में दो-तीन माइनर्स हैं। मंत्री महोदय गये थे बीकानेर की तरफ तब कई काश्तकारों से मिले थे। 7 तारीख को बीकानेर में मिले थे तब उनसे दरख्वास्त की थी कि एम. एल., एम. एल. बी., जी. डी. जो अनूपगढ़ शाखा की ब्रांचेज हैं उनमें पानी नहीं चल रहा है। उसके बाद 11 से 14 तारीख, 4 दिन तक आंशिक पानी चला और कोई पानी डिस्ट्रीब्यूटरीज को नहीं मिला। अगर इस तरह की स्थिति रही तो पता नहीं काश्तकारों का क्या फेट होगा। उसको कैसे आगे बढ़ायेंगे। यह किसान विरोधी सरकार नहीं है? लिफ्ट कैनाल से बीकानेर को पानी ले जाया गया। पानी बीकानेर में जरूर ले जाना चाहिये, लेकिन जो डिपार्टमेंट के 3-4 पंपिंग स्टेशन बनाये हैं, क्या गलती है कि अभी तक पंपिंग स्टेशन कैनाल से लिफ्ट नहीं किया। इसकी जो पावर है अभी तक चालू नहीं की गई। इसके जो सोर्सेज आफ पावर हैं वह डिफरेन्ट सोर्सेज हैं। एक पंपिंग स्टेशन पर बिजली होती है तो दूसरे पर नहीं होती। पानी पम्प होता है, ओवरफ्लो होता रहता है। जो उदयपुरा गांव है वह इसी दिक्कत के कारण हर बार पंपिंग स्टेशन से जब बिजली चली जाती है तो डूबन में होता है और गांव को खाली करना पड़ता है। यह छोटीसी चीज है, जहां सोर्स आफ पावर लीक कर दें तो कोआर्डिनेशन बना रहे। इसके साथ मैं पुरजोर शब्दों में दरख्वास्त करूंगा कि बी. बी. एम. बी. से काश्तकार को पानी दिलाया जाय, काश्तकार के हितों की सुरक्षा की जाय। आज की तारीख में तो यहां तक कहूंगा इसमें संदेह की बात नहीं कि हर आफिसर चंडीगढ़ में है। जिस दिन पंजाब सरकार ने ठान ली बोरी बिस्तर उठा कर फेंक देंगे। चंडीगढ़ में रहने नहीं देंगे। If we do not put up our fight for our right. । हमें सब तरीके से लड़ना पड़ेगा तब पानी मिलेगा। हमारे काश्तकारों को प्रायोरिटी में लिया जाय। सेंटर से भी

(श्री सुनील विश्नोई)

दरख्वास्त की जाय कि हमारा हक दिलाया जाय। हक नहीं मिलेगा तो किसान अपने लिये लड़ेंगे। धन्यवाद।

श्री जीवराजसिंह (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में राजस्थान नहर है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। नारों की पूतरी मेरे क्षेत्र की नहर है; उसमें दो हफ्तों की बारी है जबकि उसमें तीन हफ्तों की बारी बनती है। मैं बड़ी मुश्किल से मुख्य मंत्री से मिला, और इस नहर को दुबारा पानी चढ़ाया है। यह नहर मसलन अपनी बारी मांगती है।

ऐसे ही रावसर कस्बा में जो खेतावाली डिस्ट्रीब्यूटरी है वह रावसर कस्बे को पानी देती है, सिर्फ 15 क्यूसेक की डिस्ट्रीब्यूटरी है। वह पानी ज्यादा सिंचाई के काम नहीं आता है, रावसर की वाटर वर्क्स की योजना पुराने समय में 6 हजार पापुलेशन की बनी है, लेकिन आज पापुलेशन 22 हजार हो गई इसलिये वहां जो पानी की डिग्गियां बनाई गई हैं उनमें पानी बहुत कम रहता है। मेरा निवेदन है, खेतावाली डिस्ट्रीब्यूटरी तो हमेशा ही चलानी चाहिये। माननीय चीफ इंजीनियर भी आये हुये हैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि सिंचाई की जितनी जरूरत नहीं, जितनी पानी पीने की। जब तक वाटर वर्क्स की बड़ी वाली योजना नहीं बना दें जब तक खेतावाली डिस्ट्रीब्यूटरी हमेशा चलनी चाहिये।

दूसरा मसला यह है कि सीतावाली हैड में राजस्थान नहर पिछली दफा टूट गई थी और वह बैठ गई थी इसलिये हमको पंजाब वाले बहुत कम पानी इसमें देंगे। पानी ज्यादा आने से उसके टूटने का बड़ा खतरा हो जायेगा। अब अगर एक जगह से थोड़ी और बैठ गई तो वही दिक्कत फिर आने वाली है। पहले ही हमारा 22 हजार क्यूसेक पानी पंजाब बरत रहा है। यदि हमारी यह नहर पूरी हो जायेगी तो फिर हम चाहे कितना ही लड़ें, पंजाब वाले पानी हमें नहीं देंगे। अब भी हमारे पास 22 हजार क्यूसेक पानी का कोटा है जो इसी क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। जो कमाण्ड एरिया रखा है वह बिलकुल गलत है। काफी एरिया अनकमांड है। यह पानी इसमें सब जगह लग सकता है। जब तक आगे नहर तैयार नहीं हो तब तक पंजाब से राजस्थान के कोटे का पानी अद्दीनहर में ले लिया जावे तो इसी एरिया में यह पानी सब लग जायेगा। पीछे पंजाब वाले पानी देने वाले नहीं हैं।

दूसरा सवाल है खातेदारी राइट का। आज वहां का पानी क्यों नहीं इतना खर्च होता? काश्तकार के पास जितनी जमीन है वह यह सोचता है कि मेरे पास यह जमीन रहेगी या नहीं रहेगी इसलिये वह वहां ज्यादा जमीन सिंचित नहीं करता, जमीन को सुधारता नहीं। यह 20-25 साल से जो खातेदारी राइट की तलवार काश्तकार के सिर पर लटका रखी है वह भी इसी साल में हटनी चाहिये। 15 महीने मुझे यहां आये हो गये। मैं वहां पब्लिक में आश्वासन देकर आया था कि खातेदारी राइट आपको दिला कर रहूंगा। मैंने बहुत प्रयास किये लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ। यह काश्तकारों पर बहुत बड़ा अन्याय है। जबकि सब जगह खातेदारी राइट मिल गये हैं वहां 200-200 साल से काश्तकार जमीन पर खेती करते आ रहे हैं परन्तु आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को

(श्री जीवराजसिंह)
चीफ मिनिस्टर साहब को अर्ज करूंगा कि यह दुधारी तलवार जो काश्तकारों के सिर पर लटका रखी है यह उतारने की कृपा करें, और खातेदारी राइट देने का कष्ट करें।

इसके बाद खालों का मामला है। खाले बनाये जाते हैं लेकिन मेरे क्षेत्र का मसला है वहां खाले बने नहीं हैं। गवर्नमेंट के सी. ए. डी. वालों ने रुपये ले लिये काश्तकारों के खेत के लिये पैसे उठा लिये। यह सरकार. उसका सी0ए0डी0 से ब्याज खा रहे हैं और उस काश्तकार के पास नोटिसआ रहे हैं। बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने खाला देखा नहीं, खेत के अन्दर और खाले से सिंचाई नहीं हुई, ईंट भी नहीं पड़ी और उसके किश्तें आ रही हैं। वह किश्त कहां से भरें? तो यह हालत हो रही है, खालों की यह डिफिकल्टी है। अब नये खाले बनाये जायं तो काश्तकार को सीधा रुपया भेज दिया जाय काश्तकार अपने हिसाब से बना लेगा। इनका इन्जीनियर या जे.ईन. वहां फिट कर दिया जावे, वह ए. ईएन. के माध्यम से, पंचायत के हिसाब से बना लें, अपने हिसाब से अपने चक में पंचायत के माध्यम से वह बना लेगा तो अच्छा होगा। इनके आइटम है खालों के अन्दर मिट्टी प्लानिंग तो मिट्टी नहीं होती, काश्तकार मिट्टी छोड़ देता है और यह खाला बना देते है। उससे वह खाला आधा नीचा हो जाता है और बैठ जाता है। एक डिफिकल्टी और है। जैसे एक काश्तकार की टेल में एक मुरब्बा जमीन है यह लोग उस जमीन की सिंचाई करने के लिये अधिकारियों से मिल कर सारे लम्बाई का खाला ले जाता है जैसे 5-7 फीट लम्बाई करके उस मरते को पानी देना जरूरी होता हो। जितने भी काश्तकार हैं सब उस मरते के पानी जाने से संबंध रखते हैं। उस मरते से सिंचाई नहीं होती। बड़ी तकलीफ पाते हैं। वह खाला टूट जाता है। दूसरी जगह बहुत से खाले टूट भी गय हैं। तो खालों की मुतालिक जो किश्त सरकार ने काश्तकारों पर लगाई है उस पर ब्याज लगाया है वह ब्याज तब से होना चाहिये जब से काश्तकार के खेत में पानी फूट जाय। उससे दस्तखत ले लो कि मेरे खाले में पानी आने लगा है। तब से ब्याज लगा ले। जब से वर्ल्ड बैंक से सी.ए.डी. का रुपया ट्रान्सफर करते हैं उसी दिन से काश्तकार को ट्रान्सफर हो जाता है और उस पर ब्याज लगता है। यह बिलकुल नाजायज है, बहुत बड़ा अन्याय है। इससे बढ़कर मैं कोई अन्याय नहीं समझता। एक तो यह दूसरा यह कि खातेदारी राइट नहीं दे रहे हैं इससे बढ़कर मैं कोई बड़ा अन्याय नहीं समझता। धन्यवाद।

श्री भैरूंलाल मीणा : सभापति महोदय, सरकार ने जो नारा लगाया है पिछड़े को पहले, पिछड़े को आगे करने का नारा लगाया है उसके माध्यम से मैं आशा करता हूं कि उदयपुर सम्भाग के अन्दर आदिवासियों ी हालत है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह केवल राजस्थान नहर के ऊपर चर्चा हो रही है। दूसरे विषय पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। यह केवल राजस्थान नहर पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैंने 17 तारीख को, 18 तारीख को स्थगन प्रस्ताव रखा था। सारी सिचुएशन बताई राजस्थान नहर की।

श्री सभापति : आप क्षमा करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं हनुमानगढ़ होकर आई थी। एक सिचुएशन बताई थी राजस्थान नहर की, मंत्री महोदय उत्तर दें। उस दिन वह उपस्थित थे, तलवाड़ा से हमको पानी जल्दी नहीं मिलता, भाखड़ा से पानी नहीं छोड़ा जाता है इसलिये सारी की सारी स्थिति खराब हो रही है। उन सबके बारे में मैंने बात की थी। मंत्री महोदय उस दिन उत्तर नहीं दे पाये थे इसके बारे में। इसलिय जो राजस्थान नहर के पानी छोड़ने के बारे में व्यवस्था हो रही है उसके बारे में कृपया उत्तर दें। मैं आपसे आशा कर रही हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

पहले माननीय सदस्य बोल लें, फिर आप बोल लेना।

(व्यवधान)

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान नहर के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदया, यह कुछ ऐसे पाइन्ट्स हैं जो या तो राज्य सरकार की नजर में नहीं आये या राज्य सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे एक तो यह—इस दफा जो कोशिश की गई इसमें दो राय नहीं कि ज्यों ही.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री आत्माराम : पानी की कमी आई राज्य सरकार ने दिल्ली के लेवल पर, पंजाब के लेवल पर यह कोशिश की कि जल्दी से जल्दी इसकी पूर्ति की जावे। मेरे ख्याल से यह प्राइम मिनिस्टर तक बात गई और पंजाब और पोंग डेम से पानी छुड़ाया गया। मैं नहीं समझता कि जब-जब भी पानी की कमी हो तो क्या हमेशा ही एजीटेशन करना पड़ेगा? क्या लोगों को हमेशा भाग-दौड़ करनी पड़ेगी। इसके लिये पुख्ता बन्दोबस्त होना चाहिये। पुख्ता बन्दोबस्त के के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है यह हमको पूरा बताया जाना चाहिये। अब यह आपसे कहा है और पंजाब वाले कह रहे हैं कि पानी नहीं दे रहे हैं उसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है? कब तक इसका बन्दोबस्त हो जायगा? यह दूसरा बिन्दु है जो ज्यादा स्पष्ट हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहे।

दूसरा यह है कि जैसे मैंने इस बात का निवेदन किया, इसके लिये कोशिश की गई कि पानी ज्यादा छुड़ाया जाय। आज भी लोग एजीटेशन कर रहे हैं हनुमानगढ़ में, हालांकि इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तत्परता से मुख्य मंत्री जी ने, गवर्नमेंट ने कार्य किया उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। 5-7 रोज में ही जाकर सेन्टर से बात की पंजाब से बात की पानी नहीं छूटा तो प्राइम मिनिस्टर से बात की। प्रधान मंत्री तक गये पानी छुड़ाया और फिर जब पानी नहीं आया तो दुबारा फिर मुख्य मंत्री गये और फिर पानी पूरा कराने की कोशिश की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री आत्माराम : बहुत जल्दी पूरा कर रहा हूं।

कुछ लोग फालतु एजीटेशन करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन से या दूसरी

(श्री आत्माराम)

जगह से इस तरह का अनाउन्समेंट होने की कोई व्यवस्था हो कि कितना पानी रिलीज हो रहा है, कितना पहुंच गया है। इसका रोजाना अनाउन्समेंट हो तो सबको ही पता चल जाय, और कोई गलतफहमी में नहीं रहे। यह तीसरा बिन्दु है।

जो चौथा बिन्दु है उसके लिये आपसे मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर पंजाब से होकर आती है और करीब 150-200 मील लम्बी है। राजस्थान को पानी वहां से दिया जाता है। तो सीतावाली हैड के बारे में जैसा कि अभी टी. वी. से आने वाले माननीय सदस्य ने आपसे निवेदन किया था कि एक साइड डेमेज हो गई है उसकी मरम्मत की गई किन्तु वह 6 महीने या एक साल के बाद में फिर टूट गई। जब यह दुबारा टूटी तो उसको आगे बचाने के लिये पीछे पानी छोड़ना पड़ा। जब वहां पानी नहीं छोड़ा गया तो वहां फसलों को नुकसान हुआ जबकि वहां घग्घर चैनल बनी हुई थी जिसकी कैपेसिटी दस हजार क्यूसेक्स की है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह पानी वहां क्यों छोड़ा गया? अगर इसका स्पष्टीकरण हो जाये तो अच्छी बात है। अगर कहीं इस तरह की बात आती है, पानी को छोड़ने की, तो उस चैनल में छोड़ देना चाहिये। जिसका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा देना चाहिये। इसके लिये स्पष्ट नीति होनी चाहिये, इस तरह से कार्यवाही होनी चाहिये।

दूसरे, जैसे एक दीवार टूट गई उसको दुबारा बनायेंगे। तो फिर जैसे पिछले दिनों जब उन्होंने उसकी मरम्मत कराई तो एक महीने तक कैनाल बन्द रखी गयी। एक महीने से हमको पानी नहीं मिला। कैनाल में मरम्मत कराना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आपने जब मरम्मत करवाई और उसके बाद वह फिर टूट गयी तो इसका मतलब यह है कि इन्जीनियर को यह पता नहीं है कि यह क्यों टूट गयी। यहां जमीन कैसी है, इसका उनको पता नहीं है। अगर पता है तो यह बार-बार बीच में क्यों टूट जाती है? उनको जमीन का ज्ञान नहीं है या कुछ और कमी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें कि यह सरीना नहर क्यों ठीक नहीं की गई और दुबारा ठीक करने की जरूरत क्यों आई? इन्जीनियर को ज्ञान नहीं था या इसके बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं थी, इसके बारे में मैं चाहूंगा आप स्पष्टीकरण कर दें।

इसके बाद आगे है बितरवाला हैड जो छत्तरगढ़ तक करीब-करीब पूरा है। उसकी केपेसिटी 2 हजार क्यूसेक्स की है। दो हजार क्यूसेक्स की केपेसिटी होने के बावजूद उसमें मेरे ख्याल से कभी एक हजार क्यसेक्स पानी भी नहीं आया। उससे क्या होता है कि उसमें खरपतवार उग जाते हैं, फिर उसका सफाई होनी चाहिये। जहां पैदावार होनी चाहिये उस जगह खरपतवार उग आती है। इससे राज्य के बजट में से करोड़ों रुपया खर्च होता है जो कि लोगों की जेब में जाता है। तो उसके लिये कोई निश्चित अवधि हो उसमें पानी को छोड़ा जाय। यह बताया जाय कि कब पानी छोड़ा जायेगा, छोड़ा भी जायेगा या नहीं। एक चैनल बनी हुई हो, उसमें पानी न हो और उसकी वजह से राज्य सरकार को घाटा होता हो उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरी पुनः यही विनती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अगर यह साफ हो जाय, इसके

(श्री आत्माराम)

बारे में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट हो जाय तो, मैं समझता हूं, वहां काम ठीक हो सकेगा।

श्री **सभापति** : चूंकि यह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसलिये जो कुछ कहना है संक्षेप में कहें।

श्री **जगतार सिंह** (करणपुर) : सभापति महोदया, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमें पानी के बारे में मुश्किल पड़ रही है, फसल बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद होने जा रही है। हम यह मानकर चलते हैं और हमारा यह मानना है कि सरकार ने हमारे लिये बहुत प्रयत्न किया। हमारे सिंचाई मंत्री जी, आर. सी. पी. आर्गेनाइजेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने पंजाब से तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलकर बड़ी कोशिश की और उन्होंने प्रयत्न किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी समस्यायें बतायें।

श्री **जगतारसिंह** : हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उसने प्रयत्न किया मगर फिर भी पंजाब सरकार ने किसी भी तरह से हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया। हमारी फसल बर्बाद हुई। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में, जो पोंग डेम में उनको हजारों मुरब्बा हिस्सा दिया, जमीन दी है हमारे शेयर के मुताबिक हमारा साठ एम. एल. वाटर है फिर भी पंजाब की मोनोपोली है वह हमें हमारा शेयर नहीं देता है। इसके लिये हमें और भी कोशिश करनी चाहिये। यह जो भाखड़ा बोर्ड है उसमें हमारा प्रतिनिधि नहीं है। उसमें हमें प्रतिनिधित्व के लिये कोशिश करनी चाहिये। अभी तक हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है, हमें उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिये जिससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो और हमें हमारा शेयर प्राप्त हो सके और जो हमारी करोड़ों-लाखों की फसले बर्बाद हो गई वह न हो।

इसके साथ-साथ राजस्थान कैनाल में पानी का हमारा 18 हजार क्यूसेक्स शेयर है, जितना हमें कम मिल रहा है वह सारा पंजाब सरकार यूज कर रही है। यह सिस्टम ठीक नहीं है। हमारा एरिया डवलप हो गया है तो मेरा सुझाव यह है कि जो राजस्थान कैनाल बिलकुल नीचे से जा रही है 33 हजार क्यूसेक्स पानी उसमें जा सकता है। हमारा जो सूखा इलाका है उसमें पानी हम भाखड़ा का ले सकते हैं। वह एरिया राजस्थान कैनाल के साथ चिपका हुआ है और वह अच्छा एरिया है। पंजाब को पानी देने के बजाय हमें वह पानी इस एरिया में यूटिलाइज करना चाहिये, जिससे हमें अपना शेयर मिल सके। पंजाब की जहां तक बात है अगर हम राजस्थान कैनाल से पानी छोड़ते हैं और हमारा जो भाखड़ा का शेयर है वह राजस्थान कैनाल में रिलीज नहीं किया जाता है तो कोई पांच सौ क्यूसेक्स पानी इकट्ठा रहता है। यह इस बात का एक बड़ा सबूत है कि पंजाब अपनी मनमानी करने से कहीं भी नहीं हिचका है, कहीं भी नहीं रुका है। इसलिये मैं आपसे पुनः विनम्र शब्दों में कहूंगा कि हमारे जिले के किसानों की बड़ी भयंकर स्थिति हो रही है, किसान आन्दोलन कर रहे हैं। पिछले बीस दिनों से उन्होंने आन्दोलनात्मक रुख अपना रखा है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह कोई और काम के लिये नहीं,

(श्री जगतार सिंह)
अपने पेट की भूख है उससे अपने आपको बचाने का सवाल है उसकी तरफ ध्यान दें। आज वहां पश्चिमी राजस्थान जैसा अकाल पड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में अकाल भगवान की दया से है, मगर हमारे इलाके में अकाल पंजाब और दूसरी स्टेट के रुख से पड़ा है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में जो हमारा शयर है उसके मुताबिक हमें पानी दिया जाये। पंजाब ने राजस्थान कैनाल को कमीशन नहीं दिया, वायदा करके मुकर गया, जिसके लिये हमने 90 लाख रुपये सैंक्शन किये। इसलिये हमारा जो किसान परेशान हैं और हमारा क्षेत्र जो अकाल के मुंह में जा रहा है उसको आप बचायें।

श्री **राधेश्याम** (गंगानगर) : एक निवेदन यह है कि . . .

श्री **सभापति** : लेकिन बहुत संक्षेप में कहिये।

श्री **राधेश्याम** : मैं आपके सामने सरकार से निवेदन करूंगा कि 18 हजार क्यूसेक्स जो उसकी केपेसिटी है उसमें 16 हजार क्यूसेक्स पानी आ रहा है तो क्या हमें उम्मीद हो सकती है कि 6 हजार क्यूसेक्स पानी आसानी से मिल पायेगा जिससे हम करोड़ों रुपये लगाकर नहर को आगे चलायें, जिससे हमारे राजस्थान का विकास हो, लोगों को पीने के लिये पानी मिले, और लोगों को लाभ मिल सके? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यह कैनाल पूरी हो जायगी तो हमें 18 लाख क्यूसेक्स पानी मिल जायगा?

श्री **सभापति** : माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

श्री **नरेन्द्र सिंह भाटी** (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : सभापति महोदय, यह जो काल अटेन्शन मोशन पेश हुआ है, यह सुनील विश्नोई जी लेकर आये हैं। सब्जेक्ट मैटर कमला जी की मिनिस्ट्री का है इसलिये मैं उस सब्जेक्ट पर तो ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा लेकिन माननीय सदस्यों ने काफी पाइन्ट्स उठाये हैं, पिछले डेढ़ दो महीनों से यह सब्जेक्ट मेरे पास आया है इस कारण मेरे लिये भी सब्जेक्ट नया है। मैंने भी इस प्राब्लम को समझने की कोशिश की है। अब हमने तय किया है कि सभी एम. एल. एज., जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, को बुलाकर बात करें। इसमें कालोनाइजेशन का भी सब्जेक्ट है। आपको खुद को पता है, क्योंकि आप खुद वहीं से पधारती हैं, कितना काम्पलीकेटेड मामला है। पिछले तीन साल में काफी अमेण्डमेंट्स हुए हैं, काफी चेन्जेज हुये हैं, और भी अमेन्डमेंटस होते जा रहे हैं। एक प्राबलम सॉल्व करने के लिये हमने अमेण्डमेंट किया, और बाद में देखा गया कि और प्राब्लम्स इससे क्रियेट हो गई। बेसिक हमारा इरादा शुरू से ही यही था, और अब भी यही है कि इस एरिया को किस प्रकार सक्सेसफुली कालोनाइज किया जाय जिससे जो पानी हमें मिला, इण्डस वाटर ट्रीटी से उसका जितना भी अच्छी तरह उपयोग कर इरिगेशन और क्राप प्रॉडक्शन हम कर लें, वही हमारे हित में है। एक तो हम एम. एल. एज. की कमेटी आर. सी. पी. के मामले में और कालोनाइजेशन के विषय में बना रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी सोच रहे हैं कि जितने अमेडमेंट्स हुए हैं उन पर पूरी तरह सोचें, रेवेन्यू अथोरिटीज को भी इसमें इन्वॉल्व करके, कुछ आफिसर्स को साथ मिलाकर हमने इस मसले को पुट-

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अप भी किया है केबिनेट को और मैं सोचता हूं यह अप्रूव भी हो जायेगा। तो हम इस कालोनाइजेशन के पूरे सब्जेक्ट को रिव्यू करना चाहते हैं। यह तो इन दो प्राब्लम्स, जो आर. सी. पी. से कनेक्टेड हैं, के बारे में है। जहां तक डिस्ट्रब्यूशन आफ वाटर का सवाल है, क्योंकि कैनाल का एरिया है, यह शीघ्र डवलप हो, यही हम चाहते हैं। अब मैं माननीय कमला जी से निवेदन करूंगा कि वे बता दें।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये उस क्षेत्र के पानी की समस्या के बाबत अपने विचार प्रकट किये हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है और वास्तविक कठिनाई है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस पानी के रेगूलेशन के लिये जिस प्रकार की व्यवस्था आज मौजूद है उस व्यवस्था का ही मूल दोष है कि हमें जिस समय जितना पानी चाहिये और जितना हक है, वह हमको नहीं मिल पाता है। यह ठीक है, समय समय पर हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी अथवा सिंचाई मंत्री जी भारत सरकार के उच्चतम पदाधिकारियों से सम्पर्क करके और किसी समय अपना प्रभाव डालकर कुछ अतिरिक्त पानी ले आते हैं लेकिन कायदे में जितना पानी हमको मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां जो तीन प्रमुख हैड वर्क्स हैं—हरिके, रोपड़ व फिरोजपुर उन तीनों पर जो रेगूलेशन बी. बी. एम. बी. का होना चाहिये और जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय को अभी तक भी हम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कार्यान्वित कराने में सफल नहीं हो पाये हैं। अभी कुछ दिनों से हमको ऐसा लगा है कि शायद प्रधान मंत्री जी अपना कुछ प्रभाव इस मामले में लागू करके जो हमारा एक वाजिब हक है, इसका कन्ट्रोल बी. बी. एम. बी. को दिलायें और वहां से इसका रेगूलेशन हो न कि पंजाब के जरिये से हो, क्योंकि वे अपनी मनमानी करने से हमको न देकर, जब तक उनके खेत पूरा पानी नहीं पी लेते हैं तब तक पानी आगे नहीं छोड़ते हैं। इसलिये मुख्य मुद्दा तो यह है, जो हाउस में कई बार आ चुका है और आज उसके ऊपर स्टेटमेंट भी होना है। तो जो खास बेसिक तकलीफ की बात है वह यह है कि जिस दिन इसका मैनेजमेंट, हैड वर्क्स के रेगूलेशन का, बी. बी. एम. बी. के पास आ जायेगा उस दिन हमको पूरा हक मिलने लग जायेगा। हमको कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है; यह बात दूसरी है लेकिन जो मौजूदा दिक्कत इस एरिया में पैदा हो गई उसका कारण यह है कि 31 अगस्त के बाद से लेकर 10 सितम्बर के बीच जो पानी आम तौर से पिछले सालों में रिलीज होता रहा है उसका आधा पानी भी रिलीज नहीं हुआ। पिछले साल पानी की काफी कमी थी उसके मुकाबले में पानी हमें कम मिला है। अब इसके लिये हमने कृषि विभाग और इरिगेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर यह प्रोग्राम बनाया है कि जो वार्टरिंग हमको होगा उसमें हम गेंहू और जौ नहीं बोयें—सरसों और चना लें जो दो पानी में तैयार हो जाय।

पिछली बार जितना पानी हमें मिला वह था 6630 क्यूसेक्स लेकिन इस बार 31 अगस्त से लेकर 10 सितम्बर तक के समय में जो पानी मिला वह केवल 2350 क्यूसेक्स पानी ही मिल पाया है यानि पिछली बार

(श्रीमती कमला)

पानी की कमी के वक्त से भी आधा पानी मिल पाया है जबकि इन 15–20 दिनों में पानी की हमें निहायत जरूरत थी फसल को ठीक से पानी पिलाने के लिये, वह नहीं मिला। इस कारण इलाके के अन्दर रोष पैदा हुआ और आन्दोलन हुए। लोगों ने गलती करके जितना पानी आ रहा था उस कैनाल को भी डिस्टर्ब किया तो उससे और भी ज्यादा डिस्टरबेन्स हो गया। यह जो पीरियड था उसमें हमको खास परेशानी हुई है। पिछले साल 6630 क्यूसेक्स पानी मिला था और उससे पहले जो नार्मल पीरियड था उसमें 6890 क्यूसेक्स पानी मिला है। लेकिन 10 सितम्बर के बाद में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्री जी और अधिकारीगण दिल्ली गये और उनको अवगत कराया कि इस तरह बहुत कम पानी कर दिया. यह भी अवगत कराया कि यदि इस तरह से राजस्थान की फसलें सूखती हैं तो राजस्थान के किसानों को तो नुकसान है ही लेकिन राष्ट्रीय नुकसान भी है इसलिये इस पर विचार किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रभाव से यह व्यवस्था की कि 10 सितम्बर से साढ़े पांच हजार क्यूसेक्स पानी दिया जाय। आज तीन-चार दिन से हमारे यहां पर 6400 क्यूसेक्स पानी इस समय हमारे यहां चल रहा है। जो खास पानी का वक्त था वह 31 अगस्त से 10 सितम्बर तक का था और दरअसल यह बहुत परेशानी का वक्त था।

(2.47 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार उस जिले में नुकसान डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर को हुआ लेकिन आज मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमको जो 6400 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है, हमको आवश्यकतानुसार उससे पिछले सालों में जो पानी उपलब्ध होता रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए, मैं समझती हूं, अब हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

जहां तक यह सवाल है कि जो हमारा पानी है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह अभी आपके सामने मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी ने तमाम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मामले में बात की है कि हम किस प्रकार ले पायेंगे, यह वे बतायेंगे। मुझे यह उम्मीद है कि जिस तत्परता से, जिस सजगता से और जिस प्रभावी ढंग से माननीय मुख्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री जी का सहयोग लेकर समस्या को हल कराने में लगे हुए हैं, मैं समझती हूं, उन तीनों हैड वर्क्स का मैनेजमेंट बी. वी. एम. बी. के पास आ जाय तो जो हमारी समस्या है वह हल हो जायगी और हमारा इसके रेगूलेशन में जितना हिस्सा बनता है वह हम बराबर ले सकेंगे।

दूसरा माननीय सदस्यों ने कहा जो सी. ए. डी. का वर्क्स कर रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, खर्चे की भी बात ज्यादा पड़ जाती है, इन्ट्रेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है और काश्तकारों पर बोझ बहुत पड़ता है। इन सारी बातों पर पिछली बार बैठ कर चर्चा की थी। इस समय गंगानगर के सभी माननीय विधायकों व अधिकारियों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैठक ली है और उस बैठक के बाद में यह निश्चय किया गया है कि हर

(श्रीमती कमला)

चकवार जितने काश्तकार हैं वे एक कमेटी वना लें चाहे सहकारी समिति बनावें, चाहे खेती निर्माण कमेटी वना लें, कुछ भी वनावें एक उसका नाम दिया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब यही है कि वे चकवार कमेटियां बना लें और राज्य सरकार के पास में जो सीमेंट, जो ईंटें या टेक्निकल नो हाऊ हैं वे हम उस कमेटी के प्रपोजल पर दे देंगे जिससे निर्माण कार्य वे कर सकें। लेकिन यह करना जरूरी होगा कि उस चक के सभी काश्तकार इस बात के लिए राजी हों कि हम अपने इस कार्य को अपने आप सम्पादित करें। माननीय सदस्य सांहवान ने इस बात को स्वीकारा भी है कि हम इस बात की पद्धति से राजी हैं। यह पद्धति अगर सरकार लागू कर देती है तो इससे काश्तकार का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और जो बैंकों का कर्जा चढ़ता जा रहा है, वह भी उतना भार उन पर नहीं पड़ेगा। मैं एक और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे एक चकवार समिति तैयार करें। किस प्रकार प्रोसीड कर सकेंगे, किस तरह से उनको ये साधन मुहैया करने जा रहे हैं, वह तय करेंगे और उसको राज्य सरकार अप्रूव करेंगी। उसके बाद खुद फार्मर्स ही अपना काम सम्पन कर सकते हैं। इससे सारे भार, सारी परेशानी, सारी दिक्कतों का हम निराकरण कर सकेंगे, तो ये दो प्रमुख्य समस्याएं हैं। मैं समझती हूं कि हमारे पास सूचना जो उपलब्ध है, आज जो व्यवस्थाएं कायम हैं उनका जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया है उसको सुनने के बाद में आगे शायद आप यह विश्वास कर सकते हैं कि 6400 क्यूसेक्स पानी जो हमको इस वक्त उपलब्ध हो रहा है उसके बाद हम आगे रबी की फसल की उम्मीद कर सकते हैं और खरीफ की फसलें खड़ी हैं उनका भी वाटरिंग होने के बाद हम अच्छा प्रॉडक्शन दे सकते हैं। हमको इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ समय से 2-4 दिन में बरसात का माहौल बना हुआ था। कल काफी दूर-दूर तक काफी जिलों के अन्दर अच्छी बरसात हुई है। भगवान की कृपा से पंजाब में भी अच्छी बरसात हुई है तो वह हमारा हिस्सा छोड़ सकेंगे। वह पानी रिलीज हो जायेगा तो हमारे यहां के काश्तकारों को भी रिलीफ मिलेगा। कुछ हमने ज्यादा हिस्सा प्राप्त किया है इससे आपको समस्या से कुछ राहत मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री राजबहादुर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहूंगी।

श्री **देवीसिंह भाटी** : मुझे बोलना है, गंगानगर और आर.सी.पी. एरिया मेरा क्षेत्र है, आप इस बात को जोड़ सकते हैं, मेरा तो प्रश्न ही....

श्री **उपाध्यक्ष** : अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

मैंने नाम ले लिया, माननीय सदस्या। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, इसी संबंध में, माननीय मंत्री महोदया जी से।

श्री **दूलाराम** : इस संबंध में प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : Only questions can be raised.

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैंने बड़े ध्यान से दोनों मंत्रियों का वक्तव्य सुना। मैं एक दो प्रश्न, जो मौलिक लगते हैं मुझे, पूछना चाहता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि पंजाब और हरियाणा हमारे बंट का पानी इसलिए लेना चाहते हैं कि उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, जितना पानी उनको मिलना चाहिए, उससे कहीं अधिक नहरें बना ली हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी उन्होंने बना ली हैं और हमारे ऊपर उनका खुला आरोप है कि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इसलिये 5 मिलियन एकड़ फीट के लिए क्रिएट हुआ था, उल्टे उनका वहां कहना है कि हम साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारा दावा यह है, जो कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, अधिक से अधिक हम लगभग 5 मिलियन एकड़ फीट प्राप्त कर सकते हैं फिर भी 3 मिलियन एकड़ फीट पानी बेकार जाता है, या तो पाकिस्तान ले जाता है, या उसको उन नहरों या इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हरियाणा और पंजाब ने बना लिया है के जरिये सोख ले जाते हैं।

मैं जानना चाहता हूं, पहला सवाल यह है कि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कब तक पूरा हो जायेगा, अधिक से अधिक कितना समय और लगेगा? कब हम इस योग्य होंगे और राजस्थान में यह क्षमता होगी कि हम अपने बंट का पूरा 8 मिलियन एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल कर सकें? बार-बार कहा जाता है कि राजस्थान कैनाल का दूसरा चरण पूरा हो जायेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आज भी जिन और साधनों की आवश्यकता है वह उपलब्ध हैं या नहीं? चोरी रोकने की आवश्यकता है क्योंकि सीमेन्ट, कोयला और अन्य चीजों की चोरी इस तरह से हुई कि जो नहर बन चुकी है वह...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल कीजिए।

श्री राज बहादुर : मैं सवाल ही कर रहा हूं, मैं उपरोक्त तथ्यों को जानना चाहता हूं...

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुछ और है। हमारा प्रस्ताव क्या है और माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव यह है कि राजस्थान नहर में हैड वर्क्स से उपयुक्त मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद भी राजस्थान को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने से फसलों की क्षति की ओर राजस्थान नहर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। मेरा निवेदन है कि यहां जिस ढंग की परिस्थिति रही है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : कम्पलीट मामला है। मैं कहना चाहता हूं ऑर्डर में भी है रिलेटेड मामला है। इस संबंध में इतना बता दें कि कब तक पूरा होगा, जिससे कि हमें संतोष हो जाय?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर सकता हूं। जब प्रश्न शुरू हुआ था, सब्जेक्ट मैटर लिमिटेड है, आप जो प्रश्न पूछेंगे, हम बता देंगे लेकिन बेहतर यह रहेगा कि ये डिटेल्स चाहिए कि कब तक पूरा हो जायेगा, उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि पिछले 2-3 साल में कितना कोल आ रहा था, कितना नहीं आ रहा था। अब हम ला रहे हैं, चूंकि गंगानगर वाले एजीटेटेड हैं, उनकी क्राप्स जल रही हैं और उनको पानी की आव-

Page No. 124

(124)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सकता है तो डिस्कशन की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री **राज बहादुर** : अब दूसरी बात का कौन सा मौका है।

श्री **उपाध्यक्ष** : That is in order

श्री **सुनील बिश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री दूलाराम।

श्री **दूलाराम** : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मंत्री जी से....

श्री **सुनील बिश्नोई** : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा है।

श्री **दूलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं और क्वेश्चन है मेरा, राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज, जिसमें 13 लाख 50 हजार एकड़ भूमि सिंचित होनी थी, का फर्स्ट फेज कब खत्म हो गया ?

श्री **उपाध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चण्डावत।

श्री **दूलाराम** : पहले क्वेश्चन का जवाब आ जाय तो फिर कई क्वेश्चन और हमारे

श्री **उपाध्यक्ष** : अभी माननीय मंत्री महोदया, एक साथ जवाब देंगी। अभी जवाब आ जायेगा।

श्री **दूलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास रिकार्ड है। मैं रिकार्ड से बोल रहा हूं।

श्री **राज बहादुर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुलाराम जी ने बिलकुल ठीक पूछा है वही मेरा क्वेश्चन था।

श्रीमती **कमला** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट फेज था, उसका दो लाख हैक्टेयर का प्रोग्राम था उसमें से 72 हजार हैक्टेयर बाकी है, बाकी में कार्य हो चुका।

श्री **उपाध्यक्ष** : सवाल करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता। आपको एक साथ सवाल करने के बाद में पता होना चाहिये.....

श्री **दूलाराम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसलें खराब हो गयीं। उच्च अधिकारियों ने सही मात्रा में पानी नहीं दिया इसके कारण लाखों एकड़ भूमि में फसल नष्ट हो गयी और आप हमें क्वेश्चन नहीं करने देंगे और उच्च अधिकारियों को सजा नहीं देंगे। मेरा यह अभिप्राय है। इस बात पर कि वहां पानी वितरित किया गया है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले उसे पानी नहीं दे रहे हैं, हमारे पास रिकार्ड है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं...

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मुझे हक है कि मंत्री महोदय को.....

(व्यवधान)

आप तशरीफ रखिये। मैंने आपका नाम नहीं लिया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि वालों के लिये आगे से वहां के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

लोगों की कमेटी बना देंगे, आगे के लिये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, पिछली बार जो खालों की रकम बन चुकी है और उनसे ब्याज वसूल किया जा रहा है, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं दूसरा ये पूछना चाहती हूं कि खालों की जो रकम किसानों के नाम ली जाती है, उसमें से सरकार दूसरे कामों में भी खर्च करती है अभी बीकानेर में चीफ इंजीनियर का एक आफिस बन रहा है उसमें भी ये रकम लगायी जा रही है, क्या यह सही है और क्यों लगायी जा रही है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय इस वर्क के लिये जो कार्यक्रम की धन-राशि निर्धारित है उसको अलग किसी दूसरे काम में लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे यह सवाल किया कि किसानों के ऊपर बहुत भारी ब्याज बना जा रहा है और उनसे बड़ी रकमों की रिकवरी हो चुकी हैं, जो एस्टीमेट, जिस किसान के लिये योजना लागू की थी और जो राज्य सरकार ने एक्सेप्ट की है, वर्ल्ड बैंक के साथ में, उसकी वसूली ज्यादा नहीं हो रही है। लेकिन वह ज्यादा है, और वह देर से बन रही है और इसीलिये हमने कहा है कि इसको बदलने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जिनके खाले बने नहीं हैं, उनसे रकम ली जा रही है और ब्याज लिया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछूंगा। सिर्फ एक प्रश्न जो किसानों से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप धीरे से बोलेंगे तो सुनाई पड़ जायेगा। जोर से बोलने से झगड़ा नहीं होगा ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया से निवेदन करना चाहती हूं ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उच्च अधिकारियों से पूछ कर बता दें कि वह रकम लगायी या नहीं। मैं पूछना चाहती हूं।....

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आपकी जानकारी में ऐसी स्थिति है कि इस प्रोजेक्ट का पैसा किसी अन्य कामों में लग रहा है, जहां नहीं लगना चाहिये, तो वह किसी काश्तकार से वसूल नहीं किया जाएगा। जिसके खेत पर खाले नहीं बने हैं या अधूरे बने हैं और पूरा चार्ज किया गया है अगर आपको अपने एरिया में ऐसे किसी के बारे में जानकारी हो या व्यक्तिगत फार्मर की जानकारी हो तो आप दें, हम इसकी जांच करवा कर माफ करायेंगे और जो अधिकारी गलत काम में पैसा लगा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पिछली बार असेम्बली में सवाल आया था और आपने वायदा किया था कि....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सी.ए.डी. का वर्क मान दण्ड के अनुसार नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जब हाउस में प्रश्न आया था तो मैंने यही कहा था····

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री **सुनील विश्नोई** : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा था मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप बोल लेना।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब सवाल आया तो मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि किसी प्रकार के आपके सामने केसेज हों तो लाकर दें उनकी जांच करवा कर हम कार्यवाही करेंगे लेकिन माननीय सदस्य साहबान जनरल यहां बोलते हैं उसके बाद इण्डिविजुअल मामला लाकर दिया नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं क्या जवाब दूं।

श्री जीवराजसिंह : पिछली असेम्बली में····

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री सुनील विश्नोई।

श्री **जीवराजसिंह** : पिछली बार भी आपने यही कहा था लेकिन इस तरह के आश्वासनों से हमारा पेट नहीं भरता। ये अधिकारी लोग राजस्थान कैनाल पर मनमर्जी करते हैं। हमारे काश्तकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। सारी असेम्बली में खातेदारी राइट की बात आती है और हर समय यही बात कहते हैं कि अबकी बार करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, और बहाना लगा कर चले जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब आपका भाषण अंकित नहीं होगा।

श्री **यदुनाथसिंह** : ये सरकारी पक्ष के लोग ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इनको तो बोलने दीजिए।

श्री **सुनील विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदया, आज तक राजस्थान कैनाल के लिए कितना पानी मांगा गया? क्या आपकी फसलें पानी के अभाव में खराब हुई हैं? हमारा शेयर शायद 18,540 क्यूसेक्स है तो आज तक सरकार ने ज्यादा से ज्यादा कितना मांगा? मांग कितने की है? ये मांगते ही नहीं हैं तो पानी मिलेगा कहां से। कभी तीन हजार क्यूसेक्स, कभी पांच हजार। ज्यादा पानी चलेगा तो नहरें टूट जायेंगी। ये डरते रहते हैं इसलिए पानी मांगते ही नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि फर्स्ट स्टेज कम्पलीट होने के बाद जितना हमें एम.ए.एफ.टी. पानी यूज करना था आज फर्स्ट स्टेज कम्पलीट हो गई है तो उतना पानी ड्रा कर रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें फर्स्ट स्टेज पर ही पानी नहीं मिला, हमारी फर्स्ट स्टेज पर 18 हजार क्यूसेक्स पानी बनता है, जब फर्स्ट स्टेज पर ही पानी नहीं मिल रहा है तो फिर सैकेंड स्टेज क्यों बना रहे हैं? सैकेंड स्टेज में पानी आयेगा कहां से? जो बनाया है फर्स्ट स्टेज, कम से कम उसमें तो पानी एनश्योर कीजिए आप।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री राधेश्याम।

श्री **राधेश्याम** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले प्रश्न कर चुका हूं। मेरे

(श्री राधेश्याम)
प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह निवेदन किया था कि 18400 क्यूसेक्स की जो नहर है उसके अन्दर आज हमें कभी दो हजार कभी चार हजार कभी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री राधेश्याम : ····कभी छः हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा है, क्या कभी इस बात की व्यवस्था की कि करोड़ों रुपया हम कई जगहों से लोन करके वह पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं कि राजस्थान का विकास करेंगे, राजस्थान कैनाल से हमारे यहां पर पानी आएगा, वह पानी गंगानगर जिले में पूरा क्यों नहीं आता ? फसलें जल रही हैं तो आप आगे जो करोड़ों अरबों रुपया लगाने जा रहे हैं क्या उसकी पूर्ति हो सकेगी ? क्या 18 हजार क्यूसेक्स की जो नहर है उसको पानी पूरा मिल सकेगा ? मैंने यह प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं मिला, मुझे इसका उत्तर चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं इसलिए अब अनुमति नहीं दूंगा।

श्री दूलाराम : मैंने क्या कहा है····

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शोभारामजी भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने राजस्थान कैनाल कमेटी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी वह सदन की मेज पर रखी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दूलाराम : जिनका एरिया है उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, जो तड़फ रहे हैं उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। इसमें मेरा है, सुनीलजी का है और आपका है। हमारे पास रिकार्ड है कि पानी में गड़बड़ है····

(व्यवधान)

पूरा पानी नहीं छोड़ा गया है। अधूरी नहरें छोड़ी गई हैं। किसानों ने एजीटेशन किया है····

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करना था वह कर दिया है। उसका जवाब भी दे दिया है मंत्रीजी ने।

श्री दुलाराम : कौन सा जवाब दे दिया। मैं बोला ही नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतनी देर से तो बोल रहे हो।

श्री दुलाराम : मैं बोला नहीं हूं। मैं बोला ही नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान कैनाल में तीन नहरें निकलती हैं, एक सूरतगढ़ ब्रांच····

(व्यवधान)

एक अनूपगढ़ ब्रांच और एक निकलती है बिरदवाली। तीनों के हैड पर आपके पास कितना पानी था ? मेरे पूछने का निवेदन यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां के चीफ इंजीनियर, जिसकी ड्यूटी थी मिस्टर कश्यप की, मिस्टर कश्यप को यह चाहिए था कि वह देखें उस हैड पर कितना

(श्री दूलाराम)

पानी आता है, कैनाल की नहरें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। इसको लेकर सारे उपरले किसानों में असंतोष हुआ और किसानों के असंतोष की वजह से एजीटेशन हुआ और एजीटेशन में हजारों किसान शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद वहां लाठी चार्ज हुआ। सैंकड़ों मुकदमे दर्ज हुए और हजारों किसान गिरफ्तार हुए। मेरा निवेदन यह है कि इसमें मैं माननीय मंत्रीजी को दोषी नहीं पाता और न मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। मेरा चीफ इंजीनियर से निवेदन है और विशेषकर सरकार के माध्यम से कि तुम्हारे पास उस हैड पर कितना पानी था? मैं रिकार्ड के आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सूरतगढ़ ब्रांच में 12-9-81 को 866 क्यूसेक्स पानी छोड़ा है एस. ई. की रिपोर्ट है कि सूरतगढ़ ब्रांच में 1600 क्यूसेक्स पानी पूरा होना चाहिए। जब उनके पास सोलह सौ क्यूसेक्स पानी नहीं था तो उन्होंने अनूपगढ़ ब्रांच को क्यों चलाया? अनूपगढ़ ब्रांच पर उन्होंने 700 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जब कि अनूपगढ़ ब्रांच बारह सौ क्यूसेक्स पानी की ब्रांच है। उनको मालूम होना चाहिए था कि बिरदवाली नहर में पानी की आवश्यकता थी या नहीं थी, उनको सूचना नहीं थी मगर तीनों नहरें छोड़ करके हर किसान को उत्तेजित किया और फसलों की बर्बादी की। हर जगह एजीटेशन करवाये, लोगों को उत्तेजित किया और किसानों के उत्तेजित होने के कारण आज हमारी सरकार की बदनामी हुई। उससे हमारी पार्टी की बदनामी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर के इस मामले में अगर चीफ इंजीनियर को पता नहीं था, मैंने चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल कीजिए, और भाषण नहीं।

श्री दूलाराम : मेरी पूरी बात सुन लीजिए हम दुखी है. हमारी फसले सूख गई है। हमारे किसानों का खून सूख गया है। मैं इस बात से पूरा दुखी हूं और वह दुख इसलिए है कि सिर्फ इस चीफ इंजीनियर की गलती की वजह से, जिस राजस्थान के 25 जिलों में अकाल है, 26 वां जिला गंगानगर था, जिसको अनाज देना था राजस्थान को, उस गंगानगर जिले की सारी फसलें सूख गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस हजार एकड़ भूमि में खरीफ की फसलें उगी हुई थीं, दस हजार बीघा भूमि में अनाज पैदा हुआ था, उस दस हजार बीघा भूमि को उन्होंने नष्ट कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास पानी पूरा नहीं था तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि आप उनसे पूछिये कि आपको तीनों नहरें चलाने की क्या आवश्यकता थी? आप रोटेशन बांध कर रेगूलर सिस्टम से पानी चलाते। आप यह तय करते कि इसमें हम सात दिन पानी चलायेंगे, आप यह तय करते कि अनूपगढ़ ब्रांच को सात दिन पानी पूरा देंगे, मगर उन्होंने हर जगह पानी छोड़ते हुए सरकार की बदनामी की है और उसके कारण हमारा सिर नीचा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया जावे, इसके खिलाफ इंक्वायरी की जावे और फसलों का मुआवजा किसानों को दिया जावे। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हजारों किसानों ने एजीटेशन किया है और तीन हरिजन····

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री दूलाराम : दुख इस बात का है कि तीन हरिजन व्यक्ति मृत अवस्था में हैं और वे मर जायेंगे अगर उनको पानी पूरा नहीं देंगे । वे अनूपगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी अवस्था ऐसी है। वे माननीय सदस्यों से मिल चुके हैं, मेरे से भी मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, माननीय मंत्रीजी से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर महोदय से मिले हैं । गलती इस चीफ इजीनियर की है । इस चीफ इंजीनियर को पता नहीं है कि कैसे पानी छोड़ सकते हैं, कैसे डिप्रेशन में पानी छोड़ते हैं । यही नहीं, दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये लेकर डिप्रेशन में पानी छोड़ा जाता है, किसानों को पानी नहीं दिया जाता । मेरा निवेदन है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाइये और जांच करने के बाद अगर दोषी पाये तो उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को अनुमति देने की स्थिति में नहीं हूं । माननीय मंत्री महोदया जवाब देंगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है उनमें दरअसल में व्यावहारिक तौर पर समुचित व्यवस्था न करने के कारण से काफी दिक्कत हुई है और काश्तकारों को नुकसान भी हुआ है । उनका कहना कि पानी की कमी है, तो हम किस प्रकार से उस पानी से ज्यादा से ज्यादा फसल बचा सकें और उस पानी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें यह लोकल डिफ़िकल्टी है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये । दूसरा मेरा निवेदन है कि आम तौर पर 105 दिन अगर नहर में पानी चला जाता है तो हमारी सामान्य तौर पर फसल ठीक हो जाती है । जितना पानी उपलब्ध है उसमें कुछ समय के अलावा हमारी नहर में 90 दिन, 85 दिन, 80 दिन 95 दिन, इस प्रकार पानी अब तक चल चुका है और आने वाले समय में उसमें जब और पानी चलेगा तो नार्मली जितना पानी एक टाइम की फसल के लिये देने के लिये होता है, वह आम तौर पर पानी जाता है । लेकिन फसल के लिये एक साथ सारा पानी दे दें और उसकी स्पेसिंग है उसके हिसाब से पानी नहीं मिले तो उससे फसल नहीं बन सकती है । अगर हम एक साथ पानी ज्यादा देकर दुबारा फलक्चुएशन बता कर नहीं दें तो फसल बराबर बनती नहीं हैं, या पकती नहीं है । उसको चार-पांच पानी बार-बार नियमित स्पेसिंग के साथ में चाहिये । जो हमारे एरिया के अन्दर नहीं मिल रहा है, इसलिये जो फलक्चुएशन की पोजीशन है, जो हमारे काश्तकारों को उसमें काफी दिक्कत रहती है, वह हमारे मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री के ध्यान में है और उसको हाई लेवल पर देख रहे हैं । इसकी व्यवस्था करने की कोशिश में हैं । मैं उनकी दिक्कत को, उनकी परेशानी को, उनके कष्ट को, महसूस करते हुए निवेदन करना चाहती हूं, जो पानी की कमी रही और जो काश्तकारों को नुकसान हुआ है उसको आज हम 6400 क्यूसेक्स पानी देकर कुछ संभालने की कोशिश में हैं । उस समय में फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो मैं मान सकती हूं कि बर्बाद हुई फसल को इस पानी से बचाना संभव नहीं है । लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही

(श्रीमती कमला)

फिर से पानी 10 सितम्बर के बाद शुरू हो गया, उसके कारण से हम काफी तादाद में 70-80 प्रतिशत तक हमारी फसल को बचा पायेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

सहयोग कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं चाहूंगा कि क्या सी.ए.डी......

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सहयोग कीजिये। आसन पैरों पर है। अंकित नहीं किया जाये।

श्री तेजपाल यादव : × × ×

श्री दूलाराम : खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया है, उस हत्यारे के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिलने का। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। अंकित नहीं होगा।

श्री दूलाराम : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे नियमों का पालन करने पर बाध्य न कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग कीजिये। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री दूलाराम : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। सहयोग कीजिये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

राजस्थान नहर राज्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था आज तक राज्य सरकार ने कितने ज्यादा से ज्यादा पानी की मांग की है, वह बताया नहीं इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष: सैटिसफेक्टरी है काफी।

श्री देवीसिंह भाटी : एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सहयोग कीजिये। बैठ जाइये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : सी.ए.डी. से संबंधित प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप बैठ जाइयें।

श्री सुनील विश्नोई : मैंने एक ही चीज पूछी थी, आज तक ज्यादा से ज्यादा कितने पानी की मांग की है।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने चर्चा समाप्त कर दी। अब उसको दुबारा रिप्रोपन नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय दूलाराम जी ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सवाल उठाये। मंत्री महोदया ने उसका जवाब भी दे दिया। इस सदन के सामने मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं इस पूरे एरिया में जो क्रॉप पैटर्न अभी मानसून क्राप के लिये शो किया गया था वह बरसात को ध्यान में रखकर शो किया गया था। हण्ड्रेड पर्सेन्ट कल्टीवेशन हुआ। यह जो एडीशनल इरिगेशन फेसिलिटी है, हमारे पास वह एडीशनल के रूप में ही काम में आ सकती है। अब आप चाहते हैं सेंट पर्सेंट इरिगेट हो जाय तो वह इम्पॉसिबल है।

श्री दूलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है गलत तरीके से उत्तर दे रहे हैं। 1600 क्यूसेक्स की नहर के लिये 800 क्यूसेक्स पानी पूरा हो सकता है ? उल्टा जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल था, उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी अवेलेबल था, क्योंकि उस दिन जिस दिन पानी आया, 1600 क्यूसेक्स की आप बात कर रहे हैं जिस दिन पानी हमारे पास आया, डिमाण्ड पूरे एरिया में थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर सिर्फ एक कैनाल को वह पानी डिस्ट्रीब्यूट करके 1600 क्यूसेक्स डाल देते हैं तो आप नहीं मानते कि दूसरे आब्जेक्ट करते ? दूसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।

श्री दूलाराम : हम कमाण्ड एरिया के हैं, हमको पता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No interruption.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया था, मंत्री महोदय ने अर्ज किया आगे के जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, आप एडवाइस कर दें, एडवाइजरी कमेटी यह बना रहे हैं, अब आगे किस प्रकार दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सुनील विश्नोई : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उस कमेटी में काश्तकारों को लेंगे या नहीं लेंगे ? काश्तकारों का हक है, उस कमेटी के मैम्बर हों।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हम तो यह कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुनील जी को काश्तकार मानता हूं और यह भी साथ में आने चाहिये सभी एम. एल. ए. को इन्क्लूड कर रहे हैं और उसके बाद यह कहते हैं एक-दो काश्तकार ले लो, हम जरूर लेंगे। इनकी एडवाइस लेंगे आखिर इनका तो एरिया है हम बैठे-बैठे तो क्या डिसाइड करेंगे।

एक माननीय सदस्य : चीफ इंजीनियर की बात कही गई है। हम इलाके में जायेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। उसके लिये मंत्री महोदय जवाब दें। चीफ इंजीनियर के लिए क्या कर रहे हैं ?

(एक माननीय सदस्य)

हमारे काश्तकार इलाके में बढ़ने नहीं देंगे। खड़ी फसल को खराब किया है। लोगों को पीने का पानी बन्द कर दिया चीफ इंजीनियर ने। मेरे रामसर गांव में पीने का पानी बन्द कर दिया। पीने के लिए पानी नहीं है। छोटी-छोटी ऊपरी खाले हैं जिनका पानी लोग पीते है उनमें पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्री महोदय।

श्री दूलाराम : 25 जिलों में एक अरब रुपया खर्च करेंगे, गंगानगर में एक पैसा खर्च नहीं होगा। वह किसान कहां जायेगा, किसके पास जाकर रोयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

जब एडवाइजरी कमेटी बनायी जा रही है आप भी उसमें सदस्य होंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

श्री दूलाराम : आप सिंचाई मंत्री जी से उत्तर दिलवायें। जो मैंने प्रश्न किया है, रेगूलेशन के मामले में चीफ इंजीनियर दोषी है, माननीय सिंचाई मंत्री जी समझा दें कि वह दोषी नहीं हैं तो मैं मान जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर वह दोषी पाया जायेगा तो सजा भी मिलेगी।

आपने वक्तव्य खत्म कर दिया। ठीक है।

बन्धुआ मजदूरों को जबरन रखने की घटना

श्री नन्दलाल मीणा, श्री राजबहादुर, श्री भैरोंसिंह गुर्जर, श्री गोपाल पचेरवाल, नियम 131 के अन्तर्गत झालावाड़ के विधायक द्वारा बन्धुआ मजदूर को जबरन रखने की घटना के नाम पर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव 5-9 को प्रस्तुत किया था, परन्तु आज उसकी व्यवस्था मिली है। खैर, हमारी जो मंशा है वह यह है कि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आ जाय इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बन्धुआ मजदूरों के बारे में हमारे देश में संसद में भी और गये विधान सभा सत्र में कई माननीय सदस्यों ने गंभीरता-पूर्वक अपना मत व्यक्त किया कि सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये उत्सुक है। सरकार इस समस्या के साथ जो बन्धुआ मजदूर गत जनता शासन के दौरान मुक्त कराये गये थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने में अक्षम रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मैं निवेदन करना चाहता हूं वर्ष 1980 के बाद देश की सरकार में परिवर्तन आया। 20 सूत्री कार्यक्रम की समर्थक सरकार कहती है कि हम देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। इस सरकार के 20 सूत्रों में से एक सूत्र बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति और पुर्नवास का था लेकिन उसको ताक में रख दिया गया। आज राजस्थान में 73 के 6 हजार लोगों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया था उनमें से अधिकांश आज वापस बंधुआ मजदूर बन चुके हैं

(श्री नन्दलाल मीणा)

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह एक अनिवार्य प्रश्न है कि देश में जिस आर्थिक असमानता की वजह से इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है सरकार की मौलिक और कल्याणकारी नीति के आधार पर उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस समस्या का निदान करें। उपाध्यक्ष महोदय, नींव की आवश्यकता सबसे पहले होती है यह हम को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने बंधुआ मजदूरों के नाम पर वोट प्राप्त करने के लिये एक इस सूत्र को भी जोड़ लिया परन्तु कांग्रेस की इस लॉबी में एक बहुत बड़ी, ऐसी लोबी है जो बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के विरुद्ध है। कौन पूंजीपति या अधिकारी या बड़े किसान ऐसा चाहेगा कि उनके घर में मुफ्त काम करने वाला व्यक्ति न हो। आज राजस्थान में 17 हजार मजदूर इस बात के लिये लालायित हैं कि राजस्थान की सरकार हमको मुक्त कराये। मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का जो हाथ करघा विभाग है, उनके आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम स्वरूप यहां पर सारा काम ठप्प हो गया है। 1980 में बंधुआ मजदूरों के नाम पर भारत सरकार ने जब राजस्थान सरकार को ताड़ना दी तो सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दिया कि पटवारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करवायें और पटवारी गांव-गांव में जाकर देखें कि कौन-कौन बंधुआ मजदूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले हमारे देश में गांधी शांति प्रतिष्ठान और कई स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया उसमें सर्वेक्षण के आधार पर हमारे देश में 40 लाख बंधुआ मजदूर पाये गये और राजस्थान में 17 हजार मजदूरों के बारे में कहा गया लेकिन पटवारियों के माध्मय से जो सर्वेक्षण कराया गया और जो रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने आई, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है उसमें बताया गया कि राजस्थान में एक भी बन्धुआ मजदूर नहीं है। फिर जब एक भी बन्धुआ मजदूर नहीं है तो फिर उनके पुनर्वास का, उनकी मुक्ति का कौनसा प्रश्न खड़ा हुआ है? सवाल ही नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे क्या हुआ? गये असेंबली सत्र के समय माननीय मुख्य-मंत्री जी ने कहा था कि इसके लिये हम स्वतंत्र संगठन का गठन करने जा रहे हैं। उसकी तिथि है, उपाध्यक्ष महोदय, 8-8-80। आश्वासन समिति को तीन महीने में आश्वस्त कर देना चाहिये था, मंत्री महोदय के द्वारा, परन्तु आज दिन तक उस आश्वासन के बारे में किसी प्रकार की कोई क्रियान्विति नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रही प्रशासनिक बात, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, केवल ध्यानाकर्षण कर दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मानवीय प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या है, हमारी दृढ़ राजनीति होनी चाहिये वह क्या है, नियोजित कार्यक्रम क्या है इसके लिये लॉबी बनी हुई है। इस प्रकार के गरीब लोगों को पूंजीपतियों के शिकंजे से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि शार्ट में कहूं, मैं उस प्रश्न के बारे में निवेदन कर रहा हूं जिसके बारे में आज तक विचार नहीं किया गया। अगर उनके आंसू भी पोंछे गये तो

(श्री नन्दलाल मीणा)

सिर्फ वोटों के लिये पोंछे गये। मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, राज्य स्क्रिनिंग कमेटी, जो इस समस्या पर विचार करेगी, परन्तु आज दिन तक इस पर विचार नहीं हुआ है। मंशा स्पष्ट है कि राजस्थान के बंधुआ मजदूरों के बारे में कांग्रेस (आई) की हुकूमत किसी प्रकार का विचार और उनको मुक्त कराना नहीं चाहती। आज स्थिति यह है कि जनता सरकार के दौरान जो 700 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया था वे वापस बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, उपाध्यक्ष महोदय, उनके आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई है? इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी राजनैतिक, दृढ़ राजनैतिक इच्छा नहीं है और न इनके पास योजना है। योजना बन कैसे सकती है? मंत्री महोदय ने आदेश दिया कि उनके स्वतंत्र संगठन की रूपरेखा बनावें। विशिष्ट सचिव, आयोजना में जो विशिष्ट सचिव हैं उन्होंने उस आदेश की पालना नहीं की। मंत्री महोदय ने तीन बार स्मर्ण-पत्र दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह राज है या राजनीति की दुकानें? मंत्री के आदेशों की पालना नहीं करें, वे 3-3 बार स्मर्ण करावें उसके बावजूद यह स्थिति है। किस ओर जा रहे हैं? कौन किससे आशा कर सकता है? कांग्रेस (आई) की हुकूमत राजस्थान में गरीब मजदूरों, पिछड़े और दलित लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह कर एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय जवाब दें, स्वतंत्र गठन के बारे में क्या हुआ और इस बात का भी जवाब दें कि उनके आदेशों की पालना नहीं की, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि बंधुआ मजदूरों के पीछे कई पूंजीपति हैं, अधिकारी हैं, बड़े-बड़े जमींदार हैं और उनके साथ कांग्रेस (आई) की हुकूमत है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और यहां के डायरेक्टर डा. पाण्डे झालावाड़ पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मनोहरथाना के विधायक श्री भैरूलाल रानीपुरिया एक बंधुआ भील को 10 वर्ष से जिन्दगी खराब कर रहे थे, उसको मुक्त कराया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जनता शासन के दौरान उसको भूमि दी गई, बैल दिये गये, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान तक नहीं कि मेरे खाते में जमीन भी है उसको यह भी मालूम नहीं कि जिन एम.एल.ए. साहब के लिये मैंने एड़ी से चोटी तक पसीना बहाया उन्होंने ही इसे हड़प लिया है। और क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय? जब कलेक्टर वहां पर पहुंचे, पाण्डे को तत्काल हटा दिया गया। मंत्री महोदय ने आदेश दिये कि ट्रांसफर आदेश को स्थगित कर दिया जाये लेकिन सचिव महोदय ने आदेशों को नहीं माना। इस बात का भी शक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आदमी, कलेक्टर झालावाड़ में लगाया गया वह यह साजिश थी कांग्रेस (आई) के हुकूमत में बैठने वाले लोगों की। बंधुआ मजदूर की मुक्ति के नाम पर, उसके पुनर्वास के नाम पर, जो निष्ठा से ईमानदारी से काम करें, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नन्दलाल मीणा)
मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : बंधुआ मजदूरों की बाबत भाषण देने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : श्री रानीपुरिया से बंधुआ मजदूर को मुक्त करा दिया इसके लिये तो मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, परन्तु मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष तक अपना खून पसीना एक करके काम किया, क्या सरकार आज इस स्थिति में है कि उस बंधुआ मजदूर को उसके परिश्रम का हक मिले ? उपाध्यक्ष महोदय, दो चार मुद्दे और हैं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक रेलेवेंट प्रश्न है। क्या सरकार ने 1981-82 के बजट में....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान्, इसका कोई बजट नहीं रखा है। 81-82 के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन की एक गरिमा है। इसका आप ध्यान रखिये।

श्री यदुनाथसिंह : वह गरिमा रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई तथ्य सदन के सामने रखे हैं। मेरा तो यह कहना है कि सारा राष्ट्र, राष्ट्र के शासक दल और विरोधी पक्ष वाले भी सब के सब इस बात के लिये कमिटमेंट, संकल्प कर चुके हैं कि जो बन्धुआ मजदूर जहां जहां भी हैं उनकी खोज करेंगे उनको मुक्त करेंगे और उनका पुनर्वास करेंगे। ऐसी अवस्था में अगर शासक दल के एक विधायक के घर से सरकारी अफसर द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट द्वारा बंधुआ मजदूर निकाला जाता है तो शासक दल की क्या जिम्मेदारी होती है, उस विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है? Skeletons are being recovered from there cup boards इनकी तिजोरियों से निकल-निकल कर आरहे हैं। जिम्मेदारी क्या है? क्या लोगों में विश्वास पैदा होगा इन घटनाओं से ? पहली बात तो यह है कि क्या वह विधायक स्वयं इस्तीफा देंगे या स्वयं स्वीकार करेंगे ? एपोलोजी करेंगे या सरकार उनकी ओर से करेगी ? क्योंकि हम ने नहीं निकाला है, यह गुप्त रहस्य। यह तो स्वयं सरकारी ऑफिसर ने निकाला है। कलेक्टर ने निकाला है। हम थोड़े ही निकालने गये थे। लेकिन एक चीज सामने आई है, साथ ही कई तथ्य सामने आये हैं, इस सरकार की नीति दिखावटी है, बंधुआ मजदूरों को हम मुक्त करेंगे, खोज करेंगे, पुनर्वास करेंगे क्योंकि इन्होंने इस घटना के बाद, हमें पता चला है कि उस दफ्तर में ही ताला लगा दिया है। जो रिपोर्ट निकली है, मैं आपकी मार्फत एक बात कहना चाहता हूं सब से पहले बंधुआ मजदूरों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव

(श्री राजबहादुर)

रखा था ताकि सरकार की इस मामले में अनदेखी और साजिश की भर्त्सना की जा सके किन्तु इसको केवल ध्यान आकर्षण के रूप में ही लिया गया। काफी दिन के बाद इसका जवाब आया है। खैर, स्माल मर्सी के लिये शुक्रिया। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह बात सामने आई है, कि दस वर्षों से बिरमा, भील उसके बैलों की जोड़ी, जो उसको मिली थी, और जो जमीन उसको एलॉट हुई थी, उन सब का उपभोग किसने किया? इन्हीं एम. एल. ए. महोदय ने किया है। यह रिपोर्ट है। मैं इस रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं। इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कोई खण्डन नहीं है और न इन विधायक महोदय की ओर से खण्डन किया गया है, इसलिये मुझे कहने का अधिकार है। मैं गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं कह रहा हूं। इस घटना के बाद उस दफ्तर में ताला बंद क्यों किया गया? संबंधित ऑफिसर को अलग क्यों कर दिया गया? उसको आदेश मिला है। You wait for your orders of posting. पोस्टिंग के आर्डर के तहत। पोस्टिंग आर्डर मिला या नहीं हम इससे कन्सर्न्ड नहीं हैं। कन्सर्ड इससे हैं कि आपने क्या-क्या आश्वासन दिये हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि दफ्तर का ताला बंद क्यों हो गया है? आफिसर को हटा क्यों दिया गया और उसकी जगह सब्स्टीट्यूट कौन आया है? फिर जो एक सैल बना था, बन्धुआ मजदूरों के लिये प्रकोष्ठ बना था, वह करीब-करीब खत्म क्यों कर दिया गया है? इसी सन्दर्भ में एक बात और निकली है। कुछ समय पहले बिहार गवर्नमेंट ने शिकायत की थी राजस्थान गवर्नमेंट से, कि उनके यहां मजदूर लाये जाते हैं और यहां के ठेकेदार, पूंजीपति उनको बन्धुआ मजदूर रखते हैं। यह बात सच्ची पाई गई है। इसके बाद उड़ीसा की शिकायत आई है। हमारे यहां के 13 कान्ट्रेक्टरों ने लेबर ले रखी है। यहां के आपने जो शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के कमिशनर है, उनकी रिपोर्ट है, इसके अलावा आपने खुद ने सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट है जो यह बताती हैं कि हजारों बन्धुआ मजदूर कृषि क्षेत्र में हैं। जो सर्वे नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट की मार्फत हुआ है उससे मालूम हुआ है कि 67,000 बन्धुआ मजदूर एग्रीकलचर सैक्टर में हैं और इतने ही बंधुआ मजदूर नॉन एग्रीकलचर सैक्टर में हैं। यानि लगभग दो लाख बन्धुआ मजदूर हैं। वह तो सामने प्रत्येक डेढ़ सौ में एक आ रहा है। मान लीजिये, हमारे प्रत्येक डेढ़ सौ में से एक आदमी बंधुआ मजदूर है तो राजस्थान के लिये यह कलंक की बात है जब कि हमारा यह आश्वासन है, कमिटमेन्ट है कि हम बंधुआ मजदूरों की मुक्ति करायेंगे, उनकी खोज करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सागड़ी अबोलिशन एक्ट, 1961 में, बना है। सागड़ी बोलते हैं, इसके अन्तर्गत जो दो लाख बंधुआ मजदूर है उनमें से आपने 303 को ही आइडेन्टीफाई किया है। नम्बर ज्यादा है। जैसा मैंने कहा है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर ने कहा है कि दोनों को मिला कर दो लाख के आस पास हो सकते हैं। फिर बाउन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट, 1976 में पास हुआ। उसको हमारी असेम्बली ने स्वीकार किया। एक कमेटी बनी बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने, खोज करने के लिये चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर यह दफ्तर

(श्री राजबहादुर)

का ताला क्यों बन्द हुआ ? उस ऑफिसर को क्यों हटाया गया ? यह सर्वे रिपोर्ट जो बनाई गई है उसको क्यों दबाना चाहते हैं? यह सारी चीजें कही गई। फिर यह बतावें कि उस कमेटी, जो चीफ सेक्रेटरी के तहत बनी है, ने आज तक कोई काम किया है ? कुछ सवाल और मोटे मोटे करना चाहता हूं। बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति, पुनर्वास के लिये क्या किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान हमारे बजट में है ? क्या यह बता सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में या इस साल 1981-82 के बजट में है ? इस वार्षिक योजना में इसके लिये कोई प्रावधान है ?

तीसरी बात, अनुसूचित जाति और जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कृषि क्षेत्र में काफी श्रमिक बन्धक हैं। 12-6-81 को शासन सचिव का इस ओर ध्यान दिलाया गया था। कमेटी की क्या कोई कार्यवाही हुई है ? क्या एक्शन लिया गया है, शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट के ऊपर? मंत्री महोदय को यह बताना होगा कि इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है वरना यह हमारी डेमोक्रेसी निरर्थक है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर जो रिपोर्ट बनाता है उस पर खर्चा होता है। वह काम करता है, उसकी रिपोर्ट आती है और वह रिपोर्ट दफ्तर-ए-खामोशी में चली जाती है। इसके पीछे बैठ जाते हैं। इसके अलावा राज्य में बन्धुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति और पुनर्वास के लिये राज्य स्तरीय समिति 1976 में बनी थी। तब से लेकर आज तक इसकी मीटिंग कितनी हुई, यह बता दें?

यह सुना जाता है कि एक मीटिंग मई, 1980 में हुई है। मई, 81 चला गया। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, चार महीने हो गये। इन 16 महीनों में कोई कमेटी की मीटिंग हुई है ? कमेटी की मीटिंग हुई है तो क्या डिसीजन हुए हैं ? क्या सिफारिश हुई ? क्या-क्या निर्णय लिये गये ? क्या निष्कर्ष निकाले हैं ? क्या एक्शन हुआ, आज तक ? दिनांक 8 अगस्त, 1980 को कृषि मंत्री महोदया ने एक आश्वासन हाउस में दिया था। वह कमिटमेंट यह था कि हम एक स्वतन्त्र संगठन की स्थापना करेंगे, आटोनामस से मतलब है—खोज, मुक्ति और पुनर्वास के लिये। 8 अगस्त, 1980, 6-11-80 और 9-12-80 का यह सुना गया लेकिन यह पता नहीं कि वह स्वतन्त्र संगठन कहां गया। कहीं है भी या नहीं है? इस सदन की एक आश्वासन समिति भी है। उसका नियम यह है कि ज्यादा से ज्यादा तीन महीने में जवाब मिल जाये। जो आश्वासन 8 अगस्त, 1980 को दिया गया था, मंत्री महोदय बतावें कि उस आश्वासन के ऊपर आज तक कुछ अमल हुआ या नहीं ? आश्वासन तो आपने दिया है, वह आश्वासन समिति में गया है। जो कन्वेन्शन है, जो 244 रूल है आश्वासन कमेटी का आश्वासन कमेटी ने लिया या नहीं लिया ? तीन महीने के अन्दर जवाब देना चाहिये यह कन्वेन्शन बताया गया है जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार, गलत है तो आप बतायें। लेकिन क्या इस आश्वासन के ऊपर कोई कार्यवाही हुई, क्या कोई रिप्लाई हुआ ? फरवरी के महीने में भारत सरकार की ओर से लेबर मिनिस्ट्री और होम मंत्रालय से एक लैटर बन्धुआ मजदूरों के बारे में आया था यह जानकारी मिली है। इसका जवाब गया ?

(श्री राजबहादुर)

आज तक जवाब नहीं गया। फरवरी में आया, इसी वर्ष की बात है तो सितम्बर का महीना है, नौ महीने की बात हो गयी है। कोई जवाब हमारी ओर से गया या नहीं गया ? यह भी एक सवाल है। और भी बहुत से सवाल है जिनको कहने से गुरेज करता हूं। इतनी मंदगी है, इतनी अकर्मण्यता है, इतनी गैर-जिम्मेदारी है कि जैसे कोई बन्धक मजदूर है ही नहीं। उन मजदूरों के साथ कोई पब्लिक कॉन्सस नहीं है, कोई आपकी कॉन्सस नहीं है, किसी के मन में नहीं है, हाउस में भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी हाउस से बाहर नहीं है।

श्री राज बहादुर : मेरे लिये भी है। मैंने भी अनदेखी की है इसका मतलब यह हुआ मंत्री ने नोटिस नहीं लिया। हाउस ने नोटिस नहीं लिया, कमेटी ने नोटिस नहीं लिया। मैं उनसे अलग नहीं हूं, इसलिये इस पर कुछ दृढ़ता से कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर। संक्षेप में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : मैं तो संक्षेप में ही बोलता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि गोपाल पचेरवाल मेरे से कह गये हैं कि मेरी जगह बोल लेना तो कृपया ज्यादा समय देना....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये भी बन्धुआ मजदूर हैं....

श्री भैरूंसिंह : अभी से चालू हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका समय काट लूंगा अगर आपस में बात करेंगे तो।

श्री रामकंवर बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, गोपाल पचेरवाल मुझको कह कर गये हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक तो....

श्री उपाध्यक्ष : यह बतायें कि क्या आप गोपाल पचेरवाल की तरफ से बोल रहे हैं? अगर उनकी तरफ से बोल रहे हैं तो नहीं बोलें। आपकी तरफ से बोल रहे हैं तो इजाजत है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरी तरफ से ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर उनका नाम क्यों लिया था ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तो सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने झालावाड़ के विधायक द्वारा कुछ बंधुआ मजदूरों को जबरन रखने की घटना के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया है। मैंने तो राज्य के अन्यत्र भागों में कार्यरत अन्य बंधुआ मजदूरों को मुक्त न किये जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, इसलिये आप किसी गलतफहमी में न रहें।

इसके बाद आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा जो कत्था बनता है, जोजावर के पास अरावली की सरहदों में, यह मेरी आंखों देखी बात है मैंने वहां पर बंधक मजदूर देखें हैं। उनकी दयनीय स्थिति देखी है। उन बंधक मजदूरों के चारों ओर कांटों की बाड़ लगादी जाती है और जब वे लैट्रीन करने या पेशाब करने जाते हैं तो उनकी निगरानी की जाती है, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा और अन्य

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

दूसरे लोगों के द्वारा कि कहीं ये भाग न जायें। मजदूरों को तीन रुपये दिये जाते हैं और अगर बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज भी नहीं कराया जाता है। खाने के लिये रोटियां नहीं मिलती है, उनके बाल-बच्चों की कोई केयर नहीं होती है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। इसके बारे में आपसे, निवेदन करूंगा कि उनकी मजदूरी रोक ली जाती है।

इसके बाद अभी जो जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार ने इतने बंधक मजदूर छुड़ायें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में तो और भी बढ़ गये थे। इमरजेंसी में हमने आप जैसे कई बंधकों को छुड़ाया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उनकी मजदूरी छीन ली जाती है। यह कहा गया कि वन विभाग के कर्मचारी उनको झोंपड़ी बना कर देते हैं, यह सब झूठ है। वे अपने हाथों से अपनी झोंपड़ी बना कर रहते हैं जहां पर रात में सांप-बिच्छू आते हैं। जंगल में रहते हैं। उनकी हालत इतनी खराब है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर आप उनकी हालत देखलें तो जरूर गौर करेंगे वे गोरे-गोरे गये थे, उनकी सारी की सारी शक्ल बिगड़ती जा रही है, काले हो गये हैं, कत्थई रंग के हो गये हैं, उनकी तो नस्ल ही बिगड़ती जा रही है। इसलिये कृपा करके उन बंधक मजदूरों को मुक्ति दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो गोरे हुए नहीं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको पीने का पानी नहीं मिलता। उनसे कुएं खुदवाये जाते हैं बावड़ी खुदवायी जाती है, बड़े-बड़े तालाब खुदवाये जाते हैं लेकिन उनको उस पानी के हाथ नहीं लगाने दिया जाता है...

एक माननीय सदस्य : शराब पियें। शराब खुल गयी है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वह तो आपको ही मुबारक हो। उनको वहां पर 24-24 घण्टे पीने को पानी नहीं मिलता है। बंधक मजदूरों के बारे में चर्चा हो रही है। उनको पकड़-पकड़ कर ले जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कोई जानकारी की बात करें। कोई स्पेशल इवेंट की बात हो तो वह कह दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बंधक मजदूरों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : किसी जगह विशेष कर बंधक मजदूरों के मामले में चर्चा करें। आप तो जनरल बात कह रहे हैं, यह तो हर कोई कह सकता है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही राजस्थान में जो बंधक मजदूर हैं उनकी समस्याओं के लिये दिया है। आपने इसका अर्थ गलत लगाया तो मेरा क्या कसूर है। मेरा यह निवेदन है कि आप यह बतायें कि राजस्थान में कितने बंधक मजदूर हैं? क्या इसकी राज्य सरकार को जानकारी है? जो विशिष्ट सचिव हैं वो बैठे हैं, क्या राज्य सरकार ने इसका सर्वे किया है कि कितने बंधक मजदूर हैं? कितने मजदूर तकलीफ उठा रहे हैं? न तो पिछली

((श्री भैरूंसिह गुर्जर)

जनता पार्टी की सरकार ने और न इस सरकार ने कोशिश की है। इसलिये निवदन किया कि सर्वे करवाया जाय कि कितने बंधक मजदूर हैं। हमारे विशिष्ट शासन सचिव तो कहते हैं कि ऐसा कोई भौतिक लक्ष्य तय नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में कितने बंधक मजदूर हैं। मेरा ऐसा निवदन है कि अप्रेल, 81 में योजना आयोग में जनजाति क्षेत्र के लिये डिस्कसन करने हेतु एक टीम जाने वाली थी। उस टीम में ट्राइबल कमिशन और बंधक मजदूर के इन्चार्ज जाने वाले थे वे उसमें नहीं गये, उसके कारण राज्य सरकार को 30 लाख का नुकसान हुआ। उसकी जिम्मेदारी किसी की फिक्स करें और दण्डित करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरा निवेदन है कि इस वर्ष सरकार की ओर से कोई बजट, किसी प्रकार का नया पैसा बंधक मजदूरों के नाम पर नहीं रखा है और न ध्यान दिया है। क्या विशिष्ट शासन सचिव ने कोई योजना बना कर नहीं दी है? आखिर गलती किसकी है? उनकी या राज्य सरकार की जांच करके किसकी गलती है उसको दण्ड दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं एक विशिष्ट शासन सचिव हैं, उन्होंने इसके लिये कोई पैसा क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने बंधक मजदूर रख रखें हैं। उनको बचाने के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जानकारी, माननीय सदस्य, आप मंत्री को लिखकर दे दें ताकि इन्क्वायरी हो सके।

श्री भैरूंसिह गुर्जर: ये विशिष्ट शासन सचिव जयपुर में है और इन, के घर पर भी बंधुआ मजदूर हैं।

श्री महावीरप्रसाद जैन: उपाध्यक्ष महोदय, ये भी कोई बंधुआ मजदूरों से कम नहीं है इनकी भी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाये। अभी तक किया गया या नहीं किया गया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप कृपा करके हमारे माननीय सदस्य जिसको बंधक की तरह से रख रखा है उनको तो मुक्त करवायें बंधकों का सा जीवन बिता रहें हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिह गुर्जर: मैंने निवेदन किया अब एक विशेष निवेदन और करना है विपक्ष में कुछ बंधक मौजूद है उनकी तरफ भी आप कोई......

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी के सर्टिफिकेट प्राप्त ये कुछ बंधक मौजूद हैं जिनकी आत्मा इन्दिरा गांधी के पास गिरवी है...

श्री उपाध्यक्ष: आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।

मंत्री महोदया वक्तव्य देंगी।

श्रीमती कमला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उसके संबंध में कुछ अपनी जानकारी अनुभव और तथ्य सदन में प्रस्तुत किये उसमें कुछ स्पष्टीकरण के तौर पर और कुछ जानकारी के तौर पर निवेदन करना चाहूंगी।

(श्री श्रीमती कमला)

राज्य में वर्ष 1975-76 के दौरान 6,000 बन्धक मजदूरों का पता लगाया गया जिसमें से 4 हजार 178 जनजाति के, 1 हजार 249 अनुसूचित जाति के एवं शेष अन्य जाति के हैं। मुक्त हुए बन्धुआ श्रमिकों की मुक्ति होते ही राज्य की ओर से प्रति व्यक्ति 500 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये। श्रमिकों को कृषि भूमि के आवंटन में प्राथमिकता दी गयी आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये तथा राज्य में सरकारी नौकरी में रोजगार प्रदान करने में भी प्राथमिकता दी गयी। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास सम्बन्धी सभी सुविधाऐं प्राथमिकता के आधार पर सुलभ करायी गईं। इस स्कीम के अन्तर्गत 2,983 व्यक्तियों को कृषि योग्य 87,780 बीघा भूमि आवंटित की गयी, 363 को आवासीय भू-खण्ड दिये गये, 547 बन्धक श्रमिकों जिनके पास अपनी निजी भूमि थी, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, 52 व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किया गया। 70 व्यक्तियों को राज्य के विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान किया गया। इस सम्बन्ध में 1980-81 तक जो प्रावधान रखा गया वह इस प्रकार है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग बंद कर दिया गया है, उस पर ताला भी लग गया है वहां कोई अधिकारी भी नहीं, कोई प्रावधान भी नहीं और कुल मिलाकर सरकारने बंधुआ मजदूरों का सर्वे, आइडेंटीफिकेशन और सारा काम ही बंद कर दिया है।

श्री राजबहादुर : प्रेस रिपोर्ट है।

श्रीमती कमला : प्रेस रिपोर्ट तो किसी ने अपनी व्यक्तिगत इन्टेरेस्ट से करवायी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से दी है। उन्होंने यह जो जानकारी आपको भी दी है, आप मानकर चलिए वह भी इसी दृष्टि से दी। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहती हूं कि सन् 1979-80 में 28 लाख रुपये का इसके लिए प्रावधान रखा गया था।

(व्यवधान)

मैं बता रही हूं सुनने का कष्ट कीजिए। इतने उतावले मत होइए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए माननीय सदस्य वक्तव्य जारी रहने दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : ××× बोलने की सीमा रखिए, सीमा।

श्रीमती कमला : सुनने की इतनी भी क्षमता नहीं है। ××× आप बोल रहे हैं मैं बिल्कुल रिकार्ड से कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ××× बोलने का अंकित न हो।

श्रीमती कमला : 1980-81 में 28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें 21 लाख 15 हजार रुपया व्यय हो गया। 1981-82 के लिए 8 लाख 75 हजार रुपये का प्रावधान किया हुआ है। क्योंकि पूर्व में इनका आइडेंटीफिकेशन हुआ था उस वक्त में काफी बड़ी संख्या थी इसलिये उस वक्त यह प्रावधान किया गया। उनको पुनर्वासित करने के बाद में संख्या कम रही इसलिये इस वर्ष में 8 लाख 75 हजार रुपये का प्रावधान है जिसको कि हमें यूटिलाइज करना है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य के एक-एक कोने में कहीं पर भी

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 142

142

(श्रीमती कमला)
बंधुग्रा मजदूर आज मौजूद हैं उनकी बहुत विस्तार से ग्रौर गांव-गांव में जाकर के ग्राम सभायें करके आइडेंटीफिकेशन किया जाय इसके लिये पिछले मई-जून महीने में जो रेवेन्यू केम्प लगाये गये उनमें खास तौर से तमाम जिलाधिकारियों को, प्रोजेक्ट ग्राफिसर्स, जो ग्राई. ग्रार. डी. के हैं से यह कहा गया ग्रौर लिखित में पाबन्द किया गया कि जब ग्राप दूसरे मामले का ग्राइडेंटीफिकेशन करे उस वक्त में इस बात का विशेष तौर पर ग्राइडेंटीफिकेशन करें कि उस ग्राम पंचायत के ग्रन्दर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बंधुग्रा मजदूरों की श्रेणी में ग्राते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने बार बार सभी सदस्यों से यह भी निवेदन किया था ग्रौर ग्राग्रह भी किया था कि वे इन दो महीनों के ग्रन्दर ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में जाकर इस बात को देखें कि कहां-कहां किस प्रकार का काम हो रहा है ग्रौर उसमें योगदान भी करें। ग्रभी सितम्बर में प्रोजेक्ट ग्राफिसर्स की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी और जिलाधीशों की भी एक बैठक हुई उसमें उन्हें पाबन्द किया गया है कि वे डी. ग्रार. डी. एस. की जो एजेंसी है उसके माध्यम से दो महीने के ग्रन्दर ग्रन्दर, यानी ग्रक्टूबर के ग्रन्त तक, ग्रपने जिले के तमाम गांवों में ग्रपने स्तर पर ग्रौर पंचायत स्तर से जिस तरह से भी इनका सर्वे किया जा सकता है, इनका ग्राइडेंटीफिकेशन किया जा सकता है, ग्रपने क्षेत्र के तमाम बन्धुग्रा मजदूरों का सर्वे करके राज्य सरकार को ग्रवगत करायें जिसके मुताबिक उनके निदान की मांग की जा सके ग्रौर उस पर कार्यवाही की जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़े में जिलाधीश एवं अन्य अधिकारियों द्वारा ग्रपने स्तर पर जांच करवा कर 16 बन्धुग्रा मजदूरों को मुक्त करवाया गया है ग्रौर इन सभी को पुनर्वासित भी किया गया है। पुनर्वासित व्यक्तियों को तत्काल 500 रुपये की सहायता दी गयी ग्रौर कुछ को जमीन भी ग्रलाट की गयी। कुछ को नौकरी पर लगायी गयी व शेष को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता दिलाई जा रही है। इसके ग्रलावा सिरोही में भी ऐसे मजदूरों को मुक्त कराया गया है। बन्धक मजदूरों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु जो कार्य जारी है उसके बारे में ग्रभी मैंने माननीय सदस्यों को विस्तार से निवेदन किया है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के ग्रन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले.....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : नाम पूछ रहा हूं वे कौन-कौन है ?

श्रीमती कमला : एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के ग्रन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का चयन करते समय बन्धक मजदूरों का भी विशेष रूप से चयन किये जाने तथा रोजगार योजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के तमाम प्रोजेक्ट ग्राफिसर्स को निर्देश दिये हैं। झालावाड़ जिले में श्री बिरमा पुत्र मोतीलाल को दिनांक 6-8-81 को श्री भैरूलाल पिता मोतीलाल लोधा, निवासी रानीपुरिया के घर से मुक्त कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी इस सम्बन्ध में श्री भैरूलाल ने ग्रपनी ग्रापत्ति प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है।

श्री हीरालाल मीणा : जो जांच की जा रही है वह किसके द्वारा की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2-4 लाख बंधक मजदूरों की सूचना आपके पास आयी है वह कृपा करके मुझे दे दीजिए कौन-कौन से लोग हैं बंधक मजदूर रहे हैं। ऐसे लोग जो नौकरी पर आते हैं पैसा लेते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और फिर चले जाते हैं उनको भी उन्होंने बंधक मजदूर माना है ये बंधक मजदूर की परिभाषा में नहीं आते ।

श्री बालचन्द्र मार्गवीर : मैं जानकारी चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : जो जानकारी आप चाहते हैं लिखकर मंत्री महोदय को दे दें। चर्चा समाप्त हुई श्री सी. पी. जोशी ।

श्री नन्दलाल मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के विधायक के घर पर कलेक्टर ने जाकर बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया । बंधक मजदूर लम्बे समय से हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आप गरिमा को तोड़ रहे है ।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य । श्री सी. पी. जोशी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रप्रकाश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के एम. एल. ए. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मुझे नाम से सम्बोधित करना पड़ेगा। माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेण्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आप चर्चा समाप्त नहीं कर सकते ।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसिजर यह है कि सप्लीमेण्ट्री पूछने का मौका देना चाहिए, मंत्री महोदय से ।

(व्यवधान)

बन्धक मजदूरों का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर है। आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं निवेदन कर रहा हूं .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपको कोई अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी नहीं पूछ सकते ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी गंगानगर के माननीय सदस्य को अलाउ किया है। प्रश्न पूछने का अधिकार है, क्या आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, वकालत की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेण्ट्री करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, सदस्य आप सहयोग दीजिये

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत दयालु हैं, आसन को सहयोग करना चाहता हूं। मेरा राइट है।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय; मैंने तो छोड़ दिया है, इनका राइट है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाध्य मत कीजिये किसी बात के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : सप्लीमेण्ट्री तो करने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। एक मिनट।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने जवाब दिया वर्ष 81-82 में 8.75 लाख का प्रावधान किया गया। मैं मंत्री महोदया से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूरों के लिए राशि दी जाती है उसमें इस बात की शर्त है कि आधा रुपया भारत सरकार देगी और आधा राजस्थान सरकार देगी, वहन करेगी बशर्ते कि भारत सरकार के पास कोई योजना भेजी गई हो ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व आपके विभाग के पास एक तार आया, श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा, कि बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति, उनकी खोज और पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई हो तो तत्काल तार द्वारा हमारे पास भेजें। आपके यहां से क्या यह जवाब नहीं गया है कि अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में जवाब देंगे, इसका जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब-कब भारत सरकार से क्या-क्या मामले आये हैं और दफ्तर से क्या-क्या जवाब दिये गये हैं, यह तो कागज पढ़कर आई नहीं हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमने कितनी-कितनी और किस-किस मद में योजनायें बना रखी हैं और भारत सरकार से जितना मैक्जीम हम उठा सकते हैं उसको लेने में बिल्कुल रत्ती भर भी कसर नहीं रखेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य सहयोग कीजिये; कृपया।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप दयालु हैं, आप बड़े श्रद्धालु हैं, न्याय प्रिय हैं, केवल एक मिनट।

(व्यवधान)

एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सहयोग दें, इस सभा के कानून बने हुए हैं, जिनके खिलाफ......

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बन्धुआ मजदूरों के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही होती है, किसी प्रकार से स्थगन प्रस्ताव पास किया सरकार ने...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब स्पष्ट दे दिया गया है मैं इसको सेटिसफैक्टरी मानता हूं.....।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सेन्टेन्स बोलूंगी और माननीय मंत्री महोदया एक शब्द में जवाब दे सकती है। क्या मंत्री महोदया को मालूम है कि राजस्थान के बन्धुआ मजदूर हरियाणा में सिरसी में पाये गये हैं और इसकी खबर राजस्थान सरकार को दी गई है ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, कितने-कितने, कब-कब और कहां-कहां इस प्रकार की सूचना हरियाणा या पंजाब सरकार को आई है, और दिल्ली की आई है, लेकिन लाखों मजदूर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में काम करते हैं, वह सब बन्धुआ मजदूर नहीं हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : यह तो आफिशियल रिपोर्ट है जो बन्धुआ मजदूर हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेन्ट इसको कन्वे किया गया है। मंत्री महोदया, आप मालूम करिये।

आई. सी. ए. आर. दिल्ली से राजस्थान को नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ शर्तों पर पांच करोड़ रुपयों की स्वीकृति

श्री उपाध्यक्ष : मालूम करेंगी।

श्री सी. पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा, आई. सी. ए. आर. दिल्ली से राजस्थान को नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम (एन. ए. आर. पी.) के अन्तर्गत कुछ शर्तों पर पांच करोड़ रुपयों की स्वीकृति होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया जाने वाला विषय

भरतपुर से एक सिपाही का एक बन्दूक व एक स्टेनगन लेकर भाग जाना

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 में ऐसा मामला दिया गया है भरतपुर से एक [illegible] बन्दूक और स्टेनगन लेक[illegible]

श्री उपाध्यक्ष : बाद में यह मामला तय होगा, बाद में आपकी बारी आयगी ।

श्री यदुनाथ सिंह : देर हो जायगी वहां आतंक इस सम्बन्ध में छाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को सूचित करना चाहिये, वहां पर बहुत भय और आतंक फैला हुआ है ।

आई. सी. ए. आर. दिल्ली से राजस्थान को नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ शर्तों पर पांच करोड़ रुपयों की स्वीकृति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, मैं समय निकालने की कोशिश करूंगा ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसने नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान को पांच करोड़ की स्वीकृति दी, चार शर्तों के आधार पर । पहली शर्त थी कि राजस्थान में कृषि की प्रगति के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाय । शर्त नम्बर दो थी, राज्य कृषि एव अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान हेतु उपलब्ध 1.70 करोड़ की राशि कृषि अनुसंधान हेतु उदयपुर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जाय । तीसरी शर्त थी, राजस्थान [illegible] म्बल प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत [illegible] षि अनुसंधान कार्य को उदय-पुर [illegible] में स्थानान्तरित कर दिया जाय । चौथी शर्त थी, इस कार्य के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना काल में आवश्यक वित्तीय सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी लेकिन छठी योजना काल के समाप्त होने पर जो भी आवश्यक राशि की आवश्यकता होगी आधी राज्य सरकार अपने बजट से भुगतान करेगी ।

श्रीमन्, लगभग आज से आठ माह पूर्व आई.सी.ए.आर. दिल्ली ने हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों के लिए इस तरह की स्कीम लागू की । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख है कि राजस्थान के अन्दर तीन विश्वविद्यालय कार्यरत हैं लेकिन तीनों विश्वविद्यालयों के अन्दर कृषि विषय के नाम की चीज नहीं है इस कारण हम आई-सी.ए.आर. और दूसरी ऐजेन्सी के करोड़ों रुपयों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आठ माह पूर्व राजस्थान सरकार को आई.सी.ए.आर. ने स्कीम भेजी और आठ माह तक राजस्थान सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं, जहां एक तरफ छठी पंचवर्षीय योजना लागू करना चाहते हैं, राज-स्थान कैनाल को हम डवलप करना चाहते हैं और आधुनिक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को डवलप करना चाहते है, उसके लिये जो एजेन्सीज पैसा देना चाहती है, क्या उस एजेन्सी के पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिये ? राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जो दूसरी स्टेट्स हैं उन्होंने इस योजना के पांच करोड़ का उपयोग कर लिया और दूसरी योजना आई. सी. ए. आर. से स्वीकृत करा ली लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार आठ महीने में एक पत्र [illegible]

(श्री सी.पी. जोशी)

जवाब भी नहीं दे पाई। उदयपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति ने 31 जुलाई को राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा है। उसका भी जवाब कुछ नहीं दिया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले विधान सभा में यह प्रश्न आया था कि क्या राज्य सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कोई कृषि फार्म की स्थापना करने जा रही है। उसके जवाब में कहा कि हम विचार कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एग्रीकल्चरल कमिश्नर दिल्ली गये और दिल्ली में जो कमेटी है उसको आश्वासन दे आये कि यदि राजस्थान में अलग कृषि फार्म की स्थापना नहीं कर सके तो इस योजना के 5 करोड़ का उपयोग करने के लिये इस विश्वविद्यालय का नाम कृषि विश्वविद्यालय रख देंगे। यह आश्वासन देकर आये कि 7-8 तारीख को यह कर लेंगे। मीटिंग होने के बाद भी आज तक राज्य सरकार ने कृषि अनुसंधान परिषद् को यह नहीं लिखा कि हम उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम कृषि विश्वविद्यालय रखेंगे ताकि 5 करोड़ की व्यवस्था हो जाय। साधन उपलब्ध नहीं हैं और जो कम से कम 5 करोड़ रुपये से तात्कालिक लाभ मिलने वाला है उसके लिये आश्वासन राजस्थान के कृषि कमिश्नर दिल्ली में देकर आये हैं और जिसको तत्कालीन कृषि मंत्री ने भी माना है कि इस आश्वासन की पूर्ति करेंगे, लेकिन इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की गई। कृषि मंत्री कृषि परिवार से आई हैं, वे कृषि समस्याओं को जानती है। उनकी तमन्ना रही है कि कृषि विविश्वद्यालय बने लेकिन वह भी ऐसी स्थिति में हैं कि कृषि विश्वविद्यालय कैसे बने। माथुर कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आ गई है। माथुर कमेटी की रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि इस उदयपुर विश्वविद्यालय की संरचना में केवल मात्र दुर्गापुरा के अंदर आप हैडक्वार्टर रखें तो अपने आप मिनिमम खर्चे में स्थापना कर सकते हैं। जो आपका एग्जिस्टिव उदयपुर विश्वविद्यालय है वह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है। यह राज्य का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े प्रदेश में छठी योजना तक एक भी कृषि फार्म की स्थापना नहीं कर सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी दूसरे प्रदेश का नहीं हो सकता। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह संभव नहीं है, इतने साधन उपलब्ध नहीं है तो एक तरफ आप 750 करोड़ के रिसोर्सेज रेज करना चाहते है, दूसरी तरफ छठी योजना तक 5 करोड़ का व्यय आई.सी.ए.आर. वहन करेगी। आपकी छठी योजना को मन्जूर करना है उस समय भी आप 750 करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे है तो 750 करोड़ की व्यवस्था करके एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहें और आई.सी.ए.आर. की जितनी स्कीम्स हैं उनका उपयोग करें तो कृषि के क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे। राज्य सरकार कहती है कि हम विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद विश्वविद्यालय का नाम बदलें, उस योजना का फायदा लें। यदि यह निर्णय नहीं हुआ तो कृषि के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेंगे, प्रदेश में कृषि की उन्नति नहीं हो सकती। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। राजस्थान नहर के पानी का उपयोग नहीं कर सकते। राजस्थान नहर की बात करते हैं, उसके पानी के उपयोग की बात करते हैं लेकिन राजस्थान में आई.सी.ए.आर. के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को करना चाहते हैं बी. एससी, एम.एससी. एग्रीकल्चर में, एजूकेशन स्टार्ट

Page No. 148

(148)

(श्री सी.पी. जोशी)

करने पर रिसर्च एक्सटेन्शन टीचिंग के माध्यम से करना चाहते हैं उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बिना कृषि विश्वविद्यालय की कल्पना के नहीं हो सकता। जब तक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करेंगे तब तक किस तरह से राजस्थान की प्रगति करेंगे ? इसलिय यह अहम मसला है। कृषि मंत्री शर्तों के बारे में विज्ञ हैं, उनकी आई.सी.ए.आर. से क्या बात हुई उससे विज्ञ हैं। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में करना चाहें या नहीं परन्तु यदि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में वित्तीय संकट है तो जो आपके एग्रीकल्चरल कमिश्नर ने आई.सी.ए. आर. में प्रॉमिस किया था कि हम उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम कृषि विश्वविद्यालय कर सकेंगे और इस पैसे का उपयोग करेंगे तो आज जो आपकी मन्शा है वह कब तक पूरी करेंगे ? यदि पूरी नहीं करेंगे छठी योजना में तो राजस्थान में एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह से पैदा करेंगे, किसानों को आगे लाना चाहें तो कैसे करेंगे ? दोनों चीजों के बारे में यहां स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विशिष्ट मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उस मामले में निवेदन करती हूं कि नीति की बात तो यह सत्य है कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहां कृषि की इतनी संभावनायें हैं, आज उसके विकास के लिये एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना अत्यावश्यक है, लेकिन हमारे राज्य में अभी तक कोई कृषि विश्वविद्यालय अलग से नहीं है। देश के तमाम राज्यों में, सिवाय शायद जम्मू-काश्मीर के, सभी जगह एक स्वतन्त्र कृषि फार्म है और कई राज्यों में एक के बजाय दो तीन भी हैं। मैं पिछले काफी समय से इस मामले में प्रयत्नशील रही हूं। माननीय सदस्य को भी मालूम है कि मैंने विधान सभा के फ्लोर पर कहा भी है कि राजस्थान राज्य अपने यहां पर एक स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। यह नीति के तौर पर हम तय कर चुके हैं। पिछली बार जब हम हमारी योजनाओं के प्रारूप को अंतिम स्वरूप दे रहे थे उससे पहले कुछ करोड़ रुपये हमने सिम्बोलिक या टोकन रूप से इसके लिये रख भी दिये थे लेकिन वर्किंग ग्रुप में आखिरी डिस्कशन्स के दौरान उस स्तर पर योजना कमिशन ने हमारे उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद मैं स्वयं भी योजना मंत्री से दो तीन बार मिली और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये। माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से भी पत्र ले गई और स्वयं उन्होंने भी काफी कोशिश की कि एक बार टोकन स्वरूप की इजाजत दें कि हम अपने प्लान में इसका प्रोविजन डाल लें लेकिन उन्होंने बहुत सी क्वेरीज करके वर्किंग ग्रुप स्तर पर हमारे उस प्रोविजन को खत्म कर दिया, इसलिए उस हालत में हमारी जो चाह थी वह पूरी नहीं हो सकी।

इसके अलावा हमने इस बात की कोशिश की कि हम और कहीं से इस प्रकार के फंड्स जुटा सकें क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय को बनाना कोई सैकेंडरी स्कूल अथवा कालेज बनाने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा खर्चा बहुत बड़ा प्रावधान, बहुत बड़ी तैयारी करने का मामला होता है। इसलिये मैंने अभी फिर माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन किया है कि वे इन तमाम पहलुओं पर बैठकर डिस्कस करें और किस प्रकार से हम प्रावधान को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके

(श्रीमती कमला)

लिये फंड्स की उपलब्धि कर सकते हैं और कैसे हम एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे राज्य में चली आ रही है उसकी पूर्ति के लिये यह काम कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करें । जो भी रंगावत कमेटी और माथुर कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने जो जो-प्रस्ताव दिये हैं, आल्टरनेटिव्स दिये हैं वे सब हमने प्रस्ताव के रूप में तैयार करके रखे हैं और कुछ समय में, संभवत: 5-6 तारीख तक हम इस बारे में चर्चा कर सकेंगे कि किस प्रकार से प्रोविजन किया जा सकता है या एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो हमारी संभावनायें हैं उनको विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण से खोते जा रहे हैं, वह कैसे ले सकते हैं, ताकि इस पर चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जा सके ।

जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है, वर्तमान में राजस्थान में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है सिर्फ राजस्थान कालिज आफ एग्रीकल्चर, उदयपुर में है। एक कृषि कालेज जोबनेर में है और एक वेटेरिनरी कालेज बीकानेर में है और सांगरिया और अजमेर में दो मल्टी फैकल्टी कालेज हैं लेकिन उनमें भी एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, इसलिये हमारे राज्य में इसकी बहुत संभावनायें हैं । आई.सी.ए.आर. ने कई बार हमको चिट्ठी लिखी कि आप उदयपुर विश्वविद्यालय का जो मल्टी फैकल्टी स्वरूप है उसको बदलिये । इसमें से दूसरी फैकल्टीज हटाकर इसको विशुद्ध रूप से एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनायें या दूसरी जगह एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी कायम करें जो विशुद्ध रूप से एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी हो । इन सब मुद्दों पर चर्चा किया जाना अभी बाकी है इस मामलों में जो उन्होंने तीन शर्तें लगाई हैं, खास तौर से उनमें एक शर्त यह है कि आप इस शर्त को पूरा करें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ हमारे रिसर्च सेन्टर्स हैं उनमें रिसर्च के काम को थोड़ा और बढ़ाने के लिये या और उसका विस्तार करने के लिये या अच्छे स्तर से कर सकने के लिये कुछ स्वीकृतियां दी हैं । दुर्गापुरा रिसर्च फार्म के लिये उन्होंने 44.36 लाख की 14-10-80 को स्वीकृति जारी की है, नवगांवा, अलवर के लिये 64.41 लाख स्वीकृति जारी की है । निदेशक, कृषि अनुसंधान कार्यालय, उदयपुर को 12.13 लाख की 27-11-80 को स्वीकृति दी है, लक्ष्मणगढ़, सीकर के लिये 96.50 लाख की स्वीकृति 31-8-81 को दी है और जोबनेर के लिये 38.08 लाख की 26-8-81 को स्वीकृति दी है । कुल मिलाकर 2,55,48 हजार की स्वीकृति दी है, लेकिन इसके साथ में इन शर्तों के अलावा और भी शर्तें लागू की है कि आप इन इन शर्तों को पूरा करेंगे तो हम आपको यह स्वीकृति दे रहे हैं । उसमें एक्वीजिशन आफ लैंड, फार्म और उसका डवलपमेंट हो, इसके अलावा जो कल्टीवेशन और रिसर्च आपरेशन का खर्चा होगा वह सब है । इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह बनायेंगे उसका है और उसमें प्रोजेक्ट के विभाग में जितना भी स्टाफ, रिसर्च आपरेशन मेन्टेनेन्स है और जितना भी काम और गतिविधियां हैं उन सबका खर्चा हमको वियर करना है । तो यह चिट्ठियां अभी आई हैं उनके साथ में यह पांच-चार शर्तें लगी हुई हैं । इसको डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है और एग्जामिन करके किस किस स्तर पर कौन-कौन सी शर्तों को हम तुरन्त मानने की स्थिति में हैं इसको तय करके हम जल्दी उनको सूचना देंगे । लेकिन खास शर्त उन्होंने तीन लगाई है—एक तो युनिवर्सिटी

(150)

(श्रीमती कमला)

की है, दूसरी एक शर्त उन्होंने यह लगाई है कि आप उदयपुर विश्व विद्यालय को कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत केवल अनुसंधान परियोजना कार्यों के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपया देवें। इस बाबत में विभाग की तरफ से सारी जांच पड़ताल होने के बाद में 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान उदयपुर विश्वविद्यालय को देने के लिए तय कर दिया गया है और माह के अंत तक हम उसको दे देंगे।

एक उन्होंने बहुत बार तकाजा किया है इस बात का कि आप चम्बल कमाण्ड एरिया और राजस्थान नहर कमाण्ड एरिया में जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं-यह भी आप इस युनिवर्सिटी को दे दीजिए। हमने उनसे कहा है कि हमारे विभाग में रिसर्च विंग पूरी तरह से काम कर रही है और अलग से रिसर्च के तौर पर इन कामों को टेक अप किया हुआ है इसलिए रिसर्च का एरिया है वह हम युनिवर्सिटी को नहीं दे रहे है इसलिए आप इसके बारे में तकाजा न करें। इसके लिए उन्होंने मान भी लिया है कि ठीक है, आप इसको अपने पास में रखिये लेकिन 1 करोड़ 70 लाख रुपया दीजिये और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिये। इन दोनों मुद्दों में से एक मुद्दा तो हम लगभग तय कर चुके हैं। एक जो बड़ा मुद्दा, खास मुद्दा है उसको हम यह समझते हैं कि आने वाले कुछ समय में इसके ऊपर निर्णय ले सकेंगे जिसको हम भी तत्परता से परश्यू कर रहे हैं और हमारे सभी विधायक भी और किसान वर्ग के लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो। तो सभी मुद्दों पर विचार करके आगामी कुछ समय में तत्परता से हम इसका निर्णय करने की उम्मीद रखते हैं, भावना रखते हैं और समझते हैं कि इसको कर सकेंगे।

श्री सी.पी. जोशी : जो शर्तें प्रेसक्राइब की हैं यदि उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपने कितने पैसे लूज किये और छठी पंचवर्षीय योजना में कितने स्टेट के पैसे लूज करेंगे, यह बता दीजिये?

श्रीमती कमला : मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि यहां रिसर्च के लिये जितने भी पैसा हमको कन्डीशन्स पर मिल रहा है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो लूज करते हैं।

श्री सी.पी. जोशी : कितना एस्टीमेट है? जब आप के एग्रीकल्चर, कमिश्नर दिल्ली में आई. सी. आर. की मीटिंग में जाकर यह कह आये।

श्रीमती कमला : हां, एक बात। मैं आपको इस बात का जवाब देना भूल गई थी, उपाध्यक्ष महोदय, कोई डिपार्टमेन्ट का सैक्रेटरी इस बात को कहीं जाकर तय नहीं कर सकता है कि हम फलां विद्यालय का नाम यह रख देंगे या फलां वक्त तक विद्यालय कायम कर देंगे जब तक कि मन्त्री मण्डल में इस बात का तय नहीं करें। इसलिये मैं आपकी इस बात का भरोसा नहीं करती हूं कि सचिव महोदय, अपने स्तर पर आई. सी. ए. आर में यह वायदा कर आये कि हम उसका नाम बदल देंगे या उस जगह दूसरा विद्यालय कर देंगे। यह सही रिपोर्ट आपकी नहीं है। यह सम्भव नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मन्त्री महोदय, मैं आथेन्टिक रिपोर्ट दे रहा हूं डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो आई. सी.ए.आर. का है मिस्टर पंजाबसिंह, उस पंजाब सिंह ने यह इन्फोरमेशन दी है He is member of Syndicate. वहां पर आई. सी. आर की मीटिंग हुई तो एग्रीकल्चर कमिश्नर उस मीटिंग में गया है और मीटिंग की प्रोसिडिंग्स में लिखा

(श्री सी.पी. जोशी)

हुआ है कि हम बहुत जल्दी ही कृषि विश्व-विद्यालय ......

श्रीमती कमला : ऐसे कोई प्रोसीडिंग्स में लिखा है तो गलत लिखा है, उसका एतराज करेंगे। कृषि सचिव राज्य के मन्त्री स्तर पर तय होने वाली बात को अपने स्तर पर तय करने का वहां वायदा नहीं कर सकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में बोरियों में भारी मात्रा में रुपये, बैंक ड्राफ्ट आदि

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूरज देवी। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती सूरजदेवी, सदस्य, विधान सभा राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में भारी मात्रा के बैंक ड्राफ्ट, रसीदें आदि बोरियों में भर कर रखने की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि राज्य के मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 10-12 साल से करीब 40 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्ट लाखों रुपये के फिक्स्ड डिपोजिट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बोरियों में और फाईलों में पड़े सड़ रहे हैं। ये 40 लाख रुपये वे हैं जो बैंक ड्राफ्ट उन ठेकेदारों के हैं जो ठेका लेते हैं। उसमें अरनेस्ट मनी की सिक्योरिटीज,पेनेल्टी या जिनकी सब स्टेण्डर्ड मेडिशन होती थी उनकी कीमत जब्त कर लेते हैं वो वह रकम 40 लाख रुपये विभाग के ऊपर है यह रकम 10-12 वर्षों से, उपाध्यक्ष महोदय सरकार के खजाने में जमा हुई होती तो 40 लाख रुपये की रकम इस समय ब्याज पर होने से दो करोड़ रुपया हो जाता जो कि सरकार को बहुत बड़ा भारी नुकसान है। सरकार की जो रेवेन्यू है उसको बिल्कुल खतम कर दिया, अपनी फाइलों में भर कर अपने बोरियों में भर कर। उपाध्यक्ष महोदय, य किसका दोष है, यह आप बतायेंगे ? ये उन आफिसरों का दोष है जिनको अपनी जेब भरने और इधर उधर की बातें करने के सिवाय फाइलों को देखने की समय नहीं है या उनको जमा कराने का पता नहीं है कि वह कहां जमा कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बैन्क ड्राफ्ट है जो विजया बैन्क का सन् 75 का पांच हजार और यह यूनियन बैंक का सन् 75 का पांच हजार का बैंक ड्राफ्ट है, ये यूनियन बैंक आफ इण्डिया की दो लाख की रसीद है। यह बैंक ड्राफ्ट पांच हजार का यूनियन बैंक का है। यह सड़ रहे है बोरियों में भरके रखें हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग ध्यान नहीं रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेंट हैल्थ डिपार्टमेन्ट नहीं है यह घोटाला डिपार्टमेंट है।

श्री यदुनाथ सिंह : इसका जवाब दें मन्त्री महोदय।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : अभी तो शुरू हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : यह किसी को पता नहीं है-मैं बताती हूं। रसीदें देखलो रेवेन्यू का मामला है। हम लोग बाढ़ के लिय पैसा इकट्ठा करने जा रहे हैं पुष्कर में

Page No. 152

(152)

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)

हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के एक करोड़ रुपये दो महीने हो गये हैं, हम दौड़ रहे हैं। अगर इनका दो करोड़ रेवेन्यू हो जाता तो यह हमारे काम आता।

श्री यदुनाथसिंह : वाजिब बात है !

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : यह आप बीच बीच में टोक रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आफिसर जो है××× दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं। ये यह नहीं सोचते कि इस डिपार्टमेंट को देखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो दो करोड़ रुपये की रेवेन्यू का सरकार का नुकसान हुआ है, क्या आप बतायेंगे ? क्या आप पूछेंगे, मुख्य मन्त्री, चिकित्सा मन्त्रीजी, यह ऑफिसर कैसे पूरा करेंगे ? ये किस समय पूरा करेंगे ? अगर लॉस करते हैं तो जो ऑफिसर रिटायर होने लगता है वह समझता है कि 6 महीने बाद में रिटायर हो जाऊंगा मुझे क्या लेना देना है चाहे वह सड़ता रहे या कुछ हो। यह जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व्ड है उनकी पेन्शन बन्द होनी चाहिये और आने वाले ऑफिसर को मालूम होना चाहिये कि कि मैं रिटायर हो रहा हूं इसमें मेरा भी हाथ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा ही गम्भीर है यह उनकी केयरलैसनेस, नेग्लीजेन्स का काम है दो करोड़ रुपये का सरकार का नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने कागज पड़े हैं, यह चिट्ठियां इस कम्पनी की हैं जिनको उन्होंने लिख के भेजा हुआ है कि आपकी सिक्योरिटी जमा हो गई है लेकिन यह यहां पड़ी हुई हैं। यह बकों में जमा नहीं हुई हैं। यह क्यों नहीं हुई ? मन्त्री महोदय, जवाब दें यह क्यों नहीं हुई ? उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि रिकार्ड सीज कर लेना चाहिये। मेडिकल एण्ड हैल्थ का रिकार्ड सीज होना चाहिये क्योंकि हो सकता है यह इसको नष्ट करदें और किसी को मालूम ही नहीं हो। इसका जवाब नहीं रहे कि यह रिकार्ड था या नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, इन मामलों के ऊपर कमीशन ऑफ इन्क्वायरी बैठाया जाना चाहिये ताकि मालूम पड़े कि इसमें और भी कई घोटाले हैं। यहां घोटालों का भण्डार भरा पड़ा है, डिपार्टमेन्ट में। अगर आप चाहें, जब मैं बिल्कुल इनको···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहे।

श्री सूरजदेवी मल्होत्रा : यह तो लगातार चलता जा रहा है, कुछ तो चिल्लाते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : यह नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट के काले कारनामे धीरे-धीरे मैं बताती जाऊंगी। आप एक कमीशन ऑफ इन्क्वायरी बैठा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : फिर डर मत जाना।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : किसका डर है? यह कोई शेर है जो खा जायेगा, जो ऐसी बात करते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन करना करना चाहूंगी ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत से घोटाले आयेंगे। आप इसके ऊपर कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज बैठा दें। हम उनकी मदद करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कमीशन बिठायें। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : यह कमीशन बिठायें और ऑफिसरों के चंगुल में न आयें, जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाये उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे विश्वास दिलायें कि माननीय मन्त्री महोदय इन बातों को देखेंगे और इन अफसरों के ऊपर कमीशन बिठायेंगे और·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री अपना उत्तर देंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त हो जाय, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने आपके विरोधी दल के नेताजी से बात कर ली है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप हमेशा इस तरह की बात कहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय बिना सदन की अनुमति से आप ऐसा नहीं कर सकते। रात एक बजे तक हम यहां बैठे रहें और सारी रात की नींद है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना जोर से न चिल्लायें कि सदन की मानहानि हो। यह बड़ी गम्भीर समस्या है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो कह रहे हैं·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

मैंने कह दिया कि समय बढ़ाया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन की अनुमति लेना आवश्यक है।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था तो दे दी मैंने माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं व्यवस्था का प्रशन उठा रहा हूं । हाउस में आप बिना अनुमति से व्यवस्था नहीं दे सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री बोलेंगे, आप इस पर ध्यान दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन की राय तो ले लें, साहब, । नियमों के अन्दर कार्यवाही करनी चाहिये। हम सदन में चार बजे तक बैठेंगे मगर.......

(व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में बोरियों में भारी मात्रा में रखे बैंक ड्राफ्ट एवं रसीद

श्री छोगालाल कंवरिया (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पुष्कर से आने वाली माननीय सदस्या ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरियें स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के निदेशालय में बहुत बड़ें गम्भीर घोटाले 40 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आदि बोरों में पड़े हुए सड़ने की बात बड़ी जोरदार शब्दों में कही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह वास्तविकता से बहुत परे है ।

(व्यवधान)

मेरे ख्याल से उन्होंने इन बैंक ड्राफ्टों, सिक्योरिटी आदि जो कि विभाग में जमा होती हैं उसके बारे में समझा नहीं है । इस विभाग में हर दो साल के बाद दो वर्ष के लिये दवाइयों, उपकरणों आदि के लिये निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं और इसके लिये एक स्टोर पर्चेज कमेटी बनी हुई है । उस स्टोर पर्चेज कमेटी के जरिये ऐसी जितनी भी निविदायें आती हैं उनको स्वीकार किया जाता है। और जो निविदायें आती हैं उसमें दो प्रकार से रुपया जमा कराया जाता है। एक तो जो निवदायें देते हैं, उसके लिये वह अर्नेस्ट मनी जमा करवाते हैं । यह सन् 1976 तक 100 रुपये तक रखी जाती थी अब वह दो सौ पचास रुपये कर दी गयी है । जब वह टेण्डर दे देते हैं, निविदायें आती हैं तो यह पर्चेज कमेटी के सामने खोली जाती हैं और उसके बाद जब उनको आदेश दिये जाते हैं, आर्डर्स दिये जाते हैं, इन चीजों को खरीदने के लिये उपकरण, दवाइयां आदि के लिये तो उसके लिये उनसे सिक्योरिटी डिपाजिट ली जाती है और वह सिक्योरिटी डिपाजिट पांच सौ रुपये से सात हजार रुपये तक की होती है । जैसे-जैसे निविदायें आती हैं वह रकम आती है, जितनी रकम होती है । अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी अरनेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपाजिट का रुपया आता है वो एफ.डी.आर. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या कुछ और लोग बैंक डापट के जरियें जमा करवाते हैं । यह जितनी भी सिक्योरिटी डिपाजिट होती हैं वह सिर्फ विभाग को प्लेज की जाती हैं और प्लेज करने के बाद दे दी जाती हैं । उनके बाद में ही निविदाओं के ऊपर गौर किया जाता है । जितनी भी निविदायें आती हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है । एक रजिस्टर मेण्टेन किया जाता है जिसमें हर निविदा के पीछे जो अनर्स्ट मनी आई, जो सिक्योरिटी डिपाजिट आई उसका पूरा विवरण रखा जाता है । और यहां वह रजिस्टर भी उपलब्ध है, मौजूद है और उसमें सारी जितनी

(श्री छोगालाल कंवरिया)

भी निविदायें आई उसके पीछे जो सिक्योरिटी डिपाजिट आई, अरनेस्ट मनी आयीं, सबका विवरण उसमें दर्ज है। तो आपका यह कहना कि बोरों में पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, यह बिल्कुल सत्यता से परे है। जितने भी बैंक ड्राफ्ट, सिक्योरिटी डिपाजिट में रुपये आये, एफ. डी. आर. में हैं वे सब एक रजिस्टर में दर्ज हैं। कितना रुपया गया है, वह भी इसमें दर्ज है। मैं आंकड़ों से बताऊंगा कि कितने रुपये आपने कहे, चालीस लाख रुपये बताये थे जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। वास्तविकता यह है कि 8,69,900 रुपये हैं और ये वर्ष 1972 से 79 तक के हैं। अब मैं आपको विवरण से बताऊंगा। यह रुपया किस तरह से आता है। यह रुपये के रूप में नहीं आता, है, यह बैंक ड्राफ्ट के रूप में आता है और इसका ब्याज उसी फर्म को मिलता है, गवर्नमेंट को उसका ब्याज नहीं मिलता है और केवल उसको उसी शर्त में नहीं मिलता जब वह नियमों का उल्लंघन करती है। उसकी सिक्योरिटी डिपाजिट की जाती है वह वहीं खजाने में जमा होती है। आपने कहा करोड़ों रुपये का ब्याज आ जाता ब्याज हमें मिल ही नहीं सकता। वह सिक्योरिटी डिपाजिट धरोहर के रूप में जमा हो जाता है और ब्याज को पाने वाली वही पार्टी होती है। और जब कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता तो कंसोलिडेटेड फंड में ब्याज मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आपने कहा, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, ब्याज का, वह बिल्कुल सत्यता से परे है। अब मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी; जो भी राशि जमा होती है वह हमारे जी. एफ. एण्ड आर. अकाउन्ट रूल्स हैं उनके अन्तर्गत यह सब राशि धरोहर के रूप में है। इसको कोई खर्च नहीं कर सकता, इसको कोई एनकैश नहीं कर सकता है, खा नहीं सकता है, गबन नहीं कर सकता है। जो 8 लाख के बैंक ड्राफ्ट और सिक्योरिटीज हैं, वे सब सिमटे हुए आलमारियों में रखे हुए हैं—बोरियों में रखे हुए नहीं है और हर एक का अकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है। मुझे पता नहीं, आपको इस प्रकार की कैसे सूचना मिल गई है कि बोरियों में भरे हुए सड़ रहे हैं। मैं आंकड़ों से बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो बैंक ड्राफ्टस और सिक्योरिटीज हैं, वे सब दर्ज किए हुए हैं और उनका प्रॉपर अकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है। इसकी स्क्रूटनी की जाती है और देखा जाता है कि कितने केसेज इस तरह के हैं। जो लोग सिक्योरिटी डिपाजिट कराने के बाद रह जाते हैं तो एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है कि उनका अकाउन्ट फोरफिट कर दिया जाय। इसके लिये आबजेक्शन्स इन्वाइट किये जाते हैं और आब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के बाद उनको मौका दिया जाता है और उसके बाद ही फोरफिट किया जाता है। अब कई केसेज में ऐसा भी होता है कि लिटिगेशन में भी मामले चले जाते हैं तो ला डिपार्टमेंट में रेफर होता है और जब निर्णय हो जाते हैं उसके बाद ही आर्डर दिये जाते हैं कि या तो अमाउन्ट उस पार्टी को लौटा दिया जाय या अगर फोरफिट करना है तो वह सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में जमा होगा। जब तक सरकार इसको फोरफिट नहीं करती है उससे पहले अमाउन्ट पर सरकार का कोई हक नहीं है और न ही इन्टरेस्ट पाने का अधिकार है। गवर्नमेंट को किसी न किसी बैंक में डिपाजिट तो कराना ही पड़ता है, इसलिये वह उसके कन्सोलिडेटेड फन्ड में जाता है। ब्याज का

Page No. 156

(158)

(श्री छोगालाल कंवरिया)

इससे पहले कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। वह अमाउन्ट तो फोरफिट होने से पहले तक पार्टी का ही होता है और पार्टी को ही उसका ब्याज मिलता है, बैंक से। आपने जो करोड़ों रुपये इन्टेरेस्ट का बताया, मैं आंकड़ों के अनुसार आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह किस-किस तरह से हैं। हर दो साल बाद दो साल के लिये स्टोर पर्चेज कमेटी के जरिये मेडिसन और दूसरी चीजें हैं, और उपकरण वगैरह खरीदने के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। स्टोर पर्चेज कमेटी 9 सदस्यों की बनी हुई है, उसमें हर विभाग का एक प्रतिनिधि होता है। डाक्टर होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेन्स विभाग के रिप्रजेंटेटिव होते हैं, इण्डस्ट्रीज विभाग के रिप्रजेंटेटिव होते हैं। इस तरह 9 प्रतिनिधियों की जो कमेटी है वह बैठकर तय करती है। तो अब मैं आंकड़ों से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं

(4.42 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक सभापति, पदासीन)

श्री **सभापति** : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं तो आंकड़ें बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री **छोगालाल कंवरिया** : मैं आंकड़ों से ही इनको संतुष्ट करना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : माननीय मंत्रीजी क्योंकि सदन के पास समय की कमी है....

श्री **छोगालाल कंवरिया** : माननीय सभापति महोदया, मैं आंकड़ों से ही आपको सन्तुष्ट करना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : आप संक्षिप्त में ही कहेंगे।

श्री **छोगालाल कंवरिया** : हां, संक्षिप्त में ही कहूंगा। आंकड़ों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:, 1-4-79 से लगा कर 31-3-81 तक पांच लाख 45 हजार 900 की राशि सिक्योरिटी मनी और अरनेस्ट मनी के रूप में प्राप्त हुई। उसमें जो राशि उन पार्टीज को लौटा दी वह है 2 लाख 45 हजार। तीन लाख की राशि ऐसी है जिन पर विचार केवल नवम्बर, 1981 में ही किया जा सकता है। उसका एक पीरियड है। अब तीन लाख की राशि पर यह तय करना है, किसको लौटानी है, किसने डिफाल्ट किया है और किसकी फोरफिट करनी है। अधिकतर 90 प्रतिशत तो वह राशि होती है जो उन पार्टीज को ही लौटानी होती है, क्योंकि यह उनकी धरोहर है। यह जो डिफाल्टिंग फन्ड्स है, उन्हीं का पैसा फोरफिट किया जाता है और जब फोरफिट हो जाता है तभी गवर्नमेंट में जमा होता है। जब तक राशि उनकी ही पड़ी रहती है और तब तक का ब्याज भी उन्हीं को मिलता है। तीन लाख की राशि ऐसी है जिस पर नवम्बर, 81 में ही विचार किया जा सकता है।

श्री **सभापति** : सदन आपके उत्तर से बहुत सन्तुष्ट है।

श्री **छोगालाल कंवरिया** : इसके बाद 1-10-77 से 30-3-79 तक 6 लाख 60 हजार 950 की राशि सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी के रूप में आई। 4 लाख 22 हजार 950 की राशि लौटा दी गई और 2 लाख 38 हजार रुपये विभिन्न सूचनाओं के अनुसार फर्मों में जमा हैं। इन पर केसेज के डिस्प्यूटेड हैं, कुछ सिविल अदालतों में हैं। 80 सी. पी. सी. के नोटिस दिये हुए हैं इसलिये यह डिस्प्यूटेड अमाउन्ट है। इस पर ज्यों

(श्री छोगालाल कंवरिया) :

ही निर्णय हो जाता है यह राशि या तो उनको लौटा दी जायेगी या फिर डिफाल्टिंग होगी तो वह राशि सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में जमा करा दी जायेगी···

(व्यवधान)

इसी प्रकार 1-4-73 से 30-9-77 तक···

(व्यवधान)

2 लाख 30 हजार जमा हुए हैं, 1 लाख 27 हजार 300 रुपये की राशि लौटा दी गई है····

(व्यवधान)

93 हजार 500 रुपये ऐसे हैं····

माननीय सदस्य, व्यवधान न करें।

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लें····

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री छोगालाल कंवरिया : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। मेरी पूरी बात तो सुनलें।

(व्यवधान

वह भी सिक्योरिटी के रूप में हैं, कैश के रूप में है नहीं और वही निर्णय दिये जाने हैं। इस प्रकार कुल अब तक 8 लाख 69 हजार 900 रुपये के बैंक ड्राफ्ट, कुछ एफ. डी. आर.. और कुछ नेशनल सेविंग्स के रूप में जमा हैं। इसके लिये जुलाई माह में एक टीम मुकर्रर कर दी गई है कि इसकी स्क्रूटनी करें और जांच करें·····

(व्यवधान)

माननीय सदस्य व्यवधान मत डालिये, मेरी सुन लीजिये। मैं विभाग को डिफेण्ड करने वाला नहीं हूं····

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : वास्तविकता और है···· ।

श्री छोगालाल कंवरिया : पहले आप सुन लीजिये····

(व्यवधान)

पूरी बात सुन लीजिये····

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन···अब तक विभाग में सारा काम·········

(व्यवधान)

उस पर क्या निर्णय लिया·····

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री छोगालाल कंवरिया : मेरी बात सुन लीजिये·····

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था···मेरी पूरी बात सुन लें। 8 लाख 69 हजार 900 रुपया जमा है·····

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, सदन सन्तुष्ट है।

श्री छोगालाल कंवरिया : मेरी पूरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 158

(158)

(श्री छोगालाल कंवरिया)
जांच हो चुकी है, न कोई पैसा गलत है, न खा सकते हैं, न कोई गबन है। कमेटी बिठा दी गई है और जांच हो रही है···

(व्यवधान)

फिर भी कोई गड़बड़ी पाई जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कुछ पूछना चाहती हैं···

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : ये कहते हैं व्यवधान न डालें। मैं कहती हूं इसमें लिखा है, 40 लाख के ड्राफ्ट लिखे हुए हैं। यह मंत्री जी देख लें-40 लाख के ड्राफ्ट···

(व्यवधान)

लाखों रुपये हैं या नहीं ? अगर बोरियों में नहीं पड़े हैं तो क्या है ? आलमारी में बन्द है उससे क्या फर्क पड़ेगा ? आप बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। यह लेटर है, इसमें लिखा गया है "Terms and conditions of the tender amount deposited."

ये देखिये ड्राफ्ट है मेरे पास, ये क्यों नहीं जमा हुए 73 के···

(व्यवधान)

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय सदस्या, यह समझी नहीं हैं कि किस प्रकार से यह रुपया सरकार में जमा होता है···

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मैं सदन में कहना चाहती हूं···

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है, मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं, सदन को। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बैंक ड्राफ्ट की आपको जानकारी है कि बैंक ड्राफ्ट क्या चीज होती है ? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी के रूप में पड़े हुए हैं, बैंक ड्राफ्ट कभी सिक्योरिटी के रूप में नहीं रहता है। ये आप सदन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर बैंक ड्राफ्ट हैं और वह बैंक में जमा नहीं हुआ है तो वह आपकी, सरासर आपके विभाग की गलती है। अगर 40 लाख रुपये के आपके विभाग में हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है और आप उल्टे अधिकारियों को बचाकर इस विभाग में भ्रष्टाचार को ज्यादा पनपाना चाहते हैं, ××× इसलिए आप सदन को गुमराह मत कीजिए और सही स्थिति दीजिए।

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ये····

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : आप कह दो न कि आप इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, उत्तर दे रहे हैं, बीच-बीच में न बोलें।

श्री छोगालाल कंवरिया : नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, वे बिल्कुल सरासर××× गलत और ये····

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं बीच में व्यवधान न डालें।

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री छोगालाल कंवरिया : और यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने ये आंकड़े पेश किये हैं ...

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, इस बात का सारा रिकार्ड देख लें, ये जहां कहीं भी रहे हैं, एस. डी. ओ. रहे हैं, उनका रिकार्ड देख लें, आप जांच कराइये ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : सभापति महोदया, ये कहने वाले × ×

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : × × × ये मेरे पास सबूत पड़े हैं, ये कैसे ××× हैं, ये देखिये...

श्री मोहनलाल मोदी : ये जहां एस. डी. ओ. रहे हैं, बी. डी. ओ. रहे हैं, उनका या विकास अधिकारी रहे हैं, आप जांच कराईये कि कितने घोटाले किये हैं, × × ×

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : ये अब ये जो टेण्डर दवाओं के हो रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं, और कह रहे हैं हर चीज की आप जांच चला रहे हैं । मेडिकल की जांच है उसको भी आप गलत बता रहे हैं । आप क्या चाहते हैं सारे मर जायं, । हरेक चीज झूठ बताते हैं, आपके जो अफसर बताते हैं, वह ठीक हो रहा था ? आप कराते हैं या नहीं इन्कवायरी ? आप विश्वास सदन को दें कि इसकी इन्कवायरी कराएंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें ।

मैंने आपको बार-बार कह दिया कि माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए । मदेरणा जी का वक्तव्य ।

श्री मोहनलाल मोदी : × × × ये तो उत्तर दिलाइये कि जो बैंक ड्राफ्ट हैं वह बैंक में जमा क्यों नहीं हुए ?

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मेरे पास सबूत पड़े हैं व झूठे हैं और ये इनके अफसर ने जो बताया है वह ठीक है सब बात ?

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : माननीय सदस्या के 2-4 हो जाते तो ठीक हो जाता, स्थानान्तरण नहीं किये होंगे इसलिए वह रही हैं ।

श्री चतुर्भुज : × × ×

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : बैंक ड्राफ्ट पड़े हुए हैं ××× इनके देते, इसलिए पड़े हुए हैं, कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठायें नहीं तो ये माना जायगा कि××× सभापति महोदय, ये उत्तर मन्त्री महोदय से आना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट सिक्योरिटी में किस तरह से इनके पास थी जब तक कि वह बैंक में जमा नहीं हों ?

(व्यवधान)

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं रखे जाते ? ये किसने कह दिया बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं आते सिक्योरिटी में ?

श्री मोहनलाल मोदी : आप जरा ये समझिये कि बैंक ड्राफ्ट अकाउन्टस में जमा

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द/अभिव्यक्ति अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल मोदी)
होना चाहिए। आप मन्त्री होकर इस तरह प्रश्रय मत दीजिए।

श्री **विष्णुप्रकाश बजारी** : बैंक ड्राफ्ट सिक्योरिटी में क्यों नहीं आते हैं?

श्री **मोहनलाल मोदी** : आपके एकाउन्ट में जमा होना चाहिए, वे पड़े रहे आपकी फाइलों में।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आपसे बार-बार निवेदन किया जा रहा है, एक-एक करके पूछें, जवाब दे दिया जायेगा। बीच में नहीं बोलें। आसन अपने पैरों पर खड़ा है। विराज जाइये। आसन पैरों पर है, आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। मैं आपको निवेदन कर रही हूं, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य : बाहर निकालो बाहर।

श्री **चतुर्भुज** : आप सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **विष्णुप्रकाश बजारी** : ××××

श्री **चतुर्भुज** : हमारी इज्जत नहीं है।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य।

श्री **विष्णुप्रकाश बजारी** : खानों के अन्दर हजारों का ××××

एक **माननीय सदस्य** : ××××

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री **सभापति** : नीम का थाना से आने वाले सदस्य, मैं प्रार्थना करती हूं, कृपया सदन की कार्यवाही ढंग से चलने दीजिये। आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइये। मुझे अफसोस है आपके इस व्यवहार पर। मैं मुख्य सचेतक जी से कहूंगी कि वे अपनी पार्टी को कहें कि वे इस तरह का बर्ताव न करें। आप उनको बैठाइये। आप स्थान ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन
अन्तर्राज्यीय जल विवाद

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि, भारत के राष्ट्रपति महोदय जयपुर पधार रहे हैं इसलिए मुख्य मंत्रीजी उनको रिसीव करने के लिए वहां पधारे हुए हैं और जो पांचवां आइटम अब आना है, उसमें मुख्यमंत्रीजी का भी यहां होना आवश्यक है। और माननीय विरोधी दल के नेता भी ये चाहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी यहां रहें, उस समय यह स्टेटमेन्ट हो। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करूंगा कि इस स्टटमेंट को न लेकर आप जो कार्य सूची के अन्दर....

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मुख्य मंत्री जी आयेंगे भी और स्टेटमेंट होगा भी।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : कार्य सूची के अन्दर राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1981 के सम्बन्ध में विचार विमर्श शुरू किया जाय।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : किसके ऊपर?

श्री **खेतसिंह राठौड़** : राजस्थान काश्तकारी संशोधन अध्यादेश।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, जो वक्तव्य मैं देने वाला था उसको नहीं लिया जा रहा है तो भी मैं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ मैमोरेण्डम आफ अन्डरस्टेंडिंग हुआ है, उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, जैसा मुख्य सचेतक जी ने कहा, यह बात सही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के साथ ही मुख्य मंत्रीजी को उपस्थिति बहुत आवश्यक है । मुख्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं और जैसा कि मुझे सूचना दी गयी, मुख्य मंत्री जी राष्ट्रपति के स्वागतार्थ गये हुए हैं, वे आ भी नहीं सकते, अच्छा होता कि सदन की मेज पर जो कापी रखी है, उस पर आज बहस का मौका मिलता लेकिन वह तो होगा नहीं····

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसको पहले ही दिन रखना चाहिए था······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो रख दिया, वह भी ठीक है लेकिन जल्दी इसके ऊपर चर्चा तो सम्भव नहीं होगी । अगली बार सत्र में जब शामिल होंगे तभी बैठक होगी । लेकिन मैं मुख्य सचेतकजी और माननीय सिंचाई मन्त्री जी से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट में न कोई कांग्रेस पार्टी के हैं, न कोई विरोध पक्ष के हैं, सब का इसमें इन्ट्रेस्ट है और सारे के सारे राजस्थान के हित में हैं । इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेण्ट, कोई समझौता करें, मैं आप पर पाबन्दी तो नहीं डालना चाहता लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने के पूर्व यदि विरोधी दल को भी कान्फिडेन्स में लिया जाय तो राज्य सरकार की न तो प्रतिष्ठा गिरेगी और न राज्य सरकार का अहित होगा । इस प्रश्न के ऊपर हम गम्भीरता से विचार करें । मेरे इस समझौते के मामले में काफी रिजर्वेशन्स हैं । मैं मानकर चलता हूं कि ये समझौता दुनिया की नजर में इस प्रकार का समझौता है कि जिससे राजस्थान का अहित हुआ है, लेकिन इसमें मेरे रिजर्वेशन्स हैं । चूंकि मुख्य मंत्री नहीं हैं, वाद-विवाद नहीं हो रहा है, उसके कारण से जितने भी इन्टर स्टेट डिस्प्यूट हैं और खास तौर से रावी; व्यास और सतलज नदियों से सम्बन्धित जितने डिस्प्यूट हैं, उनमें हमें नुकसान होने का अन्देशा है, इसलिए मैं चाहता था कि इस प्रश्न के ऊपर विस्तार से चर्चा हो । आज नहीं हो रही है तो मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सारे सदस्यों का, नेताओं की एक बैठक बुलाकर उसमें इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, जो विचार विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने अभी यहां प्रकट किये हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं । चूंकि ये जो अन्तर्राज्य मामले विवादास्पद हैं उसमें राज्य का हित निहित है और जब राज्य का हित है तो किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं । यह सदन में जो सभी राजनैतिक पार्टियां प्रतिनिधित्व करती है, उनकी भी राजस्थान के हित को सेफगार्ड करने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)
उतनी ही लालसा या इच्छा या विचार है जितना सत्तारूढ़ पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं । जो मामले अभी विवादास्पद हैं, चूंकि आज चर्चा नहीं हो रही है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा हो या नहीं हों, उन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए । इसमें विरोधी पक्ष की अलग-अलग विभिन्न राजनैतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं के साथ में निकट भविष्य में बात चीत करके इस सम्बन्ध में जो एक सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए, उसके लिये आप लोगों का सहयोग लेने का प्रयत्न करूंगा ।

याचिका का उपस्थापन

जिला जोधपुर के ग्राम खारीया मीठापुर से विजयवाड़िया तक मिल्क रूट के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क का अलाइनमेंट

श्री सभापति : याचिका का उपस्थापन। श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह याचिका का उपस्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदया, मैं तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के ग्राम खारीया मीठापुर से विजयवाड़िया तक मिल्क रूट के अन्तर्गत···

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : यह खारिया कहां है ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें और शांत रहें ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : ···स्वीकृत सड़क के अलाइनमेंट को रुकवाये जाने सम्बन्धी याचिका उपस्थापित करता हूं ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री सभापति : अब विधायी कार्य लेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आर्डिनेंस पर बोलना चाहें तो बोलें वरना तो बिल को ही रख दें ।

श्री कैलाश मेघवाल : परिनियत संकल्प पर बोलना है, माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : अभी पहले विधेयकों को पुरः स्थापित करेंगे ।

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावें ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मैं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं।

(5.05 सायं)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न
माननीय उपाध्यक्ष के आसन पर विराजने की प्रक्रिया

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बूलाराम : अभी आसन पैरों पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन तो पैरों पर ही रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि आसन लेट जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दो तीन दिनों से मैं यह देख रहा हूं कि आप जब आते हैं इस साइड से आते हैं। ऐसे चुपचाप आते हैं कि आसन पर जो विराजमान पैनल के चेयरमैन हैं उनको पता ही नहीं रहता। एकदम ऐसे आते हैं आप भी चुपचाप, और वे ऐसे चमकते हैं कि जैसे कोई आदमी आ गया हो। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इसकी कोई न कोई व्यवस्था करायें। व्यवस्था इस सेंस में कि मार्शल आकर कम से कम इनको इस बात की सूचना दें कि डिप्टी स्पीकर साहब आ रहे हैं, स्पीकर साहब आ रहे हैं या कोई चेयरमैन आ रहे हैं।....

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : इसीलिये तो हम ताली बजा रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। आप भी जब चढ़ रहे थे तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जा रहे थे। अब मैं इस राज को तो नहीं समझ पाया कि आप धीरे-धीरे क्यों चल रहे थे। अब जो उतरता है वह भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस आता है। इसलिये कोई न कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि कोई कान में आकर कह दें कि डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं, स्पीकर आ रहे हैं, ताकि, कम से कम, बिल्कुल अचानक इस तरह की स्थिति नहीं बने।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने कहा था कि समय दूंगा। मेरे को केवल एक सूचना देनी है, मेरे को भाषण नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष: पहले यह राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक पर विचार हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय.......

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : पहले संकल्प है। अध्यादेश के संबंध में परिनियत संकल्प पहले है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981

परिनियत संकल्प

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा था कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक तारीख भी आई है, 4 सितम्बर। सबसे पहले मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि 4 सितम्बर को अध्यादेश जारी किया गया और जैसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि 31 अगस्त को सदन आहूत कर लिया गया था। यह मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान के कानून यह विधान सभा बनाए या राजस्थान के कानून सचिवालय में बनें। राजस्थान के कानून बनाने में राजस्थान के चुने हुए विधायकों का योग रहे या राजस्थान के कानून का नौकरशाही जो ड्राफ्ट बना कर यहां भेज दे और वह यहां पर पास हो जाय। हमारे संविधान में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था है अण्डर आर्टिकल 213 ऑफ दी कांस्टीट्यूशन, उस आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उस आर्टिकल 213 की जो प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक आधार जो है उसमें पहला तो यह है, अध्यादेश जारी होने के लिये विधान सभा का सत्र उस समय नहीं होना चाहिये। एक तो विधान सभा का सत्र नहीं होना चाहिये। दूसरी उसकी आवश्यकता है, कोई आपातकालीन स्थिति कोई इमर्जेंट कन्डीशन, कोई मजबूरिया, हो कि जिसके कारण कानून लागू करना आवश्यक हो, ऐसा कानून लागू नहीं होने से राज्य के हितों पर भयंकर कुठाराघात होगा, या राज्य की जनता के साथ भयंकर अन्याय होगा। यह दो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं। इन दो प्राथमिक आवश्यकताओं के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, माननीय प्रभारी मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, 31 अगस्त को सदन आहूत हो चुका था। आपको मालूम था कि 14 सितम्बर से सारे राजस्थान के विधायक सदन के आहूत होने पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। सरकार जो बिल लायेगी उसके बारे में विचार करेंगे और कानून बनायेंगे। आखिर चार सितम्बर को इस तरह का कानून लाने की क्या

(श्री कैलाश मेघवाल)

आवश्यकता थी ? मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाह रहा हूं, आज अध्यादेश के द्वारा जिस तरीके से कानून बनाये जा रहे हैं, मैं आपके आदेश से पूछना चाहता हूं, सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सदन विधायी कार्यों के लिये केवल इस बात के लिये ही मिला कि सचिवालय में जो कानून ड्राफ्ट हो जाये, अध्यादेश पास हो जाये, उसको केवल रेक्टिफाई करे । अध्यादेश का एक कायदा होता है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब अध्यादेश जारी हो जाता है, उसके बाद सत्ताधारी पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है । उसके बाद सत्ताधारी पार्टी उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है चाहे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की उसके बारे में सहमति हो या नहीं, चाहे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को उस अध्यादेश के बारे में, उस कानून के बारे में, कुछ अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला या नहीं । आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने क्या किया, इस विधान सभा सत्र में यह देखा जाये तो सातवीं विधान सभा का सत्र चालू है, इस सत्र में जो अध्यादेश सचिवालय से निकाले गये हैं, जिस तरह से सचिवालय के अधिकारियों ने अध्यादेश निकालने में मदद की, उन अध्यादेशों का केवल रेक्टिफिकेशन करने की प्रवृत्ति है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रभारी मंत्री से कहना चाहता हूं, सदन की भयंकर अवमानना है । इसलिये अवमानना है कि आखिर क्या रिकार्ड पर पोस्टेरिटी के लिये होगा ? आखिर कौनसा वह विषय है, जिसके बारे में यह कह सकते हैं कि इस विधान सभा के सत्र में यह विधायी कार्य किया गया ? यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, कानून बनाने का आखिर विधान सभा का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर का है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है, यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है इस जनतांत्रिक व्यवस्था में। इस अधिकार की अवमानना करके, उस अधिकार को डेमेज करके, इस अधिकार को सैकण्ड ग्रेड में लाकर सचिवालय में अगर सरकार अध्यादेश से कानून बना करके, इस विधान सभा को उसके रेक्टिफिकेशन की बाडी बना देगी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप भी यह स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे । विधान सभा मीट करे और मीट करने के बाद रेक्टिफिकेशन करे । आज जो छठा, सातवां विधायी कार्य ले रहे हैं, इसके पहले जितने भी विधायी कार्य लिये; इस सदन में वे सारे अध्यादेश थे । एक भी विधायी कार्य ऐसा नहीं था, जो कि मूलरूप में इस विधान सभा में प्रारम्भ हुआ हो, इस विधान सभा की प्रक्रिया के अनुसार कानून बना हो। हमारे सामने जो अध्यादेश लाये गये हैं, वह पहले कानून के रूप में जारी करे थे, जारी करने के बाद इस विधान सभा के सामने रखे गये । यह सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया कि इनको रेक्टिफाई करायें । मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कौनसी आवश्यकता पड़ी थी ? वैसे तो पार्लियामेंट में भी, इस देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार इस बात को स्वीकार किया है, अध्यादेश का स्पष्ट प्रयोजन क्या है, अध्यादेश का प्रयोग अपवाद स्वरूप किया जाना चाहिये । अपनी इस राजस्थान की विधान सभा में 1974 में तत्कालीन अध्यक्ष ने निर्देश दिये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय प्रभारी मंत्रीजी को याद दिलाना

Page No. 166

(166)

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं, उस समय चर्चा में भी आप और मुख्य सचेतक महोदय थे, जब अध्यादेश निकाला गया, ध्यान आकर्षित किया गया इस सदन का और उस समय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्देश दिये, वह निर्देश इसलिये पढ़ना चाहता हूं, माननीय प्रभारी मंत्री जी और खेतसिंह जी दोनों महारथी थे, उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया था और चर्चा में हिस्सा लेने के बाद निर्णय अध्यक्ष जी ने दिया था, वह निर्णय इस प्रकार है, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था—"मैं यह मानता हूं कि डेमोक्रेसी में किसी कानून को बनाना लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर के बगैर कोई कानून बनाना एक नार्मल प्रेक्टिस नहीं हो सकती। ऐसा करना अन-डेमोक्रेटिक है, लेकिन कुछ अपवाद इस मामले में दिये गये हैं, जो संविधान के आर्टिकल 213 के अन्तर्गत हैं।" यह सारी रूलिंग डिक्टेट कराने के बाद कनक्लूडिंग पोर्शन में कहा गया है, "यह तो देखने की बात है, इसलिये मेरा यह मानना है कि जो होम्यो-पैथी संबंधी अध्यादेश है, सत्र 26 को आहूत हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ और 28 का यह आर्डिनेन्स है, मैं यह इल्लीगल तो नहीं मानता हूं, लेकिन इम्प्रापर अवश्य मानता हूं।" स्ट्रिक्टली इस तरह की एक मिसाल उस समय आयी थी, उसके बाद आर्डिनेन्स कम से कम निकाले जायें, बहुत इमर्जेंसी कोई हो तब ही निकाले जायें। और इस आब्जर्वेशन के बाद तो करीब-करीब नहीं निकाले तो बहुत ही अच्छा है। कोई मजबूरी आ जाय तो ही निकालें, क्योंकि पार्लियामेंट के निर्णय भी सरकार ने पढ़े होंगे। यह मैंने सारा निर्णय पढ़ कर सुनाया उसके अन्दर इस तरह के......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्या क्या रख रही हैं सदन की मेज पर।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में चोरी में रखें बैंक ड्राफ्ट एवं रसीद

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : यह डॉकूमेंट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कायके डाकूमेंट हैं, क्या हैं, मुझे बता दीजिये।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मैं तो आपको डाकूमेंट दे रही हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसे पेपर्स हैं, जो इम्पोर्टेन्ट हैं। हाउस की मेज पर रखने दीजिये। सब सदस्य देख लेंगे।

श्री दूलाराम : वह तो रख दिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या को जब बोल रही थी उस वक्त इनको रखना चाहिये था। अब अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मैं तो कहती रही, उन्होंने लिये ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस की टेबल पर रखने लायक पत्र हैं वह उस समय नहीं रखे गये तो यह हमारा अधिकार है, हम उन पत्रों को देखना चाहते हैं। इसलिये पत्रों को

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
सदन की मेज पर रखवायें। यह उनकी प्रापर्टी नहीं है, यह सारे ऐसे पेपर्स हैं। जो डिबेट में रैफर किये हैं। इम्पार्टेन्ट हैं, देखना आवश्यक होगा। आरोप-प्रत्यारोप इन पत्रों के संबंध में लगे हैं। सदन की मेज पर रख देवें तो आपत्ति क्या है; हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करके इन पत्रों को रखवायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सदस्या रखना चाहती हैं। सदन की मेज पर रखना चाहती है, स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दी गई।

श्री यदुनाथसिंह : अब पता लगा है खेतसिंह जी को, अन्दरूनी मामला क्या है।

परिनियत संकल्प

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अब पार्लियामेंट के जब मावलंकर साहब स्पीकर थे उस समय की एक रूलिंग पढ कर सुनाना चाहता हूं, जो कि सभी विधान सभाओं में, दूसरे लेजिस्लेचरों में एक नीति निर्देशक के रूप में आर्डिनेन्स जारी करने के काम में ली जाती है

"The procedure of promulgation of ordinances is inherently undemocratic. Whether an ordinance is justifiable or not, the issue of a large number of ordinances has psychologically a bad effect. The people have an impression that the Government is carried on by Ordinances, the House carries a sense of being ignored, and the Central Secretariat perhaps gets into the habit of slackness which necessitates Ordinances, and an impression is created that it is desirable to commit the House to a particular legislation as the House has no alternative but to put its seal on matters that have been legislated by the Ordinance. Such state of things is not conducive to the development of best parliamentary traditions."

इसके साथ अब मैं बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डिनेंस है क्या? आर्डिनेंस के जो आब्जेक्ट्स, जो उद्देश्य बताये गये हैं वह बडे इन्नोसेंट...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो एकेडेमिक स्टडी.....

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कहा था इसलिये पढ़ रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था ऑब्जेक्ट्स इस आर्डिनेंस को रखने, के लिये लिखे गये है, उनको देखा जाय, उन उद्देश्यों को, उन कारणों को देखा जाय, क्योंकि ये कारण इस बात का जवाब देने में सहायक होंगे कि क्या यह आर्डिनेंस आवश्यक था, यह आर्डिनेंस लाया गया उसके लिये सरकार क्या कहना चाहती है ऑब्जेक्ट्स में; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ना आवश्यक है इन्हें...

श्री उपाध्यक्ष : आपने बताया कि किन हालात में आर्डिनेंस आते हैं। वह आप बता चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : लेकिन अब जो लाया गया है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं वह आपको बता रहा हूं,...

(श्री कैलाश मेघवाल)

"By the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1978 (Rajasthan Act 11 of 1978), a proviso was added to section 42 (a) to the effect that the State Government or any authority or officer empowered by it may exempt transfer of fragments for non-agricultural purposes from the restrictions contained in section 42(a). This amendment was prospective and transfer of fragments effected prior to the amendment were not covered by it. There were thousands of cases of transfer of fragments of this nature and if the transferees were ejected, great hardship would have been caused. It was necessary to insert a new section 42-A for regularisation of such past cases of transfer of fragments for non agricultural purposes subject to fulfilment of certain conditions."

मैंने यह पढ़ा, उपाध्यक्ष महोदय, जिसे आपने सुना होगा कि 1978 में इस विधान सभा के द्वारा कोई अमेंडमेंट टीनेंसी एक्ट की धारा 42 (ए) में लाया गया और उस अमेंडमेंट में इस बात के अधिकार किये गये कि एग्रीकल्चर लैण्ड का किन-किन नान-एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिये किस-किस प्रक्रिया के आधार पर परिवर्तन हो सकेगा। यह इसमें किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, 1978 में यह आ गया उन्होंने बताया कि कांस्टीट्यूट तो यह होगा, कामर्शियल, नान एग्रीकल्चर, परपजेज के लिये, कामर्शियल डिस्टिंक्शन है और दूसरे इन पर्पजेज के लिये चालू कर दिया 1978 में के पहले जो कुछ हो गया उसको रेगुलेराइज करने के लिये हम यह लाये हैं। यह उपाध्यक्ष महोदय, इंपोर्टेंट चीज है, 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। हो सकता है उस समय अमेंडमेंट करके उद्देश्य प्राप्त कर लिये हों। केवल मात्र यह था कि एक हार्डशिप आ रही थी, किन्हीं स्थितियों में उबरना आवश्यक था और हमने कह दिया अमेण्डमेंट कर दो एग्रीकल्चर लैण्ड इस अमेंडमेंट के बाद इन पर्पजेज के लिये कन्वर्ट हो सकेगी इस आथोरिटी के द्वारा और इस-इस प्रक्रिया के आधार पर यह इसमें किया इसमें पहले की तरह नहीं है जिसके कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं 78 में तो यह अमेण्डमेंट किया गया, 78 में जनता पार्टी का विधेयक निकला और कांग्रेस का विधेयक राजस्थान में 23 साल से चल रहा है मैं निवेदन कर देना चाहता हूं यह केस तो पहले भी एड्जूडिकेट कर रहे थे क्योंकि 78 के बाद का कोई केस नहीं है। 78 के बाद का जब कोई केस नहीं है तो साढ़े तीन साल तक जो मसला उलझा रहा था जिसको आप करने जा रहे हैं उसमें 15 दिन में क्या कमी पड़ जाती। आखिर कोई समझाये तो सही कि आर्डिनेंस क्या लाया गया। साढ़े तीन साल से चर्चा हो रही थी, साढ़े तीन साल से पुराने फ्रेगमेंट्स थे जिन पर काबिज थे लेकिन सेक्शन 42 (ए) टीनन्सी एक्ट का वायोलेशन किया था। इस तरह के केस फिर रेगुलराइज करने जा रहे हैं वह साढ़े तीन साल पहले के हैं साढ़े तीन साल से लगातार यह मसला चल रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा आसमान पड़ा, कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

(श्री कैलाश मेघवाल)

लगा, कौन सी राजस्थान में लॉ एंड ग्रार्डर की स्थिति खराब हो रही थी कि ग्राल ग्राफ- ए सडन विधान सभा का सत्र समाप्त करने के बाद राजस्थान सरकार को यह ग्रार्डिनेंस लेकर ग्राना पड़ा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ग्रासान, जितने इन्ट्रेस्ट ये ग्राब्जेक्ट्स दीख रहे हैं उतने हैं नहीं इनमें गहरे षड्यंत्र की बू मालूम पड़ रही है इसलिये मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन मुद्दों का स्पष्टतः जवाब दें, यह इसलिये ग्रावश्यक है इसलिये हमने प्रोविजन किया कि कुछ दिक्कतें ग्राती थी। मई एग्रीकल्चरल लैण्ड है, इस काम के लिये, उपयोग के लिए ग्रमेण्डमेंट 78 में करना पड़ा, यह इसलिये ग्रावश्यक है। ग्रापको सारी स्थिति क्लियर हो जायेगी जैसा कि ग्रापने पढ़ा होगा वह ग्रमेण्डमेंट है–

"The sale, gift or bequest by a Khatedar tenant of his interst in the whole or part of his holding shall be void, if-

(a) it is not of a survey number except when the area of the survey number so sold, gifted or bequesthed is in excess of the minimum area prescribed for the purpose of sub-section (1) of Section 53, in which case also the area not transferred shall not be a fragment."

[उसमें 78 में एक प्रोविजो जोड़ा गया था :

"Provided that this restriction shall not apply, if the area so transferred becomes merged into a contiguous survey number" :

Provided furth hat this restriction shall not apply if the sale gift or bequest is of the entire interest of a tenant in the survey number:"

ग्रब यह 42 (ए) में प्रतिबंधित किया गया था, एक ऐसी स्थिति पैदा की गई थी कि जिससे निदान पाना ग्रावश्यक था तो 78 में जनता सरकार ने इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिये, रेजिडेंशियल पर्पजेज के लिये ग्रौर कामशियल पर्पजेज के लिये इस तरह से रेगुलेराइज करने की कंडीशन में परिवर्तन हो सकता है, यह ग्रमेण्डमेंट किया ग्रब इस ग्रमेण्डमेंट का लाभ किनको मिलेगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं 380 का, 379, 390, 391, 392, 393, 394, 395 सब में होता है, इन सभी जिसमें माल इन्वाल्वड होता है ग्रापको मालूम है कि चोर चोरी करता है फिर चोरी का माल जिसके यहां बरामद होता है वह 411 का मामला बनता है। यह स्थिति ग्रापको ग्रच्छी तरह से मालूम है लेकिन चोरी का सामान पकड़ने से नहीं बच सकता

"Provided also that the State Government or any authority or officer empowered by the State Government may extend by general or special order, and subject to such conditions as may be specified, the sale, gift or bequest for industrial, residential or commercial purposes, from these restrictions."

वह ग्रापको ग्रच्छी तरह से मालूम है इग्नोरेंस ग्राफ लॉ है तो 411 में उसको पकड़ा जाता है, उसको सजा दी जाती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 379 में तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

कंप्रोमाइज हो सकता है, 380 में भी निश्चित सीमा के नीचे कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन 411 में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। चोरी का माल जिसके यहां प्राप्त हो उसको कोई छूट नहीं कानून में। तो यह मैंने आपके सामने उदाहरण इसलिये दिया है कि यह इस सारे वाकये को समझने के लिये आवश्यक है। अब आगे क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे 4-5 मुद्दों का जवाब दें।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी, जरा आप ध्यान दें तो ठीक रहेगा। खेतसिंहजी, आप से जवाब की उम्मीद नहीं है। कोई बात आपने बढ़िया कही है। कल ही आपने। कहा है। आप का स्टेटमेन्ट पढ़ कर सुना दिया फिर भी आप बदल गये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिन में दस बार बदलते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बताया जा रहा है और जैसा मोटिव इम्प्युट किया है इस सरकार पर, मैंने आरोप लगाया है इस सरकार पर कि यह षड़यंत्र है। किन को लाभ देने के लिये हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा, जनता सरकार के आने के बाद एक बेरी कमीशन नाम से एग्रीकल्चर लेण्ड जो ऐलाट की गई थी उनकी जांच करने के बारे में एक कमीशन बैठा था। मैं इसलिये, उपाध्यक्ष महोयय, निवेदन करना चाहता हूं कि वह बेरी कमीशन को अगर कांग्रेस सरकार आकर के समाप्त कर देती कि यह बेरी कमीशन गलत है, इसका परव्यू, इसको टर्म आफ रेफरेन्स जो दी गई है वह गलत है तो हम आज यह मानने को तैयार होते कि आप का मन्तव्य ठीक हो सकता है लेकिन बेरी कमीशन को आपने कायम रखा। बेरी कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेन्स को आपने कायम रखा है। बेरी कमीशन की कार्यवाही को आपने जारी रखा है और इस विधान सभा में भूतपूर्व मुख्य मंत्री पहाड़ियाजी जो कांग्रेस सरकार के थे, यह कहा है कि बेरी कमीशन ठीक काम कर रहा है और यह जो जांच कर रहा है, वह जांच मेरी सरकार चालू रखेगी। यह मैंने इसलिए निवेदन किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इससे कांग्रेस पार्टी की यह मंशा जाहिर होती है। कांग्रेस सरकार की यह मंशा जाहिर होती है कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड का जो घोटाला हुआ है राजस्थान में, पिछले दिनों में, इन घोटालों की जांच कराकर कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के साथ न्याय करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। इस बेरी एग्रीकल्चर कमीशन ने कोई 60-70 रिपोर्टस् दी है, एग्जेक्ट नम्बर तो माननीय कृषि मंत्री या प्रभारी मंत्री जी बता सकेंगे लेकिन इन 1952 से लगा कर 1977 तक, जिन जिन प्रभावी लोगों ने चाहे वे मंत्री रहे हों, चाहे एम. एल. ए. रहे हों, चाहे वे अधिकारी रहे हों, उनके खिलाफ अलग अलग रिपोर्ट दी है। इस जमीन की कीमत आंकी है कोई पचास करोड़ रुपये। पचास करोड़ रुपये की कृषि की जमीन का घोटाला हुआ है जो बेरी एग्रीकल्चर कमीशन ने निकाला है। क्या कहा है बेरी एग्रीकल्चर कमीशन ने। उन्होंने कहा है :

"Government officer and leaders of the societys have grabbed the land"

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह बेरी कमीशन की फाइन्डिंग्स सरकार के सचिवालय में पड़ी है और लैण्ड ग्रेब करने वाले उन प्रभावी लोगों ने उस लैण्ड को बेच दिया है, ट्रान्सफर कर दिया है जिनको खुद को लेने का अधिकार नहीं था, जिनका खुद की कृषि जमीन पर किसी तरह का अधिकार नहीं था, यह बेरी कमीशन कहता है। उस जमीन को लैण्ड ग्रेबर ने, जमीन के डाकुओं ने बेच दिया है। आज प्रभारी मंत्रीजी यह कहेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, वह बेचारे इन्नोसेन्ट है। गरीब लोगों ने खरीदी है। जिसने जमीन खरीदी है उसको रेगुलराइज करना है। यह बिलकुल साफ है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं यह स्पष्ट रूप से आश्वासन चाहता हूं आप किसी इन्नोसेन्ट आदमी को लाभ पहुंचावे, उसको राहत दें, गरीब आदमी को राहत दें, यह इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि गरीबों का भला हो लेकिन इस कानून की आड़ में 50 करोड़ रुपये की जमीन पर राजस्थान में 27 साल तक जमीन के डाकुओं ने कब्जा किया, नाजायज तौर पर उस जमीन को बेचकर लाभ उठाया है, उनको फायदा देने की कोशिश की जा रही है। यह मेरा सीधा आरोप है।

दूसरा आरोप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट है, लैण्ड रिक्वीजीशन एक्ट है, लैण्ड रिजम्पशन एक्ट है। यह तीन तरह के एक्ट है। लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस योजना के आधार पर जारी होता है, यह जमीन इस कामके लिये है, सेक्शन चार का नोटिस इस तरह जारी होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया से आप की जानकारी है। वह नोटिस इश्यू हो गया और नोटिस इश्यू होने के साथ-साथ सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों ने षड़यन्त्र करके कुछ लोगों से, कहा, तुम्हारे हाथ से जमीन जा रही है। नोटिस आ गया है लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट का। सरकार के हाथ पक्के हैं। सरकार इसको एक्वायर करेगी। उनको कहा जाता है जमीन हम को बेच दो। इसको बेच दो। सरकार पांच हजार देगी हम दस हजार रुपया देंगे। उन षड़यंत्रकारी दलालों ने वह जमीन ले ली और कोआपरेटिव सोसाइटीज बना दी। दूसरों को बेच दी। उसका कनवर्शन नहीं हुआ। उसका ट्रान्सफर नहीं हुआ। ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर के उसमें गरीब और भले लोगों को फंसा दिया।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लैण्ड एक्वीजीशन के नोटिस की सारी कार्यवाही कम्पलीट हो गई, जिसमें आपको नोटिफिकेशन इश्यु करने के लिये यू.आई. टी. के लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर ने लिखा हुआ है लेकिन वह फाईल 5-6 महीने से दबी हुई पड़ी है। इसलिये पड़ी हुई है कि बहुत प्रभावशाली लोगों को जमीन दी जा रही है। जो उन्होंने षड़यंत्र कर के ली है उसको आप रेगुलेराइज कर रहे हैं।....

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इसमें गरीब आदमी पिटा है। हजारों के लाखों वसूल किये जा रहे हैं और लाखों में जमीन लेकर करोड़ों वसूल किये जा रहे हैं। यह चर्चा एक बार नहीं दस-दस बार असेम्बली में आ चुकी है। अखबारों में आ चुकी है। आज सामान्यजन जानते हैं कि किस तरह के लोग है, आज इस जमीन के धन्धे में किस तरह की दूषित और अपराध प्रवृत्ति वाले में उलझे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन सहकारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

समितियों की जमीनों पर जिन्होंने बदमाशी, बेईमानी कर के कब्जा कर लिया है उसको जारी रहने देंगे ? आप इन लोगों को जानते हैं। सहकारी समिति की जमीन मुफ्त की जमीन है। जो जमीन आज एक लाख में मिल रहा है वह आने वाले समय में पांच लाख में मिलेगी। मेरे सामने ऐसा मौका नहीं आया है···

(व्यवधान)

मैं चुनौती के रूप में कह रहा हूं ···

(व्यवधान)

वह आप ले जाना जो भी है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: No interruptoin.

श्री कैलाश मेघवाल : ...आप श्रीराम गोटेवाला की बात कह रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो आरोप लगा रहा हूं यह माननीय सदस्य के दिमाग में है कि ऐसा धंधा करने वाले माननीय सदस्य हैं। मैं नोटिस नहीं लेता हूं। मैं तो सामान्यतः एक आरोप लगा रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण है···· (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)··· करोड़ों रुपयों का इसमें गोलमाल है। गजब है। यह साधारण बात नही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी रोशनी डाल चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : ..इसमें मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के लैण्ड एक्वीजीशन के नोटिस जारी होने के बाद, उस जमीन को खरीद कर सहकारी समिति के माध्यम से या अन्य तरीके से लोगों को बेच कर मकान खड़े कर दिये हैं उनका आप रेगुलेराइजेशन करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं सारे शहरों का मास्टर प्लान बना हुआ है। मैं नहीं कहता हूं, पिछले दिनों एक सवाल आया था, मास्टर प्लान में जमीन आती है, मास्टर प्लान सरकार ने 1975-76 में स्वीकार किया था। जोधपुर का कब हुआ, यह तो मालूम नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको मालूम होगा, परन्तु अजमेर का 1976 में हुआ था, मैं वहां का विधायक हूं इसलिय मालूम है। मास्टर प्लान में है जमीन रिजर्व्ड फार इन्डस्ट्रियल एरिया, दिस इज रिजर्व्ड फार आबादी लेण्ड, इस जमीन को हम इस काम में लेंगे। मास्टर प्लान पब्लिश हुआ और पब्लिश होने के बाद, जो अधिकारी मिले हुए हैं, सत्ता के साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं, जिन लोगों की जमीन मास्टर प्लान में आ गई है, यह इस काम में ली जायेगा, बोले इसको हम को बेच दो। इस तरह वह जमीन खरीदी। इसमें राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ है। जिस पर्पज के लिये मास्टर प्लान में जमीन दिखाई गई थी, उसको नकारा गया। दूसरे इससे बेईमानी की गई, लाखों, करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ, गरीब लोगों को फंसाया गया। उस जमीन को रेगुलेराइज करने के लिय यह संशोधन लाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, प्रभारी मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, लैण्ड सीलिंग मे जमीन आती है, अरबन सीलिंग में जमीन आती है, कई जगह चरागाह की जमीन के ऊपर कब्जा करने के बाद उसको कृषि भूमि बना कर के उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

Page No. 173

(173)

(श्री कैलाश मेंघवाल)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें अरबन सीलिंग का, लैण्ड सीलिंग का उल्लंघन नहीं किया गया है? क्या जो चारागाह की भूमि थी उसका दुरुपयोग नहीं किया गया है? क्या आप उसको रेगुलेराइज करने के लिये यह आर्डिनेन्स लायें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पांचवा सवाल है, आप जल्दी कर रहे हैं इसलिये अब जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। पांचवां सवाल और है और वह यह है कि यू.आई.टी. की स्वीकृति नहीं हो, यू.आई.टी. का प्लान नहीं हो, यू.आई.टी. का ले आउट नहीं हो, म्यूनिसिपेलिटि की कोई स्वीकृति नहीं हो, म्यूनिसिपेलिटी का कोई प्लान नहीं हो, म्युनिसिपेलिटी का कोई ले आउट नहीं हो और वह कृषि भूमि पर इमारत खड़ी कर दे ऐसी इमारतें खड़ी करने वालों में माननीय प्रभारी मंत्री जी, आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि आपके साथ बैठने वाले लोग भी हैं। मैं आरोप लगाता हूं कि उनको ही राहत देने के लिये, उनके ऐसे काले धन का नियमन करने के लिये ही यह एक्ट लाया गया है। ये आपके साथ में बैठे हुए, आपके साथ बैठे हुए जो लोग है उनके ऊपर नीचे हो रहा है तो कुछ न कुछ तो करना होगा। शायद राजस्थान के सभी विधान सभा के सदस्यों को मालूम होगा, संविधान की हत्या करके यह आर्डिनेस लाया गया है। आर्डिनेस लाने के बाद बिल इश्यू करेंगे। सरकार की इच्छा की प्रतिष्ठा का सवाल है और इस प्रतिष्ठा की पूर्ति के लिये यू.आई.टी. और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी बिना स्वीकृति के सारे नियमों का उल्लंघन करके, कोई नियमों की पालना नहीं करके पूर्णतया जंगल का राज समझकर लोगों ने इमारत खड़ी कर दी, उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो प्रभारी मंत्रीजी के साथ बैठने वाले लोग हैं उनको राहत देने के लिये यह आर्डिनेस लाया गया है। माननीय महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैंने जो बातें कही क्या उससे आपको आत्मा नहीं धिक्कारेगी। अगर इसके बारे में कोन्सियस से वोट करना चाहें तो पहले भी यह कोन्सियस से वोट हो चुका है राष्ट्रपति के चुनाव में कोन्सिय से वोट देने वालों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय का आप अब भी ख्याल रखें तो मैं यह बात कहता हूं कि इस आर्डिनेस को अस्वीकार किया जाय। यह राजस्थान के लोगों के साथ धोखा है। इससे लाभ उनको होगा जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं जिसका कि पैसा लगा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ब्लैक मार्केटियर्स के पैसे को रेगुलराईज करने के लिये यह आर्डिनेस लाया गया है। यह जो सारा ब्लैक मनी है, कालाधन है तो उसमें ब्लैक मार्केटियर्स को लाभ होगा, उनके पास ही जमीने थी। उदयपुर में चम्पाबाग का मसला कई बार आता है। इस तरह के आरोप लगाये थे कि 15 लाख की डीड है और 17 लाख रुपये लिये गये है। उसको कन्वर्ट कराने के लिये कई लाख में सौदे किये। जिन लोगों के साथ संबंध थे, जो ब्लैक मनी वाले थे जिसके आधार पर ही इस तरह के काम करने वालों ने धन्धा करने का अभियान चलाया है, आरम्भ किया है उन ब्लैक मार्केटियर्स को ही आप लाभ देना चाहते हैं। क्या आप उन प्रोफिटियर्स को लाभ देना चाहते हैं जो कि हमारे संविधान के घोषित उद्देश्यों के विपरीत है प्रोफिटियर की प्रोफिटिंग इसमें कितनी चली है। एक रुपये में खरीदी हुयी जमीन 100-100 और 500-500 वर्ग गज के हिसाब से बेची गयी है क्या यह प्रोफिट नहीं है। क्या यह सरकार प्रोफिटिंग

(श्री कैलाश मेघवाल)

को प्रोत्साहन देना चाहती है ? सबको मालूम है कि एसे धन्धे करने वाले कौन हैं। ब्लैक मार्केटियर्स को लाभ देना चाहते है, राजनैतिक दलालों को लाभ देना चाहते हैं जो आपके साथ मेल जोल करके बीच में दलाली करके लाभ कमाते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : बस समाप्त कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आप जरूर बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें आपको जरूर बोलना चाहिए अगर आप बोलेंगे उपाध्यक्ष महोदय तो राजस्थान आपका ऋणी रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर आप जरूर बोलें। अब एक और निवेदन करूं, सरकार चोरों को नहीं पकड़ सकी। अभी प्रभारी मंत्री कहेंगे, बड़ी साहित्यिक भाषा में जवाब देंगे, अपनी पूरी वाक कला का परिचय देकर . . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में भाषण पूरा करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जानता हूं कि प्रभारी मंत्री कहेंगे कि लोग . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले बोल चुके हैं, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार चोरों को नहीं पकड़ सकती इन मार्केटियर्स को नहीं पकड़ सकती है, प्रोफिटियर्स को नहीं पकड़ सकती है, दलालों को नहीं पकड़ सकती है । राज्य के खजाने का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, राजस्थान के लोगों के साथ धोखा हो रहा है । यह रेगुलेराईजेशन करने के लिये अध्यादेश लाये हैं उसको अस्वीकार किया जाये । यही मुझे कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद । प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आसन से ही बोल जायें ।

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात हो जायगी ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो काश्तकारी कानून को संशोधित करके अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है उसको अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उस संकल्प का समर्थन करते हुए उन्होंने कई बातें कही, मैं सबसे पहले तो यह कहूं कि जब श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा को आहूत कर लिया गया था तो आर्डिनेंस नहीं निकलना चाहिए था, यह बात सही है 29-30 को और जहां तक मुझे याद पड़ता है विधान सभा को 30 तारीख को आहूत कर लिया गया था तो 4-9 1981 को अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था इस प्रकार का अध्यादेश लाना पार्लियामेंट्री ट्रेडीशन के अनुरूप नहीं है। उन्होंने लोक सभा के प्रथम स्पीकर मावलंकर की व्यवस्था का उद्धरण दिया और जिक्र किया । यह मैं मानता हूं । इस हाउस की

(श्री परसराम मदेरणा)

काम्पीटेंस है और लेजिस्लेचर ही काम्पीटेंट है कि इस सदन के द्वारा ही कोई कानून बनाया जाना चाहिए लेकिन विधान सभा का सत्र नहीं हो तो इन्टर सेशन के अन्दर संविधान में लेजिस्लेशन की पावर गवर्नर को दे दी है ताकि ऐसी हालत में आवश्यकता हो तो आर्डिनेंस के जरिये कानून बनाया जा सके कानून बनने के बाद इस सदन के समक्ष आना चाहिए अगर सदन में आने के बाद बिल के द्वारा उसे सब्सीटेंयूट नहीं करता है सदन तो 42 दिन में लैप्स हो जाता है। लेकिन यह कहना गलत है कि आर्डिनेंस नहीं आ सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1974 के अन्दर एक आर्डिनेंस लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एवबीजेशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेटस एक्ट में जो संशोधन किया गया था वह विधानसभा का सत्र होने के दो दिन पहले ही प्रख्यापित हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई कान्सटीट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि असेम्बली के असमेब्ल होने के बाद, और असेम्बली की सिटिंग्स के बीच में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जायेगा। मैं यह मानता हूं कि पालियामेन्ट्री ट्रेडीशन्स के अनुसार जहां तक सम्भव हो इस प्रकार का आर्डिनेंस विधान सभा के आहत होने के बाद नहीं लाना। क्योंकि आर्डिनेंस निकालने के संबंध में हमारा फैसला पहले हो हो चुका था किन्तु दो तीन की देरी हुयी। फिर भी सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि असेम्बली आहत होने के बाद कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाये।

लेकिन उनका कहना है कि जो ग्राउन्ड्स और रीजन्स दिये गये हैं आर्डिनेंस को प्रख्यापित करने के संबंध में वे कोई कारण नहीं हैं क्यों कि जो रीजन्स आपने दिये हैं वे रीजन्स अपनी जगह पर हैं लेकिन इसका जो उद्देश्य आता है वह इसमें ब्लैक मार्केटियर्स को और दूसरे लोगों को प्रोटेक्शन देना है और प्रोटेक्शन देने के साथ-साथ उनको एक संरक्षण देना है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि बेरी कमीशन ने जो सिफारिशें कि हैं वह अभी तक नहीं देखी है लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है बेरी कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेन्स में एग्रीकल्चर लैण्ड के अलाटमेंट के रेगुलराईजेशन का मामला था। बेरी कमीशन के पास शायद यही है। एग्रीकल्चर लैण्ड नोन एग्रीकल्चर लैण्ड में कन्वर्ट होती है कानून के अन्तर्गत वह मामला देख सकेंगे। मैं समझता हूं कि उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा था। यह कहा था कि बेरी कमीशन ने जांच करके कहा जिन लोगों को अलाटमेंट किया था जिन लोगों की अधिग्रहीत की है वह कानूनन नहीं कर सकते हैं। आज जिन लोगों ने उस जमीन को बेचा है, उनका फ्रेगमेंट किया उ। फ्रेगमेन्टस को रेगुलराईज किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : बेरी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास आई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनल रिपोर्ट नहीं आई बाकी तो आ गई।

श्री परसराम मदेरणा : बाकी आ गई। मैं कुछ काम में व्यस्त था। प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले ढाई महीने से फ्लड और दूसरी

(श्री परसराम मदेरणा)

नेचुरल केलेमिटीज की चुनौतियों का एक के बाद एक सरकार को सामना करना पड़ा। इसलिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो केसेज उन्होंने सरकार के पास भेजे हैं वह देखे जा सकते थे। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नही लिया लेकिन बेरी कमीशन की जो सिफारिशें आई, इन्टरिम रिपोर्ट आई उस इन्टरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखकर कतई यह नहीं लाया जा रहा है। मैं इस संबंध में विश्वास दिलाना चाहता हूं।

दूसरी यहां पर यह बात कही गई, लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के नोटिस निकाल दिये गये हैं। नोटिस निकाल देने के बाद पता चला कि कुछ लोगों की भूमि को सरकार एक्वायर करना चाहती है और सरकार एक्वायर करना चाहती है तो उससे बचने के लिये कोल्यूजिव तरीके से प्लाट्स दे दिये। सरकार जो लोकहित में जमीन को एक्वायर करना चाहती है उससे सरकार को महरूम रखा गया। इस प्रकार की बात कही गई। यह जो कन्वर्शन के संबंध में है फ्रेगमेन्टस के ट्रांसफर का रेगुलेराइज हो रहा है यह केवल कुछ हद तक कुछ सोसायटीज तक ही सीमित नहीं है। मैं निश्चित तौर से इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, कह सकता हूं कि माननीय सदस्य जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहे हैं आधा अजमेर शहर एग्रीकल्चर लैण्ड पर है और आधा एग्रीकल्चर लैण्ड पर है तो रेगुलेराइजेशन जब तक फ्रेगमेन्टेसन को चालू नहीं करते तो रेगुलेराइज नहीं किया जा सकता, यह प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलेराइजेशन हो या नहीं हो, मदार गेट एग्रीकल्चर लैण्ड पर है, टूटने वाला नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आज रेगुलेराइजेशन नहीं करेंगे तो जो कुछ भी लोन लेने को और दूसरी जो प्रक्रिया है उससे वह आदमी वंचित रह जायेगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था यहां ही नहीं राजस्थान के सभी बड़े शहरों के अन्दर ऐसी कठिनाई बनेगी, उनके रेगुलेराइजेशन का प्रश्न है जो आपने रूल्स बनाये हैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट, कन्वर्शन एण्ड रेगुलेराइजेशन आफ एग्रीकल्चर लैण्ड फार रेजिडेन्सियल एण्ड कार्माशियल पर्पजेज इन अर्बन एरियाज) रूल्स, 1978 और ये रूल्स इसलिए बनाये हैं इन रूल्स को बनाने से पहले जैसे 42-ए में एक अमेन्डमेंट आया था, उसका उल्लेख भी आपने किया क्योंकि राजस्थान में 1950 से लेकर के 1978 तक जो एक बहुत बड़ी उबलण्ड समस्या फ्रेगमेन्टेशन के ऊपर इन्स्टालेशन्श और कन्स्ट्रक्शन्स की आई वह एक आउटस्टेण्डिंग प्रोब्लम इस अमेन्डमेंट से हल नहीं हुई क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली तो आपने कर दिया, प्रोस्पेक्टिवली तो कोई भी आदमी आवेदन देकर कलेक्टर को फ्रेगमेन्टेशन का कन्वर्शन नान-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए करवा सकता है लेकिन पास्ट में जितने भी केसेज हुए है 1949 से लेकर 1978 तक इनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है क्योंकि..

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक फर्क है 78 के रूल्स बने उनमें एग्रीकल्चर लैण्ड के फ्रेगमेन्ट्स का कन्वर्शन करवा सकते हैं, बीच के दलाल नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो 42 में अमेण्डमेन्ट लाये है वह फ्रेग्मामेण्टेश

(श्री परसराम मदेरणा)

के सम्बन्ध में है। 42 (ए) में जो 78 में अमेण्डमेन्ट आया था, 22-6-78 को जो कानून बना उसका उल्लेख कर रहा हूं, वह प्रोविजो है—

"Provided also that the State Government or any authority or officer empowered by the State Government in this behalf, may exempt by general or special order and subject to such conditions as may be specified the sale, gift or bequest for industrial, residential or commercial purposes, from these restrictions."

हेडिंग यह है—

'General restrictions.'

लेकिन एक प्रोविजो डाल दिया कि अगर सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी तो इस प्रकार का फ्रेगमेन्टेशन फार नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज जो डिफाइनकर दिया है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज, इण्डस्ट्रियल पर्पज और कामर्शियल पर्पज के लिए तो वह करवा सकता है। इसलिए प्रश्न किया कि पास्ट केसेज हैं। पास्ट के हजारों केसेज हैं और उनमें लोगों ने कन्स्ट्रक्शन करा लिये हैं। अगर सैक्शन 40(ए) में अमेण्डमेन्ट नहीं किया जाता तो उन सबको डिमोलिश करना पड़ेगा और डिमोलिश करने पर पूरे राज्य में लोगों को आर्थिक परेशानी होगी उससे बचाने के लिए और एक बहुत बड़ी समस्या जो पाइल अप हो गई थी पिछले तीस सालों से उसका निदान और समाधान निकालने के लिए सैक्शन 40 (ए) नई तरीके से लाया जा रहा है ताकि जो अमेण्डमेन्ट है, 22-6-78 का आर्डर था जिसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव था 42(ए) में जो लिया है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ताकि समस्या के हल के लिए पास्ट केसेज का रेगुलराइजेशन हो। रेगुलेराइजेशन के अन्दर भी बहुत सी कण्डीशन्स हैं जो इस एक्ट में डाली गई हैं, वह पावर रूल मेकिंग में नहीं रखी हैं, और एक्ट में इसलिए डाल दी हैं कि इन्हें 42(ए) में कुछ कण्डीशन्श लगाई हैं, अगर उसका सेल इस तरह से ठीक किया हुआ है, कानून के अन्दर रजिस्ट्रेशन है, पूरी रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरे चार्जेज दिये हैं या कन्वर्शन के दूसरे चार्जेज दे दिये गये हैं तो उसका कन्वर्शन सम्भव होगा। इस एक्ट में इसका प्रावधान कर दिया गया है, 42 (ए) में जो तीन कण्डीशन्स लगाई हैं उनके अनुसार। पास्ट के केसेज में, यह बात सही है, पहले जो कुछ भी कन्वर्शन हुआ है, वह कन्वर्शन मास्टर प्लान के अनुरूप भी नहीं रहा, रजिस्ट्री भी नहीं कराई, खातेदार को आज भी पता नहीं, लेकिन फ्रेगमेन्टेशन हो गया है और उसके ऊपर लोगों ने कन्स्ट्रक्शन करा दिये हैं, अब इस तरह का जो बैकलाग है, इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए, यह आर्डिनेन्स प्रामुलगेट किया गया। दूसरे दो, तीन अमेण्डमेंट्स हैं धारा 175, 176 में या शिड्यूल में किये गये हैं। शिड्यूल में जो एनामोलीज रह गई हैं उनको ठीक करने के लिए, 175 में जो रेवेन्यू बोर्ड का जजमेंट होने की वजह से। कोई भी ऐसे ट्रान्सफर जो कानून के खिलाफ किये गये हैं वह वोइड हो गये, अगर वोइड होते हैं तो, रेवेन्यू बोर्ड ने यह होल्ड किया कि वोइड ट्रान्सफर का बोर्ड कोई काग्निजेन्स नहीं ले सकता है, क्योंकि वह एब-इनिश्यो वोइड

(श्री परसराम मदेरणा)

है और एब-इनिश्यो वोइड है उसको लॉ में रिकगनाइज नहीं करते, और रिकगनाइज नहीं करते तो 175 अफेक्ट नहीं होता है। हमने कहा है, अमेण्डमेंट भी किया है उसमें, तो भी यह एप्लीकेशन दी जा सकती है 175 में और असिस्टेन्ट कलेक्टर ठीक समझे तो उसको सूट में कन्वर्ट करके उसमें निर्णय ले सकता है और कानून का जो वायोलेशन किया है उसको इजेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कान्सीक्वेन्शल एक-दो सेक्शन्स में, अमेण्ड-मेन्ट्स मैं लाया हूं, 176 के सब्स्टीट्यूशन का वह कान्सीक्वेन्शल अमेण्डमेन्ट है। एक दूसरा शिड्यूल में जो अमेण्डमेंट किया गया वह भी कान्सीक्वेन्शल है क्योंकि सेक्शन "बी" के संबंध में है। इसलिए रीजन्स प्रामुलगेट करने के जो हमने दिये हैं वह बहुत स्पष्ट हैं। इन्हीं कारणों के आधार पर आर्डिनेन्स को लाकर बहुत सोचकर, यह जो समस्या खड़ी हुई है, काफी लम्बे अर्से से, कई वर्षों से और पाइल्ड अप जो प्रोब्लम है इस प्रोब्लम का हल निकालने के लिए। इसलिए जो संकल्प अध्यादेश को अस्वीकार करने का रखा गया है उसको मानने में, मैं असमर्थ हूं और सदन से मेरा अनुरोध है कि इस परिनियत संकल्प को अस्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानकारी करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस अध्यादेश के बाद जो रूल्स बनाने आवश्यक थे या रूल्स में संशोधन करना था, क्या वे रूल्स बना दिये गये हैं? दूसरे, क्या इस आर्डिनेन्स के लागू होने के बाद जिस प्रकार से फ्रेगमेंट्स रेगुलेराइज करना चाहते थे, ऐसे फैग्रमेंट्स को रेगुलेराइज किया है?

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स ही नहीं बने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं कहता हूं आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आर्डिनेन्स जारी करना था, ऐसी कोई इमर्जेंसी हो, ऐसी सरकम्सटांसेज बन गई हो, अभी आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ, इसका मतलब आज तक इंतजार कर सकते थे और बिल भी ला सकते थे...

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी आर्डिनेन्स या कानून को बनाने से पहले कन्वर्शन के रूल्स नहीं बन सकते थे। कन्वर्शन के रूल्स बन रहे हैं और क्योंकि रूल्स को डिटेल में देखा जा रहा है इसलिये जल्दी तैयार होने वाले हैं और थोड़े अर्से में निकल जायेंगे। क्योंकि काफी पेचीदा मामला था, कई इसमें इन्वाल्व्ड हैं जिनको रेगुलेराइज करने जा रहे हैं। इसलिये जितनी जल्दी रूल्स बनने चाहिये वह नहीं बन सकते थे। अभी फार्मुलेट हो गये हैं करीब करीब, जल्दी प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा इम्पार्टेंट है। हम कोई भी आर्डिनेन्स इश्यू करते हैं तो उस आर्डिनेन्स को इश्यू करने से पहले हमारे मानस में इस प्रकार की स्थिति रहती है कि आर्डिनेन्स इश्यू नहीं किया तो न मालूम क्या उसके परिणाम निकलेंगे। इन्होंने आर्डिनेन्स जारी कर दिया राजस्व मंत्री की हैसियत से। आज तक आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ। जब आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ, तो आर्डिनेन्स इश्यू क्यों किया? आज आप विधेयक पास करेंगे, पास करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आज आपने कहा, आर्डिनेन्स पेश करने से हमको मालूम हो गया कि इस प्रकार का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कानून है तो आखिर जो लेजिसलेचर की मोहर लगवानी थी, आर्डिनेन्स पर भी लेजिस्लेचर की मोहर लगेगी, विधेयक भी पास कराते तो लेजिस्लेचर की मोहर लगती तो आप लेजिस्लेचर के सामने आर्डिनेन्स पेश करके यदि यह कहें कि हमने लागू नहीं किया तो इससे बड़ा निरर्थक आर्डिनेन्स इश्यू करने के अधिकारों के दुरुपयोग करने का उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। मैं समझता हूं राजस्व मंत्री इस हालत में यदि इस आर्डिनेन्स को डिफेंड करते हैं तो वह काफी जानकार आदमी हैं सारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के, मन में जरूर महसूस करते होंगे कि अच्छा नहीं किया। फिर भी आप पारित करवाते हैं तो यह बहुमत का दुरुपयोग है, मैं इतना ही कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि···

श्री परसराम मदेरणा : बहुमत का दुरुपयोग नहीं, लेकिन 175 व 176 के क्लाजेज में कोई प्रेसक्राइब्ड अथोरिटी है नहीं, उसमें आज डिक्री में रेफरेन्स नहीं कर सकते। रेवेन्यू बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट जजमेंट के होने के बाद में किसी कलेक्टर ने रेफरेंस किया, इसकी जानकारी मैं आज नहीं दे सकता। उसी तरह जो 175 के नीचे जो····

(व्यवधान)

कलेक्टर के पास पावर आ गई है उस आर्डिनेन्स से, मैं वह इन्फार्मेशन देने की स्थिति में नहीं हूं। 42(ए) के अन्तर्गत जो प्रेसक्राइब्ड डेलीगेटेड है उस संबंध में जो रूल्स बनने थे वे नहीं बने····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस तरह से आर्डिनेन्स इश्यू नहीं होता। सदन का अधिकार है, आप आर्डिनेन्स इश्यू करने के औपचारिक कारण बताते, ऐसी राज्य सरकार के सामने कौनसी प्राब्लम्स थीं जिनके कारण आपने आर्डिनेन्स इश्यू किया। आज सदन को यह भी अधिकार है कि उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे। आप कहते हैं कलेक्टर ने कोई रेफरेंस किया होगा। आप बता सकते हैं कि कितने कलेक्टर्स ने रेफरेंस किया जिसके कारण से कैबिनेट को मजबूर होकर इस प्रकार का आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा? मैं समझता हूं सरकार अनभिज्ञ है कि क्या कारण थे। आर्डिनेन्स इश्यू करते हो। दबाव था लोगों का, कर दिया। इस लिय मैं कहता हूं कि बहुमत का दुरुपयोग है। आर्डिनेन्स जारी करने के कोई कारण नहीं थे। आज तक आर्डिनेन्स लागू नहीं हुआ इससे पहले सरकार को कुछ पता नहीं है कि कितने रेफरेंसेज करने है; कितने नहीं करने हैं। राजस्व मंत्री कहते हैं अगर किसी कलेक्टर ने रेफरेंस रेवन्यू बोर्ड को किया हो। अगर मगर से आर्डिनेन्सज इश्यू नहीं होते··

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो कर ही नहीं सकते थे। पहले कर रहे थे लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया कि आर्डर्स के अगेन्स्ट आप रेफरेंस कर सकते हो, लेकिन डिक्री के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में आर्डर वा उल्लेख दो तीन जगह है। हाई कोर्ट जजमेंट से जो एनामोली खड़ी हो गई, इसलिए आवश्यक था। पहले करते रहे, रेवन्यू बोर्ड ने जब तक फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट में भी गये उससे पहले डिक्री का रिफरेंस हो रहा था लेकिन कानून का इन्टरप्रिटेशन कर दिया गया तो इन्टरप्रिटेशन में डिक्री का रिफरेंस

(श्री परसराम मदेरणा)

कोर्ट में कलेक्टर कर सके इसलिये उसको सक्षम बनाया गया । अब कितने किये, कितने नहीं किये, इसकी जानकारी मैं ग्राफ हैंड नहीं दे सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो 20 तारीख को हो सकता था ग्रार्डिनेन्स इश्यू करने के बाद में, वह 25 तारीख को नहीं हो सकता था ? कलेक्टर 25 तारीख को रेफरेंस नहीं कर सकते थे जिस विषय में ग्राप रेफरेंस की बात कर रहे हैं ? उस समय भी कर सकते थे ग्राज भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस दलील में कोई दम नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक्ट की बात कर रहा हूं । जो रूल मैकिंग पावर संक्शन में नहीं तो निश्चित तौर से कानून बनाया जायगा चाहे ग्रार्डिनेन्स हो चाहे एक्ट हो, जिस किसी को सक्षम बनाया गया है, वह निश्चित तौर से अधिकारी बन जाता है, पात्र बन जाता है। दोनों में एनामोली खड़ी हो गई, दोनों जजमेंट्स की वजह से तो रूल्स बनाने की ग्रावश्यकता नहीं थी। अब 175 में ग्रसिस्टेंट कलेक्टर ने कितनी एप्लीकेशन्स एन्टरटेन कर ली हैं इस कानून बनने के बाद में, यह जानकारी ग्राज मेरे पास नहीं है। जनहित की बात ग्रापने कही तो ग्रार्डिनेन्स जिस इरादे से लाया गया है, ग्राप सोचते हैं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है या दूसरी बात है तो मैं निश्चित तौर से ग्राप से कह सकता हूं न तो मैंने प्लाट लिया है किसी कोग्रापरेटिव सोसाइटी से न मेरा इरादा है..

(व्यवधान)

प्राब्लम जो है जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, जगह जगह, जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय जितने ग्राम ग्रौर शहर हैं, वह पर हजारों लोगों ने रेजीडेन्शियल हाउसेज बना लिये हैं ने तो 91 के नोटिसेज लोगों को दे दिये थे । मैंने एग्जीक्यूटिव ग्रार्डर निकाला था कि जिन लोगों के मकान बहुत पुराने हैं ग्रौर ग्राज गांवों में काफी समय से एग्रीकल्चर लैंड पर बैठे हैं, इस प्रकार के मामलों में नोटिस नहीं दिये जाने चाहिये, सरकार कानून के जरिये कोई संशोधन लाना चाहती है। यह बात कह रहा हूं, 1975-76 में ग्रार्डर निकाला था इसलिये यह प्राब्लम लम्बे समय से है । इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी था। इसलिये यह ग्रार्डिनेन्स लाया गया है, यह जनहित में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1981) को ग्रस्वीकार करता है ।

(ध्वनि मतदान)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : कल वाली हालत हो रही है । मैं दुबारा पढ़ देता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1981) को ग्रस्वीकार करता है ।

(ध्वनि मतदान)

श्री परसराम मदेरणा : ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता ।

(मत-विभाजक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन में दुबारा यह प्रस्ताव रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1981, अध्यादेश संख्या 8, सन् 1981 को अस्वीकार करता है ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

एक माननीय सदस्य : उल्टा कह दिया ।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रामपाल उपाध्याय जी घंटी बजने के दो मिनट बाद सदन में पधारे हैं । इन्होंने कार्य संचालन में बिलकुल भाग नहीं लिया इसलिय इनको सदन से बाहर किया जाय ।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

प्रभारी मंत्री श्री परस राम मदेरणा प्रस्ताव रखेंगे कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं । श्री हीरा लाल आर्य ।

(व्यवधान)

अगर कोई बोलना चाहे तो क्या किया जाय । श्री बाल चन्द आर्य, श्री हंसराज शर्मा । (अनुपस्थित) श्री छीतर लाल । (अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इन सब की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा । अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप वाली बीमारी हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अब आप इतनी हमदर्दी मत दिखाइये । मैं बहुत हूं ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी कोने वाली सीट पर बैठता है वह पानी मांगता है ।

श्री उपाध्यक्ष : अपोजीशन लीडर के लिये इतनी हमदर्दी मत दिखाइये । मैं अकेला ही बहुत हूं । काफी हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि इनके लिये पानी मंगवाइये । मैं कह रहा हूं कि मैं ही काफी हूं आप हमदर्दी मत दिखाइये । मैं ही काफी हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बैठ जाता हूं । माननीय सदस्य, जो अजमेर से आये हैं, बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा एग्रीकल्चर के लैण्ड ग्रेडिंग के बारे में, कमीशन के मामलों में कि जिस जमीन का विवाद है उस जमीन को जिस तरह से बेचकर के पैमेंट किया गया है क्या उस जमीन को इसके तहत नियमित करेंगे? पहला सवाल एक मेरा यह है। मेरा दूसरा सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या, लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, लैण्ड रिक्वीजीशन एक्ट के तहत एग्रीकल्चर लैण्ड के नोटिस निकल जाने के बाद, एग्रीकल्चर लैण्ड की अवाप्ति के बाद की कार्यवाही होने के बाद और अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस जमीन को दलालों के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने कब्जे लेकर के किसी सहकारी समिति के माध्यम से या अन्य कोई तरीके से बेची गई है? क्या इस कानून के तहत उन जमीनों का नियमन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मास्टर प्लान विभिन्न नगर विकास न्यासों से स्वीकार हो चुके या उन मास्टर प्लानों के अन्तर्गत जो जमीन जिन कामों के लिये निर्धारित की गई है, क्या उस जमीन के साथ छेड़खानी की है या हस्तक्षेप किया है? उस जमीन का इस कानून के तहत नियमन करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय यह मेरा चौथा सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरबन सीलिंग, लैण्ड सीलिंग और चारागाह की जमीन पर कब्जा करके लोगों ने उसका पैमेंट कर दिया है क्या उस जमीन को भी नियमन करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पांचवां सवाल जो है वह यह है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने बिना नगरपालिका या बिना नगर विकास न्यास की स्वीकृति के, या बिना प्लान के, बिना ले आउट के अपना मकान बना लिया है, एन्क्रोचमेंट करके दूसरे काम में लेली है, क्या ऐसे केसेज का भी नियमन इस कानून के तहत करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर टेनेन्ट का सवाल है, मैं इसलिये पूछना चाहता हूं कि आज हम सारे राजस्थान की अपराधवृत्ति का नियमन करने जा रहे हैं; आज आप सभी को यह मालूम है, आप किसी से भी पूछिये वह कहेगा, यह तो नियमन होगी। कब्जा किया, अतिक्रमण किया और उसका कब्जा किये, नाजायज काम किया, सारा कर लिया उसके बाद कहां यह तो नियमन होगी, अगर यह पृष्ठ भूमि है सारे राजस्थान की 1952 से लेकर सन् 78 तक की। एक के बाद एक आज सन् 55 के नाजायज कब्जे रेगुलेराइज किये जा रहे हैं, सन् 60 तक के कब्जे रेगुलेराइज किये जा रहे हैं। आज सन् 62 तक के नाजायज कब्जे रेगुलेराइज किये जा रहे हैं, आज सन् 70 तक के नाजायज कब्जे रेगुलेराइज किये जा रहे हैं और आज सन् 77 तक नाजायज कब्जे रेगुलेराइज किये जा रहे है। तो इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक पचासों होंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी, आप पहले भी राजस्व मंत्री रहे हैं, इस तरह के आदेश भी समय समय पर निकालने का सारे राजस्थान में क्या अर्थ होगा? कानून कुछ नहीं है, मर्जी आये जिस तरह कर लो, उसका तो नियमन तो होना ही है। अब तक तो आदेशों के द्वारा नियमन होता था, आज कानून के द्वारा नियमन हो रहा है, उसके ऊपर विधान सभा की छाप लगाई जा रही है। इसलिये मैंने यह परटीनेन्ट सवाल पूछे हैं, क्या मंत्री प्रभारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि आज के बाद वह किसी तरह के एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर नाजायज कब्जों को भविष्य में इनकी सरकार रहते हुए नियमन नहीं करेंगे । कोई दूसरी सरकार आ जाय वह बात दूसरी है, कांग्रेस की तरफ से यह मुझे आश्वासन दें । यही मेरे सवाल हैं ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : एक प्रश्न मेरा भी है । सन् 1977 से लेकर 1980 तक जो सरकार थी उसने इतने नाजायज व अवैध कब्जे किये थे उसके उपर किस प्रकार की कार्यवाही की ? उस संबंध में भी मुझे जानकारी दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे पहले कि मंत्री महोदय उत्तर दें, मैं केवल एक प्रश्न राजस्व मंत्री से पूछना चाहूंगा । अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे उसके साथ एक और प्रश्न पूछना था । क्या इस कानून के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की जमीन को रेगुलेराइज करने की व्यवस्था की जा रही है जिनको रेगुलेराइज न होने के कारण किसी प्रकार का लोन नहीं मिल रहा । अगर कानूनी तरीके से सब डिवीजन कराकर उन लोगों ने राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी से लोन ले लिया है ।

श्री राम कंवार बैरवा : यह प्रश्न पहले भी आ चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को इसलिये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि एक आदमी गलती करता है तो दूसरे को नहीं चाहिये कि वह भी वही गलती करें ।

श्री राम कंवार बैरवा : भूमिहीन लोगों को जो जमीन दी गई उनको एक दूसरे से बांध रखा है, इससे तो वह न विकास कर सकते हैं और न उसको छोड़ सकते हैं । इसलिये उनको जमीन मिलेगी या नहीं, क्या व्यक्तिगत रूप से यह भी बतायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा था कि बेरी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी भूमि के आवंटन के बारे में जो आवंटन की गयी भूमि हैं उसका रेगुलेराईजेशन हुआ है,उसमें कवर होगी या नहीं होगी । उन्होंने यह बात कही कि नोटिस दिया जिनको वह जमीन उससे कवर होगी या नहीं । सीलिंग में आई भूमि या सीलिंग एक्ट के अन्दर आई हुई भूमि इससे कवर होगी या नहीं । इसलिय कौन सी भूमि इसमें कवर हो रही है किस प्रकार के फाग्रमेण्टशन किये गये हैं वह रेगुलेराइज हो जायेगी और जो दूसरी उसमें इन्वाल्वड है उसको रेगुलाइज करने का प्रश्न नहीं होता । यहां पर भी रेगुलाइज करने एक्शन हो रहा है और वह होगा निर्णय क्लाज 42 में--

"Where any sale, gift or bequest made by a Khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding before the commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1978 (Rajasthan Act 11 of 1978) was void on account of contravention of any of the provisions of clause (a) of sec-42 such sale, gift or bequest may be declared to be valid by the Collector or any officer or authority authorised by the State Government

(श्री परसराम मदेरणा)

in this behalf, on an application made to it or him in the prescribed manner and or the payment of the prescribed fee within one year of the commencement of the Rajasthan (Amednment) Act, 1981."

वह इसमें कवर होगी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या सब रेगुलेराइज हो जायगी ? अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सब जमीन रेगुलेराइज हो जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर वह खातेदारी में है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह खातेदार के नाम है उसका फ्रेग्मेंटेशन कर दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर उसका फेग्मेंटेशन कर दिया है तो खातेदार के नाम हो जायेगी । अगर कानून के 42 (ए) में नहीं कर सकता था तो वह रेगुलेराईज हो सकती थी । वह अमेंडमेंट 22-6-78 के प्रोस्पेक्टिव का था इसलिये खातेदार की जमीन को रेगुलेराइज करने का प्रश्न है । और कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज के बाद राजस्थान के अन्दर कोई लैंड सीलिंग नहीं, राजस्थान अर्बन सीलिंग होता नहीं, आज के बाद कोई बेरी कमीशन नहीं, आज के बाद में ...राइज की रोक है नहीं, आज के बाद ...कार का कानून नहीं । जिसने ... लिया वह जमीन उसकी ... यह सरकार धन्य ... नहीं कह सकता ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दूसरा प्रोविजन पढ़ देता हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो आपने पढ़ दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सेक्शन पढ़ दिया, फिर मैं प्रोविजो पढ़ता हूं ।

"Provided that such, sale gift or bequest was otherwise legally valid and in conformity with the provisions of the laws for the time being in force except those contained in clause (a) of Section 42"—

इसका मतलब यह है कि जो इन कनफर्मिटी नहीं वह नहीं, होगी । इसका प्रोविजन इसलिये गया लाया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका अमेंडमेंट सबको कवर कर रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, सबको नहीं कर रहा है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जो कह रहें हैं, आप देखें उस आर्डिनेंस का मतलब नहीं है । अगर आप जो बात कह रहे हैं, वह सही है तो आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता नहीं हैं, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती ।

श्री परसराव मदेरणा : कैसे मतलब नहीं है । आज जो फ्रेग्मेंटेशन कानून के खिलाफ हो गया है, वह रेगलेराइज कैसे हो सकता है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कह देते कि जो अर्बन सीलिंग ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह बात कह रहा हूं कि किसी के भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात कह रहा हूं, अजमेर से आने वाले सदस्य ने क्वेश्चन रेज किया है। कानून की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप स्पष्ट रूप से कह दें कि अर्बन सीलिंग में जो जमीन आई है उस जमीन का फ्रैगमेंटेशन अलाउ नहीं होगा।

मंत्री महोदय कैटेगोरिकल जवाब दें कि जो जमीन है, एक्विजिशन की जो जमीन है, उसमें किसी प्रकार का फ्रैगमेंटेशन लिया जायेगा या नहीं। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : क्या कह देना चाहिये ? मैं परसों ही सीलिंग अमेंडमेंट लाया हूं उसके द्वारा जो भूमि दूसरे पर्पज के लिये इस्तेमाल की जायेगी, गवर्नमेंट उसको रिजर्व करेगी। अगर दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल करते हैं सीलिंग की जमीन, तो उसके लिये सीलिंग लॉ में अमेंडमेंट लाया हूं। अगर यह जमीन दूसरे पर्पज के लिये ली जाती है तो वह इन कामों के लिये ली जा सकेगी। यह बात मैंने हाउस में स्पष्ट कही है। यह दूसरा कानून है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को राजस्थान की जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। इस कानून के अन्तर्गत यह कहना कि आवश्यकता नहीं है, यहां मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि यह कानून, आर्डिनेंस किसी भी रूप में लागू नहीं हुआ। जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पोज किया है, माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं कि उन प्रश्नों का जवाब सरकारी पक्ष की ओर से यही दिया जाना चाहिये कि जमीन का फ्रैगमेंटेशन हो गया तो उसको किसी भी रूप में रेगुलेराइज नहीं किया जायगा। मंत्री महोदय इस पर चुप। वह इस प्रोविजन की आड़ ले रहे हैं, प्रोविजन की आड़ लेना आवश्यक नहीं होगा। यह सदन तो आपसे यह जवाब चाहता है कि जमीन सीलिंग के अन्तर्गत आये, जो भूमि आती है बेरी कमीशन, मैं अध्यक्ष महोदय, आज आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें शराबबंदी खतम करने से 25 करोड़ रुपये साल के मिलेंगे, बेरी कमीशन की रिपोर्ट में जितनी जमीन इन्क्लूड की गई है उसका मूल्य लगभग 50 करोड़ है। उसके लिये ये कानून बना रहे हैं, इस पचास करोड़ की जमीन को हजम करने के लिये कानून बना रहे हैं। यह कोई मामूली कानून नहीं है इस धोखे में न रहें। यह कानून कोई हिन्दुस्तान के गरीब आदमी के हित में नहीं है। इनको कभी अक्ल नहीं आयेगी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : सारी अक्ल आप में ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अक्ल तो टीपने वालों में होती है जो खानदान करता आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहं बैठे हुए, चाहे कुछ भी बोल दें। मैं आपको बता दूं इनको ब्यावर के एस. डी. ओ. के दफ्तर से निकाला है इसी हरकत के कारण, मैं इसी लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : आपने तो नहीं निकाला ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह सदन को सुनाने के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि अगली बार जब बजट सैशन आयेगा तो आप यह मानकर चलिये कि बिजली के ऊपर टैक्स जरूर आयेगा : आज यह सरकार कानून लाती है इसका सात सौ करोड़ का भार पड़ेगा । इससे काश्तकारों के ऊपर टैक्स बढ़ेगा । वह अलग बात है । वह इससे संबंधित नहीं है, लेकिन आज यदि बेरी कमीशन से 50 करोड़ रुपये की जमीन आ जाती है तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बेरी कमीशन के लिये जैसा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी के शासन काल में बेरी आयोग की स्थापना की गई थी, यदि उससे सहमत नहीं थे तो आपके शासन को आते ही उसको खतम कर देते तो हम समझ लेते लेकिन आपके शासन में बाकायदा उसको एक्सटेन्शन दिया गया है, और मैं समझता हूं इस महीने के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट भी दे देगा । इसी आधार पर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कानून का पालन किया और कानून का पालन करके अरबन सीलिंग में सरकार को जमीन सरेन्डर कर दी, वे मर गये और जिन्होंने सरेन्डर नहीं की, कानून की अवहेलना की, धन कमाया, सरकार उनकी जमीनों पर मोहर लगा रही है । जमीन जिन्होंने सरेन्डर कर दी, वे गलती कर गये, और जमीन जिसने अपने कब्जे में रखी, उन्होंने फिर कमाई कर ली । माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पोज किया है वह थोथा नहीं है, इम्पार्टेंट है।

मैं राजस्व मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा, आप इन सारी बातों की जांच करें और पता लगायें कि क्या स्थिति है और फिर गम्भीरता से विचार करें कि जिन गरीबों ने छोटी जमीन ले ली, हम भी उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं लेकिन पांच गरीबों की आड़ में 95 ब्लेक मार्केटियर्स को जीवित रखना चाहते हैं हम उससे बचाने की कोशिश करेंगे । मैं कहता हूं आपके मन में भी यह बात है लेकिन पता नहीं, आप किस घेरे में घिर गये है, यह मैं नहीं कह सकता हूं । मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि इसके क्या कुपरिणाम निकलने वाले हैं । राजस्व मंत्री जी को जानकारी है लेकिन उनको घेरा है । मैं समझता हूं आप में ताकत है उस घेरे को तोड़ने की । अभिमन्यू तो घेरा तोड़कर नहीं निकल पाया, लेकिन परस राम जी, मेरा विश्वास है, आप निकल सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, एग्रीकल्चरल लैण्ड सीलिंग और अरबन सीलिंग का प्रश्न है । वह भूमि इस तरह से रेगुलेराइज....

(6.34 सायं)

(**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत**, सभापति पदासीन)

की जायगी और उस प्रकार का प्रावधान रूल्स में कर रहे हैं। अब एक्वीजीशन की जो बात कही वह हाइपोथेटिकल है....।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई हाइपोथेटिकल नहीं है । 10 अक्टूबर, 79 को जो राजस्थान के गजट में प्रकाशित हुई है जिसमें मंत्री जी की जमीन थी और एक्वीजीशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की सारी का र्यवाही हो गई और कार्यवाही होकर राज्य सरकार के पास फाइल चली गई, उन जमीन पर मकान बन गये, क्या अब आप उनको रेगुलेराइज करेंगे?

श्री परस राम मदेरणा : अगर वह खातेदार है और फ्रेगमेन्टेशन किया है, और एक्वीजीशन नहीं हुआ है। रिवाइज्ड केसेज की बात अलग है उसके लिये तो मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं लेकिन जनरल रूप में हम इसको करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

आज आपके धौलपुर की बात नहीं है। हमें जयपुर की चिन्ता है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : चिन्ता आपको है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाने दीजिये, आपको चिन्ता नहीं है तो फिर मैं चिन्ता से मुक्त हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक बात कही। ये इतने भोले नहीं हैं जितने लोग समझते हैं। लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस होने के बाद सब प्रकार के फ्रेगमेन्टेशन, ट्रान्सफर आदि की कार्यवाही आटोमेटिक रुक जाती है। अब जब यह सही है कि लैण्ड एक्जीवीशन के नोटिस जारी हो गये, सेक्शन 52 व 53 है उसके पेरे (1) में नोटिस होना चाहिये कि लैण्ड एक्वायर करके यह हो रहा है। आज पहाड़िया जी यहां बैठे हैं शायद उनको फुरसत नहीं मिली, आप लोगों ने उनको फुरसत नहीं लेने दी। मैं समझता हूं फाइल उनके पास चली जाती तो शायद दस्तखत हो जाते।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल तो तारीफ कर रहे थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बुरी लगती है उनकी तारीफ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उस फाइल पर दस्तखत नहीं हुए हैं। अब उस फाइल को इस स्थिति में लाया जा रहा है कि सैकन्ड नोटिस निकालने की आवश्यकता नहीं रहे और जिन्होंने जमीनों के टुकड़े कर लिये, उन पर मोहर लगा दें। आप चाहें तो 59 का नोटिस मैं बता सकता हूं। आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कौन-कौन बड़े लोग हैं, और किस-किस को बचाना चाहते हैं। लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस निकालने के बाद जिन्होंने टुकड़े किये हैं उन जमीनों का किसी प्रकार रेगुलेराइज नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, जहां मैं समझता हूं तीन प्रकार की भूमियों के बारे में यह है। मैंने आश्वासन यहां प्रांगण में दिया है और उसका रूल्स में प्रावधान कर दूंगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की बात कर रहे थे। उसमें जो नोटिस दिया जाता है, सैक्शन 5 को देखें, आब्जेक्शन्स सुने जाते हैं। 6 में कलेक्टर रिपोर्ट भेजता है। यू. आई. टी. एक्ट में नोटिस निकालें। रिलेवेन्ट सैक्शन 58 है जहां तक मुझे याद है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 52 है।

श्री परसराम मदेरणा : 52 होगा। 52 है। इसलिये एक्जीवीशन के इन्डिविजुअल केसेज को उसके मेरिट पर डिसाइड नहीं किया जायेगा .....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक हजार बीघा का मामला है। इन्डिविजुग्रल का मामला है नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह के केसेज मेरे सामने नहीं है, क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं बाद में नहीं हो सकें, ऐसा एश्योरेन्स देने में मेरी ग्रसमर्थता है। इसलिये मेरा निवेदन है इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा स्कैण्डल है। माननीय राजस्व मंत्री जी, ग्राप उनको क्यों संरक्षण दे रहे हो....

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई संरक्षण नहीं दे रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : ग्रगर कोई गड़बड़ियां हैं तो स्पष्ट कहिये, ग्रौर ग्राप में हिम्मत है तो ठीक करिये। क्यों उसको दबाने कोशिश कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री यह चाहे....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह बात साफ कही है ग्रौर इसलिये प्रोविजन्स लगाये हैं :

.."such sale, gift or bequest was otherwise legally valid and in conformity with the provisions of the laws for the time being in force except those contained in clause(a) of section 42."

ग्रदरवाइज लीगल नहीं है। 48 ग्रमेन्ड करते तो उसका रेगुलेराइजेशन नहीं हो सकता है। ये प्रोविजन्स लगा दिये हैं, ग्रदरवाइज जो वेलिड नहीं हैं वे रेगुलेराइज नहीं हो सकते है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी ने कहा मैं इन्डिविजुग्रल केसेज में नहीं जाता, बात पते की कही है। यह नोटिफिकेशन कोई मैंने नहीं निकाला।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्राप पढ़कर सुनावें। ये चिट्ठियां हैं, ये तो ग्रापके पर्सनल लैटर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप चाहते हैं सुनना ? ग्रापका दर्द तो मैं समझ रहा हूं। ये भाग 6 ख नगरीय विकास एवं ग्रावासन विकास कार्यालय, भूमि ग्रवाप्ति ग्रधिकारी, नगर योजनायें, नगर विकास न्यास, भवन जयपुर। जयपुर, दिनांक 8-10-78, ग्रब ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें कुल एक दो बीघा जमीन की स्थिति नहीं है, इसकी सारी कार्यवाही जिस सैक्शन के मातहत की जाती है, वह है सैक्शन "52—

Compulsory acquisition of land—

(1) Where on a representation from the Trust it appears to the state Government that any land is required for the purpose of improvement or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land by publishing in the official Gazette, a notice specifying the particular purpose for which the land is required and stating that the State Government has

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

decided to acquire the land in pursuance of this section.

(2) Before publishing a notice under sub-section (1) the State Government shall by another notice call upon the owner of the land and any other person who in the opinion of the State Government may be interested therein to show cause within such time as may be specified in the notice, why the land should not be acquired.

अब इसमें दो की तो कार्यवाही हुई है, सैक्शन एक के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट को निर्णय करना है। ज्यों ही सैक्शन एक का नोटिस निकलेगा Land will vest in the government. उस आदमी के पास नहीं रहेगा तो यहां विवाद केवल इतना सा है कि जिस जमीन के संबंध में सैक्शन 52, सब सैक्शन 2 का नोटिस निकल गया, कार्यवाही हो चुकी और गवर्नमेंट को केवल सैक्शन एक का नोटिस निकाल कर उस जमीन को अपने अधिकार में करना है, उसमें ये कानून होगा या नहीं होगा, उस जमीन में यदि फ्रेगमेंट्स बन गये या ट्रांसफर हो गये तो वे सारी ट्रांसफरीज को टाइटिल मिलेगा और टाइटिल मिलेगा तो लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही में किसी प्रकार का न राज्य सरकार को लाभ होगा बल्कि ये होगा कि वे ताकतवर तो लैण्ड एक्वीजीशन के प्रभाव से भी बच जायेंगे और गरीब किसी न किसी प्रकार पिस जायेंगे। यदि यह सरकार की नियत है तो बता दें। वरना मैं तो सीधा सा क्वेश्चन राजस्व मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जमीन का लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस इश्यू हो गया सैक्शन 2 के अन्दर सारी कार्यवाही होकर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकालने के लिये फाइनल, लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर ने कर दी, नम्बर दो, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलते ही कोई कार्यवाही नहीं करनी है, इसमें गवर्नमेंट को केवल एक नोटिफिकेशन निकालना है, यह नोटिस निकालते ही Land will vest in the government. वह जमीन जो वेस्ट कर ली है, उस जमीन का किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसमें रेगुलेराइजेशन होगा या नहीं होगा, यह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह निवेदन आपसे किया था पहले कि 3 प्रकार की भूमि के संबंध में केसेज आयेंगे, जब वे कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट में डिसीजन होगा और जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हो जायेगा तो बात बाद में दूसरी है लेकिन जिस प्रकार का डिस्प्यूट चलता है, सीलिंग के लैण्ड ओनर्स और स्टेट में, वे अरबन लैण्ड के तो इन्डीविजुअल के केसों के ऊपर जैसा पहले कह रहा था कि हम सीलिंग में प्रावधान लाये और दूसरे जो इण्डिविजुअल केस के ऊपर राइट्स का एस्टेब्लिशमेंट हो जायेगा, उसके बाद में सोचा जायेगा। लेकिन एक्वीजीशन के मामले में क्योंकि लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट हुई नहीं है......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आप दस्तखत कर दें तो हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आज दस्तखत करने की बात अलग है, वह तो प्रास्पेक्टिव मैटर है, जो वेस्ट गवर्नमेंट में जमीन नहीं है, जैसा मैं परसों कह रहा था, और मैं अमेण्डमेंट भी लाया था, एक्वीजिशन एक्ट के अन्दर मेरा अमन्डमेन्ट भी यही था,

(श्री परसराम मदेरणा)

नोटिस सैक्शन 4 के अन्दर चाहे कितनी ही भूमि का दे दिया है, अगर नोटिस देने से हम पूरी की पूरी भूमि अवाप्त करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्टर अगर रिपोर्ट करता है, कुछ पर्सन्स रख देते हैं और गवर्नमेंट वेस्ट करने का सैक्शन 6 का नोटिस निकाल देता है, उसमें उस पर्सन को छोड़ देता है तो इस प्रकार की एनामोली खड़ी हो गयी है। एक सिंगल प्रोसेस के अन्दर एक्वीजीशन कराया जाना चाहिये। वह नहीं होना चाहिये, इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट ले आया हूं और अमेन्डमेन्ट सदन में पारित कर दिया है। अब उसके सन्दर्भ में आज जो आप कह रहे हैं कि लैण्ड एक्वीजीशन को उसी प्रकार से जो प्रावधान है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें जो नोटिस आ गया, नयी जमीनों का ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। आप हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं आज वहां की क्या स्थिति है, और क्या स्थिति नहीं है, वहां पर नोटिस जब दिया है एक स्कीम बनायी है, यू. आई. टी. ने और स्कीम बनाने के लिये मान लो 5 हजार बीघा जमीन यू. आई. टी. लेना चाहती है, उससे पहले जमीन बिक गयी है, कन्स्ट्रक्शन खड़े हो गये हैं, उनको रेगुलेराइज करना, मैं समझता हूं कि जस्टिस होगा। अगर आज यू. आई. टी. की स्कीम के अन्तर्गत आज कई मामले हैं, और जमीन खाली पडी हुई है उसको तो रेगुलेराइज करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन पूर्व में फ्रैगमेन्टेशन या पर्टिकुलर एप्लीकेशन हुई, जब फैक्ट मेरे सामने नहीं है तो मैं स्वीपिंग एश्योरैन्स देने में असमर्थ हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वीपिंग नहीं, वैसे देखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वैसे मैं कैसे देखूंगा।

(6.45 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

इस प्रकार का कानून में कोई एश्योरेन्स नहीं दिया जा सकता। जैसा मैंने कहा, कानून में देखेंगे, और घोषणा के बाद इण्डिवजुअल केसेज में देखा जा सकता है, लेकिन रूल्स में हम प्रावधान कर देंगे, जो तीन प्रकार की कैटगेरी में जमीन आयी हुई है वह जमीन जब तक टाइटल एस्टब्लिशमैंट नहीं हो जाती, और उसके बाद में इण्डिवजुअल तौर पर अगर मैटर है तो देखेंगे कि क्या मैटर है, आज उस जमीन की क्या स्थिति है, उसमें हाइपोथेटिकल कोई भी एश्योरेन्स दे देना ठीक नहीं समझता, क्योंकि सैक्शन 4 और सैक्शन 5 में कार्यवाही हो गयी है, जमीन गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं हुई है, बिना वेस्ट हुए जमीन में कोई एश्योरेन्स देकर मैं सरकार को कमिट नहीं कर सकता। यह देखा जायेगा कि क्या स्थिति है, किसको नोटिस इश्यू हुआ है और क्या नहीं है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक एश्योरेन्स तो दे देंगे आप कि जो लैण्ड एक्वीजीशन या अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास में एक्वायर की गयी है और गवर्नमेंट में वेस्ट कर गयी, उस जमीन में किसी प्रकार का इस कानून के अन्तर्गत रेगुलराइजेशन नहीं होगा।

Page No. 191

(191)

श्री **परसराम मदेरणा** : दूसरा प्रश्न है, एक्वीजीशन की कार्यवाही रेवेन्यू बोर्ड नहीं करता, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय जानते हैं, एक्वीजीशन की कार्यवाही विभिन्न विभाग अपने स्तर पर करते हैं, उनके तरीके से, मैं आज जो अमेण्डमेन्ट लाया हूं, वह तो मैं केवल एग्रीकल्चर लैण्ड के जो खातेदार, हैं। जिन्होंने फ्रेग्मेन्टेशन कर दिये हैं, अदरवाइज वह लीगल नहीं है, वह नहीं होंगे लेकिन केवल फ्रेगमेन्टेशन की वजह से रेग्युलेराइजेशन नहीं होता है तो रेग्युलेराइज होगा, मेरा पर्पज एक लिमिटेड पर्पज है इसलिये मैं इण्डिविजुअल डिपार्टमेंट के बारे में आज यहां पर पोजीटिव एश्योरेन्स देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री **सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड नम्बर 1 से 5 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह हैं कि खण्ड नम्बर 2 से 5 स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड। श्री हरिसिंह कुम्हेर, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खण्ड 6 में अमेंडमेंट द्वारा नया आइटम शिड्यूल में इन्ट्रोड्यूस किया गया है, वह है 38 सी और ये शिड्यूल बिल्कुल कन्सोलिडेटेड सेक्शन 42 होना चाहिये। 42-ए सेक्शन यह प्राविदित करता है कि जो लोग नियमन की दरख्वास्त प्रस्तुत करेंगे, उनके लिये तीन कालम दिये गये हैं। एक तो है कलेक्टर, दूसरा है एनी आफिसर, तीसरा आथोराइज्ड बाई दी गवर्नमेंट। तीन के सामने दरख्वास्त पेश हो सकती है, कलेक्टर के सामने या किसी आफिसर के सामने जिसे राज्य सरकार अधिकृत करे या किसी अथोरिटी के सामने जिसको कि राज्य सरकार अधिकृत करे, दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग-अलग होता है। इन्टरप्रिटेशन आफ रूल्स का कायदा है कि किसी भी एक्ट के अन्दर एक शब्द का मतलब किसी दूसरे शब्द के मतलब को इगनोर नहीं करेगा। हर शब्द का अपना अलग मतलब होता है और एक शब्द अलग अपने मायने रखता है। अब सेक्शन 42-ए के लिये जो शिड्यूल बनाया हुआ है, वह शिड्यूल बिल्कुल इसके अनुरूप होना चाहिये।

मेरा संशोधन प्रस्ताव है:—

The word "or authority' shall be inserted after the words "Collector or any Officer" and before the words" authorised by the State Government" occurring in column 7 sought to be inserted in the Schedule by sub clause (b) of this clause.

इसमें किन किन के सामने दरख्वास्त पेश होगी, इसका सेवंथ कालम है उसमें लिखा हुआ है :

Collector or any officer authorised by the State Government.

यहां आथोरिटी जो है वह तीसरे कालम में मिसिंग है। इसका मतलब यह है कि

Page No. 192

(192)

(श्री हरिसिंह)

38 (सी) और सैक्शन –42 (ए) एक दूसरे के कान्ट्रेरी हुए। किसी भी एक्ट के अन्दर यह मानकर चलते हैं कि जो भी प्रोसीजर होंगे वे एक दूसरे के हारमोनियस होंगे। एक-दूसरे से भिन्न नहीं होने चाहिये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप सैक्शन 42 (ए) के अन्दर आथोरिटी शब्द निकाल दीजिये या 38 (सी) का जो शिड्यूल आफ टाइटिल इन्ट्रोड्यूस किया है, 38 (सी) इसके अन्दर शब्द आथोरिटी और जोड़ दीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह दोनों एक–दूसरे के कान्ट्रेरी प्रोवीजन होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि शिड्यूल के अन्दर जो लेंग्वेज दुबारा इस्तेमाल कर दी गई है, खण्ड 2 में जो है, उसमें अथोरिटी वर्ड नहीं है, मैं सोचता हूं कि यह मुनासिब अमेन्डमेन्ट है। मैं इसको स्वीकार करता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या स्वीकार किया।

श्री उपाध्यक्ष : खंड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कैसे ही पास करा लो, आपको तो छूट है।

श्री उपाध्यक्ष : रेफरेंस टू दी कोडेक्ट्स होता है।

खण्ड नम्बर 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खण्ड नम्बर और खण्ड एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : no Compliments please.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

अब प्रभारी मंत्रीजी बिल पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया जावे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जो करने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता और कुछ तथ्यों के आधार पर अनावश्यकता है, दोनों ही तथ्यों पर बात करना चाहूंगी। यह बात सत्य है कि यह बहुत आवश्यक था कि जो मकान बन गए उनका नियमन हो। लेकिन कुछ ऐसी जगह मकान बने हैं जहां पर नियमन नहीं होना चाहिये। उनके नियमन के लिये जो यह बिल लाया जा रहा है, संरक्षण देने के लिये जो बिल लाया जा रहा है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बहुत अच्छी तरह से अपोजीशन के लीडर ने बयान कर दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो-जो पोइन्ट रह गये हैं उनके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो कहीं प्रभावशाली····

श्री उपाध्यक्ष : कोई बाकी नहीं रखा उन्होंने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरा बोलने का अधिकार है। आप मना कर दीजिये, मैं बैठ जाऊंगी। आप कह दीजिये कि हम ऐसे ही पास करेंगे तो कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकती हैं लेकिन जो बातें कह दी गई हैं उनको न दोहरायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको नहीं दोहरा रही हूं। जो बात है वही कह रही हूं, जो मेरी जानकारी में है वह कह रही हूं। मैं कहना चाहूंगी, जैसे कोई जमीन बेची गई है, जो सरकारी भूमि थी वह हाउसिंग सोसायटीज के द्वारा बेची गई है, उनका भी नियमन करेंगे क्या? जमीन गवर्नमेंट की है····

(व्यवधान)

मेरे यहां जल महल की भूमि जो सरकारी भूमि थी उसको हाउसिंग सोसायटी ने बेचा है, क्या उसका भी नियमन करेंगे? इसी तरह की और सरकारी भूमि बेची गई है क्या उसका भी नियमन करेंगे? मैं आपको एक तथ्य और कहना चाहूंगी, इस तरह की अभी अनियमितता हुई है कि एक ही भूमि को ए ने बी को बेच दिया है। जो प्राइवेट भूमि थी उसका भी नियमन करेंगे क्या? माननीय मंत्री महोदय, इन दोनों तथ्यों को और स्पष्ट कर दें कि क्या उनका भी नियमन करेंगे? हाउसिंग सोसायटी ने किसी भी भूमि को दबा लिया और दूसरी प्राइवेट आदमी की भूमि को भी दबा लिया जो कि उसने काश्तकार से खरीदी नहीं थी, इस बिल की आड़ में कल जो अनियमितता करने जा रहे हैं, इसमें आप मुझे बता दें कि इसमें सावधानी बरतेंगे क्या आप? यह मैं जानना चाहूंगी।

श्री परसराम मदेरणा : खातेदार टीनेंट की भूमि का अगर फ्रेगमेंटेशन है····

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या?

श्री परसराम मदेरणा : खातेदार टीनेंट की भूमि का फ्रेगमेंटेशन हुआ है, फ्रेगमेंटेशन 42 (ए) के अनुसार वोइड है, उसको जो वोइड है कानून के अन्दर उसको रेगुलराइज करने का प्रश्न है । गवर्नमेंट की दूसरी लैण्ड है, आज जो कानून है वह इस चीज के लिये तो है नहीं ।

(व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : अगर आप इस तरह का आश्वासन देते हैं तब तो यह सारी बात आ गई है ।

(व्यवधान)

भाई साहब ने बात की है, मैं दोहराना नहीं चाहती हूं । मास्टर प्लान में उन्होंने परिवर्तन किया नहीं है, बिना परिवर्तन किये भी है, इस एक्ट के द्वारा जो सहूलियतें देने जा रहे हैं, जहां पर प्लान था, कहीं लोको शेड का था, वहां मकान बन गये, लेकिन जहां बने नहीं हैं वहां पर भी इसकी आड़ में जो प्रभावशाली हैं, मैं आरोप लगाऊंगी, नाम नहीं लेती हूं, कहेंगे तो नाम भी ले लूंगी, कांग्रेस के सदस्यों को संरक्षण देने जा रहे है, इस तरह का आप यह बिल ला रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, अगर थोड़ी सावधानी बरततें तो ठीक रहता ।

श्री परसराम मदेरणा : यह कानून कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सी.पी.एम., सी.पी.आई. और जनता पार्टी को सम दृष्टि से देखता है । प्रश्न कानून का है, मैं एश्योरेंश थोड़े ही दे सकता हूं । कानून जो मैं लाया हूं वह आपके सामने है ।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक का संशोधित रूप में पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, रूल 85 ।

When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member incharge may atonce move that the Bill be passed.

मैं आपका ध्यान रूल 85(2) के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

That says—

(2) Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded......

तो अब इस बिल में अमेंडमेंट स्वीकार हो गया तो जब अमेंडमेंट स्वीकार हो गया तो इस रूल के अन्तर्गत इसको आज पास नहीं किया जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपको पहले ही रूलिंग देनी है । किसी के बहकाने में नहीं आ जाना ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूल का हवाला जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य दे रहे हैं, इस हाउस की परिपाटी यह रही है कि चाहे एक अमेंडमेंट ही नहीं हो,यह तो शिड्यूल में अमेंडमेंट है, लेकिन पचासों अमेंडमेंट होते हुए भी उसी दिन बिल पारित हुआ है । अगर रूल्स के स्ट्रिक्ट इण्टरप्रिटेशन का प्रश्न है तो जब मैं आपकी जगह पर बैठता था, इसी रूल के तहत उस वक्त आसन का ध्यान आकर्षित किया था और आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि आसन की अनुमति से बिल उसी दिन ही पारित न हो जावेगा। वह व्यवस्था आज

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं, इस सदन के अन्दर पिछले 35 सालों से लगातार है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पूरा पढ़ा नहीं है, आधा पढ़ कर ही रह गये ।

Unless the Speaker allows, the motion to be made.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मोशन टू बी मेड है ।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृति)

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981 संशोधित रुप में पारित है किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था दीजिये साहब ।

अशासकीय विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981.

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम । राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान, दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोभाराम, राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

Page No. 196

(196)

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 को पुरःस्थापति करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह ।

राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1981

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : कनीनका नहीं होता है, नयनिका होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.07 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 273 की निविदा)

INTRAVEN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, BADNAGAR, HYDERABAD-500 037, ANDHRA PRADESH.

TENDER FORM PAGES 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	Inj. I.P pextrose 5%	30000 bottles	540ml. bottle U-P Type I Glass	Rupees Seven & Paise Seventy five only.	Rs. 7-75	Intraven	..	No. 124	..
			540ml. bottle USP Type II Glass	Rupees Five & Paise Thirty five only.	Rs. 5-35	Intraven	Lable attached	—do—	..
			500ml. bottle non-toxic PVC Bag.	Rupess five only	Rs. 5-00	Intraven	..	—do—	
347	Dextrose and Sodium Chlorid Inj. USP contains Dextrose 5% w/v and 0.9% w/v of Sodium Chloride.	30000 bottles	540ml. bottle USP Type I Glass	Rupees Seven & paise Seventy five only.	Rs. 7-75	Intraven	..	—do—	..
			540ml. bottle USP Type II Glass	Rupees Five & paise Thirty five only.	Rs. 5-35	Intraven	—do—	—do—	..
			500ml. non-toxic PVC Bag.	Rupees five only	Rs. 5-00	..	..	—do—	..

For Interven Pharmaceuticals Private Ltd.
Managing Director

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये पांचवीं योजना में रीडर्स एवं प्रोफेसर्स के पदों की स्वीकृति

275. श्री **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं आई.सी.ए.आर. ने पांचवीं योजना में रीडर्स एवं प्रोफेसर्स के पदों की स्वीकृति दी थी ? कृपया, कुल स्वीकृत पदों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या कारण है कि वित्त विभाग ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ?

(3) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत पदों की स्वीकृति सरकार अविलम्ब देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(2) यू.जी.सी. के द्वारा रीडर्स के 12 पद व प्रोफेसर के 4 पद सिफारिश किये थे व आई.सी.ए.आर. के द्वारा रीडर्स के 7 पद व प्रोफेसर के 23 पद सिफारिश किये गये। राज्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. के अन्तर्गत रीडर्स के 6 पद व प्रोफेसर का एक पद व आई.सी.ए.आर. के अन्तर्गत प्रोफेसर के 4 पद व रीडर्स के 2 पद स्वीकृत किये गये। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विश्वविद्यालय के कार्यभार को देखते हुये वित्त विभाग की सहमति से उपरोक्त पद ही स्वीकृत किये गये हैं।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष विशेष की आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुये उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार स्वीकृति दी जायेगी।

यू.जी.सी. के स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	प्रोफेसर	रीडर्स
1.	कामर्स	1	1
2.	हिस्ट्री	..	..
3.	साइकोलोजी	..	1
4.	बॉटनी	..	1
5.	केमिस्ट्री	..	1
6.	फिजिक्स	..	1
7.	जूलोजी	..	1
	योग ..	1	6-7

आई.सी.ए.आर. के स्वीकृत पदों की सूची

क्र. सं.	नाम पद	विषय	संख्या	
1.	प्रोफेसर	गायोनोकोलोजी	1	
		एनिमल न्यूट्रिशन	1	4
		वेटेरिनरी पेथेलोजी	1	
		लाइव स्टोक प्रोडक्शन	1	

(मुख्य मंत्री)

	मैनेजमेंट एनिमल ब्रीडिंग एवं जैनेटिक्स	1
2. एसोसियेट प्रोफेसर	फिजियोलोजी एण्ड बोयो केमिस्ट्री	2 1
	कुल संख्या :-	6

छतर सागर बांध का अधिग्रहण

276. श्री **शिवदान सिह राठौड़** (जैतारण) व श्री **भैरूसिह गुर्जर** (खारची) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नींमाज, तहसील जैतारण स्थित छतर सागर बांध को अधिग्रहण करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से ? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

(2) अब कब तक अधिग्रहण कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बांध की उपयोगिता की जांच की जा रही है। बांध के मूल्य का प्रारम्भिक आंकलन वर्ष 1977-78 में बनाया गया था, इस बांध के उपयोग हेतु सम्पूर्ण योजना तैयार की जा रही है ।

(2) योजना के सम्पूर्ण आंकलन तथा होने वाले लाभ की जांच के पश्चात् अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लिया जावेगा ।

विकास अधिकारी, राजगढ़ द्वारा की गई यात्राएँ

277. श्री **जीतमल जैन** (अलवर): क्या पंचायत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

विकास अधिकारी, राजगढ़ (जिला अलवर) ने दिनांक 16 अगस्त को जीप द्वारा किन-किन स्थानों का दौरा किया ? कृपया, "लोग बुक" की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

प्रश्न में सन् अंकित नहीं होने से स्पष्ट नहीं हैं कि किस सन् को 16 अगस्त की जीप लोग बुक की प्रति चाही है । 16-8-81 को जीप द्वारा कोई दौरा नहीं किया गया है।

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

278. श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहरोड़ पंचायत समिति में लागू की गई थी और सब गांवों में बिजली लगाने की आज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के लागू होने पर उस पंचायत समिति के कुछ ग्रामों में बिजली नहीं लगा सकी ? यदि हां, तो क्यों और कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण से वंचित रह गये ?

(3) क्या यह सही है मूभसेड़ा (बहरोड़) को विभाग से निवेदन करने के बावजूद अभी तक उक्त योजना में शामिल नहीं किया गया, और इसे बिजली नहीं दी गई ?

(4) जो गांव विद्युतीकरण से रह गये हैं उनमें बिजली कब तक पहुंचा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां, बहरोड़ पंचायत समिति के कुल 92 गांवों में से वर्ष 1973 में 46, वर्ष 1979 में 4 व वर्ष 1980 में 16 गांव विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये गये । इसके अतिरिक्त 26 गांवों में सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 तक विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये ।

(2) जी हां । इस पंचायत समिति के कुछ गांव एनरूट लोकेलिटीज कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गये थे । लेकिन क्रियान्वयन के समय यह पाया गया कि निम्न गांव इस कार्यक्रम के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है । अतः इन गांवों का विद्युतिकरण स्थगित कर दिया गया था :—

1. भूपखेड़ा
2. हमीदपुर
3. मुड़िया खेड़ा
4. खरखेड़ा।

(3) भूपखेड़ा विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत तो किया जा चुका है, परन्तु इसका विद्युतीकरण स्थगित कर दिया गया था ।

(4) मण्डल द्वारा निर्धारित ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम, 1981-82 में उक्त गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है । अतः अभी निश्चित् रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ।

गिरदावरों के चयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि

279. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा गिरदावरों के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का फार्म व फीस भरने की अन्तिम तिथि 29-8-81 निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 29-8-1981 भरतपुर में स्थानीय सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी और इस कारण उस दिन उक्त परीक्षा में शामिल होने के उम्मीदवार भरतपुर में अपने फार्म व फीस जमा नहीं करा सके ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 31-8-1981 को जब सरकारी कार्यालय दिनांक 29-8-1981 तथा 30-8-1981 की छुट्टी के बाद खुले तब उक्त परीक्षा में बैठने हेतु फार्म भरने तथा फीस जमा कराने को उम्मीदवार जिलाधीश, भरतपुर के कार्यालय में गये और उनसे फीस जमा नहीं कराई गई ?

(4) क्या सरकार उन व्यक्तियों को जिन्होंने दिनांक 29-8-1981 तथा 30-8-81 के अवकाश होने के कारण दिनांक 31-8-1981 को फीस जमा कराने तथा गिरदावरी की परीक्षा में शामिल होने के प्रार्थना-पत्र दिये हैं, परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करेगी तथा फीस जमा कराने हेतु जिलाधीश, भरतपुर को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा गिरदावरों के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की फीस भरने की अन्तिम तिथि 29-8-81 निर्धारित की गई थी किन्तु आवे-

(राजस्व मंत्री)

दन-पत्र दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 अगस्त, 1981 थी ।

(2) जी हां, यह सही है कि भरतपुर जिले में धौलपुर उप-खण्ड को छोड़कर स्थानीय सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई थी । फार्म जमा कराने की अन्तिम तारीख तो 7-8-81 ही थी । फीस चालान से बैंक में जमा कराई जा सकती थी क्योंकि बैंक में स्थानीय घोषित अवकाश नहीं होता है ।

(3) जी हां, यह सही है कि जब फार्म जमा कराने की अन्तिम तारीख 7 अगस्त व फीस जमा करने की अन्तिम तिथि 29-8-81 निर्धारित की गई थी तो 31-8-81 को फार्म व फीस जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी नहीं । क्योंकि निर्धारित अवधि में फीस जमा नहीं कराई गई ।

ग्राम शिवदासपुरा (चाकसू) में जलप्रदाय व्यवस्था

281. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चाकसू के ग्राम शिवदासपुरा नल योजना में आजकल केवल 10-15 मिनट पानी प्रतिदिन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नल योजना से जुड़ी ग्राम पांचूड़ा की टंकी में निरन्तर पानी रहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसकी समुचित व्यवस्था कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) पांचूड़ा की टंकी शिवदासपुरा योजना से जुड़ी हुई नहीं है । पांचूड़ा की टंकी में वर्तमान में सामान्यतः पानी रहता है ।

विधान सभा क्षेत्र मुख्यालयों को सड़क द्वारा राजधानी से जोड़ने की योजना

282. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की प्रत्येक विधान-सभा क्षेत्र मुख्यालय को राजधानी से सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो कठूमर विधान-सभा क्षेत्र मुख्यालय को राजधानी से क्यों नहीं जोड़ा गया ?

(3) क्या सरकार ने कठूमर से मण्डावर-सड़क बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कितने अर्से में यह कार्य पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) कठूमर विधान सभा क्षेत्र हैड-क्वार्टर (कठूमर) डामर सड़क पर है व वहां से या तो जिला मुख्यालय होकर या खेड़ली-महुआ से राष्ट्रीय उच्च मार्ग II (आगरा, जयपुर, भरतपुर) पर होते हुए जयपुर आया जा सकता है ।

(202)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(3) जी हां ।

इस सड़क की कुल 33 कि. मी. में से 23 कि. मी. डामर कार्य हो चुका है एवं बाकी 10 कि. मी. शेष रह गया है। शष कार्य को धनाभाव के कारण निकट भविष्य में पूर्ण करने की सम्भावना नहीं है ।

जयपुर शहर में बाढ़ में आई मिट्टी उठाने पर हुआ व्यय

283. श्री **भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि माह जुलाई, 1981 में जयपुर में आई बाढ़ से चौकड़ी तोपखाना देश के रास्तों में, बिहारी बाजार व चांदपोल बाजार में मिट्टी आ गयी थी ?

(2) इस बाढ़ में आयी मिट्टी को उठाने के लिए कितने ट्रक या ट्रेक्टर किस-किस मालिक या कम्पनी के लगाये गये थे ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें। साथ ही यह भी बतायें कि इन ट्रक व ट्रेक्टरों को मिट्टी उठाने हेतु कुल कितने रुपयों का भुगतान किया गया तथा भुगतान का आधार क्या रखा गया?

(3) प्रति दिन कितने ट्रक व ट्रेक्टरों ने कितने ट्रिप किये तथा कुल कितने वजन मिट्टी उठायी ?

(4) जयपुर नगरपालिका में कार्यरत (अर्थात कचरा उठाने वाले) ट्रक व ट्रेक्टर जो मिट्टी उठाने हेतु प्रयोग में लाये गये, उनके किराये की भुगतान दरों का क्या आधार था?

(5) क्या यह सत्य है कि दोनों के भुगतान दरों में अन्तर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) बाढ़ की मिट्टी उठाने के कार्य में लगाये गये वाहनों एवं उनके मालिकों से सम्बन्धित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1980 के बी. एस. आर. के आधार पर ट्रकों व ट्रेक्टरों के मालिकों को 3,17,789.51 रुपयों का भुगतान देय है जिसके पेटे अब तक 1,58,404.76 रु. का भुगतान किया जा चुका है।

(3) दिनांक 21-7-81 से 3-9-81 तक मिट्टी उठाने का कार्य किया गया। लगभग 9 हजार ट्रिप में लगभग 36 हजार टन मिट्टी उठाई गई ।

(4) नगरपरिषद् में कार्यरत कचरा उठाने के वाहनों का मिट्टी उठाने के कार्य में प्रयोग नहीं किया। अतः ऐसे वाहनों को भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

चोकड़ी तोपखाना देश में मिट्टी उठाने हेतु लगी मशीनों की सूची–

क्रम संख्या	मालिक का नाम	ट्रक नम्बर	ट्रेक्टर मय ट्राली	ट्रेक्टर मय स्क्रेपर
1.	सुरेश कुमार पुत्र माली राम	आर.एस.एल. 7651	—	—
2.	भागचन्द पुत्र सुवालाल	आर.आर.एल 9754	—	—
3.	छोटेलाल पुत्र गुलाबचन्द	आर.आर.एल 7668	—	—
4.	छोटेलाल पुत्र गुलाब चन्द	आर.एस.एल. 4562	—	—
5.	मुकेश पुत्र कुन्दनमल	—	आर.जे.ई. 1073	—
6.	नानगराम पुत्र भूरजी	—	आर.जे.जेड 8016	—
7.	बाबूलाल पुत्र भूरा लाल	—	आर.आर.एम. 1135	—
8.	रामप्रताप पुत्र नानग राम	—	आर.एस.एम. 5573	—
9.	श्याम लाल पुत्र सुवालाल	—	आर.आर.एम. 1874	—
10.	जसवन्त सिंह पुत्र उगम सिंह	—	—	एच.आर.एम 1135
11.	राम अवतार बद्री प्रसाद	—	—	यू. एस.सी. 1226
12.	जगन्नाथ पुत्र चन्द्रा	—	—	आर.एस.जी. 8961
13.	लल्लू पुत्र घासी राम	—	—	पी. बी. एल. 3889
14.	नानूराम पुत्र भूराराम	—	—	आर.एस.बी. 8220
15.	रामचन्द्र पुत्र बोदूराम	—	—	सी.एच.डब्ल्यू 1836
16.	राम देव पुत्र जवाहर	—	—	आर.एस.बी. 9310
17.	भंवर पुत्र राम प्रताप	—	एस.आर.के. 228	—
18.	मुल्लाराम पुत्र भूरा राम	—	—	पी.यू.टी. 4446
19.	राम नाथ पुत्र बाबू राम	—	—	पी.यू.डी. 9115
20.	भैरू पुत्र नाथू राम	—	—	एच.आर.जी. 1632
21.	पांचराम पुत्र नारायण	—	ए. ए. बी. 8643	—

क्र. सं.	मालिक का नाम	ट्रक नं.	ट्रेक्टर मय ट्राली	ट्रेक्टर मय स्क्रेपर
22.	सुरजमल पुत्र नाहर सिंह	—	—	आर.जे.के. 6051
23.	लल्लू राम पुत्र नारायण लाल	—	आर.एस.वाई. 8764	—
24.	लादूराम पुत्र मेवाराम	—	—	आर.एस.एल. 7532
25.	रामनारायण पुत्र राम लाल	—	—	सी.पी.एफ. 8926
26.	राम देव पुत्र जवाहर	—	आर.एस.बी. 9310	—
27.	मनूराम पुत्र भुराराम	—	आर.एस.जी. 8220	—
28.	सन्तोष कुमार पुत्र मोहनलाल	—	यू. एस.यू. 808	—
29.	प्रभात पुत्र रूडा	—	—	ए. ए. डब्ल्यू. 4250
30.	ईश्वर पुत्र कजोड़	—	—....	आर.एस.सी. 2344
31.	चन्दा पुत्र धन्ना	—	जी. जे. एच. 4247	—
32.	कल्याण पुत्र भौंरीलाल	—	—	पी.एन.बी. 459
33.	नरेन्द्र किशन पुत्र मेजर शिवराम सिंह	—	आर.एस.जी. 67	—
34.	जसवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	—	आर .जे. एन. 491	—
35.	जसवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह	—	आर. आर. के. 9161	—
36.	छोटू पुत्र नारायण	—	ए. पी. एन. 8778	—
37.	श्रीराम पुत्र मोतीराम	—	—	पी. यू. क्यू. 995
38.	सूरजमल पुत्र नाहरसिंह	—	—	आर. जे. के. 6051
39.	प्रभुदयाल पुत्र छोटूराम	—	आर. आर. जी. 2520	—
40.	रामगोपाल पुत्र नारायण	—	जी. आर. जी. 2365	—
41.	गोपाल पुत्र बिजाराम	—	एच. आर. एस. 3315	—
42.	भंवरीलाल पुत्र हीरालाल	—	यू. एस. जी. 5762	—
43.	जसवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह	—	एच. आर. एम. 1135	—
44.	कल्याण पुत्र जगन्नाथ	—	पी. यू. एफ. 1007	—
45.	देवा पुत्र चन्दा	—	यू. आर. सी. 4907	—

क.सं.	मालिक का नाम	ट्रक का नम्बर	ट्रेक्टर मय ट्रोली	ट्रेक्टर मय स्क्रेपर
46.	छोटराम पुत्र नारायण	—	पी. यू. एम. 4893	—
47.	चौथू पुत्र चन्दी	—	—	पी. बी. जे. 6415
48.	छोतर पुत्र बिरदा	—	एच. आर. जी. 6150	—
49.	राधेश्याम पुत्र जौथमल	—	आर. एस. ओ. 609	—
50.	हाब जी पुत्र लालाराम	—	एच. वाई. जी. 4599	—
51.	कालू पुत्र बब्बाराम	—	—	आर. एस. आर. 341
52.	कपूरचन्द पुत्र पाचूराम	—	पी. यू. ओ. 1286	—
53.	फते मोहम्मद पुत्र काले खां	—	एच. आर. एम. 5300	—
54.	नाथूलाल पुत्र रघुनाथ	—	—	आर. एस. जी. 1629
55.	धर्मपाल यादव पुत्र जी. आर. यादव	—	आर. आर. जी. 7060	—
56.	छोतर पुत्र बिरदाराम	—	—	एच. आर. जी. 6157
57.	नाथूलाल पुत्र रघुनाथ	—	आर. एस. जी. 1629	—
58.	नाथूराम पुत्र पेमाराम	—	आर. एस. एम. 3829	—
59.	जगन्नाथ पुत्र चन्द्रा	—	आर. एस. जी. 8961	—
60.	गिरधारी पुत्र नारायण	—	आर. आर. जी. 2842	—
61.	सुरेश कुमार पुत्र भैरूलाल	—	आर. आर. जी. 9156	—
62.	नैनूराम पुत्र हरनाथ	—	एस. आर. आर. 4972	—
63.	हीरालाल पुत्र सालाराम	—	—	सी. पी. एफ. 8917
64.	उमराव पुत्र रामजी	—	—	आर. आर. के. 3418
65.	गोधूराम पुत्र छीसीराम	—	—	पी. यू. आर. 5978
66.	छीतरमल पुत्र छगनलाल	—	आर. एस. आर. 1725	—
67.	छोटू राम पुत्र नारायण	—	—	पी. यू. एम. 4893

1	2	3	4	5
68.	चौथ मल पुत्र भूराराम	—	—	ग्रार. जे. सी. 3669
69.	सेडूराम पुत्र ग्यारसी लाल	—	एच. ग्रार. ग्रो. 1917	—
70.	महादेव पुत्र लादूराम	—	एच. ग्रार. जे. 5272	—
71.	लक्ष्मी नारायण पुत्र सुवाराम	—	ग्रार. एस. बी. 1810	—
72.	प्रभाती लाल पुत्र चन्दाराम	—	—	ग्रार. एस. वी. 636
73.	कल्याण पुत्र श्याम सुन्दर	—	ग्रार. एस. बी. 9663	—
74.	रजा मोहम्मद पुत्र फूल मोहम्मद	—	ग्रार. ग्रार. एम. 1995	—
75.	रजा मोहम्मद पुत्र फूल मोहम्मद	—	ग्रार. ग्रार. एम. 1253	—
76.	बाबूलाल पुत्र भूरा राम	—	ग्रार. ग्रार. एम. 5803	—
77.	इकबाल हुसैन पुत्र रजाक खां	—	एच. ग्रार. एम. 1875	—
78.	फारूक हुसेन पुत्र सुलेमान खां	—	ग्रार. एस. बी. 1586	—
79.	नानगराम पुत्र भूराराम	—	ग्रार. जे. जेड़ 5493	—
80.	सुरज्ञान सिंह पुत्र कालूराम	—	—	एच. ग्रार. डब्ल्यू. 5464
81.	नन्दलाल पुत्र मूलचन्द	—	एम. पी. के. 7285	—
82.	फूल मोहम्मद पुत्र कालू खां	—	—	जी. जे. ग्रार. 9057
83.	बाबूलाल पुत्र टोडूराम	—	ग्रार. एस. क्यू 1268	—
84.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (ग्रेव)	7703	—	—
85.	रा. रा. कृ. उ. निगम	—	ग्रार. एस. एल. 3862	—
86.	,,	—	ग्रार. ग्रार. एल. 6608	—
87.	,,	—	ग्रार. एच. के. 752	—
88.	,,	—	ग्रार. ग्रार. एल. 8653	—
	कुल संख्या ..	5	53	30

सवारिया से मोर सड़क का निर्माण

284. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवारिया से मोर तक सड़क बनाने हेतु सन् 1976-77 में टेण्डर आमन्त्रित किये गये ? यदि हां, तो उस सड़क निर्माण की क्या स्थिति है ?

(2) यदि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो अब कब तक सड़क बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण यह कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(2) बीस संकल्पों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना विचाराधीन है व इसके अन्तर्गत इस सड़क का निर्माण वित्तीय उपलब्धि पर ही निर्भर है।

ग्राम दासपां (भीनमाल) बांडी नदी पर रपट बनाने की स्वीकृति

285. श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि चार हजार से ऊपर की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जावे एवं जो सड़क बनाई जावे वह सभी मौसम में चालू रहनी चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील भीनमाल में दासपां की आबादी पांच हजार से अधिक है किन्तु बाण्डी नदी पर रपट नहीं बनाया गया जिससे दासपा का रास्ता बरसात में बन्द हो जाता है ?

(3) भीनमाल-पाथेड़ी सड़क, जिस पर दासपां गांव आता है, पर बाण्डी नदी पर रपट बनाने की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दासपां की आबादी जनगणना आधार वर्ष 1971 के अनुसार 4,117 है। यह सही है कि बाण्डी नदी पर रपट न होने व बरसात में नदी में बाढ़ आने के समय भीनमाल-दासपां के बीच आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।

(3) इस सड़क पर बाण्डी नदी पर रपट निर्माण की निम्न वरीयता व धनाभाव के कारण अभी निकट भविष्य में कोई स्वीकृति मिलने की संभावना नहीं है।

राजस्थान नहर में कृषि भूमि के स्थायी आवंटन का कार्य

286. श्री ज्ञान सिंह चौधरी (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर में कृषि भूमि के स्थायी आवंटन के लिए कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) कितनी भूमि आवंटन के अभाव में काश्त होने से बाकी है ?

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

(3) भूमिहीनों को कृषि भूमि के स्थायी आवंटन का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र की बची हुई भूमि को नीलाम करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) 32,645 आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

(2) वर्तमान में 0.84 लाख एकड़ सिंचित भूमि का आवंटन होना शेष है।

(3) कृषि भूमि के आवंटन की कार्यवाही जारी है।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

वन विभाग का विक्रय डिपो, करौली

287. श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग के विक्रय डिपो, करौली पर लकड़ी तथा कोयला सवाई माधोपुर रेंज से जयपुर होते हुए पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को 30 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन व्यय हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लकड़ी कोयला स्थानीय रेंज करौली में ही मौजूद है ? यदि हां, तो यह सामान सवाई माधोपुर रेंज से क्यों पहुंचाया जाता है ?

उत्तर

(1) विभागीय विक्रय डिपो, करौली पर सामान्यतया लकड़ी व कोयला की आपूर्ति विभागीय करौली इकाई के वन क्षेत्रों के कूपों से ही की जाती है। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण करौली इकाई के कूपों के मार्ग अवरूद्ध हो जाने तथा करौली डिपो की तात्कालिक मांग की आपूर्ति हेतु सवाई-माधोपुर से करौली मार्ग में भी वर्षा के कारण अवरोध हो जाने के कारण ही सवाई माधोपुर इकाई के कूपों से जयपुर होकर लकड़ी कोयले का परिवहन किया गया था एवं इस पर रु. 8/- प्रति क्विंटल तक का व्यय हुआ था।

(2) खण्ड एक में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

प्रशासनिक अधिकारी के पद की पात्रता

288. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 के अन्तर्गत कुछ विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर अधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को पात्र माना गया है ?

(2) किस-किस विभाग में प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के कई ऐसे बड़े विभाग भी हैं जिनमें प्रश्न के भाग दो में वर्णित पद सृजित नहीं किये गये हैं और संबंधित विभागाध्यक्ष ऐसे पदों के सृजन हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजते रहे हैं परन्तु उक्त पद अभी तक सृजित नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसे

(श्री मोहनलाल मोदी)
विभागों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार के पास प्रशासनिक अधिकारियों एवं संस्थापन अधिकारियों का अलग से संवर्ग बनाने का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और इस मामले में अब तक निर्णय न लेने का क्या कारण है? इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

रोहित पंचायत (पाली) समिति के ग्रामों को पेयजल सुलभ करना

289. श्री माणकमल मेहता (पाली): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पाली विधान सभा क्षेत्र की रोहित पंचायत समिति के अधिकांश गांवों में खारा पानी होने से इन गांवों के निवासियों को सदैव पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है? इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स से रोहित पंचायत समिति के किन-किन गांवों को जोड़ा गया है?

(3) क्या इन रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स से जोड़े गए गांवों को नियमित रूप से एवं पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है जिसके लिए सरकार ने क्या अतिरिक्त उपाय किये हैं?

(4) क्या इन रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स को बनाते समय पशुधन की संख्या का ध्यान रखा गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या पानी की पर्याप्त सुविधा के अभाव में बहुत बड़ी संख्या में पशुधन का निष्क्रमण हो जाता है? यदि हां, तो पशुधन के निष्क्रमण को रोकने के लिए, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

(6) क्या सरकार इन गांवों को पानी देने के लिए जवाई नहर के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ढूंढ पाई है? यदि नहीं, तो क्या जवाई नहर से जोधपुर शहर को पानी देने के पूर्व इन गांवों के पशु एवं मनुष्यों को पानी देना नितांत आवश्यक नहीं है?

(7) क्या सरकार आजादी के 34 वर्षों के बाद भी इन गांवों के लिए स्थाई पानी का हल न निकाल कर इन गांवों के निवासियों के साथ उचित न्याय कर पाई है?

उत्तर

(1) जी हां। रोहित पंचायत समिति के कुल 76 गांवों में से 30 गांवों की योजनायें 80-81 तक स्वीकृत हो चुकी है व वर्ष 81-82 में 14 अन्य ग्रामों की योजनाओं का आइडेन्टिफिकेशन अनुमोदित किया गया है। जिसमें से 28 गांवों में जल वितरण हो रहा है।

(2) कुल 30 गांवों में से 29 गांव रीजनल योजनाओं पर हैं, जिसकी वांछित सूचना सूची 'अ' में संलग्न है।

(3) रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स से जुड़े हुए ग्रामों में से माडपुरिया व भागेसर में कार्य प्रगति पर है, बिट्टू ग्राम में पानी का उचित दवाब बनाने हेतु बुस्टर लगाने का कार्य चालू है। शेष ग्रामों में सामान्यत: पानी जा रहा है पर वर्षा के अभाव

(जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)
में जल की आवक कम हुई है व बिजली की कमी के कारण भी व्यवधान पड़ रहा है। समस्या के समाधान हेतु सरकार ने आपातकालीन योजना बना ली है जिस पर कुछ कार्य चालू है व शेष स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। वर्तमान मापदण्डों के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं में पशुधन की पेय-जल की आवश्यकता का प्रावधान नहीं लिया जाता है। भारत सरकार को इस हेतु पुनर्विचार करने हेतु मनवाया जा रहा है।

(5) आपातकालीन योजना में विभिन्न जगह पर वाटर पाइंट्स स्थापित करने का प्रावधान लिया गया है जहां से टैंकरों हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है जिससे मनुष्यों के लिए पेयजल उपलब्ध होगा एवं इससे पशुधन भी लाभान्वित हो सकता है।

(6) जी नहीं। दूसरा विकल्प धन की उपलब्धि के अनुसार ढूंढा जायेगा। जवाई से जोधपुर शहर को पानी देने के साथ-साथ इन नहर के किनारे के गांवों के लिये यथावत हर अकाल साल की तरह जल सप्लाई जारी रहने की आशा है।

(7) सरकार ने धन की उपलब्धि के अनुसार समय-समय पर योजनाएं स्वीकृत की हैं व आगे भी स्वीकृत करके पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है।

प्रपत्र "अ"

रोहत पंचायत समिति में संधारित रीजनल योजनाओं से जोड़े गए ग्रामों की सूची—

क्र. सं.	योजना का नाम		ग्राम का नाम	कोड नं.
(1)	क्षेत्रीय योजना, जवाई-हेमावास नहर पाली-भाखरी वाला।	1.	निंबाडा	69
		2.	निम्बली डेरा	68
		3.	बागरीया	61
		4.	कानावास	60
		5.	खारडा	56
		6.	चोटिया	54
		7.	विट्टू	37
		8.	दूदिया	62
		9.	माण्डली दर्जियान	63
		10.	भाखरीवाला गांव	54
		11.	डाबर कलां	59
(2)	क्षेत्रीय योजना, ढोलेरिया-रोहत	12.	ढोलेरिया सासन	17
		13.	ढोलेरिया जागीर	18
		14.	सोनई लखा	14
		15.	डुंगरपुरा	13
		16.	धुंधली	40
		17.	डुडली	41

1	2	3	4
		18. खाण्डी	12
		19. सिगारी	39
		20. रोहत	51
(3)	क्षेत्रीय योजना, जवाई हेमावास नहर, प्रथम जोन रूपावास	21. चेतलाव	35
		22. खुण्डावास	87
		23. भालवा	31
		24. सुकरलाई	32
		25. गरवाडा	36
		26. जैतपुर गुरडिया	19
(4)	क्षेत्रीय योजना, खारा-बेरा	27. लासकी	44
(5)	भाखरी वाला, पार्ट-II	28. माडपुरिया	66
		29. भागेसर	67

जिला बाड़मेर के ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

290. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर के ग्राम बुठिया, चाड़वा, चौडीका पार, नोगेका पार, बीन्दे का पार, दुकड़, सूराली, उमरे का पार और शिव तहसील के ग्राम खानी पानी, मेदूसर, पनेलारतडेरी, बंधड़ा खारची, मीसेरी में कितने वर्षों से टैंकरों द्वारा पानी दिया जा रहा है ? पिछले दो सालों में इस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) उक्त ग्रामों में पिछले दो वर्षों में क्या कोई क्षेत्रीय नल योजनायें स्वीकृत हुई हैं ?

(3) जिला बाड़मेर में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुल कितनी स्कीम्स स्वीकृत हुई हैं ? ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें पीने का पानी कतई नहीं मिलता है ?

(4) जिला बाड़मेर में जो-जो स्कीम्स स्वीकृत हुई हैं, कृपया उनका नाम व उनमें आने वाले ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला बाड़मेर में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें 10 से 20 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं है ? ऐसे ग्रामों में सरकार कब तक पीने के पानी का इन्तजाम कर सकेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 68-69 से 80-81 तक केवल 4 वर्षों को छोड़कर अकाल की स्थिति आई है एवं जिला प्रशासन द्वारा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सन्दर्भित ग्रामों में अन्य ग्रामों के साथ अकाल की अवधि में टैंकरों द्वारा पेयजल पहुंचाया गया है। पूरे जिले में वर्ष 1979-80 एवं 80-81 में टैंकरों द्वारा 202 व 276 ग्रामों व ढाणियों में पानी पहुंचाने में क्रमशः करीब 2.24 लाख रु. व 4.80 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

(2) जी हां। उल्लेखित ग्रामों में से ग्राम खनियानी एवं ग्राम मेदूसर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में स्वीकृत किये गये हैं।

(3) बाड़मेर जिले में वर्ष 80-81 में 13 क्षेत्रीय योजनायें, 1 पम्प एण्ड टैंक

212

(जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

योजना, 6 नलकूप योजनाएं एवं 53 हैण्ड पम्प योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिनमें कुल 155 ग्राम सम्मिलित हैं। वर्ष 81-82 हेतु 2 क्षेत्रीय योजनाएं तथा 1 पम्प एण्ड टैंक योजना स्वीकृत की गई जिसमें कुल 6 ग्राम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 1981-82 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 42 ग्रामों की प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। वर्तमान में 569 ग्रामों में पेयजल योजनाओं के माध्यम से कोई जल वितरण नहीं किया जाता है।

(4) वांछित सूची संलग्न है।

(5) राज्य सरकार का सभी समस्याग्रस्त गांवों में कुल आवश्यक धन की उपलब्धि होने पर छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल उपलब्ध कराने का टेन्टेटिव लक्ष्य है। जिसमें कुल 625 ग्राम केटेगरी प्रथम श्रेणी में आते हैं जिनमें ऐसे ग्राम भी आते हैं जिनमें स्रोत 1.6 कि. मी. से अधिक दूरी पर है।

जिला—बाड़मेर

स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम		गांवों के नाम
1	2		3
1.	पाईप्ड	पचपदरा	1. पचपदरा
2.	,,	समदारी	2. समदारी
3.	,,	जासोल	3. जासोल
4.	क्षेत्रिय	बामसन खांडप	4. बामसन खांडप
			5. खाण्डप
			6. राखी
			7. सानवादा
5.	पाईप्ड	सिवाना	8. सिवाना
6.	पाईप्ड	बीशाला	9. बीशाला
7.	पाईप्ड	गडरा रोड	10. गडरा रोड
8.	,,	ढारीमाना	11. ढारीमाना
9.	क्षेत्रीय	सोंगोंगा	12. शौ
			13. गुनगा
			14. निमला
			15. निम्बासर
			16. अगोरिया
10.	पाईप्ड	चौहटन	17. चौहटन
11.	पी.एण्ड.टी.	गिराब	18. गिराब
12.	,,	बांदारा	19. बांदरा
13.	,,	कपूरदी	20. कपूरदी
14.	,,	हरसानी	21. हरसानी
15.	,,	महबार	22. महबार
16.	,,	धनाऊ	23. धनाऊ
17.	,,	आलमसर	24. आलमसर
18.	,,	सिवाऊ पदमसिंह	25. सवाई पदमसिंह
19.	,,	बाथिया जागीर	26. बाथियां जागीर
20.	,,	भादका (भादरवा)	27. भादका (भादरवा)
21.	,,	बीधा बायातू	28. भीमरा
			29. बायतू पंजानी
			30. भीमजी
			31. बायतू भोपजी
			32. बायतू चीमनजी
			33. बायतू चिल्रका पार
			34. भूरटिया
			35. चाबा
			36. रावतसर
			37. भट्टा

Page No. 214

214

1	2	3
		38. ऊधा की ढ़ाणी
		39. कावास (माधपुरा सेनी)
		40. कोसरिया लापला स्कूल
		41. माधपुरा बरवाडा
22. पी. एण्ड. टी.	मोकलसर	42. मोकलसर
23. ,,	कानाना	43. कानाना
24. ,,	थूम्भाली	44. थूम्भाली
25.	समदेरी कल्याणपुरा	45. कल्याणपुर
		46. शुरपुरा
		47. ककराला
		48. पीन्दारन
		49. संकोन की ढ़ाणी
		50. बागलोप
		51. गहरोई सादा
		52. गहरोई चारनान
		53. घारभसर
		54. मोखान्डी
26. ,,	गोरपी बांभियावास	55. गोपारी
		56. जातीयाना
		57. रामशरण
		58. मूनगरा
		59. बीथीजा
		60. मादिया वास
		61. होटलू
27. क्षेत्रीय	शौकर कुरला	62. शौकर
		63. कून्दला
28. क्षेत्रीय	कानसर काशमीर	64. वाड़मेर रुरल
		65. कानासर
		66. काशमीर
29. पी. एण्ड टी.	जलीपा (लखातली)	67. जालसपा
30. क्षेत्रीय	ऊन्दू कल्पालिया	68. ऊन्दू
		69. हीरा की ढ़ाणी
		70. निम्बा की ढ़ाणी
		71. खाकसर
		72. सोहरा
		73. परेव
		74. कुम्पालिया
		75. गीदा
		76. समारखिया
		77. खारदा चारनान
		78. कशुभला

1	2	3
31. क्षेत्रीय	ऊन्दू पनावरदा	79. रतऊ
		80. पनवारा
		81. कानोद
		82. शहर
		83. कालू
		84. खोपर
		85. अकरदारा
32. ,,	पारलू उमरलाई	86. पारलू
		87. उमरलाई
33. ,,	डोली एसारवा (अराबा)	88. डोली कलांन
		89. डोली खुर्द
		90. डोली राजगुरान
		91. असारवा उमदा
		92. असारवा चौहानान
		93. असारवा नागाछा
34. ,,	भीयार बालिया	94. भीयार
		95. बालिया
		96. बासी कलां
		97. खासी खुर्द
35. ,,	हरवा हरबाचा	98. हरवा
		99. हरवाचा
36. ,,	नाकादा मेवानगर	100. मेवानगर
37. ,,	नीडा भाटला	101. भाटाला (खेरवा)
		102. नाहरान की ढाणी
		103. कोसलू
		104. खरिया खुर्द
		105. निवाल कोट
		106. संजीता
		107. होडी
38. ,,	सलवाव खाडान	108. भालोन की पार
		109. कंटल का पार
		110. कंटलीया का पार
		111. रामसर
		112. गागरिया
		113. नोपिटिया
		114. पाबूसरिया
		115. बाबू गुलारिया
		116. बानवा
		117. सोवाल का पार
		118. लासवा
		119. सुवारा
		120. खारिया

1	2	3
		121. शत्रु
		122. चांडवा वावलसर
		123. चांडवा मंडरूप
		124. खाडवा थ्रेखनादा
		125. चाडी
		126. खाडन
		127. ब्रागटान की बाड़ी
		128. भाचवार
39. क्षेत्रीय	असाडा पादरू	129. पादरू
		130. मिथाउरिया
		131. गालिया महाचांद
		132. धानवा
		133. असीतरा
		134. जूना मीठा खेड़ा
		135. भाटा
		136. धारणा
		137. कालोरी
		138. तापरा
		139. झागसा
		140. बोदीवारा
		141. असारा
40. ,,	भोड़खा चुली भादरस–	142. बोटिया पुरोहितान
		143. भादरस गन्धेव
		144. भादरस पुनासिया
		145. छोली
		146. धानोरा
		147. त्रिसिगरी
		148. त्रिसिगा
		149. गुडीसर
		150. बोला
		151. दरासर
41. ,,	पचपदरा साल्ट	152. पचपदरा साल्ट (खान नमक)
42. विस्तार	बामसन खांडप	153. करमावास
		154. छीयाली
		155. मोतीसरा
		156. डाबली
		157. राती
		158. अर्थनारी
		159. सिवाली
		160. सरवारी
43. ,,	लुहारवा भास्मचल	161. लुहारवा

1		2	3
			162. खारोदी
			163. सानावारा
			164. भास्मथल
			165. पाबूवारा
			166. खूजाबारी
			167. पीपराली
			168. कोठाला
			169. कुन्दावा
44.	विस्तार	डमला सुरा जंयढी	170. सोनरी
			171. सूरा चारनान
			172. सूरा नरपतन
			173. सूरा जागीर
			174. नाद
			175. सोखारू
			176. डोडा वारी
			177. मालवा
			178. खारावा
			179. लाव रव
			180. जयड़
			181. बासरा
45.	क्षत्रीय	भादखा रूहीली	182. रूहीली
46.	,,	बारिया चांदसर	183. बावीया भागजी
			184. सिनली जागीर
			185. सिंगली चवसिरा
47.	,,	बुरान का टेला	186. बुरान का टेला
48.	,,	निमला कोटरा	187. कोटरा
			188. जासा का गांव
			189. रावत का गांव
			190. चाक भीनसका
49.	,,	बामसीन मजल	191. तिगाटी
			192. लालिया
			193. कामा का बारा
			194. माजल
5	,,	बारिया चांदसरिया	195. थान मालिनानाथ
			196. भीममरलाइ
			197. सीमालिया
			198. बाजावास
			199. कीतपाला
			200. चांदसरा
			201. मकराना
			202. कोल
			203. बारिया बरवा

1		2	3
			204. टिलवाड़ा
51.	क्षेत्रीय	किटनी सिसा सालोरिया	205. किटनोरिया
			206. सावा
			207. आसन का टेला
			208. पुन्जासर
			209. धाम्बा
			210. सिन्हर
			211. सलारिया
52.	,,	गावदा जयसिंधर	212. बान्दसर
			213. तमलोरी
			214. जयसिन्धार
53.	,,	भीयार अरंग	215. बाचरा
			216. रथकुरिया
			217. अरंग
54.	,,	आलमसर	218. इटाडा
			219. खुसाप
			220. उपराला
55.	,,	धारासर पराडिया	221. पाराडिया
			222. खारिया राथोड़
			223. धारासरा
			224. भन्टा
			225. भीमरी
			226. अलपुरा
			227. गुडा
56.	,,	रातरी मुखाब झांक	228. बाटारा
			229. मुकाब कलजन
			230. झांक
			231. नागारड़ा
			232. पोसल
57.	,,	थूमली	233. थूमली
58.	,,	सजीतरा	234. सजीतरा
59.	,,	धून्धा	235. धून्धा
60.	,,	अरब खादसन	236. तामलियार
61.	,,	भांखरपुरा	237. भांखरपुरा
62.	,,	चोहटन कलनोर	238. धांक
			239. धूनिया
			240. बीजराध
63.	,,	अदल	241. अदल
64.	,,	बिसरनिया	242. बिसरनिया
65.	,,	स्कीम्स	243. थापन
			244. इन्दराना
			245. गुडा

1	2	3
		246. सिथोर
		247. रानी घेसीपुरा
		248. अजीत
		249. कोटरी
		250. माली
		251. मोरी
		252. कुडाल
		253. खाखी
		254. वागवा
		255. रामानिया
		256. खायरा
		257. वागावास
		258. कितनोद
		259. सराना
66. हैण्ड पम्प		260. सिन्धासवा हरनिया
67. टी. एस. एस.		261. सनाऊ
		262. बन्जासर
		263. मीथ का तला
		264. रानी गांव
		265. जनपालिया
		266. बीसासर
		267. कुन्दनपुरा
		268. उदखा
		269. डारा
		270. दवांदी
		271. बामनीरा भानवारशाह
		272. कारतिया
		273. ओगला
		274. राधाना
		275. मूगरिया
		276. चोखला
		277. संतरा
		278. गंगाला
		279. खारा राथोरन
		280. जूना पातासर
68. हैण्ड पम्प		281. अकारली धान सिंह
		282. चाम्पापारी
		283. रावरा वारथान
		284. वालू जती
		285. वालू शासन
		286. वाब टहलाई
		287. सुहागी

(220)

1	2		3
			288. बाछवाला
			289. तारासरा
			290. सानवालासी
			291. हेमावास
			292. माधवा
			293. कुम्पावास
			294. गोधान का बांरा
			295. गोलिया
			296. चारनान का बांरा
			297. गुगरोद
			298. जिनपुर
			299. मानगी
69.	झीनकाली भादली		300. झीनकाली
			301. खारदी
70.	आर. डब्ल्यू. एस. एस. पाटोडी कालवा		302. चिरधानी
			303. पाटोडी
			304. रीनसोली
			305. क्यार चारनन
			306. साजीयाली पदमसिह I
			307. साजीयाली पदमसिह II
			308. साजीयाली रूपजी I
			309. साजीयाली रूपजी II
			310. कनवारली
			311. कलवा
			312. लपूनदरा भारतान
			313. लपूनदरा महाजन
			314. लपूनदरा तारल
			315. साजीयाल
			316. बांकीयावास कलांन
71.	,,	बानकीया वास चरनन	317. बांकीयावास खुर्द
			318. छाछरजाय कलां
			319. छाछरजाय खुर्द
			320. सरवारी
			321. तातेयू कलां
			322. पाटू खुबा
			323. त्रिसिगरी सीधा
			324. त्रिसिगरी छोछान
			325. खाजरियाली
72.	क्षेत्रीय	खाजरीयाली रामपुरा	326. शिरधीया
			327. मियान का बाडा
			328. रामपुरा
			329. समूजा

Page No. 221

(221)

1	2	3
		330. घूघास
		331. सिलोर
73. क्षेत्रीय	पाटोल का बाड़ा	332. बांगवास
		333. भादरीन का बाड़ा
		334. पाटीन का बारा
		335. डोलयाली
		336. मंगला की बारी
74. आर. डब्लू. एस. एस. नगर		337. नगर
		338. खादली
		339. घाघावास जागीर
		340. वाघना
		341. अमलीयाला
		342. राघू
75. ,,	राघूपदारली	343. अनरनीयाल
		344. मनकी
		345. पुरावा
		346. गंधेव कलां
		347. डागारिया
		348. रोली
		349. गधेव
		350. झांखडदा
		351. बीरी
		352. पनवाल
		353. पदारली
76. क्षेत्रीय	सनपा मन्जी आना की ढाणी	354. सनपा मन्जी
		355. बिलासर
		356. आंना की ढाणी
		357. सरनू चिमनजी
		358. सारली
		359. खारन्तीगा
77. ,,	अकोरा सोदियार	360. अकीरा
		361. सनवलोर
		362. तारातारा
		363. सोदीयार
78. ,,	मीयली गोलिया	364. मेथली
		365. नाल
		366. पादरली कलां
		367. खेरा खोरावारी
		368. गोलिया
		369. थान मोडा हिंगलाज
79. ,,	कोरना बगनावास	370. गोदावास
		371. हालिया

1	2	3
		372. शूनागरी
		373. गवालनादा
		374. जासती
		375. पारालिया धामत
		376. पारालिया सेसन
		377. धोरिया
		378. बांगनवास
		379. टिबानिया
		380. कमेरना
80. [illegible]	डोली कलां	381. सीतली
	डोली खुर्द	382. निम्बा खेरा
		383. रानिया धाहीपुरा
81. ,,	कीजा मोथी	384. सूधाबारी
		385. भुआगा
		386. चैनपुरा
		387. मिथी
		388. हरज का गोल
		389. मोरचारनाम
		390. भादराई
		391. भोल
82. विस्तार	बामसून मिजाल	392. बारोद
		393. खरान्तीया
		394. माथ खरान्तीया
83. पी. एण्ड. टी.	मेदूसर	395. मेदूसर
84. विस्तार	गोराब बादन	396. सारछी
85. कमिशनिंग ट्यूब वैल		397. खोजा
		398. कोनरा
		399. शिहानिया
		400. सादरा
		401. नाथराद
		402. संदेरा
86. हैण्ड पम्प		403. खारछी
		404. कापरू
		405. गीरा
		406. कौरी
		407. वोथ
		408. गोहर का टाना
		409. बालारा
		410. लाखदारा
		411. छारवा तखताबाद
		412. टाकी
		413. लोदराडा
		414. जाशी

1	2	3
		415 खाकरलाई
		416 अरजीयाली
		417 फूलन
		418 डीरान
		419 डारवाला
		420 बीजलिया
		421 काटारला
		422 ताजीयावास
		423 सीमरद
		424 राम जी की गोल
		425 हयमा
		426 पनोरीया
		427 सिंधरी चारनान
		428 सिहानी
		429 वहाल गांव
		430 पाऊ
		431 इन्द्रोही
		432 बालीयाना
		433 डाडारीयार
		434 गंदेव खुर्द
		435 अखली
		436 थानावार खुर्द
		437 कमथाई
		438 डागवा
		439 गादसारा
		440 मण्डावास
		441 लूम्बावास
		442 नागरदा
		443 अकली
		444 गीराल
		445 मागा का गांव
		446 सौखा का गांव
		447 अमन का पार
		448 जालसाला
		449 बुखरी
		450 पूदपूदीया
		451 पूरन का पार
		452 मोहम्मद का पार
		453 माकारानवाल
		454 अजवा का पार
		455 मीथीसर
		456 वृथिया

1	2	3
87.	क्षेत्रीय	गादरा मेदूसर बूधिया-जैसीन्दर रेल्वे स्टेशन 457. खानीयानी 458. जैसीन्धर रेल्वे स्टेशन
88.	बिस्तार डब्ल्यू. एस. एस. कोटरा पीलागीरा	459. मुवाला 460. मूनगीरा
89.	पी. एण्ड टी. बारी कला	461. बोरी कलां

जयसमन्द की नहरों का आधुनिकीकरण

291. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला उदयपुर में जयसमन्द की नहरों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से कितनी धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार जयसमन्द की नहरों को पक्की बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इन नहरों को कब तक पक्की बना दिया जावेगा । वर्तमान में कितने कार्य चल रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला उदयपुर के जयसमन्द की नहरों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई ।

(2) जयसमन्द की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नहरों को पक्का करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 21 कार्य प्रगति पर है सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। आवश्यक धन राशि की उपलब्धि के अनुसार कार्य शीघ्र पूरा कराने का राज्य सरकार का विचार है ।

प्रपत्र 'अ'

वर्तमान में निम्न कार्य प्रगति पर है —

1	2	3	
1.	जयसमन्द बायीं नहर चैन	चैन 71 से	126.50
2.	,, ,,	चैन 509 से	534
3.	वल्सी नहर चैन	चैन 85 से	135
4.	,, ,,	चैन 221 से	270
5.	वैसमा नहर	चैन 66.50 से	92.50
6.	सलूम्बर नहर	चैन 280 से	345
7.	,, ,,	चैन 345 से	407
8.	गोपालपुरा माइनर	चैन 200 से	330
9.	झालारा माइनर	चैन 0 से	60

Page No. 225

(225)

1	2	3	
10.	झालरा माईनर	चैन 156 से	210
11.	जयसमन्द दायीं नहर	चैन 120 से	160
12.	,, ,,	चैन 315 से	415
13.	,, ,,	चैन 415 से	485
14.	,, ,,	चैन 525 से	565
15.	,, ,,	चैन 565 से	675
16.	,, ,,	चैन 685 से	750
17.	डींगरी माइनर	चैन 0 से	100
18.	,, ,,	चैन 100 से	200
19.	,, ,,	चैन 200 से	300
20.	साकल माइनर	चैन 0 से	100
21.	झाडोल माइनर	चैन 0 से	60

कुशलगढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण

292. श्री **फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा ने कुशलगढ़ क्षेत्र में नई सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाये हैं ? यदि हां, तो किस स्थान की सड़क के निर्माण हेतु ?

(2) क्या सरकार इस ट्राइबल क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 20 संकल्पों में ग्राम तक सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के बारे में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजना बनाई जा रही है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा ट्राइबल क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों (सड़क निर्माण) हेतु वित्तीय प्रावधान अलग से ही रखा जाता है ।

जिला चूरू के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

293. **रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला चूरू में 1981-82 तक कितने व कौन-कौन से गांवों का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ? कृपया तहसीलवाइज गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

चूरू जिले में मार्च, 81 तक 384 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है व वर्ष 1981-82 में 55 अन्य ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का टेंटेटिव लक्ष्य है। सूची संलग्न है ।

उन गांवों की सूची जिन्हें मार्च, 1981 तक पानी पहुंचाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

क्र.सं.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कोड सं.	आबादी 1971	केटेगरी
1	2	3	4	5	6
	तहसील चूरू :				
1.	क्षे.ज.प्र.यो., जसरासर	1. पीथिसर	29	1631	I
		2. कुन्सीसर	21	758	I
		3. ढाढरिया बनीरोतान	28	937	I
		4. ढाढरिया चारणान	23	511	I
		5. दुधवा मीठा	25	892	I
		6. खारिया	48	475	I
		7. राजपुरावास	49	776	I
		8. रामदेवरा	50	435	I
		9. नागरासर	51	1141	I
		10. धोधलिया	52	588	III
		11. धीरासर चारणान	53	638	III
		12. धीरासर शेखावतान्	54	495	III
		13. धीरासर बीकान	55	200	III
		14. जासासर	56	1039	I
		15. रायपुरिया	57	1078	I
		16. जसरासर	58	1539	III
		17. पोटी	59	555	I
		18. सातड़ा	60	1587	I
		19. बीनासर	67	1277	I
		20. बालरासर	24	324	I
2.	क्षे.ज.यो., खासोली दुधवा खारा	21. दुधवाखारा	34	3587	III
		22. सिरसली	35	750	
		23. सिरसना	36	1605	
		24. खासोली	75	1639	
		25. ढाढर	78	1213	
		26. लादड़िया	81	691	
		27. आसलू	82	525	
		28. लाखाऊ	83	659	
		29. ढाणी लक्ष्मण सिंह	84	282	
		30. लोहसना बड़ा	85	1999	
		31. लोहसना छोटा	86	1939	
3.	क्षे.ज.प्र.यो., खासोली विस्तार पार्ट प्रथम	32. बाड़की	37	454	I
		33. करनपुरा	38	623	I
		34. लालासर पट्टा बीलोतान	39	571	I

1	2	3	4	5	6
		35. लालासर पट्टा राजपूरा	40	305	I
		36. गिनड़ी पट्टा राजपूरा	42	565	I
		37. गिनड़ी पट्टा लोहसना	44	347	I
4.	क्षे.ज.प्र.यो., श्यामपूरा, छाजूसर।	38. श्यामपूरा	65	410	I
		39. छाजूसर	66	575	I
5.	पी. एण्ड टी., देवालसर	40 देवालसर	69	774	I
6.	क्षे.ज.प्र.यो., धन्टेल सोमासी	41. धन्टेल	26	2241	I
		42. सोमासी	27	532	
		43. गाजसर	47	640	
		44. रिड़खला	19	637	I
		45. ग्रासलखेड़ी	28	895	I
7.	क्षे.ज.प्र.यो., सहनाली	46. सहनाली छोटी	64	823	I
		47. सहनाली बड़ी	65	720	II
		48. सूरतपुरा	63	724	II
		49. पोलोसर बड़ा	62	679	II
8.	पंप एवं टैन्क योजना, धांधू	50. धांधू	88	2390	II
9.	टी.एस.एस.यो.	51. सहजूसर	46	1139	III
		52. कड़वासर	45	1107	III
		53. जारिया	29	1951	II
		54. रामसरा	74	122	I
		55. घरड़ादास	80	538	III
		56. भावासी	41	748	III
		57. थालोड़ा	33	191	III
		58. राणासर	77	1226	III
		59. मेघसर	70	713	II
		60. दादू	69	672	I
		61. इन्द्रपूरा	43	675	II
10.	हैण्ड पंप योजना	62. खिवासर	14	1442	I
		63. चलकोई बनीरेतान	31	1282	I
	तहसील राजगढ़ :				
1.	पंप एवं टैंक योजना, सांखु	1. सांखू	59	4007	I
2.	क्षे.ज.प्र.यो., चान्दगोठी-सुलखानियां।	2. लाम्बोर छोटी	101	366	I
		3. लाम्बोर बड़ी	102	1276	III
		4. लांबोर छिपयान	103	400	I
		5. खेड़ीलामोर	20	430	I
		6. मिठड़ी बलवंत सिंह	121	232	I
		7. मिठड़ी केशरी सिंह	122	462	I
		8. देवीपुरा	123	503	I
		9. बेरासर छोटा	132	919	

1	2	3	4	5	6
		10. देन्देऊ रामसिंह	158	182	II
		11. बेरासर बड़ा	100	805	I
		12. ढाणी मोजी	161	813	I
		13. जैतपूरा	162	616	I
		14. जानेऊ खारी	163	642	I
		15. जानेऊ मीठी	172	573	I
		16. जसवन्तपुरा	173	1154	I
		17. सुलखानियां बड़ी-छोटी	179	1677	I
		18. जाटो की कालान	125	636	I
		19. कानासी	131	..	I
		20. खारीया	124	..	I
3.	चान्दगोठी-सुलखानिया विस्तार प्रथम	21. थान मठोई	87	930	I
		22. दन्देऊ सुल्तान सिंह	15	330	I
		23. दन्देऊ मोहन सिंह	57	534	I
		24. लिलावटी	163	1032	I
4.	चांदगोठी-राजगढ़ विस्तार	25. बांदरान	95	857	I
		26. हरपालू पतराम	96	465	I
		27. हरपालू रामधन	97	377	I
		28. कालरी	139	1970	I
		29. इन्द्रपूरा	159	396	I
		30. बास लालसिंह	169	259	II
		31. बूडान	170	338	II
		32. तिरपाली छोटी	184	906	I
		33. तिरपाली बड़ी	185	1367	I
5.	क्षे.ज.प्र.यो., चांदगोठी-राजगढ़	34. रड़वा	100	301	I
		35. बींजवास	136	521	I
		36. हरपालु खुसाला	137	182	I
		37. हरपालु सांवल	138	365	I
		38. सरदारपुरा	153	983	I
		39. हमीरवास बड़ा	154	1251	I
		40. अच्छापुरा	155	339	II
		41. नीमां	165	998	II
		42. हमीरवास छोटा	166	513	II
		43. चांदगोठी	171	2118	III
6.	क्षे.ज.प्र.यो., हरपालु कुबड़ी	44. हरपालु रामसुख	98	16	I
		45. हरपालु कुबड़ी	99	637	I
		46. बेरासर गुमाना	133	362	I
		47. बेरासर बुद्ध	135	210	I
7.	पी.एण्ड टी. सिद्धमुख	48. सिद्धमुख	152	3522	II
8.	क्षे.ज.प्र.यो., किरतान खेरलेड़ी	49. किरतान	4	618	I
		50. गुगलवा	147	657	II
9.	टी.एस.एस. योजना	51. नोरंगपुरा	180	1553	III
		52. थिमाऊ	182	1515	III

1	2	3	4	5	6
		53. भैंसली	149	2019	III
		54. डिंगली	183	846	III
		55. रावतसर कुंजला	175	1148	III
		56. नेसल बड़ी-छोटी	174	8001	III
		57. रामपुरा	148	2085	II
		58. सांखनताल	173	1017	I
		59. नांचा	168	1672	I
		60. नूहंद	186	1816	I
	10. हैण्ड पंप टी.एस.एस.	61. बेंवर	152	892	II
		62. ददरेवा	68	2955	II
	11. हैण्ड पंप योजना	63. विसलान	145	857	II
		64. गागड़वास	88	404	II
		65. जाटुवास	89	848	II
तहसील तारानगर :					
	1. पंप एवं टैंक योजना, साहवा	1. साहवा	4	5159	II
	2. पंप एवं टैंक योजना, बूचावास	2. बूचावास	54	2968	II
	3. क्षे.ज.प्र.यो., खासोली वि. पार्ट द्वितीय।	3. समत्यू	95	3182	I
		4. राजपुरा	96	2690	I
	4. टी.एस.एस. योजना	5. धीरवास	6	3267	I
		6. देवगढ़िया	35	960	II
	5. सोलर प्लान्ट भालेरी	7. भालेरी	51	1661	I
तहसील रतनगढ़ :					
	1. पाइप्ड ज.प्र.यो., परिहारा	1. परिहारा	70	5565	I
	2. पंप एवं टैंक यो., लाछड़सर	2. लाछड़सर	1	2760	II
	3. पंप एवं टैंक यो., लोहा	3. लोहा	67	1329	II
	4. क्षे.ज.प्र.यो., ऋषिकुलआश्रम	4. जालेऊ बड़ी	52	1170	II
		5. देराजसर	65	221	
		6. रघुनाथपुरा	64	317	I
		7. गुसाईसर	63	624	I
		8. टिडियासर	78	998	II
	5. क्षे.ज.प्र.यो.,सेहला-खुडेरा	9. खुडेरा विदावतान	56	230	I II
		10. सेहला	12	1400	I
		11. रतनसरा	14	859	I
		12. खुडेरा चारनान	57	537	I
		13. खुडेरा विकान	55	288	I
	6. क्षे.ज.प्र.यो., सेहला पार्ट II	14. जांडवा	59	1159	III
	7. बिरासर की पहाड़ी	15. बीरासर	79	913	I
	8. टी.एस.एस.योजना	16. परसनेऊ	32	1463	II

1	2	3	4	5	6
		17. घोधासर	21	1000	III
		18. भोजासर	68	865	III
		19. मेलुसर	08	525	III
		20. चैनपुरा	20	539	III
		21. धुपान्डा	52	847	III
		22. बालपुरा	53	449	III
		23. मोलीसर छोटा	58	432	III
		24. हंसासर	23	369	III
		25. खारीया	54	460	III
		26. खुडेरा वेस्ट	49	263	II
		27. गोलसर	22	1037	II
		28. बुद्धवाली	72	764	II
		29. नूंवा	41	965	III
		30. कनवारी	86	1118	I
		31. मैनासर	84	1098	I
9.	हैण्ड पंप योजना	32. लूंछ	66	1019	II
		33. लड्डासर	19	1275	
		34. कांगड़	10	1215	II
		35. भरपालसर बिदावतान	46	340	II
		36. भरपालसर चारनान	44	190	II
		37. भरपालसर लाडखियान	43	581	II
तहसील श्री डूंगरगढ़					
1.	पाईप्ड मोमासर	1. मोमासर	38	5071	III
2.	रास ठोलीसर ढोलिया	2. तोलीसर	34	1249	III
		3. थूकरियासर	15	1468	I
		4. जलधासर पुरोहितान	14	580	II
		5. लाधड़िया	6	100	I
		6. बैरासर	9	280	III
		7. जैलावसर	7	710	II
		8. लखासर	8	395	II
		9. सुरजानसर	12	893	
		10. एडसर पुरोहितान	13	1360	III
		11. धोलिया	16	300	II
		12. जैतासर	33	866	III
		13. जैसालसर	47	505	III
		14. उदासर	10	1083	
3.	क्षे. ज. प्र. यो., रीडी धर्मास	15. रीडी	63	2997	II
		16. धर्मास	71	342	III
		17. इम्पालसर वास किरतान	68	177	I

1	2	3	4	5	6
		18. इम्पालसर वास हिरवाटन	69	436	III
		19. इम्पालसर वास गुसाईसर	70	482	III
		20. इम्पालसर रेकान	—	—	—
		21. धुजरानवास	68	35	III
		22. अमृत वासिया	67	436	II
		23. अभासिह पुरा	64	258	II
		24. इम्पालसर सांखलान	—	—	—
		25. नोसरिया	—	—	—
		26. मिगसरिया	—	—	
4.	क्षे. ज. प्र. योजना, बीगारामसरा	27. बीग्गा	65	3500	I
		28. संदलेरा	46	309	I
5.	क्षे. ज. प्र. यो., लीखमीसर	29. लीखमीसर सरूटेडा	57	1410	I
		30. लीखमीसर बीकानेडा	58	518	III
		31. राजइडू	81	1056	I
		32. बैप	80	1058	I
		33. उपानी	60	1137	III
		34. कल्याणसर (नया-पुराना	59	1785	II
6.	क्षे. ज. प्र. योजना, सनवातसर	35. सनवातसर	56	1537	III
		36. कोटासर	55	291	II
		37. डूसरानावैड	52	315	—
		38. दर्सनसर पीपासरिया	54	245	—
		39. डूसरना पैडरजी	53	274	—
7.	क्षे. ज. प्र. योजना, वरजानसर सोनियासर	40. वरजानसर	92	950	I
		41. वैडिला	76	1087	III
		42. कैऊ	77	709	III
		43. धईरू	93	1575	III
		44. सोनियासर गोडेरा	86	182	III
		45. सोनियासर मीडीज	87	711	III
		46. सरेनियासर सिबडियोसिह	86	591	III
		47. सोनियासर जोगिलियनवास	89	159	III
		48. सोनियासर अनचेरिया	90	308	III
		49. वाकासर	78	739	III
		50. जाकासर बर्मासिग वाटन	82	261	III
		51. जाकासर वमडग्य कर वाटन	83	358	III
		52. कुनपालसर	91	606	III

1	2	3	4	5	6
		53. रानासर नैनीकन	84	150	III
		54. रानासर हंस वतन	85	100	III
8.	सैरूना नरसीसर	55. सैरूना	22	1684	III
		56. नरसिंह सर	23	396	III
9.	गुसाईसर लोडरा पुनारसर	57. गुसाईसर	17	1388	I
		58. पुरनासर	2	1629	I
		59. मैनकारवर	18	382	I
		60. बीजासर	3	894	I
10.	पारम्परिक जल स्रो. यो.	61. सालासर	48	264	III
		62. कुन्डालसर	49	951	II
11.	,,	63. सूंडसर	25	769	III
12.	,,	64. ठऊ	26	801	III
		64		51935	

तहसील सुजानगढ़ :

1	2	3	4	5	6
1.	पाईप्ड जल योजना सडारिवा	1. डारिवा	36	5312	II
2.	पाईप्ड जल योजना, सेडवा	2. सेडवा	27	3976	I
3.	पंप एण्ड टेंक, लालगढ़	3. लालगढ़	14	2459	I
4.	पाईप्ड कंटा	4. कंनटा	74	1786	II
5.	पाईप्ड सालासर	5. सालासर	151	1662	I
6.	पंप एण्ड टेंक, मेग्रासर	6. मेग्रासर	75	1174	I
7.	पंप एण्ड टेंक, चेरावास	7. चेरावास	49	3287	I
8.	पंप एण्ड टेंक, बीनवासर	8. वीनवासर	134	1688	III
9.	क्ष. ज. प्र. यो., चंपार आदि	9. गनोरा	88	476	II
		10. बैंलिरा	51	709	I
		11. डूनकार	84	1029	III
		12. रूपाली	50	378	II
		13. गुलीरान	93	575	II
		14. सुरवास	92	268	II
		15. दिवानी	94	660	II
		16. रेनपुरा	95	432	II
10.	क्षे. ज. प्र. यो., जोगाली जैतासर	17. जोगाली	44	1821	I
		18. जैतासर	39	1961	II
		19. डन्ढेरू गोदवान	43	809	III
		20. डन्ढेरू बैनवावरी	42	942	II
11.	क्षे. ज. प्र. यो., बीरासर बैमूवू प्लास	21. बैम्बू	25	1418	II
		22. बीरासर	26	1079	II
		23. गैनतियाल चोटिया	31	418	I

1	2	3	4	5	6
		24. गैनतियाल बेडी	32	643	II
		25. लुहारा	55	981	II
		26. चैरला	54	857	II
		27. सैरनगासर	28	795	I
		28. प्लास	29	311	I
		29. धिगरिया	30	424	I
12.	क्षे. ज. प्र. यो., नेरनगसर खेरिया	30. खेरिया गुडा	153	685	I
		31. खेरिया चोटिया	152	209	I
13.	क्षे. ज. प्र. यो., टेहेडसर-माईरिया	32. टेहेडसर	7	1102	
		33. सैडो वैडी	18	824	III
		34. सैडो चोटिया	19	821	III
		35. ऐसार सर	20	325	III
		36. बुम सैडो	17	36	II
		37. ग्रन्टटेलेड	21	1125	–
14.	क्षे. ज. प्र. यो., मैथलोना-सौभासर	38. सरेभासर	149	2841	I
		39. बैनगी बाड	139	649	I
		40. गुडा वैडी	150	980	I
		41. करिया	141	1066	I
		42. मुरडाकिया	1400	785	I
		43. जैतरा	117	248	II
		44. डूंगरास एगुना	110	789	III
		45. एन कैनोली	116	610	II
15.	क्षे. ज. प्र. यो., सैहोन की ढाणी	46. नीमा	148	1482	I
		47. खेरिया कैनियरा	147	770	I
		48. सैडाना	146	882	II
		49. पुरी	142	1514	I
16.	क्षे. ज. प्र. यो., मुडरावेसिन	50. मुडरा	77	1120	III
		51. बुन्डरा वैसी	76	971	III
17.	गोपालपुरा डूंगरास एटूना	52. गोपालपुरा	91	2008	I
18.	क्षे. ज. प्र. यो., बरजांगसर-सोनियासर	53. सोनियासर सुकराम	6	271	III
		54. सोनियासर उदयकरै-वतान	5	210	I
19.	पारम्परिक जल स्रो. यो.	55. इनेरा	23	1406	I
20.	हैण्ड पम्प	56. ग्रमार सर	10	1008	III
21.	हैण्ड पम्प	57. बैडासर	13	1293	–
22.	हैण्ड पम्प	58. बीडावर	119	1270	–
23.	क्षे. ज. प्र. यो.	59. नोडिया	16	786	III
		60. कल्याणसर	68	653	III
		61. ट्रिलेप	73	692	II
		62. वम ट्रिलेप	72	25	III
24.	क्षे. ज. प्र. यो.	63. वैमार्ड	155	859	II
25.	,,	64. तोलियासर	143	785	I

Page No. 234

(234)

1	2	3	4	5	6
		65. ढेकवाली	144	790	II
		66. मालासी	145	639	II
		67. बेगसारा आथुना	69	468	III
26.	पारम्परिक ज. स्रोत. यो.	68. पैराबार्ड	58	1090	III
27.	क्षे. ज. प्र. यो.	69. बैरोदिहासर	107	137	III
28.	पारम्परिक ज. स्त्रोत. यो.	70. जोगालसर	15	1901	III
29.	हैण्ड पम्प	71. आबसर	102	1293	III
30.	हैण्ड पम्प	72. खेलिया	103	517	II
31.	,,	73. बधिया वास	7	665	II
32.	,,	74. रूघीसर	46	901	II
तहसील सरदार शहर :					
1.	पम्प एण्ड टैंक, सिमला	1. सिमला	40	1308	I
2.	पम्प एण्ड टैंक, बराड़सर	2. बराड़सर	153	539	III
3.	पम्प एण्ड टैंक, पुलासर	3. पुलासर	150	1725	III
4.	क्षे. ज. प्र. यो., बालू गोगरा	4. बीलूवास रामपुरा	33	1403	I
		5. वोलूवास मेहरा	31	330	I
		6. बोगीरा	39	1570	I
		7. रायपुरा	23	517	I
		8. बैंडवला	24	225	I
		9. नीमरासर	25	397	I
		10. रेतुसर	44	163	I
		11. महरासर उदेयना	30	910	I
5.	क्षे. ज. प्र. यो. सरदार-शहर-असपालसर	12. बालूसर	143	230	I
		13. दीवानसर	103	344	I
		14. कुनसीसर	102	212	I
		15. बूकानसर छोटा	101	556	I
		16. गजुसर	100	376	I
		17. थेरियासर	85	390	I
		18. जैतसीसर	86	278	I
		19. असपालसरबुढा	77	656	I
		20. असपालसर कुन्तालसर	76	135	I
		21. असपालसर खमिरा	80	96	I
		22. असपालसर भोमीया सर	81	319	I
		23. असपालसर लोलीरा	82	54	II
		24. असपालसर युरखरा	79	186	II
		25. असपालसर मुगलेरा	83	84	I
		26. खेजड़ा दिखनादा	78	838	I
		27. खेजड़ा पुटरेडा	48	401	I
		28. बुकानसर बूडा	50	1192	I
		29. केनारवास	39	1196	I
		30. डालमैल	38	813	I
		31. ढाणी पंचेरा	87	868	I

1	2	3	4	5	6
6.	सरदार शहर-असपालसर वृद्धि I	33. राजास	36	517	
7.	क्षे. ज. प्र. यो., जयसिहसर	34. जयसिहसर	141	1260	III
		35. नैईसर	143	270	II
		36. हैरियासर जैतान	148	299	II
		37. सोमानसर	147	180	II
		38. चैउसर	178	368	II
		39. नैनासर	—	625	—
		40. काकलासर	177	674	II
		41. चांदसर	145	313	II
		42. एसोसर	146	146	II
8.	क्षे. ज. प्रयोजना, फोग भरतरिया	43. फोग भरतरिया	99	1292	II
		44. फोग हेमरेन	98	21	II
		45. फोग भोजान	90	74	III
		46. जलपान संरकी	91	550	III
		47. फोग केशलवात	94	218	III
9.	क्षे. ज प्रदाय योजना, बैण्डहैन्यु	48. बैण्ड हैन्यु उटाङा	125	1047	II
		49. बैण्ड हैन्यु डिकानडल	124	828	III
		50. बोझासर उपाधियान	123	728	II
		51. राजासरबीकान	—	—	
10.	क्षे. ज. प्र. योजना, बैण्ड-हैन्यु पाटलीसर	52. पाटलीसर छोटिया	—	384	
11.	जल प्रदाय योजना, सरदार शहर-उडासर लोडेरा	53. उडासर मेमरा	.	56	I
		54. उड़सर लोडेरा	139	663	I
12.	टा. एस. एस. स्कीम	55. आनन्दवासो	167	225	III
		56. आसलसर	170	1281	III
		57. भैरूसर	175	344	III
		58. दुलरासर	189	1030	III
		59. अजीतसर	171	1591	III
		60. हरपालसर	132	251	II
		61. सवाई डौलाना	120	213	III
		62. सवाई बैलवानिया	131	126	III
		63. सवाई बड़ी	132	982	II
		64. साबर	6	831	II
		65. तोलासर	80	447	III
		66. रामसीसर चनानिया	108	415	III
		67. रामसीसर भैड़वालिया	107	619	III
		68. रामसीसर छजलानिया	106	564	III
		69. राणासर बीकान	169	1105	III
13.	हैण्ड पम्प योजनाएं	70. रंगाईसर	71	515	II
		71. महर राजवियान	37	1255	II
		72. मेलूसर	93	1277	I

जमवारामगढ़ क्षेत्र की विद्युत् व्यवस्था

294. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जमवारामगढ़ क्षेत्र में आगामी रबी फसल की आवश्यकता का जायजा लेकर तदनुसार बिजली सप्लाई करने की कोई व्यवहारिक योजना हाथ में गई है ? यदि हां, तो कृपया, उसे स्पष्ट करने का कष्ट करें और नहीं, तो क्यों ?

(2) जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में कितने ग्राम बिजली बिना शेष रहे हैं ?

(3) क्या समस्त विद्युत् पूर्ण क्षेत्रों के बीच में बिजली से बचे हुए इन गरीब ग्रामवासियों को भी आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली प्रदान कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कुओं को सही वोल्टेज न मिलने के कारणों में से मुख्य कारण विद्युत् लाइन व ट्रांसफारमर्स की अक्षमता को सरकार शीघ्र दूर कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ क्षेत्र में आगामी रबी फसल की आवश्यकतानुसार वर्तमान सिस्टम सक्षम है।

(2) जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में 117 ग्राम अभी विद्युतीकृत नहीं हैं।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र के 6 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम निर्धारित है। आगामी वित्तीय वर्ष के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः आगामी वर्ष लिये के अभी निश्चित् रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

(4) कुओं को सही वोल्टेज उपलब्ध करवाने के लिए 33 के. वी. दौसा-जमवारामगढ़ लाइन पर बड़ी साइज का कन्डक्टर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सिकराय सड़क पर छोई नदी पर पुलिया निर्माण

296. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिकराय तहसील की मानपुर से सिकराय सड़क पर छोई नदी पर पुलिया निर्माण हेतु 50 हजार रुपये विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिये गये थे ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नदी की वजह से बरसात के दिनों में आवा-

(श्री राम किशोर मीणा)
गमन बन्द हो जाता है जिससे जन समुदाय को परेशानी होती है ?

(3) यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अधिक वर्षा होने पर ही कभी कभी आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ।

(3) धनाभाव एवं निम्न वरीयता में होने के कारण निकट भविष्य में इस पुलिया के निर्माण की सम्भावना नहीं है ।

पुलिस थाना, सांचोर में दर्ज मुकदमें

297. श्री परसराम मोरडिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना, सांचोर, जिला जालोर में मु. नं. 89।81 दिनांक 14-7-1981 को श्री वीरमा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस थाना, सांचोर से इत्तिला कुनिन्दा वीरमा रेबारी का एतराज होने से उक्त मुकदमा निष्पक्ष छानबीन हेतु क्राइम एसिस्टेंट, जालोर को सुपुर्द किया गया था ? यदि हां, तो कब एवं उन्होंने अब तक उक्त मुकदमें की क्या-क्या छानबीन की है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि श्री वीरमा रेबारी द्वारा फिर एतराज करने पर उच्च पुलिस अधिकारियों (सतर्कता) द्वारा दुबारा मिसल मंगवाई गई थी ? यदि हां, तो कब ? अब निष्पक्ष तफतीश करवाकर सब मुलजिमान का चालान अदालत में कब तक पेश करवा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि एफ. आई. आर. नं. 77।81, दिनांक 28-6-1981 पुलिस थाना, सांचौर में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री गिरधारी द्वारा दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस किस के खिलाफ एवं किन-किन जुर्मों में दर्ज की गई थी ? क्या यह भी सत्य है कि इत्तिला कुनिन्दा श्री गिरधारी द्वारा पुलिस थाना, सांचौर से इन्साफ की उम्मीद नहीं होने से सतर्कता पुलिस में दरख्वास्त देकर मिसल मंगवाई थी ? यदि हां, तो कब एवं अब उक्त मुकदमें की निष्पक्ष जांच की जाकर अदालत में चालान कब तक पेश करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां । अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है । अंतिम निर्णय लेना शेष है ।

(2) जी हां । दिनांक 6-8-1981 के आदेश से अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है ।

(3) जी हां । दिनांक 20-9-1981 को अपर महानिरीक्षक, पुलिस (सतर्कता) द्वारा मंगाई गई है जिसको शीघ्र परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा ।

(4) जी हां । यह अभियोग श्री फतेहसिंह राजपूत, निवासी हरियाली के विरुद्ध धारा 324, ता. हि. एवं 516 नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज

(गृह मंत्री)

करवाया गया था। अपर महानिरीक्षक, पुलिस (सतर्कता) द्वारा उक्त अभियोग की अनुसंधान पत्रावली को नहीं मंगवाया गया है। सतर्कता कार्यालय में केवल एक परिवाद प्राप्त हुआ है जिस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किराय में की गई वृद्धि

298. श्री **जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गत वर्ष से अब तक कब-कब बस किराये में कितनी वृद्धि की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से बस्सी रूट के किराये में की गई वृद्धि में अनुपात से अधिक वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) यदि नहीं, तो वृद्धि से पूर्व क्या किराया था और वृद्धि के बाद का किराया क्या है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष से अब तक राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16-9-1980 से यात्री भाड़े में 25 प्रतिशत तथा दिनांक 25-6-1981 से 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर से बस्सी मार्ग का साधारण सेवा का किराया 16-9-1980 से पूर्व 1.80 पैसा प्रति यात्री था जो दिनांक 16-9-1980 से यात्री भाड़े में 25 प्रतिशत की वृद्धि से 2.20 पैसा प्रति यात्री तथा दिनांक 25-6-1981 से यात्री भाड़े में 20 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर अब 2.60 पैसा हो गया है।

पीपल्दा तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

299. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा तहसील के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई तथा योजनानुसार मार्च, 1982 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो जावेगा ?

(2) जुलाई, 1981 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ एवं योजनानुसार अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिये था ?।

(3) सरकार योजनानुसार विद्युतिकरण करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील पीपल्दा के लिए एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मण्डल के आदेश दिनांक 31-10-1979 द्वारा स्वीकृत की गई जो पंचायत समिति, इटावा के नाम से थी। योजनानुसार मार्च, 1982 तक 104 गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। मण्डल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 1981-82 के अन्तर्गत इस योजना के किसी गांव का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है।

(2) जुलाई, 1981 तक 19 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। योजना में लक्ष्य वार्षिक

(ऊर्जा मन्त्री)
आधार पर होते हैं। योजनानुसार मार्च, 1981 तक 74 गांवों का व मार्च, 1982 तक 104 गांवों का विद्युतिकरण प्रस्तावित था।

(3) योजना का क्रियान्वयन उपलब्ध साधनों के अनुसार ही किया जा रहा है। योजना स्वीकृत होने पर कर्मचारियों का स्थानापन्न करने, कार्यालय भवन आदि लेने व आवश्यक संशोधनों को जुटाने में कुछ समय लगता ही है। इसके अलावा कृषि उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष मण्डल द्वारा कुओं को कनेक्शन देने के कार्य को, प्राथमिकता देने से, गांवों का विद्युतीकरण योजनानुसार नहीं किया जा सका। इसलिये विलम्ब के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराने व उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

टौंक एवं निवाई तहसीलों के ग्रामों में हैण्डपम्प लगाना

300. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक एवं निवाई तहसील के किन-किन ग्रामों एवं शहरों में सन् 1980-81 एव 1981-82 के लिए हैण्डपम्प लगाये जाने एवं पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कौन—कौनसी योजनायें बनाई गई हैं?

(2) उपरोक्त योजनाओं में कौन-कौनसी योजना अब तक पूर्ण हो गई है और कौन-कौनसी योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में निवाई व टौंक तहसील में क्रमशः 35 व 28 ग्रामों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई जिसकी सूची प्रपत्र 'अ' में संलग्न है। वर्ष 1981-82 में क्रमशः 29 व 29 ग्रामों की योजनाओं का आईडेन्टिफिकेशन अनुमोदित किया गया है, जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है। इन ग्रामों की सूची प्रपत्र 'ब' में संलग्न है। वर्ष 1981-82 में निवाई शहर की पुनर्गठित योजना बनाई गई है जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

(2) वर्ष 1980-81 में स्वीकृत योजनाओं में से टौंक व निवाई तहसील में क्रमशः 12 व 9 ग्रामों में हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं व टौंक तहसील के 7 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। जिनकी सूची प्रपत्र 'स' पर संलग्न है। वर्ष 1981-82 की योजनाओं के ग्रामों के स्वीकृति के उपरान्त उनके लक्ष्य निर्धारित किये जावेंगे जिसकी कार्यवाही चालू है।

(240)

प्रपत्र 'अ'

वर्ष 1980-81 में टौंक व निवाई तहसील के स्वीकृत गांवों की सूची—

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना	क्र. सं.	गांव का नाम	योजना
(अ)	**निवाई तहसील :**		**(ब)**	**टौंक तहसील :**	
1.	लुहारा	हैण्ड पम्प			
2.	नोहटा	योजना			**हैण्ड पम्प योजना**
3.	बस्सी				
4.	चैनपुरा				
5.	सुनारा	,,	1.	प्यावड़ी	,,
6.	खण्डवा	,,	2.	हाडीकलान	,,
7.	खजिया	,,	3.	रहीमपुरा	,,
8.	धलूरी रामनगर	,,	4.	वरीनी	,,
9.	नला	,,	5.	ज्वाली	,,
10.	कचेरिया	,,	6.	झालरा	,,
11.	किवारा	,,	7.	हरचन्देरा	,,
12.	चनानी	,,	8.	ऊन	,,
13.	हिंगोनिया बुजुर्ग	,,	9.	ऊटी दाना	,,
14.	चतुर्भुजपुरा	,,	10.	अनवरपुरा	,,
15.	करेडा	,,	11.	सरवराबाद	,,
16.	जगखेरा	,,	12.	दोताना	,,
17.	सहदेरिया खुर्द	,,	13.	नूरपुरा	,,
18.	जोधपुरा	,,	14.	अमीनपुरा	,,
19.	रम्भावट्टा	,,	15.	डोडारिया	,,
20.	श्री राजधिराजपुरा	,,	16.	धोलाखेड़ा	,,
21.	दामोदरपुरा	,,	17.	किशनपुरा	,,
22.	अभयपुरा	,,	18.	इसलामपुरा	,,
23.	लोथरा	,,	19.	श्योपुरी	,,
24.	गंगापुरा	,,	20.	रहीमपुरा (नयागांव)	,,
25.	पथराज	,,	21.	नवाबपुरा	,,
26.	जुझारपुरा	,,	22.	अटलिकपुरा	,,
27.	संकटपुरा	,,	23.	अहमदगंज	,,
28.	गोपालपुरा	,,	24.	रामकिशन पुरा	,,
29.	जगतपुरा	,,	25.	खलीलाबाद	,,
30.	संग्रामपुरा	,,	26.	मोहम्मदगंज	,,
31.	अजीतपुरा	,,	27.	मोहम्मद नगर	,,
32.	सूरजपुरा	,,	28.	भवासीपुरा	,,
33.	अगरपुरा	,,			
34.	जुगलपुरा	,,			
35	गोरधनपुरा	,,			

Page No. 241

(241)

प्रपत्र "स"

वर्ष 1981-82 में अनुमोदित प्राइडन्टिफाइड ग्रामों की सूची जिसमें से स्वीकृति हेतु चयन विचाराधीन है --

क्र. सं.	ग्राम का नाम	योजना	क्र. सं.	ग्राम का नाम	योजना
(अ)	टोंक तहसील :		(ब)	निवाई तहसील :	
1.	रानोली	पम्प व टंक	1.	नटवाडा	पम्प व टंक
2.	सोडाखेड़ा	विस्तार	2.	प्रतापपुरा	क्षेत्रीय
3.	वीरखेड़ा	क्षेत्रीय	3.	सुनारी	,,
4.	कल्याणपुरा	,,	4.	वढ बलोदपुरा	,,
5.	सन्देला	,,	5.	श्री दाऊलालपुरा	,,
6.	समदेपुरा	,,	6.	चेरपुरा	,,
7.	मोहम्मद नगर	विस्तार	7.	खनियावाली	,,
8.	मुनाना	,,	8.	सहोरिया खुर्द	,,
9.	हादी खुर्द	क्षेत्रीय	9.	विजय गोविन्दपुरा	,,
10.	रायरामपुरा	,,	10.	भानवाला	,,
11.	मसूबपुरा	,,	11.	भानवाला	,,
12.	रहीमपुरा	,,	12.	मारोलिया	,,
13.	जावरिया	,,	13.	करीमपुरा	,,
14.	लोहारवाड़ा	,,	14.	लच्छिनी दौमोदरपुरा	,,
15.	जैकिशनपुरा	,,	15.	महापुरा तुर्किया	,,
16.	अलीमपुरा	,,	16.	भैरूपुरा	,,
17.	बम्बोर	,,	17.	मेघुरकलां	,,
18.	बड़ा अब्दुल्ला पुर	,,	18.	करोली	,,
19.	खजूरिया	,,	19.	बड़ चोरीया	हैण्डपम्प
20.	बृजवाड़ा	हैण्डपम्प	20.	जगमोहनपुरा	,,
21.	भांची	,,	21.	बड़ जगसारा	,,
22.	चिरोंज	,,	22.	बढ़ पथराजकलां	,,
23.	दौलतपुरा	,,	23.	भगवानपुरा	,,
24.	देवपुरा	,,	24.	सिरधारीपुरा	,,
25.	धुलनिया	,,	25.	सुरत रामपुरा	,,
26.	इशाकपुरा	,,	26.	ग्रहमदपुरा	,,
27.	माधारामपुरा	,,	27.	खेड़ा	,,
28.	इस्माईलपुरा	,,	28.	किशोरपुरा	,,
29.	कराशिया	,,	29.	लुनेरा	

Page No. 242

(242)

प्रपत्र "स"

वर्ष 1980-81 में स्वीकृत योजनाओं में से टोंक व निवाई तहसील के संधारित गांवों की सूची—

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	विशेष विवरण
1.	नोहटा	निवाई	हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है।
2.	बस्सी	,,	,,
3.	चैनपुरा	,,	,,
4.	हिंगोनिया बुजुर्ग	,,	,,
5.	जगखेरा	,,	,,
6.	श्री राज्यधिराजपुरा	,,	,,
7.	गोपालपुरा	,,	,,
8.	अजीतपुरा	,,	,,
9.	जुगलपुरा	,,	,,
10.	पावड़ी	टोंक	,,
11.	हांडीकलां	,,	,,
12.	बरोनी	,,	,,
13.	झालरा	,,	,,
14.	हरचन्देरा	,,	,,
15.	ऊंटीटाना	,,	,,
16.	सरवराबाद	,,	,,
17.	डोडारिया	,,	,,
18.	रहीमपुरा (नया गांव)	,,	,,
19.	श्योपुरी	,,	,,
20.	अटलीपुरा	,,	,,
21.	अहमदगंज	,,	,,
22.	दोताना	,,	बोरिंग का कार्य किया जा चुका है तथा हैण्डपम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है।
23.	नूरपुरा	,,	,,
24.	धोलाखेड़ा	,,	,,
25.	नवाबपुरा	,,	,,
26.	रामकिशनपुरा	,,	,,
27.	खलीलाबाद	,,	,,
28.	नबासीपुरा	,,	,,

मोरेल बांध के टूटने में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही

301. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि मोरेल का बन्धा सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण टूटा है ?

(2) जब बांध बनाया गया था उस समय उसकी वेस्ट वियर कितनी लम्बी थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि बिना बंधे को ऊंचा किये ही वेस्ट वियर को कम किया गया था ? यदि हां, तो कितनी तथा किन कर्मचारियों द्वारा और किस कारण से ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि यदि बांध की वेस्ट वियर पहले के बराबर होती तो पानी 13½ फुट ज्यादा ऊपर नहीं जाता ? यदि हां, तो टाप लेवल उस समय पर कितना था तथा अब कितना है ?

(5) क्या सरकार मोरेल बांध को जयपुर डिवीजन में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या सवाई माधोपुर के कर्मचारियों में इसे सम्भाल पाने की क्षमता नहीं है ?

उत्तर

(1) मोरेल बांध के टूटने के कारण कि जांच एक समिति के द्वारा की जा रही है। अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि बांध कर्मचारियों की लापरवाही के कारण टूटा है।

(2) सन् 1952 में जब मोरेल बांध का पहली बार निर्माण किया गया था तब उसके वेस्ट वियर की लम्बाई 550 फीट तथा बाई वाश की लम्बाई 1450 फीट थी। इसकी फ्लड लिफ्ट 4.50 फीट थी तथा उगलाव की क्षमता 60,000 क्यूसेक्स थी। परन्तु वर्ष 1954 में वेस्ट वियर के ऊपर 6 फीट पानी बहने के कारण टूट गया था। इसका पुनः निर्माण वर्ष 1955 में किया गया। वर्ष 1981 में बांध टूटने के पहले वेस्ट वियर की लम्बाई 660 फीट तथा फ्लड लिफ्ट 11 फीट थी।

(3) जी नहीं।

वेस्ट वियर की लम्बाई को कम करने के पहले बांध को ऊंचा कर दिया गया था तथा उगलाव क्षमता 74,836 क्यूसेक्स रखी गयी थी।

(4) जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त न होने के पश्चात् ही उसका उत्तर दिया जा सकेगा। बांध कि टाप लेवल पहले 155 फुट थी और अब 167.5 फुट है।

(5) जी नहीं।

मोरेल बांध को सवाई माधोपुर खण्ड में कार्य की अधिकता एवं मोरेल बांध के पुनः निर्माण के कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करवाने हेतु आधुनिकीकरण खण्ड जयपुर, जिनका कार्य क्षेत्र जयपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों में है, का स्थानान्तरण कर दिया गया है। इसका अधिकारियों की क्षमता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

लवाना-चोरू आदि सम्पर्क सड़कें

302. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

(श्री रामकंवार बैरवा)
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़कें लदाना-चोरू आदि अधूरी एक-एक किलोमीटर गांव से दूर छोड़ दी गई है ?

(2) यदि हां, तो उन अधूरी सड़कों को गांव तक मिलाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिस उद्देश्य को लेकर सड़कें बनाई गई थी जब तक सड़कें गांव तक नहीं पहुंच पायेंगी, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा ?

(4) उपरोक्त सड़क गांव तक पहुंचाने में क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

उत्तर

(1) लदाना सम्पर्क सड़क का एक कि. मी. निर्माण कार्य शेष है परन्तु चोरू सम्पर्क सड़क का ½ कि. मी. का निर्माण कार्य शेष है।

(2) सम्पर्क सड़क लदाना की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 7.83 लाख की प्राप्त हो गई है। अतः इस सड़क का शेष कार्य, धन उपलब्धि पर शीघ्र पूर्ण किया जावेगा। बीस संकल्पों के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत अधूरी सम्पर्क सड़क चोरू के पूर्ण करने की सम्भावना है।

(3) जी हां।

(4) लदाना सम्पर्क सड़क की संशोधित स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः निर्माण में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु चोरू सम्पर्क सड़क का शेष धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है व बीस संकल्पों के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर ही पूर्ण किया जायेगा।

चूरू में सिन्थेटिक मिल खोलने की स्वीकृति

303. श्री **मालू खां (चूरू)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू में सिन्थेटिक धागे की मिल खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मिल, का कार्य चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त मिल का कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, मिल का कार्य चालू नहीं किया गया है। निकट भविष्य में मिल के चालू होने की कोई संभावना नहीं है।

नागौर बस डिपो में राज्य परिवहन की बसें

304. श्री **महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर शहर बस डिपो में राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किस किस मॉडल की कार्यरत हैं ?

(श्री महाराम चौधरी)

(2) डिपो बनने से अब तक प्रत्येक वर्ष बसों की मरम्मत व रख-रखाव पर कितना खर्चा होता रहा है ?

(3) क्या नागौर डिपो की बसों में शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका और प्राथमिक चिकित्सा का सामान उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(4) नागौर बस डिपो से पिछले एक वर्ष में कितनी बार सेवाएं रद्द की गई हैं और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) (अ)	वर्ष	1981	के मॉडलकी	4
(ब)	,,	1980	,,	7
(स)	,,	1979	,,	13
(द)	,,	1976	,,	1
(य)	,,	1974	,,	7
(र)	,,	1973	,,	20
(ल)	,,	1971	,,	6
(व)	,,	1968	,,	1
			कुल	59

(2) नागौर आगार की स्थापना माह नवम्बर, 78 में हुई थी। डिपो की स्थापना से अब तक बसों की मरम्मत व रख-रखाव पर वर्ष वार निम्न प्रकार व्यय हुआ है:—

वर्ष	व्यय
1978-79	5,06,024.61
1979-80	32,39,292.71
1980-81	47,86,955.80

(3) नागौर आगार की सभी वाहनों में शिकायत व सुझाव पुस्तिका उपलब्ध है लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा सामग्री सभी वाहनों में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(4) माह अगस्त, 80 से जुलाई, 81 तक माहवार निर्धारित सेवाऐं, निरस्त सेवाओं की संख्या तथा वास्तविक रूप से संचालित सेवाओं की संख्या निम्न प्रकार है:—

माह	निर्धारित	निरस्त परिचक्र व कारण: यान्त्रिक दोष	चालक/परिचालक की अनुपस्थिति व यात्री उपलब्धता आदि	योग	संचालित परिचक्रों की संख्या
अगस्त, 1980	2302	441	97	538	1764
सितम्बर, 1980	2512	318	132	450	2062
अक्टूबर, 1980	2598	171	162	333	2265
नवम्बर, 1980	2396	258	214	472	1924
दिसम्बर, 1980	2728	453	66	519	2209
जनवरी, 1981	2666	402	17	419	2247
फरवरी, 1981	2436	336	31	367	2069
मार्च, 1981	2697	313	105	418	2279
अप्रैल, 1981	2520	293	143	436	2084
मई, 1981	2792	542	59	601	2191
जून, 1981	2670	299	78	377	2273
जुलाई, 1981	2852	339	339	678	2174

राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी की मरम्मत

305. श्री वेदीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 818 के पास से धंस गई थी व माह जलाई, 1981 में इसकी मरम्मत की गई है? यदि हां, तो किस कारण से? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 907 से 910 तक जूलाई, 1981 में नहर में पानी छोड़ने से पूर्व बाहर' का पानी रिसाव होकर मुख्य नहर में 1 से 2 तक भर गया था? यदि हां, तो मुख्य नहर में इसकी पूरी क्षमता 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से राजस्थान मुख्य नहर जगह-जगह से टूटना संभव है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी (आर.डी.) 818 पर केवल लाईनिंग में से कुछ टाइलें लगभग 175 वर्गफीट क्षेत्र में निकल गई थी जिसकी मरम्मत माह जुलाई, 1981 में लगभग 500 रुपये की लागत में करा दी गई है। यह सामान्य टूट-फूट ही है। आवश्यकतानुसार जांच की जा चुकी है।

(2) भाग 1 जी हां, केवल लगभग 6" ही भराव था।

जी नहीं।

अनुसूचित जाति के लोगों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता

306. श्री घनश्याम जैन (बेगू): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों को अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शन देने का प्रावधान है?

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में इस आशय के कुल कितने प्रार्थना-पत्र कब 2 प्राप्त हुये? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उनमें से कितनों को कनेक्शन आर्डर मिले हैं?

(4) कितने कनेक्शन आर्डर पन्डिग है?

(5) क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ, सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चित्तौडगढ़ जिले में इस आशय के कुल 298 प्रार्थना-पत्र कृषि हेतु एवं 5 प्रार्थना-पत्र औद्योगिक कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	मा. 1981	अ. 81	म. 81	जून 81	जू. 81	अ. 81	योग
कृषि	209	16	23	18	17	15	298
औद्यो.	3	2	—	—	—	—	5

(3) अप्रेल से अगस्त, 81 तक 73 कृषि आवेदकों के लिए एवं एक औद्योगिक आवेदक के लिए कनेक्शन आर्डर निकाले जा चुके हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) 225 कृषि आवेदकों के एवं 4 औद्योगिक आवेदकों के कनेक्शन आर्डर पेंडिंग हैं।

(5) चूंकि कनेक्शन उपलब्ध सामान एवं साधनों के अनुसार नियमानुसार दिये जा रहे हैं। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने व उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रामगंज मण्डी, जिला कोटा में आवासन मण्डल के मकान हेतु आवेदन-पत्र

307. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मण्डी, जिला कोटा में आवासन मण्डल के मकान हेतु कितने आवेदन-पत्र आ चुके हैं ?

(2) क्या इस हेतु सरकार ने ए. एस. आई. कंपनी की भूमि धारा चार में अवाप्त कर ली है ? यदि हां, तो यह भूमि धारा 17 में क्यों नहीं ली गई ?

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी, जिला कोटा में आवासन मण्डल के मकान हेतु अब तक 369 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(2) राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत 18 बीघा, 19 बिस्वा भूमि की विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 27-12-80 को प्रकाशित की जा चुकी है। इस भूमि को खातेदारी ए. एस. आई. कम्पनी की है। धारा चार की विज्ञप्ति जारी होने से भूमि अवाप्त नहीं हो जाती। धारा 4 के पश्चात् अत्यावश्यक कार्यों के लिए धारा 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है। धारा 17 की अधिसूचना जारी करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-9-81)

तहसीलदार कामां (भरतपुर) द्वारा रजिस्ट्री सम्बन्धी मामलों में पद का दुरूपयोग

49. श्री चावखां (कामा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार कामां, जिला भरतपुर गरीब किसानों से हर प्रकार की रजिस्ट्रीज पर सौ-सौ, दो-दो सौ रुपया मन्दिरों के नाम पर लेकर रजिस्ट्रीज तस्दीक करते हैं ? क्या यह रिश्वत तथा कुर्सी का दुरूपयोग नहीं है ?

(2) क्या इस प्रकार से लिये जाने वाले पैसों की सरकारी अधिकारियों की स्वीकृति है ? यदि नहीं, तो तहसीलदार, कामां ऐसा क्यों करते हैं ?

(3) क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं, इस प्रकार की स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जावेगी।

Page No. 248

(248)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-9-1981)

कृषि पर आधारित उद्योगों को ऋण

श्री सोहन लाल बंशीवाल (दौसा), व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कृषि पर आधारित कितने उद्योग हैं तथा प्रत्येक को वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में कितना ऋण व अनुदान कब 2 दिया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या ऐसे उद्योगों को अपने उत्पादन को सस्ती दर पर विक्रय करने हेतु विशिष्ट अनुदान देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस 2 को कितना-2 ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 4,695 कृषि आधारित उद्योग हैं। ऐसे उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

सूची

उद्योग विभाग द्वारा समस्त लघु उद्योगों (जिनमें कृषि आधारित उद्योग भी शामिल हैं) को स्वीकृत ऋण व अनुदान

वर्ष 1	इकाईयों की संख्या 2	ऋण 3 वितरित (रु. लाखों)	वर्ष 4	इकाईयों की संख्या 5	अनुदान 6 वितरित (रु. लाखों में)
1979-80	1,668	42.12	—	1,497	91.79
1980-81	1,349	25.55	—	1,295	71.07
योग..	3,017	67.67	—	2,792	162.86

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को स्वीकृत ऋण व अनुदान—

1	2	3	4	5	6
1979-80	6	210.09	45.00	—	—
1980-81	4	141.15	93.05	1	11.47
योग :—	10	351.24	138.05	1	11.47

राजस्थान वित्त निगम द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को स्वीकृत ऋण व अनुदान—

1	2	3	4	5	6
1979-80	938	936.33	481.27	—	—
1980-81	1121	1056.03	617.60	—	—
योग ..	2,059	1,992.36	1098.87	—	—
कुल योग ..	5,086	2,411.27	1,236.92	2793	174.33

(दिनांक 17-9-81)

मांगरोल हाथ कर्घा एवं मसूरिया वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि. के बुनकरों को मकान हेतु ऋण एवं अनुदान

89. श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) व हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1959 में मांगरोल हाथ कर्घा एवं मसूरिया वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड र. नं. 911/1194 (आर) के 50 गरीब बुनकरों को मकान बनाने हेतु इन्डस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट, राजस्थान, जयपुर द्वारा 1,20,-000 रु. का ऋण तथा 60,000 रुपये अनुदान के स्वीकृत किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या इसमें से 24,-350 रु. ऋण तथा 60,000 रुपये अनुदान के अभी तक भुगतान नहीं किये गये हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान गरीब बुनकरों को शीघ्र करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऋण राशि का भुगतान समिति को पूर्ण रुप से किया जा चुका है। अनुदान राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(3) समिति द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर बुनकरों को राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

पशुधन के लिए चरागाह

95. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में पूरे प्रदेश से पशुधन ज्यादा संख्या में है ? यदि हां, तो पशुधन हेतु चरागाह बनाने व चरागाह भूमि छोड़ने हेतु प्रति सैकड़ा पशु के लिए क्या नार्म्स हैं ? क्या नार्म्स के अनुसार चारागाह भूमि छोड़ी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था पशुधन पर निर्भर है ? यदि हां, तो जिला बीकानेर में ग्रामवार कितनी-कितनी चरागाह भूमि सुरक्षित रखी गई है ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पशुधन के लिए चरागाह छोड़ने की क्या योजना है ? क्या वर्तमान योजनानुसार वर्तमान पशु संख्या हेतु चरागाह पर्याप्त होंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी ? कृपया, योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान पशुधन बहुल क्षेत्र है। पशुधन हेतु चरागाह छोड़ने के लिए प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 4 व 6 में अंकित है, जिनके अनुसार भूमि उपलब्ध होने की दशा में आधा बीघा प्रति पशु की दर से चरागाह छोड़ने की

250

(पशुपालन मंत्री)

व्यवस्था है। पश्चिमी राजस्थान के सब जिलों में इस हिसाब से चरागाह भूमि नहीं छोड़ी जा सकी है। भूमि की उपलब्धता को देखते हुए ही चरागाह के लिए भूमि छोड़ी गई है।

(2) क्या यह सही है कि उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में पशुधन का बड़ा महत्व है। बीकानेर जिले में ग्रामवार जो भूमि चरागाह हेतु आरक्षित की गई है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) भूमि की उपलब्धि को देखते हुए चरागाह पूर्व से ही कायम हैं। जहां चरागाह अपर्याप्त है एवं भूमि उपलब्ध है, वहां राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 6 के तहत अतिरिक्त भूमि आरक्षित की जा सकती है।

गोचर भूमि ग्राम वाईज तहसील बीकानेर

क्र. सं.	नाम ग्राम	गोचर भूमि हैक्टेयर्स में
1	2	3
1.	कोलासर	36
2.	मेघासर	25
3.	तेजरासर	265
4.	सुरधना पडि.	30
5.	गंगाशहर	720
6.	भीनासर	741
7.	उदयरामसर	78
8.	नापासर	1496
9.	सिथल	213
10.	दाऊदसर	29
11.	लालसर	26
12.	नालबाड़ी	528
13.	माल छोटी	72
14.	डाइयां	10
15.	रा. गोल प्रतापसिंह	-
16.	रा. सुधाराम मावडान	1
17.	शोभासर	112
18.	लाडेरा	139
19.	कतरियासर	63
20.	करनीसर वी.	67
21.	भालानियां	200
22.	बम्बलु	91
23.	गुसाईंसर	90
24.	रानीसर	69
25.	हेमेरा	20
26.	थनेरा	13
27.	करणीसर भाटीयान	1

(251)

1	2	3
28.	बराना	28
29.	भनावतबाना	57
30.	नूरसरजालवाली	137
31.	कालासर	53
32.	लाम्बूसर	67
33.	सवाईसर	131
34.	जयमलसर	611
35.	भानीपुरा	76
	योग ..	6302 हेक्टेयर्स

तहसील नोखा

सूची ग्रामीण क्षेत्र में गोचर भूमि सुरक्षित रखी गयी –

क्र. सं.	नाम ग्राम	कुल रकबा जो गोचर भूमि के लिए सुरक्षित रखा है।	विशेष विवरण
1	2	3	
1.	देसलसर मंडलावतान	521 ।/3	
2.	देसलसर भटियावतान	481 /-	
3.	मसूरी	321 ।।।/3	
4.	यावरिया	592 /4	
5.	धरनोक	9225 ।/।	
6.	उतमामदेशर	567 ।।।	
7.	साधासर	366 ।।।	
8.	खासासर	526 ।।।/3	
9.	सुरजुरा	513 ।।।/4	
10.	हिन्टसर	593 ।।।/3	
11.	साईसर	789 ।।/	
12.	पगसु	1318 ।।/	
13.	निमड़ियासर	51 /1	
14.	खाडेली	315 ।।।/2	
15.	जैसलसर	152 ।।।/3	
16.	नोखा मण्डी	1410 ।/	
17.	बाधनूं	666 /	
18.	गजसुखादेसर	521 /1	
19.	काकड़ा	585 /2	

1	2	3
20.	जयसिंहदेसरमगरा	131 ॥/3
21.	अगासीसर	9611 /1
22.	बरखड़ा	10 ॥/3
23.	सेगलाकलां डरोना	3631/4
		12674 ॥–

राजस्व तहसील लूनकरनसर में स्थाई चरागाह एवं गोचर भूमि की सूची :

(बीघा-बिस्वा)

क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा	क्र. सं.	नाम ग्राम	रकबा
1.	राजासर उर्फ करनीसर	402 /	26.	भीखानेरां	859 /4
2.	ढाणीं पाडूसर	1061 ॥/2	27.	मनेरां	2679 ॥।/1
3.	रावांसर	210 ॥/4	28.	भवाला	2781 ॥/1
4.	बास करनीसर	113 ।/	29.	कुभाणा	3023 /
5.	चांदसर	108 /	30.	लाडेरां	135 ॥/4
6.	नाथूसर	145 ॥।/	31.	कानोलाई	1040 ।/
7.	खाफरसर	182 ॥/4	32.	रामलवाली	373 /1
8.	नकोदेसर	242 /1	33.	बेरावाला	286 ॥।/
9.	आडसर	391 /॥	34.	बीदासर	518 /2
10.	शेखासर	996 /4	35.	केलां	3216 ।/1
11.	गारख देसर	1003 /4	36.	सरदारपुरा	602 /
12.	छटासर	232 /	37.	सोटवाली	364 /
13.	कागासर	198 /3	38.	विस्तरिया	62 /॥
14.	जागोर	489 ॥।/2	39.	हफासर	174 /
15.	ढोईया	474 3	40.	बिक्खाली	2061 /2
16.	मेजासर	1024 ।/1	41.	भक्ड़ासर	407 /2
17.	शंकरालिया	2791 /3	42.	शेमोलाई	3551 ॥/2
18.	नाकासर	1471 /3	43.	मुगलकी	132 ॥।/3
19.	हिन्दौर	4291 /4	44.	सूडीवाल	414 ॥/
20.	हाथुसर	151 /	45.	खारी	375
21.	लिखमीसर	270 ॥/4	46.	मुखरी	2431 ॥/2
22.	लखोर छोटी	128 ॥/	47.	राजासर भाटि	865 /2
23.	महादोवली	768 ।/4	48.	कुण्डा	40 /
24.	सादोलाई	350 /	49.	धीरेरां	107 /2
25.	गोरीसर	1420 ॥।/	50.	जेखां	164 ॥।/3
		11221 ॥।/3			19428 ॥।/

1	2	3	1	2	3
51.	साधेरा	441 /3	75.	रतनीसर	430 /
52.	मेहराना	335 /3	76.	श्योदानपुर	38 /4
53.	वामनवाली	410 /3	77.	जैतपुर	1644 |/2
54.	लालेरां	478 /4	78.	सावनिया	315 /3
55.	खोखाराना	1270 |||	79.	रालीवाला	370 ||/3
56.	मोटासर	550 /	80.	भाजरासर	2239 ||/4
57.	लखावर	723 ||4	81.	मूसाइणा	1326 /4
58.	सहजरासर	525 ||/3	82.	दूदेर	590 ||
59.	अजीतमाना	535 ||/3	83.	दूरेरिया	488 |/1
60.	कुबिया	398 /2	84.	असरासर	497 |||
61.	मनावरसर	80 |||/1	85.	जसवंतसर	768 ||/1
62.	मोटोलाई	2719|||/3	86.	रामवारा	570 |||/4
63.	वीरमाना	175 /3	87.	मिटडिया	331 ||/
64.	करनाली	351 ||/3	88.	धेसूस	174 ||/2
65.	खिलेटिया	543 /2	89.	तेजाना	59 |/1
66.	भादवां	421 /2	90.	मोहकमपुरा	372 |||
67.	महाजेन	1565 ||/4	91.	खियांणा	584 /
68.	लालेरां पटा महा	570 ||/3	92.	सुलेरां	670 |||
69.	सूई	1525 |||/1	93.	खानीसर	559 ||/2
70.	दुलबासर	210/	94.	रामपुरा	203 |/2
71.	बखूसर	518 /3	95.	रामसरा	266 /
72.	मनोहरिया	2017 |/4	96.	कुंभासर	100 /
73.	वडेरन	401 |||/3		कुल योग ..	60484/1
74.	वालादेसर	859 |||/3			

सूची गोचर भूमि हैक्टरों में तहसील कोलायत

1.	राणासर	238	12.	मंडाल भाटियान	32
2.	पाडूसर सिन्दूका	30	13.	भोडियां	282
3.	यितरा	154	14.	मोखा चाननान	301
4.	शरह सन्हायच	67	15.	हाडला भाटियान	292
5.	झूझनू	118	16.	हाडला रावलोतान	75
6.	खारा लोहान	4	17.	मोखा खालसा	100
7.	वाला का गोल	45	18.	अकासर	219
8.	खाजोड़ा	58	19.	गीशा	114
9.	शरह थूमली	63	20.	वानी	159
10.	गडीयाला	188	21.	गोविन्दसर	40
11.	मोटासर	53	22.	गजनेर	1501

1	2	3
23.	चाण्डासर	7
24.	गुडा	80
25.	डेह	18
26.	इन्दो का बाला	11
27.	गोयलरी	16
28.	कोटडी	32
29.	सालासर	15
30.	नाइयों की बस्ती	16
31.	बालाला	5
	योग ..	3313

(दिनांक 18-9-81)

वन विभाग की भूमि पर काबिज व्यक्तियों के प्रकरणों का नियमन

116. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 1978 से पूर्व जिन काश्तकारों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा था, ऐसे कब्जेधारियों के मामले नियमन करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो जन-जाति उप-योजना क्षेत्र में कितने मामलों का नियमन किया गया एवं कितने कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची तहसीलवार सदन के पटल पर रखें।

(2) ऐसे कितने मामले उपयोजना क्षेत्र के वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास विचाराधीन है ? विचाराधीन मामलों में कितने कृषकों को बेदखल किया गया ? कृपया, सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ऐसे कितने काश्तकारों ने वन बन्दोवस्त अधिकारी से असन्तुष्ट होकर जिलाधीशों के समक्ष अपील की ? कृपया, जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जहां ग्रामीण और आदिवासी बसे हुए हैं, उनके मकान से हजार-पांच सौ गज की दूरी पर वन विभाग ने अपनी बाऊन्डरी बनाई हैं ? यदि हां, तो वहां के रहने वाले नागरिकों को क्या छूट दी गई हैं ?

(5) क्या वन विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच भी भूमि सम्बन्धी विवाद हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(2) शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(3) 1978 से पूर्व के कब्जों के नियमन के आदेश नहीं होने से ऐसे मामलों का विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले वन बन्दोबस्त अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, यथा उनके पास विचाराधीन होने का प्रश्न नहीं उठता। वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले वन बन्दोबस्त अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, यथा उनके फैसले से असन्तुष्ट होकर जिलाधीशों के समक्ष अपील करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) वन बन्दोबस्त के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लोगों की आपत्तियों की सुनवाई का फैसला करने के बाद वन सीमा निर्धारित की जाती है। अतः वन बन्दोबस्त के फैसले के अन्तर्गत निर्धारित वन सीमा में सामान्य तथा कोई तब्दीली नहीं की जाती है लेकिन स्थानीय ग्रामवासियों की चराई की समस्या को ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा प्लान्टेशन अथवा क्लोजर आबादी क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर निर्मित किये जाने के निर्देश हैं

(वन मंत्री)

(5) अरक्षित तथा रक्षित घोषित हुऐ वन क्षेत्रों में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य सामान्यत: विवाद नहीं है लेकिन जिन क्षेत्रों में राजस्व रिकार्ड में वन क्षेत्रों का अंकन नहीं हुआ है, वहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से यदा-कदा विवाद उठ खड़े होते हैं।

राजस्थान नहर की सिंचित भूमि का आवंटन

132. **श्री ज्ञान सिंह चौधरी** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि में से कितनी भूमि का स्थायी एवं अस्थायी आवंटन और कितनी भूमि का किन-किन वर्गों के लोगों को आवंटन किया गया है ?

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकी है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के अभाव में गत वर्षों में सिंचित भूमि पर पड़े क्षेत्र में खेती नहीं की गयी है और उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग नहीं हो सका ?

(4) गत रबी और खरीफ की फसल में राजस्थान नहर क्षेत्र की कितनी सिंचित एकड़ भूमि में काश्त की गयी थी ?

उत्तर

(1) कुल 9.81 लाख एकड़ भूमि का स्थाई आवंटन किया गया है। वर्गों के अनुसार आवंटन की सूची संलग्न है। सिंचित भूमि का अस्थाई आवंटन नहीं किया जाता है।

(2) अब तक 8.71 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकी है।

(3) जी नहीं।

(4) गत खरीफ और रबी की फसलों में राजस्थान नहर क्षेत्र में जो काश्त की गई वह इस प्रकार है :—

खरीफ संवत् 2037 में	3.59 लाख एकड़
रबी संवत् 2037 में	4.54 लाख एकड़
योग ..	8.13 लाख एकड़

———

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में स्थाई भू-प्रबन्ध आवंटन की वर्गवार एवं श्रेणीवार सूची—

क्रम. संख्या	नाम श्रेणी	आवंटियों की संख्या			आवंटित क्षेत्र फल (एकड़ में)		
		अनु. वर्ग	अन्य	योग	अनु. वर्ग	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूतपूर्व जागीरदार	—	951	951	—	27629	27629
2.	भाखड़ा भूमिहीन	640	748	1388	24209	13596	37805
3.	पैंतालीसा के गैर दाखिलकार	107	981	1088	4541	18315	22856
4.	विभिन्न युद्धों में शहीदों के आश्रितों एवं विकलांग तथा शौर्यपदक विजेता । ..	1	1231	1232	16	17170	17186
5.	विस्थापित मुसलमान	—	64	64	—	1000	1000
6.	घुमक्कड़ पशुपालक	—	4	4	—	187	187
7.	स्वतन्त्रता सेनानी	—	36	36	—	588	568
8	पद्मश्री	—	1	1	—	62	62
9	विश्वेदार	—	10	10	—	169	169
10.	जैसलमेर फिल्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापित ..	93	201	294	1453	2516	3969
11.	पुख्ता नीलामी	—	114	114	—	2329	2329
12.	कृषि स्नातक	—	157	157	—	2377	2377
13.	पोंगबांध विस्थापित	—	9181	9181	—	105921	105921
14.	ग्राम पंचायतें	—	—	—	—	130	130
15.	विशिष्ट श्रेणी	—	7	7	—	109	109
16.	राजकीय विभाग	—	—	—	—	86549	86549
17.	जैतसर फार्म	—	—	—	—	12142	12142
18.	भूमिहीन 1967, 1971 व 1975 के नियम के अधीन	20705	38451	59156	234366	413081	647917
19.	अन्त्योदय परिवार	1056	658	1714	7945	4150	12095
	योग ..	22602	52795	75397	273000	708000	981000

(दिनांक 21-9-81)

ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा के मकानों का नियमितिकरण

12. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा में कुल कितने कच्चे व पक्के मकान हैं ? सूची सर्वे नम्बर सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा को नियमित (रेगूलराइज) करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम कागदीवाड़ा - छीपीवाड़ा में 72 कच्चे व 133 पक्के मकान हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शीघ्र ही नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी।

सूची कच्चे व पक्के मकानात ग्राम कागदीवाड़ा व छीपीवाड़ा

(संजय कम्पोस्ट प्लान्ट के पीछे)

क्रम संख्या	ग्राम	पिता का नाम, जाति		कब्जों की किस्म		विशेष विवरण
				कच्चा	पक्का	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री विरधी सिंह	—	धोबी	कच्चा	—	
2.	मद्रासी बाबा का आश्रम मन्दिर	—	—	—	पक्का	
3.	राज. प्रा. स्कूल	—	—	—	पक्का	
4.	मस्जिद	—	—	—	पक्का	
5.	श्री रूपनारायण	कानाराम	गूजर	—	पक्का	
6.	श्री बनवारी	—	ब्राह्मण	—	पक्का	
7.	श्री नारायण	बालू	अहीर	कच्चा	—	
8.	श्री गैन्दी लाल	—	गूजर	—	पक्का	
9.	श्री मदन लाल शर्मा	रामदास	ब्राह्मण	—	पक्का	
10.	श्री सुवालाल	सुल्तान	मीणा	—	पक्का	
11.	श्री रामेश्वर	लक्ष्मीनारायण	ब्राह्मण	कच्चा	—	
12.	श्री राधेश्याम	मन्नालाल	,,	कच्चा	—	
13.	श्री पोप सिंह	दाताराम	अहीर	—	पक्का	
14.	श्री गोपाल लाल शर्मा	हनुमान प्रसाद शर्मा	ब्राह्मण	—	पक्का	
15.	श्री गणपत लाल	जगन्नाथ	शर्मा	कच्चा	—	

258

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री महेश कुमार	बृज मोहन	शर्मा	कच्चा	—	—
17.	श्री काना राम	मुडालाल	मीणा	—	पक्का	—
18.	श्री जगदीश प्रसाद	रुड़मल	शर्मा	—	पक्का	—
19.	श्री भगवान सहाय	लादूराम	मीणा	कच्चा	—	—
20.	श्री ग्यारसीलाल	छीतरमल	,,	कच्चा	—	—
21.	श्री भोलाराम	—	,,	कच्चा	—	—
22.	श्री जगन्नाथ	—	,,	कच्चा	—	—
23.	श्री बल्लूराम	गंगाराम	,,	कच्चा	—	—
24.	श्री भंवर लाल	मांगीलाल	,,	कच्चा	—	—
25.	श्री मंगलाराम	बोदू	,,	—	पक्का	—
26.	श्री शिव राम	महादेव	,,	—	पक्का	—
27.	श्री रेवड राम	हरलाराम	,,	—	पक्का	—
28.	श्री रामनारायण	भैरु	,,	—	पक्का	—
29.	श्री गुलाब चन्द	नानगराम	,,	—	पक्का	—
30.	श्री सूडाराम	ईसर	,,	—	पक्का	—
31.	श्री गंगाराम	भत्ताराम	,,	—	पक्का	—
32.	श्री राम धन	रामनारायण	,,	—	पक्का	—
33.	श्री रामचन्द्र	रामनारायण	,,	—	पक्का	—
34.	श्री भैरू	मांगीलाल	,,	—	पक्का	—
35.	श्री कंजोड़	—	गूजर	—	पक्का	—
36.	श्रीमती लाडादेवी	पत्नी गेंदीलाल	,,	कच्चा	—	—
37.	श्री विशनलाल	गेंदीलाल	,,	कच्चा	—	—
38.	श्री सोमीराम	मूलाराम	शर्मा	—	पक्का	—
39.	श्री होतीलाल	मूलाराम	,,	—	पक्का	—
40.	श्री कन्हैयालाल	नाथूलाल	,,	—	पक्का	—
41.	श्री छोटीलाल	भूरजी	,,	कच्चा	—	—
42.	श्री उत्तम	टीकमदास	सिन्धी	—	पक्का	—
43.	श्री गोवर्धन	—	राजपूत	—	पक्का	—
44.	श्री रामजीलाल	—	—	कच्चा	—	—
45.	श्री हनुमान	मांगीलाल	गूजर	—	पक्का	—
46.	श्रीमती फूलदेवी	पत्नी रामपाल	जोगी	कच्चा	—	—
47.	श्रीमती कैलाश कुमारी	पत्नी रमेश	,,	कच्चा	—	—
48.	श्री लक्ष्मीनारायण	हरेत	शर्मा	—	पक्का	—
49.	श्री राधेश्याम	नारायण	गूजर	कच्चा	—	—
50.	श्री रामजीलाल	वाछूराम	नाई	कच्चा	—	—
51.	श्री रामगोपाल	चौथमल	शर्मा	—	पक्का	—
52.	श्री नारायण	ग्यारसीलाल	शर्मा	—	पक्का	—
53.	श्री रामकुमार	कन्हैयालाल	जोगी	—	पक्का	—
54.	श्री कन्हैयालाल	गणेशनाथ	,,	—	पक्का	—
55.	श्री भंवरलाल	मांगीलाल	गूजर	कच्चा	—	—

1	2	3	4	5	6	7
56.	श्री जयकिशन	शंकरलाल	गूजर	कच्चा	—	
57.	श्री शंकर	मांगीलाल	,,	—	पक्का	
58.	श्री गोपाल लाल	मांगीलाल	,,	—	पक्का	
59.	श्री कन्हैयालाल	—	,,	कच्चा	—	
60.	श्री ओमप्रकाश	प्रभात	,,	—	पक्का	
61.	श्री लल्लूराम	घासीराम	,,	—	पक्का	
62.	श्री बाबूलाल	घासीराम	,,	—	पक्का	
63.	श्री गोपीराम	देवबक्ष	,,	कच्चा	—	
64.	श्री भैरू	नन्वो	मीणा	—	पक्का	
65.	श्री महादेव	—	मीणा	—	पक्का	
66.	श्री जगन्नाथ	—	मीणा	—	पक्का	
67.	श्री जगदीश	भोरीलाल	,,	—	पक्का	
68.	श्रीमती मूली	पत्नी	गूजर	कच्चा	—	
69.	श्री रामू	ज्ञानजी	गूजर	—	पक्का	
70.	श्री भागोताराम	लक्ष्मीनारायण	,,	—	पक्का	
71.	श्री हरीसिंह	ओमसिंह	राजपूत	—	पक्का	
72.	श्री अमरसिंह	ओमसिंह	राजपूत	—	पक्का	
73.	श्री बाबूलाल	गंगाराम	गूजर	—	पक्का	
74.	श्री श्यामलाल	गंगाराम	,,	—	पक्का	
75.	श्री कन्हैयालाल	मांगीलाल	खण्डेल-वाल	—	पक्का	
76.	श्री महेन्द्र	कन्हैयालाल	,,	—	पक्का	
77.	श्री भवानी शंकर	रूपनारायण	पारीक	—	पक्का	
78.	श्री मदनलाल	कल्याण	,,	—	पक्का	
79.	श्री नानूराम	देवीलाल	गूजर	कच्चा	—	
80.	श्री रमेश	—	शर्मा	—	पक्का	
81.	श्री रामनाथ	रूघनाथ	मीणा	—	पक्का	
82.	श्री माधो	छोटू	,,	—	पक्का	
83.	श्री गोपी	दुर्गा	गूजर	—	पक्का	
84.	श्री दाखां	गोपी	गूजर	—	पक्का	
85.	श्री माधू	पांचू	,,	—	पक्का	
86.	मकान धर्म खाते	भैरू के स्थान		—	पक्का	
87.	श्री रामेश्वर	—	शर्मा	—	पक्का	
88.	श्री सम्पत्त सिंह	प्रहलाद सिंह	यादव	—	पक्का	
89.	श्री किशन	गोपीराम	गूजर	—	पक्का	
90.	श्री रामचन्द्र	गोपीराम	,,	—	पक्का	
91.	श्री हनुमान	गोपीराम	—	कच्चा	—	खुली भूमि पर छप्पर
92.	श्री लादूराम	गोपीराम	गूजर	,,	—	खुली भूमि पर छप्पर

(260)

1	2	3	4	5	6	7
93.	श्री धोकल	जगन्नाथ	गूजर	—	पक्का	
94.	श्री कैलाश	गोपाल	,,	—	पक्का	
95.	श्री घनश्याम	गोपाल	,,	कच्चा	—	
96.	श्री बलदेव	गोपाल	,,	—	पक्का	
97.	श्रीमती भंवरी	पत्नी गोपाल	,,	—	पक्का	
98.	श्री शंकर	गोविन्दराम	,,	—	पक्का	
99.	श्री गंगाराम	चौथूराम	,,	—	पक्का	
100.	श्री रुघनाथ	गंगाराम	,,	—	पक्का	
101.	श्री नाथूराम	पांचूराम	,,	—	पक्का	
102.	श्री हीरालाल	पांचूराम	,,	—	पक्का	
103.	श्री फूला बेवा	पांचूराम	,,	कच्चा	—	
104.	श्री रामप्रताप	नाथूराम	,,	—	पक्का	
105.	श्री प्रभू	श्री गोपाल	मीणा	—	पक्का	
106.	श्री लूण खां	श्री सुजानखां	मुसलमान	—	पक्का	
107.	श्री रुघनाथ	श्री मंगलराम	मीणा	कच्चा	—	
108.	श्री गोपाल सिंह	श्रीचौथूसिंह	राजपूत	—	पक्का	
109.	श्री नाथू राम	—	गूजर	—	पक्का	
110.	श्री श्योनाथ	—	गूजर	—	पक्का	
111.	श्री गोविन्द	श्री बिरदीचंद	,,	—	पक्का	
112.	श्री मोती	श्री गोविन्द राम	,,	कच्चा	—	
113.	श्री दामोदर लाल	श्रीगोपीजी	,,	कच्चा	—	
114.	श्री देवीलाल	श्रीकिशनलाल..	,,	कच्चा	—	
115.	श्री दामोदरलाल	श्री किसनलाल	,,	कच्चा	—	
116.	श्री लक्ष्मी मोहन	श्रीरामदीन	शर्मा	—	पक्का	
117.	श्री नाथूलाल	श्रीभैरूलाल	गूजर	—	पक्का	
118.	—	—		कच्चा	—	जेरहतामीर
119.	श्री गुलाब	श्री कानाराम	गूजर	कच्चा	—	
120.	—	बन्द	—	कच्चा	—	जेरहतामीर
121.	श्री लल्लू	श्री रामदेव	गूजर	कच्चा	—	
122.	श्री दामोदर	श्री वासी	गूजर	कच्चा	—	
123.	श्री सहदेवसिंह	श्री बन्ण-बहादुरसिंह	राजपूत	—	पक्का	
124.	श्री सुरेशचन्द	श्रीजीवणराम	पारीक	—	पक्का	
125.	श्री लाला	श्री मनफूल	गूजर	कच्चा	—	
126.	श्री गुमान सिंह	श्रीबडकसिंह	राजपूत	—	पक्का	
127.	श्री राम सिंह	श्री मांगीलाल	किलाण	—	पक्का	
128.	श्री बाबूलाल	श्री बुद्धानाथ	जोगी	कच्चा	—	
129.	श्री भूरानाथ	श्री ग्यारसी लाल	जोगी	—	पक्का	

Page No. 261

(261)

1	2	3	4	5	6	7
130.	मन्दिर रामदेवजी का		—	—	पक्का	
131.	श्री फूलचन्द	श्री दौलतराम	कोली	—	पक्का	
132.	श्री छीतर	श्री चुन्नीलाल	कोली	कच्चा	—	
133.	श्री नन्द किशोर	श्री भुवन	कोली	कच्चा	—	
134.	श्री वैणाराम	श्री भूराराम	,,	कच्चा	—	
135.	श्री बालू राम	श्री गंगाबक्ष	,,	—	पक्का	
136.	श्री भैरूलाल	श्री विरदीचंद	,,	—	पक्का	
137.	श्री राम देव	श्री बिन्दीचंद	,,	—	पक्का	
138.	श्री भूरा राम	श्री मानजी	कोली	—	पक्का	
139.	श्री भोलाराम	श्री रूडमल	,,	—	पक्का	
140.	श्री छोटू	श्री दुर्गालाल	,,	—	पक्का	
141.	श्री दूलजी	श्री चेताराम	,,	कच्चा	—	
142.	श्री रूडमल	श्री चेताराम	,,	—	पक्का	
143.	श्री दुली चन्द	श्री चेताराम	,,	—	पक्का	क्र.सं. 141 पर भी अंकित हैं ।
144.	श्री कैलाश नाथ	श्री बजरंगलाल	शर्मा	—	पक्का	
145.	श्री गोपाल	श्री नानगराम	नाई	—	पक्का	
146.	श्री मिठू	श्री भोरीलाल	शर्मा	—	पक्का	
147.	श्री कान्ता बाई	—	शर्मा	कच्चा	—	
148.	श्री तेजमल	श्री सेडूराम	नाई	कच्चा	—	
149.	श्री प्रभूनाथ	—	जोगी	कच्चा	—	
150.	श्री प्रभूसिंह	श्री जयसिंह	कोली	—	—	
151.	श्री मोतीसिंह	श्री श्यामसिंह	राजपूत	—	पक्का	
152.	श्री बाबूलाल	श्री रुघनाथ	कोली	कच्चा	—	
153.	श्री हरिनारायण	श्री भोरीलाल	,,	कच्चा	—	
154.	श्री मोहन लाल	श्री कानाराम	,,	कच्चा	—	
155.	श्री भूरी	श्री कानाराम	,,	कच्चा	—	
156.	—	—	,,	कच्चा	—	टूटा हुआ वारिस नहीं मिला है ।
157.	श्री मोहन लाल	—	सुनार	कच्चा	—	
158.	श्री लाला	श्री गोविंद	शर्मा	कच्चा	—	
159.	श्री लाला	श्रीगोविंद नारायण	मंदिर	—	पक्का	सीतारामजी का
160.	श्री हीरा लाल	श्रीकानाराम	कोली	कच्चा	—	
161.	श्री रामपाल	श्री चौथू	कोली	कच्चा	—	
162.	श्री भोरीलाल	श्री गेन्दीलाल	कोली	कच्चा	—	
163.	श्री किशन	श्री चौथूराम	,,	—	पक्का	
164.	लक्ष्मी पत्नी	श्री छोटू	,,	कच्चा	—	
165.	—	श्री —	—	—	पक्का	खण्डर पुराना

6

(262)

1	2	3	4	5	6	7
166.	श्री नानगराम	—	कोली	कच्चा	—	
167.	श्री कन्हैयालाल	श्री भौरीलाल	—	कच्चा	—	
168.	श्री भूराराम	श्री कानाराम	—	—	पक्का	
169.	श्री किशन लाल	श्री तोताराम	—	—	पक्का	
170.	श्री श्याम लाल	श्री कुशला शर्मा		—	पक्का	
171.	श्री श्री गणेश	श्री —	कोली	—	पक्का	
172.	श्री हरिराम	श्री नारायण	,,	कच्चा	—	
173.	श्री परसराम	श्री कुशाल	,,	—	पक्का	
174.	श्री भगवान सहाय	श्री नारायण	,,	—	पक्का	
175.	श्री लादू	श्री मंगला	गूजर	कच्चा	—	
176.	श्री श्रवणी	श्री घोडानाथ	जोगी	कच्चा	—	
177.	श्री हरी	—	यादव	—	पक्का	
178.	श्री बदरी	श्री महादेव	जोगी	—	पक्का	
179.	श्री रामू	श्री बदरी	जोगी	—	पक्का	
180.	श्री नारायण	श्री महादेव	कुम्हावत	कच्चा	—	
181.	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री विजयलाल	,,	कच्चा	—	टूटा हुआ
182.	श्री किशोर	—	जोगी	कच्चा	—	शिकस्त
183.	श्री सुन्दर	—	माली	—	पक्का	
184.	श्री हरी	श्री गणेश	मीणा	कच्चा	—	
185.	श्री महावीर	श्री भौरीलाल	मीणा	कच्चा	—	
186.	श्री मंगल	—	मीणा	कच्चा	—	
187.	श्री गणेशलाल	श्री नन्दराम	कोली	कच्चा	—	
188.	श्री नाथू लाल	श्री रुघनाथ	कोली	—	पक्का	
189.	श्री जगदीश	श्री नारायण	,,	—	पक्का	
190.	श्री मदन लाल	—	,,	—	पक्का	
191.	श्री लक्ष्मी नारायण	—	कोली	—	पक्का	
192.	श्री हीरा लाल	श्री नानूलाल	,,	—	पक्का	
193.	श्री पांचू लाल	—	,,	—	पक्का	जेर तामीर
194.	—	—	—	—	पक्का	पुराना गिराऊ
195.	श्री गजेन्द्र सिंह	श्री भंवरसिंह	राजपूत	—	पक्का	
196.	श्री बच्चन	—	—	कच्चा	—	बिना छत
197.	श्री महेन्द्र कुमार	श्री निरंजन कुमार	शर्मा	—	पक्का	
198.	श्री गुमान सिंह	श्री सुरज सिंह	राजपूत	—	पक्का	
199.	श्री राम कृष्ण सिंह	श्री गणपतसिंह	,,	—	पक्का	
200.	श्री गणपत सिंह	श्रीसुरजसिंह	,,	—	पक्का	
201.	श्री शिवचरण	श्री शकरसिंह	,,	—	पक्का	
202.	श्री गोपाल सिंह	श्री लादूसिंह	,,	—	पक्का	
203.	श्री लादू सिंह	श्री गंगासिंह	,,	—	पक्का	
204.	श्री हेमेन्द्र दीक्षित	श्री शिवचन्द्र	शर्मा	—	पक्का	
205.	श्री जगत सिंह	श्री भजन सिंह	राजपूत	—	पक्का	

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न सं. 267 की सूची

राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई ट्रेड सेन्टर के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों द्वारा किये गये व्यवसाय की सूची:—

वर्ष	ट्रेड सेन्टर के माध्यम से माल सप्लाई करने वाली इकाईयों की संख्या	सप्लाई किये गये माल का मूल्य (लाख रु. में)
1978-79	26	36-90
1979-80	18	8-03
1980-81	2	0-32

(264)

परिशिष्ट 4

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की पट्टे की शर्तें

सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना को लीज पर दिये जाने के अनुबन्ध की मुख्य शर्तें

दिनांक 6 मई, 1981 को राजस्थान के राज्यपाल एवं डीडवाना केमिकल्स प्रा.लि., जयपुर के बीच सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना को लीज पर देने का अनुबन्ध 10 वर्ष के लिये 33,91,000.00 रुपये प्रति वर्ष की दर से किया गया। मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :--

1. लीज 10 वर्ष के लिये होगा। तत्पश्चात् पट्टेदार पारस्परिक समझौते के अनुसार 5 वर्ष के लिये लीज का नवीनीकरण करा सकेगा। शर्तों पर समझौता न होने की सूरत में लीज 10 वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जायेगा।

2. पट्टेदार को निम्न सुविधायें दी जायेगी :--

   1. कुओं से अधिकतम 56.5 × 20 टन प्रतिदिन ब्राईन पम्प करने दिया जायेगा।

   2. राज्य सरकार कूलिंग-टावर या अन्य किसी मशीनरी अथवा भवन पर कोई व्यय नहीं करेगी।

   3. पावर-कट हेतु राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

   4. पट्टेदार ब्राईन से नमक या सोडियम सल्फेट पट्टे के क्षेत्र की सीमाओं में बनाने हेतु स्वतंत्र होगा।

   5. नक्शे के अनुसार बिल्डिंग, मशीनरी आदि पट्टेदार को हस्तांतरित किये जायेंगे।

   6. पट्टेदार ग्रामवासियों, सोडियम सल्फाईड प्लान्ट तथा आवासीय कालोनी को निःशुल्क आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध कराता रहेगा।

   7. पट्टेदार को फैक्ट्री का पावर कनेक्शन अलग होते ही प्लान्ट हस्तांतरित किया जायेगा।

3. पट्टेदार प्रथम वर्ष में लीज राशि का 50 प्रतिशत व शेष 9 वर्षों में 100 प्रतिशत जमा करायेगा। अर्थात् पहले 16,95,500.00 रुपये एवं शेष 9 वर्ष में 33,94,000.00 जमा करायेगा, जो 12 बराबर माहवारी किश्तों में होगा।

4. पट्टेदार पहिले महीने की राशि जमा कराने के बाद प्रति माह के शुरू में राशि जमा करायेगा। यह कब्जे की तारीख के अनुसार होगा। देरी से चुकारा करने पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मिश्रित ब्याज देना होगा।

Page No. 265

265

5. पट्टेदार 3 महीनों की लीज के बराबर जमानत के रूप में बैंक गारन्टी देगा। यह राशि अलग पावर कनेक्शन सहित भौतिक हस्तांतरण की तारीख से शुरू होगी। बैंक गारन्टी का समय-समय पर पट्टेदार अपने खर्चे से नवीनीकरण कराता रहेगा।

6. विवाद होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित जिला न्यायाधीश पंच होगा, जिसका फैसला दोनों पर बाध्य होगा। ऐसी मध्यस्थता के दौरान लीज की राशि के बारे में विशेष रेफरेंस किया जायेगा।

7. पट्टेदार लीज की अवधि के दौरान सभी टैक्स, कर, फीस, बिजली आदि के भुगतान, समय समय पर सिवाय प्रोपर्टी कर व वैल्थ टैक्स, चालू दरों के अनुसार भुगतान करता रहेगा।

8. पट्टेदार प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भूमि पर पूर्व स्वीकृति के बिना कोई विस्तार व रद्दो-बदल नहीं करेगा। इमरजेन्सी की हालत में 24 घन्टे में सूचना देनी होगी।

9. 1. पट्टेदार प्लान्ट एवं मशीनरी को सोडियम सल्फेट बनाने एवं नमक उत्पादन के अलावा किसी अन्य काम में नहीं लेगा व पूरी तरह रख-रखाव एवं सुरक्षा रखेगा।

2. पट्टेदार फैक्ट्री संबंधी सभी नियमों एवं अधिनियमों की पालना करता रहेगा।

3. फैक्ट्री में यदि कोई विस्तार अथवा रद्दो-बदल की आवश्यकता हुई तो पट्टेदार पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही स्वयं की लागत से ही कर सकेगा। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार चाहेगी तो पट्टेदार अपने खर्चे से उनको हटायेगा।

4. बिना लिखित पूर्व स्वीकृति के पट्टेदार द्वारा किये गये विस्तार कार्य एवं सुधार कार्य लीज समाप्ति पर पट्टेदार हटा सकेगा। जिसके लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। परन्तु पूर्व स्वीकृति से किये गये कार्यों का मूल्य ह्रास काटकर मुआवजा भुगतान होगा या पारस्परिक समझौते से मूल्य तय होगा।

5. विस्तार एवं सुधार कार्यों के अलावा शेष संपति का कब्जा उसी हालत में पट्टे की अवधि समाप्ति पर वापिस देना होगा।

6. पट्टेदार राज्य सरकार की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षा, रख-रखाव मशीनरी, प्लान्ट एवं भवन आदि की तुलना हेतु सभी कदम उठायेगा।

10. पट्टेदार बिना पूर्व स्वीकृति ; 12 (जे.के.) के अतिरिक्त स्थिति में, किसी को भी पुनः किराये पर देने, गिरवी रखने अथवा हस्तांतरित करने की कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

11. पट्टेदार प्लान्ट, मशीन आदि का आग, बाढ़ व सैबोटेज बीमा करवायेगा। पट्टेदार समय-समय पर उसकी किश्तें भुगतान करता रहेगा व मांगने पर रसीदें भी पेश करेगा।

12. (ए) पट्टेदार उक्त शर्तों की पालना के साथ-साथ राज्य सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को निरीक्षण हेतु किसी भी समय अनुमति देता रहेगा।

(बी) पट्टेदार अपना स्वयं का स्टॉफ रखने हेतु स्वतंत्र होगा व पूर्व के कर्मचारियों की उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(सी) अगर पट्टेदार द्वारा किन्हीं शर्तों की पालना न की गई तो राज्य सरकार एक महीने का लिखित नोटिस देकर पट्टा समाप्त कर सकेगी।

(डी) पट्टा तैयार करने व रजिस्ट्री का खर्चा पट्टेदार को करना होगा।

(ई) यदि एक महीने की राशि ड्यू होने की तारीख से एक महीने की अवधि तक राशि बिना चुकाये रहती है या पट्टेदार दिवालिया हो जाय या फर्म समाप्त हो जाय, तो कानूनन राज्य सरकार लीज समाप्त कर फैक्ट्री में पुनः प्रवेश कर सकेगी।

(एफ) पट्टेदार द्वारा लीज समाप्ति पर कब्जा वापिस लौटाना होगा।

(जी) यथा समय पट्टेदार द्वारा राशि चुकारा न करने पर व शर्तों की पालना न करने पर जमानत के रूप में दी हुई बैंक गारन्टी जब्त की जा सकेगी।

(एच) यदि युद्ध, भूकम्प, बाढ़, आग के कारण सोडियम सल्फेट प्लान्ट चलाना असंभव हो जाय तो लीज राशि सामान्य परिस्थितियों के लौटने तक देय नहीं होगी, अन्यथा नियमित रूप से लीज राशि शर्तों के अनुसार भुगतान की जाती रहेगी। यह भुगतान वर्षा ऋतु, हड़ताल, ले-आफ, आदि में भी किया जाता रहेगा। विद्युत कटौती की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और लीज की राशि सामान्य दरों पर चुकाई जाती रहेगी।

(आई) प्लान्ट एवं मशीनरी आयात करने, लाईसेन्स कोटा आदि प्राप्ति हेतु वांछित प्रमाण-पत्र पट्टेदार को दिये जाते रहेंगे।

(जे) पट्टेदार को अधिकार होगा कि प्लान्ट और मशीनरी ऋणदाता संस्था से ऋण लेने हेतु गिरवी रख सकेगा। यह ऋण केवल अतिरिक्त लगने वाली मशीनरी के लिये होगा, जिस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ऋण चुकाने की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी जो कब्जा देते समय या लीज समाप्त होने तक या बाद में स्वयं चुकाएगा।

(के) पट्टेदार को कच्चे माल, तैयार माल व उत्पादन के दौरान माल एवं स्टोर, फैक्ट्री में किसी भी स्थान पर रखने, गिरवी रखने, बैंक अथवा ऋणदाता के कब्जे में रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बशर्ते वे वस्तुएं पट्टेदार की निजी लागत से खरीदी गई हों।

Page No. 267

267

(एल) तकनिकी स्टॉफ की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर नियमानुसार पट्टेदार को उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

13. श्री आर.एल. तोसनीवाल की कम्पनी बोर्ड मीटिंग प्रस्ताव की ओर से दिनांक 16-4-81 द्वारा पट्टेदार की ओर से इकरारनामा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से,
हस्ताक्षर
(असीम चटर्जी)
शासन सचिव,
उद्योग एवं राजकीय उप-क्रम।

गवाह:—

1. श्री सुधीन्द्र गेमावत
2. श्री शिवनारायण कपूर

पट्टेदार की ओर से,
हस्ताक्षर
(आर.एल.तोसनीवाल)

गवाह:—

1. श्री अशोक कुमार सुरेखा
2. श्री सिद्धार्थ शर्मा

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची

1 अप्रेल, 1980 से सितम्बर, 81 तक सीमेन्ट का उत्पादन निम्न प्रकार मे रहा है :--

अप्रेल, 80	21001 मे. टन
मई, 80	18191 ,,
जून, 80	11288 ,,
जुलाई, 80	19960 ,,
अगस्त, 80	11070 ,,
सितम्बर, 80	11782 ,,
अक्टूबर, 80	19020 ,,
नवम्बर, 80	18080 ,,
दिसम्बर, 80	10841 ,,
जनवरी, 81	20660 ,,
फरवरी, 81	17056 ,,
मार्च, 81	20000 ,,
अप्रेल, 81	23135 ,,
मई, 81	23345 ,,
जून, 81	19412 ,,
जुलाई, 81	20200 ,,
अगस्त, 81	22160 ,,
सितम्बर, 81 (दिनांक 18-9-81 तक)	18504 ,,

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 210 का विवरण)

STATEMENT SHOWING THE ACTUAL EXPENDITURE INCURRD DURING 1980-81 AND 1981-82 AGAINST ADVANCE PLAN ASSISTANCE

(*Rs. in Lacs*)

S. No.	Brief Description (Name of Deptt)	1980--81 Pre-mansoon drought Smt. 2036		Post Man-soon drought Smt. 2037		1981—82		REMARKS
		Approved ceiling (Allocation)	Actual Ex-penditure 4/80 to 9/80.	Approved ceiling (Al-location).	Actual Ex-penditure 10/80 to 3/81.	Ceiling.	Expendi-ture as intimated by Agen-cies.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Roadworks (P.W.D.) Tankers	300.00	349.18	550.00	574.48	800.00		
		—	—	—	—	—		
2.	Irrigation works (Irrigation Deptt.)	300.00	174.24 (Inc. FFW)	400.00	400.00	600.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Soil Conservation Works (S.C. Deptt.)	50.00	25.39	100.00	45.25	100.00		
4.	Afforestation Works (Forest Deptt.)	100.00	18.61	150.00	69.31	75.00		
5.	Bull Subsidy (Animal Husb.)	15.00	—	15.00	7.84	16.00		
	Growing of Fodder.	7.00	—	7.00	—	16.00		
6.	Seeds & Fertilizers. (Agriculture Deptt.)	—	—	100.00	100.00	100.00		
7.	Digging of Wells (C.D.P. Deptt.)	—	—	10.00	10.00	20.00 Tanks.		
8.	Energisation and Electrification. (R.S.E.B.)	200.00	200.00	—	—	—		
9.	Nutrition. (C.D.P.Deptt).	50.00	—	50.00	74.00	100.00		
10.	Water Supply arrangement. (P.H.E.D.)	500.00	500.00 (200.00 (upto 9/80) 300.00 (upto 3/81)	425.00	425.00	562.00		
11.	Improvement of Milk routes (Dairy Fed.)	10.00	10.00	—	—	—		
12.	N.R.E.P. Works.	—	—	—	—	600.00		
13.	Deepening of Wells (F.C.I. & Collectors)	—	—	—	—	—		
	TOTAL ..	1532.00	1277.42	1807.00	1705.88	2989.80		

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची
सूची नं. 'क'

क्र. सं. 1		आवंटी का नाम 2	प्लोट नम्बर 3	आवंटन तिथि 4
1.	मैसर्स	प्रिमियर मिनरल ग्राईंडिगमिल	एफ. 14	18-6-75
2.	,,	केमोटेक्स लेबोरेटरीज	एफ. 11	16-11-76
3.	,,	फिजांगो मेटल इण्डस्ट्रीज	एफ. 13	23-12-76
4 व 5.	,,	गोयल पेपर कनवर्टर	एफ. 43,44	22-12-76
6 व 7.	,,	अखिलेश इण्डस्ट्रीज	एफ. 35,36	2-2-77
8.	,,	इण्डिया ग्राइन्डिग मिल	एफ. 12	31-8-78
9.	,,	हिन्दुस्तान हाइड्रो कार्बन	एफ. 57	3-3-78
10, 11 व 12.	मेसर्स	चौधरी इण्डस्ट्रीज	एफ. 58,59,60	30-8-78
13. व 14.	मैसर्स	महालक्ष्मी पेण्ट इण्डस्ट्रीज	एफ. 89	29-12-78
15.	मैसर्स	ग्लूसोल बिस्कुट	एफ. 66	3-9-79
16.	,,	फिजांगो मेटल इण्डस्ट्रीज	एफ. 4	7-6-79
17.	,,	प्रिमियर मिनरल ग्राईंडिग मिल	एफ. 3	9-7-79
18.	,,	स्टोवा इण्डस्ट्रीज	एफ. 1	27-8-79
19.	,,	महालक्ष्मी पेन्ट इण्डस्ट्रीज	एफ. 7	14-9-76
20.	,,	रामा प्रिंटर	एफ. 2	17-2-81
21.	,,	थरमोकिंग इण्डस्ट्रीज	एफ. 5	14-7-80
22.	,,	अग्रवाल ट्यूब	एफ. 17	17-2-81
23.	,,	एस. कुमार इण्डस्ट्रीज	एफ. 21	29-5-80
24.	,,	एस. कुमार इण्डस्ट्रीज	एफ. 22	29-12-80
25.	,,	विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	एफ. 23	3-12-80
26.	,,	नाकोड़ा जैन इण्डस्ट्रीज	एफ. 24	8-12-80
27 व				
28.	,,	जैन मिनरल ग्राईंडिग मिल	एफ. 25,26	15-5-80
29.	,,	शक्ति इण्डस्ट्रीज	एफ. 27	24-11-80
30 व				
31.	,,	विकास इण्डस्ट्रीज	एफ. 28, 29	22-1-81
32 व				
33.	,,	अजमेर रोप वर्क्स	एफ. 37, 38	21-7-80
34.	,,	अहमदाबाद केमिकल्स	एफ. 41	29-7-80
35.	,,	एरिज इण्डस्ट्रीज	एफ. 42	14-7-80
36.	,,	श्री इण्डस्ट्रीज	एफ. 52	18-7-80
37 व				
38.	,,	भगवती आयरन फाऊण्डरी वर्क्स	एफ. 53,54	15-1-81
39.	,,	लक्ष्मी वायर नीटिंग इण्डस्ट्रीज	एफ. 61	7-10-80

1	2	3	4
40.	मैसर्स भार्गव मिनरल ग्राइंनिग इण्डस्ट्रीज	एफ. 62	16-1-81
41.	,, पी. ग्रार. केमिकल्स	एफ. 63	16-1-81
42.	,, एरन केमिकल्स	एफ. 64	15-11-80
43.	,, गुलसोल बिस्कुट	एफ. 65	8-12-80
44.	,, चौधरी इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज	एफ. 20	15-4-81
45.	,, रामा कोल्ड स्टोरेज	एफ. 32	15-4-81
46.	,, नेशनल इण्डस्ट्रीज	एफ. 33	12-6-81
47.	,, चेतन उद्योग	एफ. 47	14-12-79
48.	,, पुष्पा प्लास्टिक वर्क्स	एफ. 49	2-6-80
49.	,, ब्लेक गोल्ड रिफायनरी	एफ. 50	15-7-80
50.	,, जैन मिनरल ग्राईडिंग	एफ. 51	7-6-80
51.	,, युनिवर्सल केमिकल्स	एफ. 10	26-7-80

सूची नं. 'ख'

उत्पादनरत प्लाटों की सूची:—

क्र. सं.	प्लाट नं.	ग्रावंटी का नाम
1.	एफ. 14	मैसर्स प्रीमियर मिनरल ग्राइडिंग मिल
2.	एफ. 11	केमोटेक्स लेबोरेटरीज
3.	एफ. 13	फिजांगी मेटल इण्डस्ट्रीज
4. व 5.	एफ. 43, 44	.. गोयल पेपर कनवर्टर
6. व 7.	एफ. 35, 36	.. ग्रखिलेश इण्डस्ट्रीज
8.	एफ. 12	.. इण्डिया ग्राईडिंग मिल
9.	एफ. 57	.. हिन्दुस्तान हाइड्रो कार्बन
10 व 11.	एफ. 8, 9	.. महालक्ष्मी पेन्ट इण्डस्ट्रीज
12.	एफ 66	.. गलूसोल बिस्कुट
13.	एफ. 1	.. स्टोव इण्डस्ट्रीज
14.	एफ. 7	.. महालक्ष्मी पेन्ट इण्डस्ट्रीज
15.	एफ. 5	.. थरमोकिग इण्डस्ट्रीज
16.	एफ. 22	.. एस. कुमार इण्डस्ट्रीज
17 व 18.	एफ. 37, 38	.. ग्रजमेर रोप वर्क्स
19.	एफ. 41	.. ग्रहमदाबाद केमिकल्स
20.	एफ. 42	.. एरिज इण्डस्ट्रीज
21.	एफ. 65	.. गलूसोल बिस्कुट
22.	एफ 47	.. चेतन उद्योग
23.	एफ. 49	.. पुष्पा प्लास्टिक वर्क्स
24.	एफ. 50	.. ब्लेक गोल्ड रिफायनरी

1	2		3
25.	एफ. 51		जैन मिनरल ग्राइंडिंग
26.	एफ. 10		यूनिवर्सल केमिकल्स
27.	एफ. 52		श्री इण्डस्ट्रीज

निर्माणाधीन प्लाटों की सूची :-

1	2		3
1. से 3.	एफ. 58, 59, 60	मैसर्स	चौधरी इण्डस्ट्रीज
4.	एफ. 2	,,	रामा प्रिन्टर
5.	एफ. 23	,,	विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज
6.	एफ. 24	,,	नाकोड़ा जैन इण्डस्ट्रीज
7. व 8.	एफ. 25, 26	,,	जैन मिनरल ग्राइंडिंग मिल
9.	एफ. 27	,,	शक्ति इण्डस्ट्रीज
10. व 11.	एफ. 53, 54	,,	भगवती आयरन फाउन्डरी वर्क्स
12.	एफ. 61	,,	लक्ष्मी वायर नोटिंग इण्डस्ट्रीज
13.	एफ. 62	,,	भार्गव मिनरल ग्राइंडिंग इण्डस्ट्रीज
14.	एफ. 20	,,	चौधरी इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज

अलाटमेंट में रिक्त प्लाटों की सूची:—

1	2		3
1.	एफ. 63	मैसर्स	पी. आर. केमिकल्स
2.	एफ. 64	,,	ए. एन केमिकल्स
3.	एफ. 32	,,	रामा कोल्ड स्टोरेज
4.	एफ. 33	,,	नेशनल इण्डस्ट्रीज
5.	एफ. 3	,,	प्रीमियर मिनरल ग्राइंडिंग मिल
6.	एफ. 4	,,	फिजांगो मेटल इण्डस्ट्रीज
7. व 8.	एफफ. 28, 29	,,	विकास इण्डस्ट्रीज
9.	एफ. 17	,,	अग्रवाल ट्यूब
10.	एफ. 21	,,	एस. कुमार इण्डस्ट्रीज

परिशिष्ट 8

अतारांकितप्रश्न संख्या 216 की सूची

सम्बंधित सूची

क्रम. संख्या	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम जो प्रशिक्षण पर भेजे गये	प्रशिक्षण का विवरण	स्थान व अवधि	प्रशिक्षण से लौटने पर अन्य विभागों में स्थानान्तरण का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	चम्बल क्षेत्रीय विकास	श्री वी. हूजा, चम्बल क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा ।	यू. एन. डी. पी. के अन्तर्गत कमाण्ड एरिया के सम्बन्ध में	जापान/फिलीपाईन/कोरिया गणतंत्र/थाईलैण्ड/ 28-10-1973 से 30-11-1973	6-7-1974
2.	हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान	श्री पी. के. बी. कुरूप, निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	फोर्ड फाउन्डेशन फैलोशिप के अन्तर्गत अध्ययन हेतु ।	यू. के., थाईलैण्ड/यू.एस. ए. 25-4-1973 से 15-7-1973	28-8-1974

1	2	3	4	5	6
3.	हरिश्चन्द्र माथुर, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान।	श्री हरि मोहन माथुर निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।	रीजनल प्रोग्राम फोर नेशनल ट्रेनिंग. डायरेक्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ।	बैंकाक 20-10-1976से 9-11-1976	16-6-1977
4.	जिलाधीश, उदयपुर ।	श्री विनय व्यास, जिलाधीश, उदयपुर ।	केमब्रिज विश्वविद्यालय में भूमि विकास कार्य एवं प्रशासन के अध्ययन हेतु।	यू. के. 7-9-1973 से 30-6-161974	27-6-1974
5.	भूमि एवं भवन कर विभाग।	श्री अरुण कुमार, निदेशक, भूमि एवं भवन कर, राजस्थान, जयपुर।	कोलम्बो प्लान के तहत अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में सेमीनार में भाग लेने हेतु।	जापान 9-9-1973 से 25-10-1973	1-11-1973
6.	कृषि उत्पादन विभाग।	श्री आर. सी. सूद, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, राजस्थान, जयपुर।	अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, एरियर एवं सर्वेक्षण सम्बन्ध में आयोजित सेमीनार में भाग लेने हेतु।	नैदरलैण्ड 1-11-1974से 18-12-1974	9-8-1976
7.	कृषि उत्पादन विभाग।	श्री एस. वी. विश्नोई, कृषि उत्पादन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।	ई. डी. आई. वाशिंगटन, वर्ल्ड बैंक इन्टरलडेवलपमेंट प्रोग्राम ।	यू. एस. ए. वाशिंगटन 19-1-1979 से 30-3-1979	10-5-1979
8.	कृषि एवं सहकारिता विभाग।	श्री बी. आई. राजगोपाल, विशिष्ट शासन सचिव, कृषि एवं सहकारिता राज., जयपुर	रीजनल सेमीनार ओन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग	जापान 2-9-1975 से 22-9-1975	28-10-1975

1	2	3	4	5	6
9.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।	श्री टी. वी. रमणन, शासन विशिष्ट सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	एडवान्स पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रीया रायल इन्स्टीट्यूट ग्राफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ।	यू. के. 16-5-1977 से 7-8-1977	16-8-1977
10.	नगर आयोजना विभाग ।	श्री जी. जे. मिश्रा, शासन सचिव, श्रम एवं समाज कल्याण एवं नगर आयोजना, राजस्थान, जयपुर ।	सेमीनार ग्रान फाइनेन्सिंग ग्रान लोकल डवलपमेंट ।	कोलोलाम्पुर । 10-9-1976 से	31-7-1976
11.	विशिष्ट योजना संगठन विभाग ।	श्री पवन चौपड़ा, शासन उप-सचिव, विशिष्ट योजनाएं, राजस्थान, जयपुर	ई. डी. ग्राई. वाशिंगटन-जनरल प्रोजेक्ट ।	वाशिंगटन 11-7-1977 से 9-9-1977	22-5-1978
12.	,,	श्री सतीश कुमार, ग्रायुक्त, विशिष्ट योजनाएं, राजस्थान, जयपुर ।	सेमीनार ग्रोन प्राजेक्ट मैनेजमेंट फार कामनवैल्थ एशियन कन्ट्रीज ।	ढाका (बंगला देश), 16-7-1979 से 21-7-1979	मार्च, 1980
13.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	श्री अनिल कुमार, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर	मैनेजमेन्ट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ।	यू. के. (मैन्चेस्टेर यूनिवर्सिटी), 21-4-1980 से 17-7-1980	4-8-1980

1	2	3	4	5	6
14.	आयोजना विभाग।	श्री इन्द्रजीत खन्ना, शासन विशिष्ट सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	सेमीनार आन डवलपमेंट, प्लानिंग एण्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ।	काठमाण्डू (नेपाल), 24-10-1980 से 2-11-1980	—
	आयोजना विभाग	श्री इन्द्रजीत खन्ना, शासन विशिष्ट सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर	एस. पी. 81 आर. स्पेशियल प्रोग्राम ऑन प्लानिंग फार रीजनल डवलपमेंट।	यू. के. 6-1-1981 से 27-3-1981	19-5-1981
15.	सिंचाई एवं विद्युत् विभाग	श्री सतीश कुमार, सचिव, सिंचाई एवं विद्युत् विभाग, राजस्थान, जयपुर	ट्रेनिंग प्रोग्राम अण्डर दी यू. एस. ए. आई. डी, ग्रान्ट, आफ डालर 0-5 मिलियन फार दी राज. मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट ।	यू. एस. ए. 29 जून, 1981	13-8-1981

(280)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 की एफ. आई. आर. की प्रति

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64, दिनांक 22-8-81 अन्तर्गत धारा 328, ता. हि., थाना मांगलियावास, जिला अजमेर।

पर्चा बयान श्री मोहन पुत्र श्री आसोजी, निवासी केशरपुरा थाना मांगलियावास हाल भर्ती केजूवेलिटी वार्ड रूम नं. 8, बैड नं. एम. 3, जे.एल. एन. हॉस्पिटल, अजमेर, बसिलसिले जांच नकल रपट संख्या 1058, दिनांक 21-8-81 थाना सदर कोतवाली, अजमेर ने दरयाफ्त पर बयान किया कि मैं ग्राम केशरपुरा का रहने वाला हू तथा एडवर्ड मिल, ब्यावर में नौकरी करता हूं मेरी शादी आज करीब 15 साल पहिले श्री पांचू जी रेगर, निवासी दोराई की लडकी रामप्यारी के साथ हुई थी। मेरी औरत मेरे घर आती-जाती रहती थी, करीब 10-15 दिन पहिले मेरा ससूर ब्यावर आया जिसके साथ मैंने मेरी औरत को भेज दियां। कल तारीख 20-8-81 को में मेरी औरत को लाने मेरे ससुराल दोराई गया था। करीब चार बजे सांय दोराई पहुंचा, मैंने मेरे ससुर के घर चाय पी उसके आधे घण्टे के बाद मुझे उल्टी हो गई। उल्टी होने से मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मेरा दोस्त गफूर मुझे अजमेर अस्पताल में ले आया व भर्ती करा दिया। मुझे पूरा शक है कि मुझे चाय में जहर दिया गया है। एस. डी. मोहन, आर. ओ. एण्ड ए. सी. एस. डी. पूरण सिंह ए. एस. आई. 21-8-81 थाना सदर कोतवाली, अजमेर केम्प एट जे. एल. एन. हॉस्पिटल, अजमेर असल पर्चा बयान ए. एस. आई., श्री पूरणसिंह ने पेश किया वाका थाना मांगलियावास हल्का का है। अतः वास्ते कानूनी कार्यवाही हेतु एस. एच. ओ., मांगलियावास को प्रेषित है। एस. डी. महेन्द्रपाल सिंह पुनिया, स्टेशन हाऊस ओफिसर, सदर कोतवाली, अजमेर (राजस्थान) 21-8-81

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर्चा बयान श्री मोहन पुत्र, श्री आसोजी, उम्र 24 साल, जाति रेगर, निवासी केशरपुरा का, श्री सवाईसिंह कानि. नम्बर 1437 मुतैइना थाना सदर कोतवाली, अजमेर ने हाजिर थाना होकर पेश किया जिसकी नकल उपरोक्त में अक्षर ब अक्षर की गई पढ़कर सुनाया गया सही मानकर हस्ताक्षर किये। मजबून पर्चा बयान से मामला अपराध धारा 328 ता. हि. का वकूवे में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 64/81 ब दफा मजबूर कायम किया जाकर मन एस. एच. ओ. चिरंजीलाल मशरूफ तफतीश हुआ। एफ. आ. ई. आर नियमानुसार प्रेषित की गई। प्रति एफ. आई. आर. निशुल्क मुस्तगीस को दी गई।

एस. डी. सवाई सिंह, 1437

एस.डी./ चिरंजीलाल, एस. एच. ओ.,
थाना मांगलियावास,
दिनांक 22-8-81, 2 पी. एम.।

---

(279)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची

रिपोर्ट इत्तला अव्वल (प्रथम सूचना)

प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

मुकदमा नं. (सुर्खीमें) 179—81 तारीख और वक्त वकुआ-19-8-81

तारीख और वक्त जब इतला हुई मय रिपोर्ट रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिप्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख रवानगी कहां से
तारीख 19-8-81 वक्त 11 ए. एम.; रपट नं. 569	जाय वकुआ कस्वा प्रतापगढ जानिब पश्चिम व फासला 2 कि. मी. हल्का टी. ओ. पी.	20-8-81

नाम और सकूनत इतलाकुनिन्दा और मुस्तगीस अथवा देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान	नाम और सकूनत मुलजिमान (निवास-स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल, अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफ्तीश नतीजा जो अमल में लाई गई मुकदमा और वजह देरी जो इतिला करने में हुई हो
श्री मनोहर सिह पुत्र गोर्धनसिह जी राजपूत, निवासी प्रतापगढ़	श्रीजगदीश निवासी अरनोद	मुलजिम द्वारा प्रार्थी की पत्नि की बेइज्जत करने की गरज से छाती पर हाथ मारा वगैरा इतला से जुर्म धारा 354 आई. पी. सी.	रिपोर्ट इतला तहरीरी प्राप्त होने पर बाद कायमी मुकदमा कर तफतीश ए. एस. आई. भगवतसिह के जिम्मे की गई

एसडी/मुरली मनोहर

ओहदा-एस. एच. ओ.

सेवा में,

रिपोर्ट जबानी या तहरीरी

श्रीमान् थानेदार साहब,

श्रीमानजी मुझे प्रार्थी मनोहर सिह राजपूत, पिता गोरधन सिह, निवासी प्रतापगढ़ की निवेदन है कि आज मैं और मेरी पत्नी सुमित्रा दोनों वासवाड़ा बस से 9 । वजे प्रतापगढ़ बस स्टेन्ड पर उतरे कि जगदीश कोठारी निवासी अरनोद भी उसी बस से उतरा की उसने मेरी औरत

(280)

की इज्जत लूटने की गरज से मेरी औरत की छाती पर हाथ मारा व मेरी औरत का हाथ पकड़ लिया। मौके पर गवाह रोडवेज के चेकर डेडी व बस खलासी करणसिंह ने छुड़ाया। जगदीश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

पी. एस. प्रतापगढ़

एस.डी./ मनोहरसिंह
19-8-81

रिपोर्ट श्री मनोहर सिंह, पुत्र गोरधनसिंह, राजपूत, उम्र 23 साल, निवासी प्रतापगढ़ ने पेश की मजीद दरियाफ्त पर जाहिर किया कि जगदीश बांसवाड़ा से ही मेरे साथ में बससे आ रहा था। आज जब बस स्टेन्ड पर उतरने लगे तो जगदीश ने मेरी औरत सुमित्रा का हाथ लज्जा भंग करने की गर्ज से पकड़ लिया। मेरी औरत ने हल्ला किया तथा मारने लगी कि डेडी तथा करण सिंह ने छुड़ाया।

रिपोर्ट से जुर्म धारा 354 आई. पी. सी. का वकुव में आना पाया जाने से अपराध संख्या 179-81 जुर्म सदर में दर्ज कर तफतीश ए. एस. आई. श्री भगवान सिंह के जिम्मे की गई।

एस.डी.-मनोहर सिंह

एस.डी.-मुरलीमनोहर
19-8-81
एस. एच. ओ.

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूचना

प्रपत्र "म"

नागौर तहसील के उन ग्रामों की सूची जहां
1-9-81 तक कोई पेयजल व्यवस्था नहीं है

क्र. संख्या	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. संख्या	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	दातीना	4	24.	बरमसर	32
2.	देव	5	25.	लादिया	33
3.	बंनियाला	6	26.	प्रजासर	34
4.	सती का खुर्द	8	27.	सामसर	35
5.	बातोरा	9	28.	झोरखा	36
6.	सती का कला	10	29.	थान	37
7.	बिरलोकन	11	30.	गोरिरा	38
8.	इसरद्दावाला	12	31.	सिखावासी	50
9.	प्राचून्दा	14	32.	खारी करमसोटा	51
10.	मानपुरा	15	33.	रायधानू	52
11.	निम्बोला	16	34.	नागवानी	53
12.	भून्देद	17	35.	पालटिया भाईयरा	54
13.	नैनाऊ	18	36.	गोधन	55
14.	गलनी	19	37.	मेर	57
15.	देरवा	21	38.	बैरावल खुर्द	59
16.	धालाजू	22	39.	महेश पुरा	60
17.	कलरी	23	40.	कातिया	61
18.	जभारिया	25	41.	नारवा खुर्द	63
19.	खारिया	26	42.	प्रखवास	64
20.	बुकर मासोता	28	43.	लेनावास	65
21.	छीलू	29	44.	बुरची	66
22.	सीवरी	30	45.	बरवला	67
23.	पीपासर	31	46.	गुदीया	72

(282)

1	2	3	1	2	3
47.	अलकाहमराना	73	81.	जावराशि	114
48.	तंकला	74	82.	मालगोन	115
49.	धीनसारा	75	83.	बाधाना	116
50.	बूधी	76	84.	जीनदास	117
51.	चतरा मंजरा	77	85.	हीराना	118
52.	दासवानी	78	86.	गिथासिया	119
53.	कुमारी	79	87.	सारासानी	120
54.	जोशियाद	80	88.	खतोसावो	121
55.	लूंधा	81	89.	सूरजनिया वास	122
56.	बावन्द	82	90.	भागवाना	123
57.	यूदास	83	91.	सालवा	126
58.	भानासर	86	92.	अमेरपुरा	127
59.	नागौर रूरल	87-ए	93.	कागले	129
60.	सलेम	89	94.	बांनसरा	130
61.	गीदला	91	95.	आधीयासन	131
62.	सारंनेवास	92	96.	गोवन खूर्द	137
63.	माधारासी	93	97.	चीगरानी	138
64.	चूतीसारा	94	98.	केदारपुरा	139
65.	पिलानेवासी	97	99.	बापोर	140
66.	खेतास	99	100.	बरान्गोन	141
67.	तितरी	100	101.	सीनीद	142
68.	मण्डेली	101	102.	भाकरोद	143
69.	जोधीयासी	102	103.	अहमदपुरा	144
70.	हिन्गोनिया	103	104.	गिरनवारी	145
71.	पैरावर	104	105.	गेरु	146
72.	गोलसर	105	106.	जोरवारपुरा	147
73.	पितेलसर	106	107.	चीदरी	152
74.	भाटेरा	107	108.	चारधन	153
75.	झंझोलाई	108	109.	भानवादा	154
76.	भोझावास	109	110.	हालाप	155
77.	जाधीसरा	110	111.	सिलगोन	156
78.	जीनबेरा	111	112.	पालरी व्यास	157
79.	कानवाली सर	112	113.	खरनल	158
80.	धूधिया	113	114.	बालिया	159
			115.	पारासरा	160

1	2	3	1	2	3
116.	पिथोसोऊ	162	137.	खेरा अकबरपुर	194
117.	रामसिया	163	138.	जनाना	195
118.	अच्छीताई	165	139.	गवालू	197
119.	बीथवास	171	140.	गयासानी	198
120.	कादलू	172	141.	भाटनोखा	199
121.	मीन्दीघार	173	142.	हीलोरी	200
122.	गोवनकसान	174	143.	कनक दाई	201
123.	सोघरास	175	144.	दीयावादी	202
124.	मेवास	176	145.	सेनादी	203
125.	माणकपुर	177	146.	असवारी	204
126.	घोघियारी	178	147.	घोनगावास	205
127.	भाधिरा	179	148.	धावा	206
128.	कालियास	180	149.	चितानी	207
129.	मोदी	181	150.	रून	208
130.	खेरा धांधलवास	182	151.	इन्दोकाली	209
131.	संखवास	183	152.	खेजवाना	210
132.	खुखुन्दा कलान	184	153.	घाघियाना खुर्द	211
133.	भादाऊ	190	154.	बासनीखलाल	213
134.	गोघरा	191	155.	फिरोजपुरा	214
135.	पालरी जोधा	192	156.	नारवा कलान	62
136.	मीरजास	193			

प्रपत्र 'ब'

नागौर तहसील में वर्ष 1981-82 में जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की टेन्टेटिव सूची—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	जन संख्या	योजना का नाम
1	2	3	4	5
1.	पांचला सिद्धा	13	3863	पी. एण्ड. टी. जल योजना, पांचला सिद्धा
2.	ग्रोढ़ारण	40	970	क्षेत्रीय ज. प्र. यो., अलाय-उठवा लिया
3.	मून्डासर	41	57	,,
4.	सिगड	49	1281	क्षेत्रीय अलाप-भदवासी
5.	थिरोद	170	810	हैण्ड पम्प योजना
6.	मुन्डाला	68	750	,,
7.	गुजंडा	186	1210	,,

1	2	3	4	5
8.	पालडी पिचियाक	188	430	हैण्ड पम्प योजना
9.	नागडी	69	1426	,,
10.	खोडवा	143	682	,,
11.	वैरावास	140	409	,,
12.	सालावास	70	676	,,
13.	धारलावास	161	686	,,
14.	टाडास	150	555	,,
15.	वैराथल कला	58	1262	,,
16.	साडोकन	125	790	,,
17.	अमरपुरा	127	497	,,
18.	गगवाना	123	737	,,
19.	सोलगांव	156	1254	,,
20.	खरासनी	120	511	,,
21.	भटनीसा	199	972	,,
22.	परासरा	160	419	,,
23.	धुधीधारा खुर्द	211	453	,,
24.	भीथरा	191	625	,,
25.	सेवडी	30	1082	,,
26.	गोरेरा	38	811	,,
27.	जोधियासी	102	1036	,,
28.	मान्हेली	101	695	,,
29.	भाकरोद	143	1246	,,
30.	वैराथल खुर्द	59	539	,,
31.	कुडची	66	2437	पम्प एण्ड टैंक योजना
32.	खजवाना	210	2941	,,
33.	विरलोका	11	2865	,,
34.	माड़पुरा	15	2745	,,
35.	सिनोड	142	1195	हैण्ड पम्प योजना
36.	गुडला	191	395	,,
37.	आछीना	14	1387	,,
38.	खेतेला	121	354	हैण्ड पम्प योजना
39.	खरनाल	158	657	,,
40.	जोरावरपुरा	147	385	,,
41.	अहमदपुरा	144	525	,,
42.	खटोड	9	852	,,
43.	सातिका कालमी	10	575	,,

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची

जयपुर शहर के एच. टी. उद्योगों के विरुद्ध बकाया राशि का विवरण

क्र. सं. 1	उपभोक्ता का नाम 2	मण्डल की बकाया 3	विद्युत कर 4	टिप्पणी 5
1.	मैं. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, खातीपुरा रोड, जयपुर।	13,07,072.50	1,51,824.27	कोर्ट केस
2.	मैं. मान इन्डस्ट्रीयल कॉरपो., जयपुर।	11,44,541.94	10,950.16	कोर्ट केस
3.	मैं. मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर।	43,17,086.98	47,958.98	कोर्ट केस
4.	मैं. जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग, पावर हाउस रोड, जयपुर।	1,85,495.19	10,738.40	प्रोल्ड डिस्प्यूट
5.	मैं. जयपुर। स्पिनिंग मिल्स, पॉवर हाउस रोड, जयपुर	1,09,476.33	23,320.80	प्रोल्ड डिस्प्यूट
6.	मैं. कान्वेटरी मैटल्स राजस्थान लिमि., झोटवाड़ा, जयपुर।	92,416.74	1,236.34	कोर्ट केस
7.	मैं. जयपुर रोलर एण्ड फ्लोर मिल्स, स्टेशन रोड, जयपुर।	12,824.56	373.08	नान पैमेन्ट
8.	मैं. कमानी इंजीनियरिंग कॉरपो., झोटवाड़ा, जयपुर।	19,30,733.68	16,075.00	कोर्ट केस
9.	मैं. अशोका फाउन्डरी एण्ड मेटल वर्क्स, झोटवाड़ा, जयपुर।	4,70,345.41	—	कोर्ट केस
10.	मैं. रामनगर केन एण्ड शूगर मिल्स. लिमि., झोटवाडा, जयपुर।	1,24,227.43	4,964.93	कोर्ट केस
11.	मैं. हेमराज उद्योग, झोटवाडा, जयपुर।	31,726.00	—	कोर्ट केस
12.	मैं. लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल कॉरपो., झोटवाड़ा, जयपुर।	68,168.02	—	कोर्ट केस
13.	मैं. प्रिमियर मेटल यूनिट 2, झोटवाड़ा, जयपुर।	45,666.12	—	डी.सी.फ्रोम

288

1	2	3	4	5
14.	मै. खेतान ग्राइस फैक्ट्री, ग्रादर्श नगर, जयपुर।	1,06,454.39	760.51	कोर्ट केस
15.	मै. ग्रार. एस. मेटल इंडस्ट्रीज, 22 गोडाउन, जयपुर।	6,24,004.28	—	कोर्ट केस
16.	मै. नारायण कोल्ड स्टोरेज एण्ड ग्राइस फैक्ट्री, जयपुर।	1,29,179.78	64.941.44	कोर्ट केस
17.	मै. मुरली रोलिंग मिल्स, बी. के. ग्राई. ए., जयपुर।	49,739.00	12.00	कोर्ट केस
18.	मै. ग्रार. जी. इस्पात लि., बी. के. ग्राइ. ए., जयपुर।	13,593.74	—	कोर्ट केस
19.	मै. स्वास्तिक कास्टिंग प्रा. लि., बी. के. ग्राई. ए., जयपुर।	41,980.94	2,343.52	भुगतान नहीं
20.	मै. भगवती रि-रोलिंग मिल्स, बी. के. ग्राई. ए., जयपुर।	1,57,775.54	738.09	कोर्ट केस
21.	मै. हरि रोलिंग मिल्स, बी. के. ग्राई. ए., जयपुर।	51,490.97	—	राशि किश्तों में प्राप्त हो रही है।
	योग..:	1,10,13,999.54	3,36,237.52	

मध्यम वर्गीय ग्रौद्योगिक उपभोक्ता की ग्रोर बकाया राशि का विवरण

क्र.सं.		उपभोक्ता का नाम	मण्डल का बकाया	विद्युतकर
1.	मैं.	शालीमार सिनेमा	16079.70	2139.00
2.	,,	शारदा इण्डस्ट्रीज	1120.00	—
3.	,,	तारा केमिकल लेबोट्री	8400.00	—
4.	,,	कृष्णा ग्राईस फैक्ट्री	6425.50	380.48
5.	,,	सत्यनारायण	14452.18	3010.00
6.	,,	जयपुर ग्राईस फैक्ट्री	3928.86	—
7.	,,	ग्रग्रवाल ग्राईस फक्ट्री	81749.30	0.08
8.	,,	विक्रम कोल्ड स्टोरेज	—	43747.10
9.	,,	बाला बक्स भोरीलाल	8784.92	10.68

1		2	3	4
10.	मै.	शारदा इन्डस्ट्री	6858.10	175.24
11.	,,	जयपुर इन्डस्ट्रीज	3540.00	0.40
12.	,,	सुन्दर प्लास्टिक	25265.67	938.75
13.	,,	आर. के. सेठीया (कोल्ड स्टोरेज)	–	119128.86
14.	,,	माहेश्वरी एक्सपोर्ट	6555.04	1.60
15.	,,	ट्रीप वैल इन्डस्ट्रीज	8865.30	12.60
16.	,,	भीमसिंह प्रो. न्यू एज आईस फैक्ट्री	22889.34	—
17.	,,	विशाल आईस फैक्ट्री	14815.00	—
18.	,,	ब्राइट बिल्डिंग शर्मा बिल्डिंग	517.50	—
19.	,,	कश्तोदय प्रा. लि. ,टे.	24397.40	—
20.	,,	बक्शी फार्मास्टेकल्स एण्ड कास्मेटिक्स	11545.00	—
21.	,,	सिंघल स्टील	6845.34	—
22.	,,	पारस आईस फैक्ट्री	10256.93	—
23.	,,	एम. बी. आयल मिल्स	5313.83	242.73
24.	,,	राज आइरन वर्क्स	3090.00	—
25.	,,	,, ,,	2801.00	—
26.	,,	एम. पी. इन्डस्ट्रीज	4841.40	325.55
27.	,,	प्रेम शंकर	3030.00	7.00
28.	,,	अनूप शिखा इन्डस्ट्रीज	15001.80	100.44
29.	,,	मैं. अमन टेक्सेज	7846.50	—
30.	,,	सैनी कन्डक्टर्स	7515.20	—
31.	,,	गुप्ता मैटल्स	7519.58	—
32.	,,	राजस्थान इलेक्ट्रीक एण्ड इक्युपमैन्ट्स	2608.40	—
33.	,,	राज. इलेक्ट्रीक वर्क्स	1239.32	—
34.	,,	नव भारत आईस फैक्ट्री	10817.91	83.20
		योग: ..	354915.66	170303.71

2088

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

पंचायत समिति बेचट की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र. सं. ग्राम का नाम	क्र. सं. ग्राम का नाम
	26. सलावद कलां
1. दारिया	27. बडोदिया खुर्द
2. दूरकाली	28. झालरा
3. सारंग खेड़ी	29. झीरी
4. जोधपुरा	30. जमूनिया
5. नूरपुरा	31. क्दिा पहाड़
6. रायखेड़ा	32. खारली बावड़ी
7. रघुनाथपुरा	33. बाल
8. रूपपुरा	34. हाथी खेड़ी
9. खानी	35. भगवानपुरा
10. मोतीपुरा कलां	36. जलिमपुरा कलां
11. दूधीया खेड़ी	37. जगपुरा खुर्द
12. रामपुरिया	38. गुलाबपुरा
13. गुभानपुरा	39. अमलावद खेड़ा
14. धारुपुरा	40. फतेहपुरा
15. मिनिया खेड़ी	41. गणेशपुरा खुर्द
16. भटवाड़ा	42. गदेरी
17. झामरा	43. रकबा पहाड़
18. साखड़ा	44. उम्मेपुरा
19. हरीपुरा	45. बदरखांन
20. तेल्या खेड़ी	46. गउपुरा
21. जगपुरा	47. छत्रपुरा
22. चियखिड़ी	48. देवीपुरा
23. अरनिया खुर्द	49. मण्डी विराम
24. बासियाखेड़ी	
25. सुरेरा	

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 243 की सूची

सारंगी विधान सभा क्षेत्र

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1.	आसण जोधवत	93		तहसील देसूरी	
2.	आसण डाकणिया	92			
3.	करमाल	103	31.	कोलर	25
4.	काराडी	63	32.	खिवाडा	11
5.	गुढा गांगा	104	33.	गजनीपुरा	12
6.	भोपत	107	34.	कोटिया गुढा	21
7.	मेहरूप (गुड़ा)	80	35.	केसरसिंह गुढा	70
8.	गुड़ा हिमता	98	36.	जैतसिंह गुढा	7
9.	चोकडिया	91	37.	सुर्जन गुढा	18
10.	डाणुदा	74	38.	खेडा मेडलीवाल	1
11.	जेतपुरा	73	39.	रूपसिंह गुढा	71
12.	ठाकुवास	56	40.	घनेडी	49
13.	तालका	1	41.	जीवन्द खुर्द	69
14.	देवली	72	42.	टोकरला	53
15.	धामली	65	43.	तिरवी	62
16.	निम्बली माण्डा	55	44.	निपल	67
17.	पांचेटिया	68	45.	पनोता	15
18.	बांसोर	111	46.	पिलावी	29
19.	विठूडा कलां	21	47.	बररी	46
20.	बोगला	102	48.	वागोल	23
21.	बेरीमादा	49	49.	वोरती	109
22.	भगोडा	105	50.	मगरतालाव	58
23.	भिकालिया	67	51.	मेवीकला का खुर्द कलां	14
24.	—	79	52.	रामजी का गुढा	50
25.	राडमालरा	50	53.	रामपुरिया	8
26.	लीनावास	12	54.	वणवार	9
27.	वाडीया	71	55.	सेपटाना	4
28.	सारण	52	56.	सिवास	28
29.	खिचीयावास	40	57.	सामरिया	38
30.	हूलावट	109	58.	सांसरी	17

(290)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची

तहसील पं. स. सिकराय में विद्युतीकृत

ग्रामों की सूची–

क्र. संख्या	ग्राम का नाम	विद्युतिकरण की दिनांक	क्र. संख्या	ग्राम का नाम	विद्युतिकरण की दिनांक
1.	सिकन्दरा	4-6-70	26.	छोकरवाडा	26-2-76
2.	ब्राहमण बोरडा	10-6-70	27.	देवरी	31-3-77
3.	बड़ली	4-6-70	28.	धूलकोट	30-11-76
4.	गीजगढ़	,,	29.	फरोशपुरा	30-9-76
5.	बावनपाड़ा	,,	30.	गांगदवाड़ी	30-8-76
6.	पांचोली	,,	31.	गण्डरावा	,,
7.	मानपुर	,,	32.	गुमानपुरा	24-2-78
8.	सिकराय	,,	33.	गिलाडी	31-3-79
9.	गोलिया	19-6-70	34.	ईटका	,,
10.	रामगढ़	,,	35.	झापडा वास	31-3-77
11.	गनीपुर	22-2-74	36.	झीझण	8-11-80
12.	मुरलीपुर	,,	37.	झरना	27-2-76
13.	चांदपुर	,,	38.	कालेड़ा	20-2-76
14.	सरुण्डला	,,	39.	कलावन	30-10-76
15.	गिरधरपुरा	,,	40.	कारोली	15-3-78
16.	रायपुरा	,,	41.	लाका	,,
17.	मरियाडा	,,	42.	मोहचेगपुरा	31-3-78
18.	गांवडी	,,	43.	मोरोली	,,
19.	पीलाडी	31-3-71	44.	निहालपुरा	20-9-76
20.	बड़खेड़ा	15-3-71	5.	निकटपुरी	31-1-81
21.	लीखली	,,	46.	पाडली वाढ़	31-3-79
22.	अचलपुरा	31-3-76	47.	रानोली	31-3-77
23.	अगावाली	28-9-76	48.	सीकरी	27-9-76
24.	भण्डारी	1-1-81	49.	शेखपुर	28-9-76
25.	विनदरवाड़ा	27-9-76	50.	टोरड़ा	30-9-76

(291)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची
परिशिष्ट "अ"

अकाल राहत के तहत स्वीकृत राहत कार्यों की सूची तहसील लालसोट

क्रम संख्या 1	स्वीकृत कार्य का नाम 2	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक 3	कहां से स्वीकृत हुआ 4	विवरण 5
1.	सड़क मण्डावरी से बगड़ी	966-1002 / 20-2-81	जिलाधीश, जयपुर	कार्य अपूर्ण रहा।
2.	सड़क लालसोट से निझला 5 कि.मी.	2649-51 / 13-5-81	,,	,,
3.	सड़क रामगढ़ पचवारा से तूंगा वाया सिन्दोली बिदरखा	3665 / 3-2-81	सहायता विभाग	,,
4.	सड़क राजोली डिगा गोलघाटा वाया माताजी खुर्द	3050-60 / 25-5-81	,,	,,
5.	सड़क राम गढ़ पचवारा से तूंगा वाया सोनड़ सिन्दोली 0 से 5 किमी.	3058-60 / 25-5-81	जिलाधीश, जयपुर	,,
6.	सड़क रामगढ़ पचवारा से तूंगा 5 से 9 किमी.	,,	,,	श्रमिक नहीं आने से कार्य शुरू नहीं हुआ।
7.	सड़क श्योसिंहपुरा से श्रीमा 0 से 4 7 किमी.	3665-78 / 3-2-81	,,	,,
8.	सड़क श्योसिंहपुरा से श्रीमा 4 से 7 किमी.	,,	,,	कार्य अपूर्ण रहा।
9.	सड़क बिनोला से खटवा 0 से 4 किमी.	3803-32 / 9-6-81	,,	श्रमिक नहीं आने से कार्य शुरू नहीं हुआ
10.	सड़क बिनोला से खटवा 4 से 6 किमी.	,,	,,	,,

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची

कोटा ताप बिजली घर के लिये खरीदे गये सामान/उपकरणों का विवरण

सूची 'अ'

क. सं.	फर्म का नाम	सामान का विवरण	मूल्य लाखों रुपयों में	सामान देने की निर्धारित अवधि	सितम्बर, 81 तक सप्लाई हुए सामान का प्रतिशत	शेष सामान का प्रतिशत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै. एस. एण्ड पावर स्विच गियर लि., मद्रास	245 के. वी. आइसोलेटर्स	21.47	फरवरी, 80	100 प्रतिशत	–	–
2.	मै. इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग कारपोरेशन	हार्डवेयर एण्ड बस कन्ट्रेक्टर्स	3.30	कुछ सामान फरवरी, 81 में एवं अन्य जून, 80 में	100 प्रतिशत	–	–
3.	मै. मोडर्न मेलियबल कास्टिंग वर्क्स, कलकत्ता।	"	0.70	जुलाई, 81	100 प्रतिशत	–	–
4.	मै. कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई	फेब्रीकेशन सब स्टेशन स्ट्रक्चरर्स	5.30	सितम्बर, 80	100 प्रतिशत	–	–
5.	मै. इमैक्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सिकन्दराबाद	ग्राउन्डिंग मेटेरियल	12.32	जून, 79	100 प्रतिशत	–	–
6.	मै. के. बी. एच. ई. एल. (एम. पी. एल.), बैंगलोर	पोस्ट एण्ड डिस्क इन्सुलेटर	8.81	फरवरी, 80	100 प्रतिशत	–	–

Page No. 293

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मै. जेनेलिक, नई दिल्ली	स्टेशन लाईटिंग	99.59	दिसम्बर, 81 में पूर्ण	43 प्रतिशत	57 प्रतिशत	शेष सामान की सप्लाई निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायेगी।
8.	मै. बी. एच. ई. एल. (एम. एच. डी.), नई दिल्ली	स्टीम जनरेटिंग युनिट्स	2892.00	जनवरी, 81	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	शेष सामान माह नवम्बर, 81 तक आने की संभावना है।
9.	मै. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन	2 नं. डब्ल्यू. डी. एस. 4 नं. शंटिंग लोकोमोटिव		फरवरी, 81	—	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत सामान सप्लाई के कारण होने पर निरीक्षण हेतु तैयार है।
10.	मै. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	2 नं. डब्ल्यू. डी. एस. 6 हालिंग लोकोमोटिव	330.00	फरवरी, 81	—	100 प्रतिशत	
11.	मैसर्स रामपुर इन्जीनियरिंग वर्क्स, नई दिल्ली	कोल हैण्डलिंग प्लांट	726.00	मई, 81 में पूर्ण	46 प्रतिशत	54 प्रतिशत	शेष सामान मार्च, 82 तक आने की संभावना है।
12.	मै. एलीवोन इंजीनियरिंग कं. लि., बल्लभ विद्यानगर	2 नं. वैगन टिम्पलर एण्ड एसोसियेटेड इक्वीपमेंट	144.00	सितम्बर, 80	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	शेष सामान नवम्बर, 81 तक आने की संभावना है।
13.	मै. बी. एच. ई. एल., नई दिल्ली	220 के. वी. ब्रेकर्स	50.00	नवम्बर, 79 जनवरी, 80	100 प्रतिशत	—	
14.	मै. ज्योति लि., वड़ोदा	6—6 के. वी. स्वीचगियर	117.90	अप्रेल, 80	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	शेष सामान दिसम्बर, 81 तक आना संभावित है।
15.	मै. बी. एच. ई. एल., भोपाल	11 के. वी. बस डक्टस	45.47	नवम्बर, 80 मार्च, 81	97 प्रतिशत	3 प्रतिशत	शेष सामान अक्टूबर, 81 तक आना संभावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मै. कलकत्ता आयरन फाउण्ड्री, कलकत्ता	कास्ट आयरन स्लीपर्स प्लेट्स एवं कास्ट आयरन स्लीपर्स प्लेट्स रिवल्ड टाइप	74.92	जनवरी, 81	42 प्रतिशत	58 प्रतिशत	शेष 30 प्रतिशत सामान माह अक्टूबर, 81 में आना संभावित हैं व शेष सामान मै. सेल द्वारा बिग आयरन देने पर माह दिसम्बर, 81 तक संभावित है।
17.	मै. लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लि., नई दिल्ली।	415 वोल्ट स्वीच गियर्स	79.07	अप्रेल, सितम्बर, 1980	98 प्रतिशत	2 प्रतिशत	शेष सामान अक्टूबर, 81 तक आना संभावित है।
18.	मै. भूषण इण्डस्ट्रीज, कं., चण्डीगढ़	1. टू वे कीज 2. अण्डरस्पिल्ट कोटर्स 3. टाइवास	25.80	जुलाई, 80	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	शेष सामान के लिये दूसरी फर्म अपेलम-मेंटे मशीन कार्पो. को क्रय आदेश दिये जा चुके हैं व उस फर्म ने 60 प्रति. सामान सप्लाई कर दिया है व शेष सामान माह अक्टूबर में आना संभावित है।
19.	मै. हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपो., कलकत्ता	प्वाइंट्स एण्ड क्रॉसिंग	41.00	जनवरी, 81	100 प्रतिशत	–	–
20.	मै. जनता टिम्बर स्टोर्स, जबलपुर	1. प्लाईवुड स्लीपर्स	00.54	अगस्त, 80	100 प्रतिशत	–	–
		2. सोल वुड स्लीपर्स 9 वट × 10″ × स्पेशल टाइप	–	– –	–	–	–
21.	मै. बिवायन इण्ड., बटाला	फिश बोल्ट्स नट्स	1.79	नवम्बर, 80	100 प्रतिशत	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मै. अमेलगमेटेड मशीन कारपोरेशन, नई दिल्ली	वोल्ट स्टील फिश प्लेट्स एवं एम. एस. सेन्टेड बियरिंग प्लेट्स एवं टाई बरस	60.00	फरवरी, 81	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत	शेष सामान माह अक्टूबर, 80 तक आना संभावित है।
23.	मै. पानागढ़ इन्जीनियरिंग वर्क्स, हावड़ा	बी. आई. एल्टीक्रीम बियरिंग प्लेट्स	2.93	जुलाई, 81	100 प्रतिशत	—	—
24.	मै. ऐवरेस्ट स्टील फेब्रीकेशन, वल्लभगढ	प्लेट स्क्रूज डोग स्पाहार्स	2.35	मार्च, 81	100 प्रतिशत	—	—
25.	मै. स्टार स्टील प्रा. लि., बड़ौदरा	1. लूज जाब्स 2. टू वे कीज	3.15	मार्च, 81	100 प्रतिशत	—	—
26.	मै. बी. एच. ई. एल., भोपाल	2. 10 जनरेटर ट्रांसफारमर	140.00	प्रथम यूनिट मई, 80 एवं द्वितीय यूनिट सित., 80	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
27.	मै. बी. एच. ई. एल., भानोसी	2 नं. यूनिट अलाजरी ट्रांसफारमर	25.60	प्रथम यूनिट नव., 79 एवं द्वितीय यूनिट दिस., 79	100 प्रतिशत	—	—
28.	मै. क्राम्पटन ग्रिव्स लि., बम्बई	2.10 स्टेशन ट्रांसफारमर	92.50	प्रथम यूनिट दिस., 79 व द्वितीय यूनिट फरवरी, 80	100 प्रतिशत	—	—
29.	मै. क्राम्पटन ग्रिव्ज लि., बम्बई	13 नं. 1 एच. वी. ए. यूनिट एण्ड सर्विस स्टेशन ट्रांसफारमर्स	20.48	जनवरी, 80-4 नं. फरवरी, 80-3 नं. मार्च, 80-3 नं. अप्रेल, 80-3 नं.	100 प्रतिशत	—	—
30.	मै. बी. एच. ई. एल., भोपाल	220 के. वी. सीटीएस एण्ड सी. टी. पी. टी. एस.	27.97	सी. टी. एस. वर्ग 79 जनवरी, 80 पी.टी.एस. जन., 80	100 प्रतिशत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	मै. डब्ल्यू. एस. इन्सुलेटर्स ग्राफ इण्डिया लि., मद्रास	सी. टी. एस. एण्ड एल. ए. एस.	12.32	वीटीएस, सित., 79 अक्टूबर, 79 एल. ए. एस. नवम्बर, 78	100 प्रतिशत	—	—
32.	मै. स्टैण्डर्ड बैटरी, बम्बई	बैटरी एण्ड बैटरी चार्जज	4.90	मई, 80 से जुलाई, 80	100 प्रतिशत	—	—
33.	मै. राजस्थान ट्रांसपोर्ट कं., जयपुर	कन्ट्रक्शन पावर 250 के. वी. ए. 500 के. वी. ए. एण्ड 1 एम. वी. ए. 3, 2 एवं 4 नं.	5.21	जनवरी, 79	100 प्रतिशत	—	—
34.	मै. सीमेन्स, नई दिल्ली	केबल्स	40.86	जुलाई, 80	100 प्रतिशत	—	—
35.	मै. युनिवर्सल लि., सतना	केबल्स	36.74	मार्च, दिस., 80	100 प्रतिशत	—	—
36.	मै. प्रीमियर केबल्स लि., नई दिल्ली	केबल्स	115.00	सितम्बर, 80	100 प्रतिशत	—	—
37.	मै. इण्डिया केबल्स कं., नई दिल्ली	केबल्स	54.17	अक्टूबर, 80	100 प्रतिशत	—	—
38.	मै. ओरियन्टल पावर केबल्स लि., कोटा	केबल्स	178.43	मार्च, 81	100 प्रतिशत	—	—
39.	मै. प्लीका (इण्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली	केबल्स एजेन्सीज	1.85	मार्च, 80	100 प्रतिशत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	मै. डेल्टन सेल्स प्रा. लि.	केबल्स	162.80	अक्टूबर, 81	100 प्रतिशत	—	
41.	मै. इंगलिश इले. कं., मद्रास,	स्विचयार्ड कन्ट्रोल पेनल्स	31.00	1–11–80	98 प्रतिशत	2 प्रतिशत	
42.	मै. इंगलिश इले. कं., मद्रास	जनरेटिंग कन्ट्रोल पेनल्स	19.55	1–8–80	98 प्रतिशत	2 प्रतिशत	—
43.	मै. डेल्टस सेल्स, नई दिल्ली	केबल्स	2.77	7–6–81	100 प्रतिशत	—	
44.	मै. इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कं., मद्रास	लेइंग ग्राफ केबल्स	51.50	30–6–81 से 30–10–81	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर है निर्धारित ग्रवधि में पूर्ण होना संभावित है।
45.	मै. साधना इंजिनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई	केबल्स ट्रेंज	32.97	फरवरी, 81 से प्रारम्भ एवं मई, 81 में पूर्ण	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	शेष सामान नवम्बर, 81 तक ग्राना संभावित है।
46.	मै. जैन ट्यूब कं. लि., नई दिल्ली	जी. ग्राई. पाईप्स	15.56	23–10–80	100 प्रतिशत	—	—
47.	मै. बी. एस. टी., नई दिल्ली	”	12.32	जून, 81	100 प्रतिशत	—	—
48.	मै. पीप्को इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इले., नई दिल्ली	इन्ट्रामाईटक्यूनिकेशन सिस्टम	9.00	जून, 81	65 प्रतिशत	35 प्रतिशत	शेष सामान नवम्बर, 81 तक ग्राने संभावना है।
49.	मै. थरमेक्स इण्डिया, पूना	स्टार्ट ग्रप बॉयलर	37.00	मार्च, 81	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	शेष सामान नवम्बर, 81 तक ग्राने की संभावना है।
50.	मै. इण्डस्ट्रियल केबल्स, राजपुरा	कन्स्ट्रक्शन पॉवर केबल्स	5.00	मार्च, 79	100 प्रतिशत	—	—
51.	मै. बल्कव लावल, पूना	125/30 टन इ–ग्रो. टी ब्रेन	22.50	जनवरी, 80	100 प्रतिशत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	मै. एलीकोब इंजि. कं., बल्लभ विद्या नगर	टरबाइन ल्यूब ग्रायल प्युरिफिकेशन सिस्टम	4.40	मई, 80	100 प्रतिशत	—	—
53.	मै. जोहस्टन पम्प्स, कलकत्ता	एक्यूलेटिंग वाटर पम्प	55.25	अक्टूबर, 80	20 प्रतिशत	—	—
54.	मै. डी. रेन एण्ड कं., कलकत्ता	रबर स्कस्पेन्शन ज्वाइंट्स	4.00	जून, 80	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	शेष सामान निरीक्षण हेतु तैयार है।
55.	मै. फोरेस इंजि., बैंगलोर	बटर फ्लाई वाल्व	10.31	दिसम्बर, 80	100 प्रतिशत	—	—
56.	मै. ई. सी. ई., नई दिल्ली	पैसेन्जर कम गुड्स ऐलीवेटर	4.06	दिसम्बर, 80	—	100 प्रतिशत	—
57.	मै. सिमको, भरतपुर	2515 टन भोलियथ क्रेन	11.27	अप्रेल, 80	—	—	शेष सामान निरीक्षण के लिये अक्टूबर में दिया जायेगा।
58.	मै. किर्लोस्कर न्यूमेटिक, पूना	प्लांट सर्विस एयर कम्प्रेशर	7.01	जून, 80	100 प्रतिशत	—	—
59.	मै. के. जी. खोसला, नई दिल्ली	इन्स्ट्रूमेन्ट्स एयर कम्प्रेशर	8.87	जून, 80	100 प्रतिशत	—	—
60.	मै. जि. मो. मिलर एण्ड कम्पनी, दिल्ली	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	164.4	अगस्त, 80	100 प्रतिशत	—	—
61.	मै. एल. एण्ड टी., नई दिल्ली	मिसलेनियस पम्प्स	3.05	जून, 80	100 प्रतिशत	—	—
62.	मै. प्रिटेज चोटन, नई दिल्ली	"	1.85	मार्च, 80	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	शेष सामान का निरीक्षण किया जा चुका है तथा डिस्पेच आदेश दिये जा चुके हैं।
63.	मै. त्रिवेणी इंजि., बम्बई	"	0.39	फरवरी, 81	—	100 प्रतिशत	आयातित पुर्जों में देरी के कारण सामान

Page No. 299

1	2	3	4	5	6	7	8
							सप्लाई में विलम्ब हुआ, अक्टूबर, 81 में सप्लाई पूरी होने की संभावना है।
64.	मै. इन्डयर प्रा. लि., नई दिल्ली	एश. हैण्डलिंग प्लांट	74.00	जून, 81	38 प्रतिशत	62 प्रतिशत	शेष सामान की सप्लाई प्रगति पर है।
65.	मै. ट्रेक्टर इण्डिया, नई दिल्ली	40 टन माउटेड क्रेन	29.68	मार्च, 80	100 प्रतिशत	—	—
66.	मै. टेल्को, नई दिल्ली	75 टन कोलर क्रेन	20.89	जुलाई, 81	100 प्रतिशत	—	क्रेन डिस्पेच हो चुकी है।
66-A	मै. नेशनल इन्जि., बड़ौदा	ई. डी. एस. एण्ड एफ. ग्रो. एस. एच. हीट एक्स-चेन्जर	2.844	दिसम्बर, 80	100 प्रतिशत	—	
67.	मै. एयर कम्फोर्ड, नई दिल्ली	वेन्टीलेशन सिस्टम	94.43	ग्रगस्त, 80	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	शेष सामान अक्टूबर, 81 के निरीक्षण के लिये किया जावेगा और उसी महिने में सप्लाई पूरी होने की संभावना है।
68.	मै. बी. एस. टी. इंजीनियरिंग, नई दिल्ली	लो प्रेशर पाईप वर्क्स	163.90	नवम्बर, 80	98 प्रतिशत	2 प्रतिशत	,,
69.	मै. ग्रार. डी. वर्मा एण्ड कं., नई, दिल्ली।	मिसलेनियस होईस्ट एण्ड क्रेन	2.00	जुलाई, 80	100 प्रतिशत	—	—
70.	मै. एल. एण्ड टी., नई दिल्ली	मिसलेनियस पम्प्स	1.75	नवम्बर, 80	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	शेष सामान के निरीक्षण दौरान सही।

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	मै. ग्रिव्ज कॉटन, नई दिल्ली	मिसलेनियस पम्प्स	14.8	अप्रेल, 80	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत	होने से पुनः सही सामान निरीक्षण हेतु प्रेषित करने के लिये कार्यवाही की गई है । शेष सामान की अक्टूबर, 81 तक सप्लाई करदी जावेगी ।
72.	मै. इलेक्ट्रालाईजर कॉरपोरेशन, कनाडा ।	हाइड्रोजन जर्नेटिंग प्लान्ट	25.0	जनवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—
73.	मै. ईस्टर इक्वीपमेंट एण्ड सेल्स लि., नई दिल्ली ।	ग्रेस होल्डर फार हाईड्रोजन जनरेटिंग प्लान्ट	0.9	जनवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—
74.	मै. प्रगति इन्जीनियरिंग, कलकत्ता ।	हाईड्रेन्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	27.39	जनवरी, 82	5 प्रतिशत	95 प्रतिशत	बाकी सामान मंगाने की कार्यवाही की जा रही है ।
75.	मै. माथुर एण्ड प्लान्टे, दिल्ली	गुलसीफायर सिस्टम	18.15	मार्च, 81	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	बाकी सामान मंगाने की कार्यवाही की जा रही है, बाकी सामान सप्लायर्स के पास तैयार है ।
76.	मै. महेन्द्रा स्पाईसर्स लि., बम्बई	ट्रावलिंग वाटर स्कीम	37.63	नवम्बर, 80 मार्च, 81	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	—
77.	मै. गांधी उद्योग, आगरा,	एम्प्टी सी. ग्रो. टू. गैस सिलेण्डर	1.15	फरवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	मै. इण्डिया इंजि., नई दिल्ली	हाइड्रोजन गैस सिलेण्डर	2.36	मार्च, 80	100 प्रतिशत	—	—
79.	मै. ग्राई. एस. जी. ई. पी., जमुनानगर	क्लोरीन गैस कन्टेनर	1.90	ग्रप्रेल, 81	—	100 प्रतिशत	सामान का निरीक्षण हो चुका है, सप्लाई ग्रक्टु., 81 में होने की संभावना है।
80.	मै. इण्डियन इंजी., नई दिल्ली	टेस्ट गैस स्लेण्डर	0.22	जनवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—
81.	मै. वोल्टाज लि., नई दिल्ली	एयर कन्डीशनिंग कम्प. प्लान्ट	45.0	ग्रक्टूबर, 81	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत	सामान की सप्लाई प्रगति पर है एवं सप्लाई नव., 81 में पूरी होने की संभावना है।
82.	मै. शंकर शाह, नई दिल्ली	पुलिंग एवं लिफ्टिंग मशीन	0.23	जनवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—
83.	मै. डब्लू. एच. ब्रांडी, नई दिल्ली	कलैम्प थिम्बल ग्रादि	0.06	दिसम्बर, 80	100 प्रतिशत	—	—
84.	मै. केशर सन्स, नई दिल्ली	वाटर रोप्स	0.41	फरवरी, 81	100 प्रतिशत	—	—
85.	मै. मेहता एसोसियेटेड, ग्रहमदाबाद	गुसली फायर सिस्टम ल्यूब ग्रायल टैंक	17.57	ग्रक्टूबर, 81	—	—	—
86.	मै. एशियन मार्केटिंग कं., कलकत्ता	10 टन विंच	1.30	दिसम्बर, 80	—	100 प्रतिशत	शेष सामान ग्रक्टूबर तक सप्लाई होने की संभावना है।
87.	मै. वालकन लावल, पूना	वी. सी. डब्लू. प्लेट हीट एक्सचेन्जर	18.98	जून, 81	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	शेष सामान निरीक्षण हेतु तैयार है।
88.	मै. जैन स्ट्रक्चरर्स, कोटा	एस. एम. साईड फार टी. डब्लू. स्क्रीन	2.27	फरवरी।ग्रप्रेल, 81	100 प्रतिशत	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	मै. निहाल चन्द एण्ड सन्स, जयपुर	टी. डब्लू. वाश वाटर पम्प	4.55	मई, 82	—	—	—
90.	मै. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा	इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड पम्प कन्ट्रोल सिस्टम	800.00	सितम्बर, 82	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	शेष सामान की सप्लाई प्रगति पर है। तथा समयानुसार पूरी होने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
91.	मै. बी. एच. ई. एल., हैदराबाद	2×110 एम. डब्लू. टरबो जनरेटर सेट्स	2300.00	मार्च, 81 प्रथम सित., 81 द्वितीय	99 प्रतिशत	1 प्रतिशत	—
92.	मै. एच. एम. टी., बैंगलौर	वर्कशोप इक्वीपमेंट	6.00	अक्टू.।नव., 81	—	—	—
93.	मै. एयर कन्डीशन कारपोरेशन, कलकत्ता	स्टोरेज एयर कन्डीशनर	0.84	दिसम्बर, 80	100 प्रतिशत	—	—
94.	मै. जैन स्ट्रक्चरस, कोटा	स्टोप लोंग एवं स्लूईस्गेट	12.53	फरवरी।मार्च, 82	—	—	—
95.	मै. एशियाटिक लि.	कन्ट्रोल पैनल्स एम. पी. सी. वाश वाटर पम्प्स	2.55	दिसम्बर, 80	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत	—
96.	मै. वलकन लावल, पूना	पोर्टेबल सेन्ट्रीफ्यूज	10.09	दिसम्बर, 81	—	—	—
97.	मै. वल्टम हाइड्रोजन, नई दिल्ली	12.5 टन ट्रेन	13.82	अक्टूबर, 81	—	—	सामान निर्धारित अवधि पर सप्लाई होने की संभावना है।
98.	मै. रेफरिजिरेशन एण्ड एयर कन्डीशन, नई दिल्ली	एवोप्रेटिंग कूलिंग प्लांट	211.77	मार्च, 81 प्रथम जून, 82, द्वितीय	—	—	
99.	मै. वोल्टार्स लि., नई दिल्ली	उटन फार्क लिफ्टर	35.67	अक्टूबर, 81	—	—	सामान निर्धारित अवधि पर सप्लाई होने की संभावना है।
100.	मै. विजय वायर अप्रेटस एण्ड कं., बम्बई।	7 किलोग्राम सी ओट फाइबर एक्स्टींमयसर	0.47	जनवरी, 82	—	—	
101.	मै. कमल एण्ड कम्पनी, कोच वर्क्स, जयपुर	फोम क्रेश ट्रेडर	22.45	अक्टूबर, 81	—	—	—

Page No. 303

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 253 की तालिका

परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 और 2 के बन्द व चालू होने तथा बन्द के कारण का विवरण तालिका वर्ष 1980-1981

यूनिट-1

माह, दिनांक	चालू (समय)	बन्द (समय)	बन्द होने का कारण
1	2	3	4
17-5-80	—	5.33	स्टेशन फाल्ट
20-5-80	6.00	11	—
20-5-80	—	11.45	,,
20-5-80	12.50	—	—
27-5-80	—	20.58	,,
29-5-80	20.17	—	—
30-5-80	—	23.34	ग्रिड फाल्ट
1-6-80	10.55	—	—
8-6-80	—	17.56	स्टेशन फाल्ट
13-6-80	22.17	—	—
1-7-80	—	13.58	,,
5-7-80	7.31	—	,,
25-7-80	—	16.27	—
29-7-80	8.18	—	—
11-8-80	—	10.55	,,
14-8-80	00.44	—	,,
18-8-80	—	14.28	ग्रिड फाल्ट
21-8-80	14.45	—	—
24-8-80	—	22.53	कारण ज्ञात नहीं।
26-8-80	19.42	—	—
7-9-80	—	13.17	ग्रिड फाल्ट
9-9-80	12.16	—	—
12-10-80	—	00.27	नियोजित शट डाउन
24-10-80	14.24	—	—
18-12-80	—	20.07	स्टेशन फाल्ट
28-1-81	17.25	—	—
2-3-81	—	01.53	स्टेशन फाल्ट
5-3-81	06.18	—	—
22-3-81	—	01.02	नियोजित शट डाउन
31-3-81	16.37	—	—

Page No. 304

(304)

यूनिट-2

(इस यूनिट ने माह नवम्बर, 80 से ट्रायल बैसिस पर उत्पादन करना शुरू किया है।)

माह/दिनांक 1	चालू (समय) 2	बन्द (समय) 3	बन्द होने का कारण 4
2-11-80	12.40	—	—
2-11-80	—	13.37	ग्रिड फाल्ट
3-11-80	17.50	—	—
3 11-80	—	22.28	स्टेशन फाल्ट
12-11-80	23.50	—	,,
24-11-80	14.15	13.40	,,
26-11-80	—	23.57	नियोजित शट डाउन
29-11-80	20-31	23.32	स्टेशन फाल्ट
30-11-80	04.15	—	,,
1-12-80	—	12-33	,,
20-12-80	5.65	6.14	,,
21-12-80	14.56	—	,,
24-12-80	—	8-00	ग्रिड फाल्ट
1-1-81	17,55	—	
8-2-81	—	00.51	नियोजित शट डाउन
13-2-81	15.20	—	
20-2-81	—	05.27	स्टेशन फाल्ट
20-2-81	7.49	—	
20-2-81	—	22.06	नियोजित शट डाउन
3-3-81	10.38	—	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची

बीमारियों से बचिए

(1) पीने के लिये नल अथवा किटाणुनाशक दवा द्वारा शुद्ध किये गए कुए के जल का प्रयोग करिये अथवा पानी उबाल कर पीजिये। दूध भी उबाल कर ही पीजिये।

(2) भोजन ताजा, गर्म, ढका हुआ एवं धूल तथा मक्खियों से सुरक्षित ही प्रयोग कीजिये।

(3) कटे, गले, सड़े फल व सब्जियां तथा बिना ढकी मिठाई व नमकीन का सेवन न करें।

(4) व्यक्तिगत एवं पास-पड़ौस की सफाई रखें व नालियां साफ रखें ताकि पानी रुकने न पाये।

(5) भोजन करने से पहले एवं शौच करने के बाद हाथ भली भांति अवश्य धोइये।

(6) उल्टी व दस्त होने पर रोगी को तुरन्त अस्पताल ले जाकर इलाज करवाइये।

(7) बुखार होने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता से अस्पताल में अपने खून की जांच निःशुल्क करवाइये और क्लोरोकुइन की गोलियों का सेवन कीजिये। मलेरिया घोषित होने पर पूरा इलाज करावें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष मलेरिया दल कार्यरत हैं।

(8) इन दिनों आंख दुखने की बीमारी (eye flu) विषाणु (virus) द्वारा फैल रही है जो छूत की बीमारी है। अतः रोगी का रूमाल, तौलिया आदि का प्रयोग परिवार के अन्य सदस्य नहीं करें। नेत्र विशेषज्ञ—सांगानेरी गेट, पुरानी बस्ती, मोती कटला व जाजू डिस्पेन्सरी में निःशुल्क इलाज हेतु नियुक्त हैं।

(9) शहर के समस्त राजकीय अस्पतालों व मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों पर इलाज के साथ-साथ हैजा व मोतीझरा से बचाव के रोग-निरोधक टीके एवं जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीन की गोलियों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।

(12) चिकित्सक दल भी इस कार्य में कार्यरत हैं।

(10) जयपुर शहर में बीमारी या महामारी की सूचना चिकित्सा नियंत्रण केन्द्र टेलीफोन नं. 61863 पर अवश्य दीजिये।

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रसारित एवं आॅफसेट प्रेस (प. क.), जयपुर में मुद्रित— 2,00,000-292-81।

(306)

दुखती आंखः (Eye Flu) का सही उपचार

इन दिनों आंख दुखने की बीमारी (Eye Flu) विषाणु (Virus) द्वारा फैल रही है, जो छूत की बीमारी है। अतः रोगी का रूमाल, तौलिया आदि का प्रयोग परिवार के अन्य सदस्य नहीं करें ।

बच्चों को यह रोग होने पर स्कूल न भेजिये ।

नेत्र विशेषज्ञ निम्नांकित राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज के लिये नियुक्त हैं:-

1. सांगानेरी गेट डिस्पेन्सरी ।

2. पुरानी बस्ती डिस्पेन्सरी।

3. मोतीकटला डिस्पेन्सरी ।

4. जाजू डिस्पेन्सरी ।

उपरोक्त डिस्पेन्सरियों में डॉक्टर से सम्पर्क कर इलाज करायें। डॉक्टर की बिना सलाह के इलाज न करें। डॉक्टर इस प्रकार इलाज बताते हैं:-

(1) आंखों में मरहम कदापि न लगायें ।

(2) आंखों में डॉक्टर द्वारा बताई गई एन्टीबॉयोटिक दवा की बूंद प्रति आध घण्टे बाद प्रयोग करें ।

(3) ऐसी आंखों की दवाइयां जिसमें "कोरटीसोन" डली हो प्रयोग बार-बार न करें इससे आंखों में घाव पड़ने का डर है।

(4) एन्टीअलेर्जिक दवाइयां खाना भी अनिवार्य है।

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान' जयपुर द्वारा प्रसारित एवं राजकीय मुद्रणालय जोधपुर में मुद्रित 10,000-29-2-81.

आंख का दुखना (Eye Flu)

आंख दुखने की बीमारी (Eye Flu) छूत की बीमारी है। यह विषाणु (Virus) द्वारा होती है, जो हवा व पानी के माध्यम से आंखों तक पहुंचते हैं। डोक्टर की सलाह व उचित इलाज से आंखें 4-7 दिन में ठीक हो जाती हैं ।

लक्षण

आंखों में दर्द, जलन, खुजलाहट, पानी का आना, ललाई, पलकों पर सुजन व तीव्र चुभन का अनुभव ।

रोग के कारण

दूषित हाथ, अंगुलियां, पानी, तौलिया, रूमाल, गन्दगी तथा मक्खियां।

रोकथाम व बचाव

1. साफ रहिये एवं सफाई के प्रति सावधानी बरतिए।

2. पास पड़ौस को स्वच्छ रखिए एवं मक्खियों से बचिए।

3. धूल, धूप, धुएं से आंखों को बचाइये।

4. यथा सम्भव स्वस्थ व्यक्ति, रोगी के निकट सम्पर्क में न आवें।

5. अत्यधिक प्रकाश से आंखों को बचावें, छाते व चश्मे का प्रयोग करें।

6. रोगी के रूमाल, तौलिया व वस्त्र आदि का प्रयोग मत कीजिये।

7. रोगी बालक को ठीक होने तक स्कूल मत भेजिये।

यह रोग प्रायः खतरनाक नहीं होता, किन्तु उपचार में देरी करने से खतरनाक हो सकता है, अतः डॉक्टर की सलाह से तुरन्त उपचार करवाइये।

सावधान।

1. दुखती आंखों में मरहम कदापि न लगायें।

2. डॉक्टर द्वारा बताई गई "एन्टी बायोटिक" दवा की बूंद प्रति आधे घण्टे बाद आंखों में डालिये।

3. "कार्टिसोन" युक्त दवाओं को बार-बार आंखों में डालने से घाव होने का खतरा है।

4. एन्टी अलेर्जिक दवाइयां खाना भी अनिवार्य है।

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रसारित एवं ऑफसेट प्रेस (प.क.), जयपुर में मुद्रित 78,000-29 2-8,

आंख दुखना या आंखें आना (कंजक्टीवाइटिस)

आंख दुखना या आखें आना आंखों का एक छूत का रोग है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया फफून्द या वायरस (विषाणु) के कारण होता है। इसमें आंख का सफेद भाग (दृष्टिपटल) और पलकों की भीतरी सतह को ढकने वाली पतली पारदर्शी झिल्ली लाल हो जाती है।

यह रोग प्रायः खतरनाक नहीं होता, किन्तु ठीक प्रकार से इलाज करवाने में देरी करने से नेत्र-ज्योति पर असर हो सकता है।

आंख दुखने का रोग अचानक हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं। 4-6 घंटे के भीतर रोग बहुत बढ़ भी सकता है। यह रोग किसी को भी हो सकता, है किन्तु 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसकी छूत अधिक लगती है।

लक्षण :

यह रोग एक आंख या दोनों आंखों में खुजलाहट के साथ शुरू होता है। आंख लाल हो जाती है और पलके सूज जाती हैं। शुरू में आंखों से पानी या पतली कीच-सी निकलती है। इसके बाद आंखों में गाढ़ी-सी सफेद या पीलापन लिये सफेद कीच-सी इकट्ठी हो जाती है। आंख खोलना मुश्किल हो जाता है और रोगी प्रकाश सहन नहीं कर सकता। यदि इलाज न करवाया जाये तो आंख की पुतली में फोड़ा हो जाता है और आंख की पुतली पर सफेदा, माढा या फूला बन जाता है और सदा के लिये नेत्र-ज्योति नष्ट हो सकती है।

रोग कैसे फैलता है ?

यह रोग दूषित हाथ या अंगुलियां आंखों पर लगाने से, दूषित तौलियां, रूमाल आदि से आंखें पोंछने से और रोगी की अन्य दूषित चीजों के प्रयोग से भी फैलता है। मक्खियां भी इस रोग को रोगी से दूसरों तक पहुचा देती है। यह रोग धूल, धुआं, गन्दे पानी में नहाने या रोगी की सुरमा डालने की सलाई का इस्तेमाल करने से या एक ही अंगुली द्वारा एक से अधिक बच्चों के काजल लगाने से भी हो जाता है।

इस रोग का इलाज यदि ठीक प्रकार से करवाया जाय तो 4 से 7 दिन में रोग ठीक हो सकता है। इसके लिये रोगी को अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होती।

रोग की रोकथाम :

इस रोग की रोक थाम का सबसे उत्तम उपाय साफ रहना, सफाई के प्रति सावधानी बरतना और पास-पड़ौस को साफ-सुथरा रखना है। रोगी के प्रतिदिन काम में आने वाले तौलिये रुमाल और वस्त्रों को जब तक अच्छी तरह साफ न कर लें दूसरों के कपड़ों के साथ न मिलायें। भीड़-भाड़ से बचकर रहें। नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें:—

रोगी के रूमाल, तौलिये और अन्य वस्त्रों को उसके दुबारा प्रयोग करने के पूर्व धो लें। अच्छा तो यह होगा कि उन्हें गर्म पानी में साफ करें।

यदि किसी बच्चे को यह रोग हो जाय तो उसके ठीक होने तक उसे स्कूल न जाने दें।

अत्यधिक प्रकाश से आंखों को बचाने के लिये धूप का चश्मा पहनें अथवा छाते का प्रयोग करें या सिर पर इस प्रकार कोई साफ कपड़ा रख लें जिससे आंखों पर धूप की चमक न पड़े। रोगी का चश्मा किसी और को न पहनने दें।

जहां आंख दुखने की बीमारी काफी मात्रा में फैली हो वहां तालाब या स्विमिंग पूल (तरण ताल) में नहाने से परहेज करें।

आंखों को प्रतिदिन साफ पानी से 3-4 बार धोयें ।

3-4 दिन तक घर में रहकर आराम करें। तुरन्त डॉक्टर की राय लें। ऐसा करने से एक तो रोग जल्दी ठीक हो जायेगा और दूसरे इससे अन्य लोगों में रोग फैलने का भय कम हो जायेगा।

घर में सभी के लिये एक ही सुरमा-सलाई का उपयोग न करें।

आंखों में काजल न डालें।

याद रखियें—

आंख दुखनी आना एक छूत का रोग है !

रोग वैसे तो खतरनाक नहीं है, किन्तु इलाज में देर करने से खतरनाक हो सकता है।

आंखों में खुजलाहट, आंखों में पानी आना, पलकों में सूजन, आंखों में लाली, आंखों से कीच आना इस रोग के लक्षण हैं।

यह रोग दूषित अंगुलियों द्वारा आंखों को छूने से और रोगी के कपड़े, तौलिया, रूमाल आदि का उपयोग करने से फैलता है।

रोग का ठीक ढंग से इलाज करवाने से यह रोग 4-7 दिन में ठीक हो जाता है।

साफ रहने और सफाई के प्रति सावधानी बरतने से रोग की रोक थाम में मदद मिलती है।

अपने पास-पड़ोस को भी साफ-सुथरा रखें। मक्खियों से बचे रहें।

आंखें आपका ध्यान रखती हैं
आप उनका ध्यान रखियें

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि विकार निवारण एवं दृष्टि विहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए संकलित एवं प्रकाशित।

मुद्रक:—इम्पीरियल कलेन्डर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता—700013

NO 2/3/78-PPVI हिन्दी 2,00,000 फरवरी 1979

(310)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों पर कार्यरत महिला चिकित्सकों की सूची :—

1	2	3	5	5
1.	ग्रामीण प.क. केन्द्र	पीसांगन (अजमेर)	डा. (श्रीमती) नीता विजयवर्गीय	
2.	,,	श्रीनगर (अजमेर)	डा. (श्रीमती) मंजू चतुर्वेदी	
3.	,,	अराई (अजमेर)	डा. (श्रीमती) छावड़िया	
4.	,,	भिनाय (अजमेर)	डा. (श्रीमती) लाज जोशी	
5.	,,	गोविन्दगढ़ (अलवर)	डा. (श्रीमती) सुधा माथुर	
6.	,,	टहला (अलवर)	डा. (श्रीमती) कौशल्या	
7.	,,	मालाखेडा (अलवर)	डा. (श्रीमती) माधुरी शर्मा	
8.	,,	माजरी कलां (अलवर)	डा. (श्रीमती) मयूरा गुप्ता	
9.	,,	रेणी (अलवर)	डा. (सुश्री) मधु बारेठ	
10.	,,	तलवाडा (बांसवाड़ा)	डा. (श्रीमती) निशि परमार	
11.	,,	कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)	डा. (सुश्री) सकीना बानू	
12.	,,	जुरहेरा (भरतपुर)	डा. (श्रीमती) सन्तोष गुप्ता	
13.	,,	परतापुर (बांसवाड़ा)	डा. (श्रीमती) रेहाना तहसीन	
14.	,,	आसिन्द (भीलवाड़ा)	डा. (श्रीमती) वीना माथुर	
15.	,,	हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)	डा. (श्रीमती) आशा भण्डारी	
16.	,,	जहाजपुर (भीलवाड़ा)	डा. (श्रीमती) उमा गुप्ता	
17.	,,	कोलायत, (बीकानेर)	डा. (श्रीमती) शीला ऊमन	(कार्यग्रहण की सूचना प्राप्त नहीं है)
18.	,,	तालेड़ा, (बूंदी)	डा. (श्रीमती) प्रेमलता जैन	
19.	,,	सावा, (चित्तौड़)	डा. (श्रीमती) कमला गुरबानी	
20.	,,	सागवाड़ा, (डूंगरपुर)	डा. (श्रीमती) रीता जोशी	
21.	,,	सिमलवाड़ा	डा. (श्रीमती) शुभा शर्मा	
22.	,,	रावतसर, (गंगानगर)	डा. (श्रीमती) इन्दु सेठी	
23.	,,	श्रीकरणपुर (गंगानगर)	डा. (श्रीमती) हरवन्स खन्ना	
24.	,,	रायसिंहनगर (गंगानगर)	डा. (श्रीमती) प्रमोद कटारिया	
25.	,,	वाटिका (जयपुर)	डा. (श्रीमती) ऊषा भदोरिया	
26.	,,	फागी (जयपुर)	डा. (श्रीमती) जयन्ती सक्सैना	
27.	,,	कोटखावदा (जयपुर)	डा. (श्रीमती) साधना कौल	
28.	,,	बस्सी (जयपुर)	डा. (श्रीमती) निर्मला पुरोहित	
29.	,,	किशनगढ़ रैनवाल (जयपुर)	डा. (सुश्री) सुधा पारीक	
30.	,,	मानपुर (जयपुर)	डा. (श्रीमती) किरन सोलंकी	

1	2	3	4	5
31.	ग्रामीण प.क. केन्द्र	कालाडेरा (जयपुर)	डा. (श्रीमती) वीना गुप्ता	
32.	,,	मण्डावरी (जयपुर)	डा. (श्रीमती) गीता माहेश्वरी	
33.	ग्रामीण प.क. केन्द्र	विचून, (जयपुर)	डा. (श्रीमती) आभा सेठी	(कार्यग्रहण की सूचना प्राप्त नहीं हुई।)
34.	,,	पड़िहारा, (चूरु)	डा. (श्रीमती) उमा जैन	
35.	,,	माण्डोलीनगर, (जालौर)	डा. (श्रीमती) निर्मला तातेड़	
36.	,,	भीनमाल (जालौर)	डा. (श्रीमती) सुधा माथुर	
37.	,,	पिपाड़सीटी, (जोधपुर)	डा. (श्रीमती) प्रेरणा सांखला	
38.	,,	आंवा, (कोटा)	डा. (श्रीमती) श्याम प्रभा भटनागर	
39.	,,	मोड़क स्टेशन, (कोटा)	डा. (श्रीमती) रंजना गुप्ता	
40.	,,	पीपलिया, (पाली)	डा. (श्रीमती) शोभासिंह	(कार्यग्रहण की सूचना प्राप्त नहीं हुई।)
41.	,,	मण्डावर, सवाईमाधोपुर)	डा. (श्रीमती) सुलोचना सिंघल	
42.	,,	कालचन्द्री, (सिरोही)	डा. (श्रीमती) सुषमा माथुर	
43.	,,	आबू रोड, ,,	डा. शशि बाला	
44.	,,	रेवदर ,,	डा. (श्रीमती) वीना सक्सैना	
45.	,,	मालपुरा, (टोंक)	डा. (श्रीमती) सरोज कर्नावट	
46.	,,	आमेट (उदयपुर)	डा. (श्रीमती) स्नेहलता मेहता	
47.	,,	देवगढ़ ,,	डा. (श्रीमती) देवी ददलानी	
48.	,,	कानोर ,	डा. (श्रीमती) एस. शुक्ला	
49.	,,	रिछेड़ ,,	डा. (श्रीमती) कृष्ण सरुपिया	
50.	,,	राजसमन्द ,,	डा. (श्रीमती) पुष्पाखलनानी	
51.	,,	रिखबदेवजी ,,	डा. (श्रीमती) अनिता द्विवेदी	
52.	,,	सनवार ,,	डा. (श्रीमती) सुशीला जैन	
53.	,,	सलूम्बर ,,	डा. (सुश्री) नन्दू कुमारी डांगी	

———

परिशिष्ट 21

अतारांकित संख्या प्रश्न संख्या 272 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

सूची जिन पत्रकारों को मकान आरक्षण/आवंटन किये गये।

क्रम संख्या 1	नाम 2	माप 3	नगर एवं कोलोनी 4
1.	श्री शरद देवड़ा	40×60	जवाहर नगर, जयपुर
2.	श्री होरेन मुकर्जी	40×60	जवाहर नगर, जयपुर
3.	श्री महेश शर्मा	40×60	जवाहर नगर, जयपुर
4.	श्री कमल नागपाल	7.5×15	श्री गंगानगर
5.	श्री भंवर शर्मा "अटल"	40×90	विज्ञान नगर, कोटा
6.	श्री रामावतार वशिष्ट	25×50	सी. ई. बी., अलवर
7.	श्री वंशीधर पुरोहित	18×35	नाहरी का नाका, जयपुर
8.	श्री नन्द कुमार शर्मा	6×15	मालवीय नगर, जयपुर
9.	श्री सुशील कुमार चावला	6×15	पावनपुरी, बीकानेर
10.	श्री पुषोत्तम लाल शर्मा	18×35	सी. ई. ब्लाक, अलवर

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा 1961 से 1970 तक की अवधि में पत्रकारों को आवंटित भू-खण्डों की सूची

क्रमांक	पत्रकार का नाम	पत्र जिसका प्रतिनिधित्व करते है	भूमि आवंटित करने की सिफारिश करने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री एस. एन खन्ना	हिन्दुस्तान टाइम्स	28-7-61
2.	श्री आर. एम. सांघी	हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड	,,
3.	श्री सुधाकर शास्त्री	लोकवाणी	,,
4.	श्री एम. एल. गुप्ता	राष्ट्रदूत	,,
5.	श्री के. के. शर्मा	लोकवाणी	,,
6.	श्री रेवाशंकर	लोकवाणी	,,
7.	श्री डी.डी. भारद्वाज	स्टेट्समैन	,,
8.	श्री अमरनाथ चतुर्वेदी	लोकवाणी	,,
9.	श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी	नवभारत टाइम्स	,,
10.	श्री विपिन प्रभाकर	मशाल	,,
11.	श्री राजेन्द्र कुमार अजेय	यातायात संदेश	,,
12.	श्री सोमदेव	राष्ट्रदूत	,,
13.	श्री दिनेश खरे	राष्ट्रदूत	,,
14.	श्री एम. एन. तिवाड़ी	लोकवाणी	,,
15.	श्री आई. एम. बापना	लोकजीवन	,,
16.	श्री सीताराम भालानी	लोकजीवन	,,
17.	श्री जयसिंह	राष्ट्रदूत	,,
18.	श्री ऋषिकुमार मिश्र	नवयुग	,,
19.	श्री हरिप्रसाद शर्मा	राष्ट्रदूत	,,
20.	श्री गोपाल पुरोहित	राष्ट्रदूत	,,
21.	श्री कर्पूरचन्द कुलिश	राजस्थान पत्रिका	,,
22.	श्री पी.सी. छावड़ा	लोकवाणी	,,
23.	श्री टी.एन. कौल	टाइम्स ऑफ इण्डिया	,,
24.	श्री सौभाग्यमल जैन	राष्ट्रदूत	,,
25.	श्री कैलाश मिश्र	मशाल	,,
26.	श्री यादवेन्द्र कवियोगी	लोकवाणी	,,
27	श्री हरेन्द्र चौधरी	अमरज्योति	,,

Page No. 314

(314)

1	2	3	4
28.	श्री शिवपूजन त्रिपाठी	राष्ट्रदूत	28-7-61
29.	श्री गुलाब चन्द्र काला	जयभूमि	"
30.	श्री ऐ. एन. मिश्रा	लोकवाणी	"
31.	श्री वाई. के. गुरु	नवयुग	"
32.	श्री तपेसा वेडवाल	राष्ट्रदूत	"
33.	श्री सुभाष मोदी	अलवर पत्रिका	"
34.	श्री हरिदत्त पाठक	हिन्दुस्तान समाचार	23-8-62
35.	श्री रूपनारायण पाण्डे	लोकवाणी	"
36.	श्री कालीचरण पाण्डे	राष्ट्रदूत	"
37.	श्री विजय भण्डारी	राजस्थान पत्रिका	"
38.	श्री राजेश माथुर	राजस्थान पत्रिका	"
39.	श्री विश्वनाथ वामल काले	राजस्थान पत्रिका,	"
40.	श्री भंवर शर्मा	राष्ट्रदूत	"
41.	श्री एम. पी. जैन	अमृतबाजार पत्रिका	7-10-66
42.	श्री ए. पी. पलियान	नवज्योति	"
43.	श्री राधेश्याम शर्मा	अमर राजस्थान	"
44.	श्री भंवर सुराणा	हिन्दुस्तान दिल्ली	"
45.	श्री प्रकाश बंशल	शान्तिदूत	"
46.	श्री कालू राम गुप्ता	राष्ट्रदूत	"
47.	श्री सदाशिव	राजस्थान पत्रिका	"
48.	श्री हीरानन्द जिन्दा	हिन्द न्यूज	"
49.	श्री डी. पी. चौधरी.	नवज्योति	"
50.	श्री त्रिलोकी नाथ	राष्ट्रदूत	"
51.	श्री बृज भूषण शर्मा	सीमा सन्देश	"
52.	श्री सूर्य प्रकाश	वैज्ञानिक बालक	"
53.	श्री गंज कुमार शर्मा	अधिकार साप्ताहिक	"
54.	श्री विष्णु शर्मा	अधिकार दैनिक	"

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची

नगर परिषद्, अजमेर

अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी बनाने के कच्चे माल जरदा व पत्ता दिनांक 1-4-80 से 31-8-81 तक आयात हुआ जिसकी सूची ।

क्रमांक	नाम पार्टी	जरदा (वजन के.जी. में)	चुंगी राशि	पत्ता (वजन के.जी. में)	चुंगी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	रामसिंह शंकरसिंह	48853 के.जी.	1465.59	9289.38	4644.70
2.	जनता बीड़ी	138.97	416.31	412.37	206.19
3.	ठाकुरदास रेवाचन्द	182.14	546.42	372.68	186.34
4.	गोपाल बीड़ी वर्क्स	24.08	72.24	98.40	49.24
5.	तिलोकचन्द हंसराज	63.78	191.34	273.80	136.90
6.	अशोककुमार अंबालाल	54.68	164.04	21.10	10.55
7.	जयनारायण	59.58	178.74	186 क्वि.	93.00
8.	खंडेलवाल ब्रदर्स	36.00	108.00	82.00	41.00
9.	प्रेसूमल नारायणदास	6.11	18.33	69.50	34.75
10.	मुरलीधर रामधन	141	4.23	228 क्वि.	104.00
11.	कल्याण	120	3.60	1 क्वि.	00.50
12.	राधाकिशन	62	1.86	64.50	32.25
13.	खूबचन्द	23.10	69.30	7 क्वि.	3.50
14.	सेवाराम	155.91	467.73	265.70	126.85
15.	जमनालाल	1740	52.20	48.56 क्वि.	24.28
16.	सूरजमल	27.36	82.08	50 क्वि.	25.00
17.	चन्द्र प्रकाश	3305	99.15	—	—
18.	चन्दन इन्टर प्राइजेज	48 क्वि.	144.00	—	—
19.	आनन्द कुमार	86.94	260.82	—	—
20.	चोरसिया तम्बाकू	704	21.12	—	—
21.	सेवाराम मंशाराम	28850	865.50	36 क्वि.	18.00
22.	श्रीराम टैम्बको	6820 केजी	204.60	38 क्वि.	19.00
23.	चंपालाल बालाप्रसाद	32.30	96.90	—	—
24.	जय मोहिनी	21.10	63.30	—	—
25.	अजमेर तम्बाकू	2956	88.68	—	—
26.	जी. सी. पटेल	140.61	421.83	—	—
27.	राजेन्द्र कुमार	117.37	352.11	437 केजी	2.19
28.	कालूराम	250	7.50	—	—

(316)

1	2	3	4	5	6
29.	मदन लाल	155केजी	4.65	225 केजी	1.13
30.	देवीदास बसरमल	123 केजी	3.69	—	—
31.	वन्दा	54 केजी	1.62	—	—
32.	घीसू लाल	60 केजी	1.80	—	—
33.	शिव प्रसाद	7750 केजी	332.50	—	—
34.	भाटिया	23333केजी	699.99	—	—
35.	भूरा भाई	8404केजी	253.20	—	—
36.	नोरतमल	—	—	7 क्वि.	3.50
37.	ग्यारसीलाल	—	—	600क्वि.	300.00
38.	राम स्वरूप	—	—	36 क्वि.	18.00
39.	मिरचूमल	—	—	36 क्वि.	18.00
40.	रामजी लाल	—	—	152.20	76.10
41.	शमशुद्दीन	—	—	1505 क्वि.	752.50
42.	मोहम्मद हुसैन	—	—	154 क्वि.	77.00
43.	हबीब रहमान	—	—	116 क्वि.	58.00
44.	गेहीमल पेसूमल	—	—	87 क्वि.	43.50
45.	नानक राम	—	—	2790 केजी	13.95
46.	प्रेमसिंह इन्द्रसिंह	—	—	1265.50	632.75
47.	ईसरदास	—	—	42 क्वि.	21.00
48.	शंकरलाल नाथूराम	—	—	46616केजी	233.64
49.	ज्ञानचन्द	—	—	7580केजी	37.90
50.	जेठमल गोपी किशन	—	—	144 क्वि.	72.00
51.	चुहड़मल	—	—	30 क्वि.	15.00
52.	दयाल दास	—	—	36 क्वि.	18.00
53.	राम चन्द्र	—	—	2 क्वि.	1.00
54.	भैरूंलाल	—	—	6292केजी	31.41
55.	जयसिंह	217क्वि.	651.61	50.90केजी	25.45
56.	मंगल	—	—	4.50 केजी.	2.25
57.	बिहारी लाल	20 केजी	00.60	8 क्वि.	4.00
58.	घनश्यामदास	—	—	41 क्वि.	20.50
59.	पेसूमल उमरावमल	—	—	4 क्वि.	2.00
60.	पन्नालाल	—	—	8280केजी.	41.40
61.	राम बीड़ी वर्क्स	1543केजी	46.29	36 क्वि.	18.00
62.	बसन्त तम्बाकू	175 केजी	5.25	250 केजी.	1.25
63.	अब्दुल मजीद	—	—	60 क्वि.	30.00
64.	सन्तोष कुमार	—	—	34 क्वि.	17.00
65.	ठाकूमल लेखराज	109.98केजी	329.94	60 क्वि.	30.00
66.	मुकेश कुमार	—	—	50 क्वि.	25.00
67.	अब्दुल हमीद एण्ड संस	—	—	60 क्वि.	30.00
68.	हीरानन्द ब्रदर्स	293 केजी	34.19	—	—
69.	जौहरीलाल प्रकाश	—	—	44 क्वि.	22.00
70.	मोहन लाल	—	—	2 क्वि.	1.00

317

1	2	3	4	5	6
71.	जगदीश	—	—	2 क्वि.	1.00
72.	गोविन्द	—	—	8 क्वि.	4.00
73.	जस्सा भाई	8850 केजी	264.60	—	—
74.	जे. के. टोबेको	—	—	46 क्वि.	23.00
75.	चंपालाल	725 केजी	21.75	—	—
76.	मुश्ताक	415 केजी	12.45	—	—
77.	निजामुद्दीन	—	—	84 क्वि.	42.00
78.	मांगीलाल	2158 केजी	64.74	30 क्वि.	15.00
79.	पैसूमल झम्मटमल	—	—	102 क्वि.	51.00
80.	खुशालदास झम्मटमल	—	—	350 केजी.	1.75
81.	प्रकाश चन्द	25 केजी	0.75	350 केजी	1.75
82.	भंवर लाल	—	—	40 केजी.	0.20
83.	रामेश्वर	—	—	40 केजी	0.20
84.	दरियानामल	—	—	84 क्वि.	42.00
85.	चौथमल	—	—	1 क्वि.	0.50
86.	जुगल किशोर	—	—	81 क्वि. 60 केजी.	40.80
87.	जहुर	—	—	60 क्वि.	30.00
88.	चुहड़ दो शेर बीड़ी	—	—	45 क्वि. 87 केजी	22.94

ह०/-
आयुक्त,
नगर परिषद, अजमेर ।

Page No. 318

(318)

परिशिष्ट-23

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची

नीलामी बोली दि. 30-3-81 में भाग लने वाले व्यक्तियों की सूची	नीलामी बोली दि. 15-9-81 में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची
1. श्री वेद प्रकाश सूद	1. श्री नवीन
2. श्री जबर सिंह	2. श्री जबर सिंह
3. श्री सुरेन्द्रसिंह	3. श्री अशोक कुमार
4. श्री कमल पाल सिंह	4. श्री अजय कुमार
5. श्री पारस लाल मोगरा	5. श्री देवेंन्द्र
6. श्री महाराजपाल भण्डारी	6. श्री गणेशसिंह
7. श्री सुन्दर लाल जी शर्मा,	7. श्री फतेहसिंह
8. श्री गुरु बचन सिंह	
9. श्री सरदार सिंह	

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 285 का विवरण-पत्र

विवरण पत्र संख्या—1

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	असेसमेन्ट कब तक हो चुका।	अवधि असेसमेंट बकाया	31-8-81 को बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र बलेन्द्रसिंह	80-81	शून्य	6250.00
2.	श्री कन्हैया लाल पुत्र रामचन्द्र	79-80	शून्य	63066.10
3.	श्री उत्तम चूना पत्थर उद्योग, गोटन	79-80	शून्य	शून्य
4.	श्री अब्दुल मजीद पुत्र हाजी असगर खां	80-81	शून्य	5718.00
5.	श्री रामूराम पुत्र मुगनाराम	80-81	शून्य	6250.00
6.	सर्व श्री गोटन लाइम खनिज उद्योग, गोटन	79-80	80-81	82141.10
7.	सर्व श्री आर. आई एम. डी. सी. लि., गोटन (वर्किंग परमिशन)	80-81	शून्य	शून्य
8.	,, (10 वर्गमील क्षेत्र)	79-80	शून्य	54734.00
9.	,, (4.45 वर्ग मी.)	80-81	शून्य	शून्य
10.	श्री गोपाल मिमानी, गोटन	79-80	80-81	3750.00
11.	श्री आदमभाई पुत्र मिठाभाई	नई लीज	शून्य	12500.00
12.	श्री ओम प्रकाश गोयल	नई लीज	शून्य	शून्य

विवरण पत्र सं. 2

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	क्या नोटिस दिया गया था	नोटिस कब दिया गया	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र अजेन्द्रसिंह	हां	25-7-81	नोटिस अवधि समाप्ति पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
2.	श्री कन्हैया लाल पुत्र रामचन्द्र	हां	16-9-80, 12-1-81 एवं 21-8-81	आदेश क्रमांक प. 4/48/खान.ग्रुप-2/81 दिनांक 10-9-81 से रु 30,000/- तत्काल जमा कराने व शेष राशि त्रैमासिक किश्तों में जमा करवाने के आदेश दिए गये हैं जिसके अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।
3.	सर्वश्री उत्तम चूना पत्थर उद्योग, गोटन	हां	17-2-81	नोटिस राशि जमा करवा दी गई है वर्तमान में कोई बकाया नहीं है ।
4.	श्री अब्दुल मजीद पुत्र श्री हाजी असगर खां	नहीं	शून्य	——
5.	श्री रामूराम पुत्र मुगनाराम	नहीं	,,	पत्र दिनांक 25-7-81 को चालू बकाया जमा करवाने हेतु पार्टी को लिखा गया है ।
6.	सर्व श्री गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग, गोटन	हां	7-3-81 एवं 20-9-81	7-3-81 के नोटिस के क्रम में पट्टे धारी द्वारा मार्च, 81 में 275-400 रु. जमा करवाये गये । 31-8-81 को पार्टी में 82141.16 बकाया हो गये थे जिसमें से 50,000 रु. दिनांक 14-9-81 को जमा करवाये गय हैं । अब वर्ष 80-81 की शेष अधिशुल्क की राशि

1	2	3	4	5
			—	की मांग कायम कर एवं 7-10-81 तक की किश्त की राशि को जोड़ते हुए कुल बकाया 1,14,176.16 रु. के लिए 15 दिवसीय नोटिस दिनांक 20-9-81 को दिया गया है ।
7.	सर्व श्री आर. आई. एम. डी. सी. लि., जयपुर (वकिंग परमिशन)	नहीं	शून्य	—
8.	" " (10 वर्ग मील क्षेत्र)	नहीं	शून्य	54,734/- रु. जमा करवाने हेतु पत्र दिनांक 25-7-81 को दिया गया जिसके तहत समस्त राशि दिनांक 21-9-81 को जमा करवा दी गई है ।
9.	" " (445 वर्ग मील)	नहीं	शून्य	—
10.	श्री गोपाल मिमानी	हां	13-8-81	नोटिस समयावधि समाप्ति पर, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
11.	श्री आदम भाई पुत्र मिठाभाई	नहीं	शून्य	चालू बकाया जमा करवाने हेतु, एक पत्र दिनांक 25-7-81 को दिया गया है ।
12.	श्री ओम प्रकाश गोयल	नहीं	शून्य	पार्टी में कोई बकाया नहीं है ।

(322)

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले सम्भावित सीमेंट के कारखानों की सूची:—

वृहद सीमेंट के कारखानें

क्रम संख्या	इकाई का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (लाख टनों में)	विनियोजन
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स श्रीराम केमिकल्स	लाडपुरा (कोटा)	2-00	10 करोड़ रु.
2.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड	दिगोद (कोटा)	4-20	1685 लाख रु.
3.	मैसर्स कुशल चन्द्र सुराणा	किवरली (सिरोही)	4-00	10-40 करोड़ रु.
4.	श्री सी. पी. कनोई	शंभुपुरा (चित्तौड़)	4-20	32 करोड़ रु.
5.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	,,	7-20	36 करोड़ रु.
6.	मैसर्स जिनिथ स्टील पाइप्स लि.	पारसोली (चित्तौड)	5-00	35 करोड़ रु.
7.	मैसर्स स्तू प्रोडक्ट्स. लि.	बनास (सिरोही)	4-18	15 करोड़ रु.
8.	मैसर्स श्री सीमेंट कम्पनी लिमिटेड	ब्यावर (अजमेर)	12-00	52 करोड़ रु.
	मिनी सीमेंट कारखाने			
9.	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लि.	गोटन (नागौर)	50,000 मैट्रिक टन	531 लाख रु
10.	श्री एम. एस.राजपुरोहित	आबूरोड (सिरोही)	66,000 मैट्रिक टन	322 ,,
11.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर।	गोटन (नागौर)	,,	950 ,,
12.	,,	कोटपूतली (जयपुर)	,,	750 ,,
13.	,,	जैतारण (पाली)	,,	750 ,,
14.	,,	नीम का थाना (सीकर)	,,	750 ,,

1	2	3	4	5
15.	मैं. राज राज्य औद्योगिक विकास एवं नियोजन निगम लि. जयपुर	बिलाड़ा (जोधपुर)	66,000 मे.ट.	750 लाख
16.	,,	आबू रोड (सिरोही)	,,	750 ,,
17.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.,	निम्बाहेड़ा	एक्सपन्शन आफ पोर्टलेण्ड सीमेंट प्लान्ट 4-20 लाख टन वार्षिक क्षमता (पूर्व क्षमता 7-20 लाख टन, एक्सपन्शन 4-20 लाख टन कुल क्षमता 11-40 लाख टन)	1350 लाख रुपये
18	मै. बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	प्रो. प्र. एक्सपन्शन आफ पोर्टलेण्ड सीमेंट प्लाट 3-30 लाख टन (पूर्व क्षमता 4-00 लाख टन एक्सपन्शन 3-30 लाख टन कुल क्षमता 7-30 लाख टन)	1980-00 लाख रुपये
19.	मै. उदयपुर सीमेंट वर्क्स,	मावली (उदयपुर)	एक्सपन्शन आफ पोर्टलेण्ड सीमेन्ट प्लांट, 4-00 लाख टन (पूर्व क्षमता 4-00 लाख टन एक्सपन्शन 4-00 लाख टन कुल क्षमता 8-00 लाख टन)	1500-00 लाख रुपये
		स्थापित सीमेंट उद्योग		
20.	मै. मंगलम् सीमेंट	मोडक (कोटा)	पोर्टलेण्ड सीमेंट 4-00 लाख टन वार्षिक क्षमता	1325 लाख रुपये
21.	मैसर्स राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि.	जोधपुर	ग्रेनाईट कटिंग एवं पालिसिंग संयत्र	—
21ए	,,	बांसवाड़ा	ग्रेफाइट बेनिफिशियेसन संयत्र	
		संभावित उद्योग		
22.	राजस्थान राज्य खनिज वि. लिमिटेट निगम	डूंगरपुर (नाणा कीपाल)	फलोराइट परिष्करण संयत्र	
23.	,,	बाड़मेर	बेन्टोनाईट पिसाई संयत्र	
24.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	झामर कोटरा (उदयपुर)	रॉक फास्फेट बेनिफिसियेशन पाईलट प्लान्ट 200 टन प्रति दिन	
25.	,,	,,	परिशोधन हेतु व्यवसायिक प्लान्ट	210 करोड रुपये
26.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. भारत सरकार का प्रतिष्ठान	अगुचा (भीलवाडा	लैंड जिंक सेल्टर प्लांट	

1	2	3	4	5
27.	मै. पाईराइट्स फोस्फेट एण्ड केमिकल्स (भारत-सरकार का प्रतिष्ठान)	सलादी पुरा (सीकर)	पाइराइट्स के भण्डारों के खनन् एवं उपयोग हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। उसके आधार पर ही कोई उद्योग लगाने का निर्णय हो सकेगा।	
28.	श्री विजय कुमार वैश्य बम्बई	झालावाड	ऐसवैस्टोज सीमेंन्ट एवं प्रेसर पाईप्स (36,000 टन वार्षिक)	315.0 लाख रु.
29.	श्री राम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज	लाडपुरा (कोटा)	केलशियम कार्बाइड 56,100 टी.पी.ए.	5.2 लाख रु.
30.	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	कोटा	कैलशियम कार्बाइड 15,000 टन वार्षिक	650.0 लाख रु.
31.	श्रीमती लक्ष्मी चमरिया	सीकर	एसबेस्टोज सीमेंट शीट्स 36,000 टन वार्षिक	110.0 लाख रु.
32.	श्री बी. पी. गुप्ता	भिवाड़ी (अलवर)	एस्बेस्टोज सीमेंट शीट्स 36,000 टन वार्षिक	182.0 लाख रु.
33.	मै. ओरभिरोडस (इण्डिया) प्रा. लि.	सवाई-माधोपुर	ऐस्वेस्टोज सीमेन्ट राफिंग शीट्स 36,000 टन वार्षिक	235.0 लाख रु.
34.	श्री आर. के. राजगरिया	अलवर	हाई टेन्सन इन्सलेटर्स 5,000 टन वार्षिक	335.0 लाख रु.
35.	श्री प्रेम चन्द्र कासलीवाल	भीलवाड़ा	ऐस्वेस्टोज सीमेंट प्रेसर पाईप्स, 20,000 टन वार्षिक	534 लाख रु.
36.	मै. भाष्कर टी कम्पनी प्रा. लि.	उदयपुर	ऐस्वेस्टोज सीमेन्ट शीट्स 36,000 टन वार्षिक	179 लाख रु.
37.	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	पिछड़ा जिला	ऐ सी प्रेसर पाईप्स 30,000 टन वार्षिक	1.00 करोड़ रु.
38.	मै. भारत एस्मल एण्ड केमिकल्स लि.	अलवर	सिंगल सुपर फोस्फेट 66,000 टन वार्षिक सल्फारिक एसिड 39,000 टन वार्षिक	65.0 लाख रु.

Page No. 325

325

1	2	3	4	5
39.	मै. इण्डस्ट्रीयल सप्लाईज एण्ड सर्विसेज (उदयपुर फोस्फेट एण्ड फर्टीलाईजर्स लिमिटेड)	गिंवया (उदयपुर)	सल्फरीड एसिड 33,000 टन वार्षिक सिंगल सुपर फोस्फेट 66,000 टन वार्षिक	80.00 लाख रु.
40.	मै. मधुवन केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि.	उदयपुर	सल्फुरिक एसिड 33,000 टन वार्षिक सिंगल सुपर फोस्फेट 66,000 टन	119.00 लाख रु.
41.	मै. श्री पाईप्स लि.	भिवाड़ी (अलवर)	ऐस्वेस्टोज सीमेन्ट प्रेसर पाईप्स, 30,000 टन वार्षिक	534.00 लाख रु.
42.	मै. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	उदयपुर	ऐलिमेन्टल फोस्फोरस 2,500 टन वार्षिक	525.00 लाख रु.
43.	,, ,,	,,	रेड फोस्फोरस 500 टन वार्षिक क्षमता फोस्फोरस इन्टर मेडिएट्स 300 टन वार्षिक	150.00 लाख रु.
44.	,, ,,	भरतपुर	सेनेट्री वेयर्स 6000 टन	75.0 लाख रु.

मध्यम श्रेणी के सम्भावित मार्बल कटिंग इकाईयों की सूची—

मैसर्स मंजू श्री मिनरल्स	मकराना	30 लाख रुपये
मैसर्स फाइन मार्बल्स एण्ड मिनरल्स	बोराबर (मकराना)	40 लाख रुपये
मैसर्स एस. एस. एन्टरप्राईजेज	मकराना	35 लाख रुपये
मैसर्स नेनवा प्रोपर्टीज प्रा. लि.	मकराना	70 लाख रुपये
मैसर्स ओसवाल मार्बल्स	मकराना	70 लाख रुपये
श्री एस. एस. कुमार	उदयपुर	25 लाख रुपये
श्री डॉ. चन्द्र नारायण	राजनगर (उदयपुर)	30 लाख रुपये
मैसर्स फैन्सी स्टोन (इंडिया) लि.	कांकरोली ,,	25 लाख रुपये
मैसर्स दी जय नीलम मार्बल इण्ड.	उदयपुर	74 लाख रुपये
मैसर्स एसोसियेटेड स्टोन इण्ड. (कोटा) लि.	पासुण्ड ,,	85 लाख रुपये
मैसर्स हिन्दुस्तान मार्बल इण्ड	उदयपुर	25 लाख रुपये
मैसर्स डाइमण्ड मार्बल्स प्रा.लि.	राजनगर ,,	62 लाख रुपये
मैसर्स मंजू श्री मिनरल्स लि.	उदयपुर	40 लाख रुपये
मैसर्स मार्बल्स कन्सट्रक्सन प्रा. लि.	उदयपुर	30 लाख रुपये

Page No. 326

(326)

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 300 की सूची

पंचायत समिति, केशवराय पाटन, जिला बून्दी की ग्राम पंचायतों को सन् 1980-81 में दिया गया अनुदान की सूची।

क्रम. संख्या	पंचायत का नाम	राशि
1.	चितावा	6805.12
2	लेसरदा	8470.00
3.	भाईजा	8954.40
4.	करवाला	4907.84
5.	रड़ी	5046.72
6.	अरनेठा	10897.60
7.	बलकासा	7574.56
8.	भीया	5779.20
9.	सूनगर	15979.68
10.	सारसला	7073.92
11.	करवाला की झोंपडी	4558.40
12.	जलोदा	4724.16
13.	जैथल	4493.44
14.	रोटेदा	8138.48
15.	आसन्दा	4940.32
16.	चरड़ाना	8134.00
17.	हिंगोनिया	6009.36
18.	घाटका बराना	4995.20
19.	नोताड़ा	6420.40
20.	बोरदा काथियाल	5429.20
21.	रेनार पुरा	4473.28
22.	जसवाडा	3848.32
23.	देडेखेडा	6560.96
24.	माखीस	5078.08
25.	लवान	6336.96
26.	बडाखेडा	6451.20
27.	पापडी	6359.36
28.	सरवावदा	2293.76
29.	उसराना	6366.08
30.	पोलाई	7098.00
31.	गेंडोली	4522.56
32.	झालीजी का जराना	6129.20
	योग—	2,04,849.76

पंचायत समिति, केशवरायपाटन (बून्दी) की ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान 1980-81 की राशि के खर्च के विवरण की सूची

क्रम. संख्या	पंचायत का नाम	पंचायत द्वारा खर्च किये गयें कार्य/मद का विवरण	खर्च की गई राशि	योग
1	2	3	4	5
1.	चितावा	1. पंचायत भवन मरम्मत	194.66	—
		2. शाला भवन, मरम्मत गढली	1150.00	—
		3. पटोलिया कूप मरम्मत	2100.00	—
		4. शाला भवन, मरम्मत चितावा	196.00	—
		5. रास्ता निर्माण, पक्का चितावा	3164.46	6805.12
2.	लेसरदा	1. शाला भवन निर्माण, धलीहेडा	6201.52	—
		2. शाला भवन, निमोदा	2268.48	8470.00
3.	माईजी	1. शाला भवन निर्माण, कोडीजा	3088.50	3088.50
4.	करवाला	1. शाला भवन, छोडेदा	4907.84	4907.84
5.	रड़ी	1. शाला भवन, हतनापुर	2721.60	—
		2. शाला भवन इन्दपुरिया	887.00	3608.60
6.	अरनेठा	1. आयुर्वेदिक, भवन अरनेठा	951.25	951.25
7.	बलकासा	1. प्राथमिक, शाला रेदापाल	6574.56	6574.56
8.	भीया	1. आयुर्वेदिक भवन भीया	5779.20	5779.20

1	2	3	4	5
9.	सूनगर	1. कायन हाउस निर्माण, सूनगर	1709.00	—
		2. कुआं, मरम्मत कलीता	1310.00	—
		3. बावड़ी मरम्मत कीमोठा	800.00	—
		4. पंचायत निर्माण भवन, सूनगर	1000.00	—
		5. स्कूल मरम्मत, जासील	1000.00	—
		6. रास्ता दुरुस्ती, कीमोठा	475.00	—
			—	6295.00
10.	सारसला	—	—	—
11.	करवाला की झोपडी ..	—	—	—
12.	जलोदा	1. पंचायत भवन, जलोदा	2233.00	2233.00
			—	—
13.	जैथल	1. मिडिल स्कूल, निर्माण जैथल	1228.44	—
		2. भाल की बावड़ी मरम्मत, जैथल	2436.00	—
		3. रास्ता दुरुस्ती, जैथल	829.00	4493.44
14.	रोटेदा	1. कन्या शाला, निर्माण रोटेदा	6174.25	8138-48
		2. प्रा. शा. निर्माण, देवली	1664.23	8138-48
15.	आगन्दा	1. शाला भवन, देयाखेडा	3348.33	—
		2. शाला भवन, कोटक्या	~~1592.00~~	~~4940-32~~
16.	चरडाना	1. पाठशाला, अरन्या	1637.00	—
		2. रास्ता दुरुस्ती	1827.00	—
		3. पाठशाला, अरन्या	3500.00	—
		4. वेतन सचिव	1181.00	8134-00

1	2	3	4	5
17.	हिंगोलिया	1. कुआ मरम्मत, हिंगोनिया	2500.00	
		2. स्कूल, गर्जनी	2100.00	
		3. रास्ता दुरुस्ती	567.00	5167-00
18.	थाट का वराना	1. शाला भवन, थाट का वराना	1179.26	
		2. शाला भवन, कपायल	411.52	
		3. कुआं निर्माण, कपायल	2004.90	3595-68
19.	नोताडा	1. बेरवा कूप मरम्मत, नोताडा	2536.10	
		2. शाला भवन, मालिकपुरा	3692.00	
		3. शाला भवन धरावण मरम्मत	170.00	
		4. रास्ता दुरुस्ती, मालिकपुरा	22.00	6420-40
		,,	—	—
20.	बोरदाकथियाल	1. स्कूल पंचायत निर्माण	900.00	
21.	रेनारपुरा	2. स्कूल, खेडायाल दुर्जन	800.00	
		3. स्कूल, पीपडली	800.00	2500-00
22.	जसवाडा	,,	—	—
23.	देडेखेडा	1. पंचायत भवन निर्माण	3460.85	
		2. कूप, चोटा खुर्द	125.00	
		3. वेतन कर्मचारी	2190.00	5775-85
24.	माखादा		—	—
25.	बावान	1. पंचायत भवन निर्माण	430.96	
		2. आयुर्वेदिक भवन निर्माण	3034.00	6336-96
26.	वडाखेडा	1. पंचायत भवन निर्माण	2149.65	
		2. आयुर्वेद भवन	2763.05	
		3. खुरजा निर्माण, वार्ड नं. 3	1538.50	6451-20

1	2		3	4	5
27.	पापडी	1.	पंचायत, भवन पापड़ी	2825.16	
		2.	वेतन सचिव	1260.00	
		3.	शाला भवन, खेडला देवली	2274.20	6359-36
28.	सरवावदा	1.	कुआं, मांडगवार निर्माण	831-36	
		2.	शाला भवन, मांडगवार	1462.40	2293-76
29.	उतराना	1.	कूप निर्माण, डांगाहेडी	2314.16	
		2.	कूप निर्माण, उतराना	1826.80	
		3.	शाला भवन, उतराना	1065.00	
		4.	वेतन सचिव	500.00	
		5.	रास्ता दुरुस्ती	450.00	
		6.	तलाई मरम्मत, उतराना	100.00	6255-96
30.	पालाई	1.	स्कूल भवन, जगन्नाथपुरा		
		2.	स्कूल भवन, गोठडा		
		3.	कूप निर्माण, गोपाल पुरा		7097-00
31.	गोडोली	1.	प्याऊ गंडोली	190.00	
		2.	खेल मवेशी, गडोला	2182.00	
		3.	तालाब मोरी	62.00	
		4.	रोशनी व्यवस्था	200 00	
		5.	सफाई व्यवस्था	225.00	
		6.	हैंड पम्प मरम्मत	38.00	
		7.	कुआ, गंडोली	308.00	
		8.	गोडोली कूप	1187.00	4392-00
32.	काली जी का बरना	1.	प्राथमिक शाला, कालाजी का बरना निर्माण	6129.20	6129-20
				योग ..	1,43,193,68

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 302 का परिशिष्ट "अ"

उद्यानवार खर्चा सत्र 1974-75 से 1980-81 तक

क्रम. संख्या	पार्क का नाम	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81
1.	गंगा निवास पार्क, बीकानेर	1,97,475/-	2,26,620/-	2,56,200-/	2,7,0000/-	2,5,02000/-	2,96,000/-	3,09,000/-
2.	लक्ष्मीनाथ जी पार्क, बीकानेर	11,,588/-	15,960/-	17,500/-	18,600/-	18,300/-	27,890/-	28,650/-
3.	रतन विहारी पार्क, बीकानेर	13,835/-	15,505/-	18,000/-	17,800/-	17,800/-	17,930/-	1,7800/-
4.	गिनानी पार्क, बीकानेर	5,510/-	13,950/-	17,000/-	17,900/-	16,900/-	17,860/-	16,700/-

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

राजस्थान सरकार

(सहायता विभाग)

अतारांकित प्रश्न संख्या–24

(तहसील जैसलमेर, जिला जैसलमेर)

क्रम संख्या	राहत कार्य सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	मिट्टी का काम (कि. मी.)	ग्रेवल बिछाई	मैटल कुटाई	डामर सड़क	मजदूरों पर व्यय (31-8-81 तक)	परिवहन का खर्चा (31-8-81 तक)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मरम्मत कार्य छोड़ से बडोडा गांव	13	13	13	—	—	42,3,19.00	35728.00	—
2.	सोढ़ाकोर, टेलासर, मदासर नई	23	11	2	—	—	1,14,934.00	—	कार्य चालू है।
3.	मरम्मत कार्य	24	6	19	—	—	78,361.00	62896.00	,,
4	मरम्मत कार्य सम से खुडड़ी	27	23	18	—	—	81,027.00	60934.00	,,
5.	सुईयाला बांन्धा मरम्मत कार्य	9.5	9.5	9.5	—	—	47,237.60	38937.00	—
6.	धईयाल हमोरा नई सड़क	3	3	3	3	3	71614.68	29326.00	—
7.	वरमसर से नेडडाई (मरम्मत अप)	45	45	45	—	—	265951.84	145750.00	कार्य चालू है।
	(अप ग्रेडिंग)	5	2	—	2	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	काणोद से कालाडूंगर (नई)	4.5	4.5	4.5	—	—	92,956.25	47,636.00	कार्य चालू है।
9.	ग्याजलार पोछिना (मरम्मत)	4	—	—	—	—	1,83,753.83	61,794.00	कार्य चालू है।
	(नई)	21	4	3	—	—			
10.	मोहनगढ़, लाड़ाना, सल्याया (मरम्मत)	24	14	1	—	—	34,277.18	—	"
	(नई)	36	1	—	—	—			
11.	सामड खुण्डी (मरम्मत)	50	41	38	—	—	3,35,388.20	2,25,512.00	कार्य चालू है।
	(नई)	5	5	3	—	—			
12.	मरम्मत कार्य रास्ता मुलाना खड़ोड़ागांव	23	12	8	—	—	1,52,301.36	33,751.00	"
13.	डांबर पहूंच सड़क लेमडराय मन्दिर (मरम्मत)	9	3	9	5	5	2,19,675.87	1,16,086.00	"
	(नई)	—	6	—	—	—			
14.	देवीकोट रांमा (नई)	23	13	8	—	—	2,79,211.38	74,062.00	"
15.	देवीकोट से डागरी वाया लक्ष्मणा (नई)	19	14	10	—	—	2,81,477.62	77,976.00	"
16.	डांवर पहूंच सड़क फोरिस तूडपार्क श्राकल (नई)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	51,800.33	20,952.00	"
17.	मोडा तेजमालता (नई)	5	3	2	—	—	60,338.54	—	कार्य चालू है।
18.	मरम्मत कार्य फोतहगढ़ विधिनियांली	60	12	12	—	—	2,82,882.84	1,7533.00	"
19.	मरम्मत कार्य कनोई बुड्ढी हाबूर	33	30	30	—	—	1,48,577.35	1,20,572.00	"
20.	पहूंच सड़क भिण्डार ग्राम (नई)	2.5	1	1	—	—	38,413.77	7,997.00	"
21.	विधिनियाली से गिराव जिला सीमा तक नई	9	5	4	—	—	51,243.40	4,934.00	"
22.	मरम्मत कार्य हाबूर सूईयाला	15	7	7	—	—	26,603.11	26,871.00	"
23.	भागू का गांव नलकूप से हमीरा वाया रिधवा (नई)	11	8	4	—	—	68,845.46	42,541.00	कार्य चालू है।
24.	पहूंच सड़क रिवडो ग्राम (नई)	4.5	3	1	—	—	79055.25	—	"
25.	पहूंच सड़क बड़ावाग (नई)	1	0.5	—	—	—	10,464.58	—	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	पहुंच सड़क, अभर सागर से बड़ाबाग (नई)	2	2	2	—	—	17,975.67	—	कार्य चालू है।
27.	मरम्मत कार्य जैसलमेर जेठवाई	5	3	3	—	—	11,427.51	7,836.00	"
28.	मरम्मत कार्य वैरसायाला काठा	6	5	5	—	—	25,686.78	12,591.00	"
29.	वासनपीर से आकल वाया जैरात (नई)	13	3	1	—	—	41,160.84	—	"
30.	सोनू हाबेर री मेटलिंग (मरम्मत)	9	—	—	—	—	13,742.39	—	3 कि. मी. का गेटल मवारी पर इकट्ठा किया गया है। कार्य चालू है।
1.	नेडाई अर्जुन सुलताना (नई)	12	3	3	—	—	42,675.02	23,375.00	कार्य चालू है।
32.	रामगढ़ से राधवा सड़क (नई)	12	3	3	—	—	41,313.90	—	"
33.	मरम्मत कार्य वरमसर से रूपसी	5	4.5	4.5	—	—	23,901.18	23,588.00	"
34.	मरम्मत कार्य छथेल से कुडढी	16	15	11	—	—	57,333.93	50,430.00	कार्य चालू है।
35.	देवा से हड़ा (नई)	8	7	7	—	—	61,760.49	34,071.00	"
36.	सिपला से धूलिया वाया कुम्हारकोठा (नई)	15	.5	—	—	—	1,134.11	—	"
37.	मरम्मत कार्य माणपिया से कुलधरा	6	5	5	—	—	21,693.23	—	"
38.	पहुंच सड़क गजरूपसागर (नई)	3	1	1	—	—	7,372.78	9,576.00	"
39.	पहुंच सड़क सेउवा (नई)	2	.5	—	—	—	17,519.00	—	"
40.	मरम्मत कार्य छतागड़ से अडवाला	6	5	5	—;	—	11,695.13	—	कार्य चालू है।
	योग . .	622.55	355.55	307.05	11.55	9.55	34,91,107.58	14,39,175.00	

राजस्थान सरकार
(सहायता विभाग)

अतारांकित प्रश्न संख्या–24 (तहसील पोकरण जिला जैसलमेर)

क्रम संख्या	राहत कार्य सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	मिट्टी का काम (कि.मी.)	ग्रेवल बिछाई (कि.मी)	मेटल खुदाई (कि.मी)	डामर सड़क (कि.मी)	मजदूरों पर व्यय (31-8-81 तक)	परिवहन का खर्चा (31-8-81 तक)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मणियाणा से रातडिया गडी (मरम्मत)	2	20	20	—	—	2,46,243.08	1,28,645.00	कार्य चालू है
	चम्पाकलां (नई)	5	5	5	—	—	—	—	—
2.	रामदेवरा से पंचनीपली (नई)	12	8	3	—	—	2,01,476.00	20,953.00	,,
3.	पहूंच सड़क नोखा (नई)	3	3	3	—	—	10,1,058.27	15,373.00	,,
4.	मरम्मत कार्य उजला से पथरोठा	22	22	22	—	—	1,27,063.07	52,161.00	—
5.	पोकरण से राजमथाई वाया (मरम्मत)	8	8	—	—	—	3,27,614.35	68,004.00	कार्य चालू है
	कुड़डी (नई)	44	29	12	—	—			
6.	बान्धेवा से राचमथाई, भणिवाणा	20.2	20.2	20.2	—	—	6,38,484.44	1,37,141.00	,,
	(मरम्मत) (नई)	14	14	14	—	—			
7.	पोकरण से ओला वाया साण्डा (मरम्मत)	31	25	8	—	—			
	(नई)	11	11	2	—	—	7,89,535.00	19,518.00	—
8.	एम. आर. नोहर की से छायण अजासर	26	26	3	—	—	1,65,002.33	31,391.00	मेटल आठ कि. मी. साण्ड पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.ए.	चांदसर से वरडाणा (नई)	2	—	—	—	—	—	—	
9.ब.	बरउमा से चांदसर (नई) वृताकार	2.5	4.5	4.5	—	—	1,31,772.01	26,772.00	कार्य चालू है। कुल खर्चा चान्दसर बरउमा रोड पर किया गया है।
10.	करालिया से धमानाडा (नई)	8	3	2	—	—	25,593.68	9396.00	,,
11.	सनावडा से चोक (नई)	8	5.5	2	—	—	46,937.35	—	,,
12.	सनावडा से सांग्डा (नई)	14	6	5	—	—	1,07,984.49	38,304.00	—
13.	स्वामी जी की ढाणी से रातडिया (मरम्मत)	20	20	15	—	—	3,19,978.50	80,173.00	,,
	(नई)	5	5	5	—	—			
14.	मरम्मत कार्य फलमुण्ड से हीरे की ढाणी	14	9	9	—	—	62,850.85	35,653.50	—
15.	राज्य मार्ग पोकरण डेचू कि. मी. 174/0 से 160/0 चौड़ा करना	14	3.25	—	—	—	1,24,563.46	—	2. 5 कि. मी. का मेटल इक्कट्ठा किए, कार्य चालू है।
16.	मरम्मत कार्य लाठी से करालिया	14	12	10	—	—	97,145.53	—	कार्य चालू है
17.	पहुच सड़क, लोहार की ग्राम (मरम्मत)	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—
	(नई)	0.5	0.5	0.5	—	—	24,059.11		
18.	पहुंच सड़क, जालोडा भटिया (नई)	3.5	3.5	3.5	—	—	1,02,234.30	11,500.00	पट्टी का कार्य चालू है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	पहुंच सड़क जांवा से पोकरण-फलसुण्ड रोड (नई)	12	1	—	—	—	44,133.95	—	—
20.	मरम्मत कार्य भेडा से डांगरी	7	7	—	—	—	19,297.28	—	—
21.	मरम्मत कार्य फलसुण्ड से केमूलापाना	9	9	3	—	—	20,889.56	18,073.00	कार्य चालू है।
22.	फलसुण्ड से खोसर सड़क (नई)	10.7	10.7	10.7	—	—	4,97,930.95	1,06,315.00	"
23.	मरम्मत कार्य श्रोडानिया से मेरियो ढाणी	7	5	—	—	—	28,280.50	—	"
24.	बी/टी तरावा से देवीकोट कि. मी. 51/3 से 56/3	5	2	—	—	—	—	—	2 कि. मी. का मेटल इक्कठ्ठा किया, कार्य चालू है।
25.	मरम्मत कार्य सत्याया श्रासकन्द्रा	14	9	—	—	—	30,001.97	—	—
26.	रां/मि. रे सरावा-देवीकोट कि. मी. 78/5 से 86/5	8	6	—	—	—	28 099.51	—	2 कि. मी. का माल इक्कठ्ठा किया। कार्य चालू है।
27.	नाधाना-अवाय (मरम्मत)	3	3	—	—	—	4 531.53	—	—
	(नई)	10	—	—	—	—	19028.47		
28.	मरम्मत सड़क कार्य भादरिया ग्राम तक	1	1	1	—	—	19,018.47	—	—
29.	सड़क चौड़ी कराने का कार्य पोकरण ढेलड रोड कि. मी. 36/0 से 43/0 और 52/0 से 60/0 (नई)	15	4	—	—	—	59,719.81	—	2.5 कि. मी. का माल इक्कट्ठा किया, कार्य चालू है।

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	बाघोवा से केमूलापाना (नई)	13	2.3	1.6	—	—	58,266.49	—	12 कि मी. माल इकट्ठा किया, कार्य चालू है ।
31.	देवीकोट से नोतरावा कि.मी. 63/0 से 68/0	5	—	—	—	—	—	—	—
32.	पहुंच सडक आशापुरा मंदिर (नई)	3	2.75	1	—	—	11,389.47	—	कार्य चालू है ।
33.	मैं. रोड भीखोडाई से राजमथाई	12	12	12	—	—	2,47,922.43	43,360.00	12 किमी. का माल इकट्ठा किया, कार्य चालू है ।
34.	पोकरण से फलसूण्ड सडक कि.मी. 64/0 से 69/0 का चौडी करना एक स्थरीकरण	5	—	—	—	—	—	—	—
35.	डाईवसतन सेतरावा देवीकोट सड़क कि.मी. 27/5 से 30/5	3	—	—	—	—	—	—	केवल सेन्यूमम हटाये गये ।
	योग ..	459.9	—	—	—	—	52,51,967.95	8,42,732.00	—

सड़क राहत कार्य तहसील, शिव-सम्वत् 2037

क. सं.	नाम सड़क कार्य	लम्बाई कि. मी.	कार्य किया गया ग्रेवल कि. मी.	कार्य किया गया अधूरी रही कि. मी.	व्यय हुआ टान्सपोर्ट पर (लाखों में)	लेवर पर (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गडरा रोड से पावूसरिया	28	16	12	1–27	5–29	
2.	ए / आर मेहूसर		7	5	0–28	0–38	
3.	मीयाड़ से आरंग 17/0 से 24/ 0)	8	8	8	0–45	1–34	
4.	मौखाव से चौखला फाटा वाया पोषाल की ढाणी 2/0 से 8/0, 18/0 से 30/ 0	16–5	14	2–5	0–69	4–30	
5.	डामर रोड मौखाव	13	6	7	3–81	3–09	
6.	गिराब फांटा से सुन्दरा	34	7	27	0–94	1–92	
7.	ए / आर तामलीर	1–5	1–5	–	0–10	0–40	
8.	खानियानी से रातरेडी वाया खड़ीन	31	7	24	0–79	3–97	
9.	देतानी से गागरिया वाया लीलमा	12–28	12–28	–	1–56	2–35	
10.	कानोड़ शहर रतेऊ	7	7	–	0–78	1–45	
11.	रतेऊ से काश्मीर	12	12	–	1–11	2–18	
12.	रामसर से सजन का पार	25	25	–	1–00	2–53	
13.	सांखली फांटा से रतरेडी	14	14	–	0–74	2–90	
14.	जैसिन्धर फांटा से बावड़ी	10	10	–	0–74	1–87	
15.	गिराब से झिझनीयाली से जिला सीमा	16	9	7	0–56	1–85	
16.	कोटड़ा से मोड़ा वाया बालासर स्वामी का गांव, कानाना गांव, अन्तरा	32	32	1	1–80	3–45	
17.	राजडाल से चोचरा वाया धाखी	33	19	14	0–79	3–08	

1	2	3	4	5	6	7
18.	शिव से नागरड़ा वाया जोरा नाड़ा	16—8	16—8	—	0—65	2—59
19.	उन्सू से वसुम्वला महेचान गांवड़ियों की बेरी स्कूल वाया गुणोजी की बस्ती	28	8	10	0—33	0—39
20.	राणासर से भीलों की ढाणी वाया खड़ीन	12	5	7	0—51	0—90
21.	गडरा शिव रोड से 5 कि.मी. मालानी गांव	9	6	3	0—66	2—30
22.	कानासर से बाधा	10	8	2	0—47	1—46
23.	गडरा रोड चौराहा से गडरा रोड गांव	1	1	—	0—08	0—06
24.	ए/आर सालासर स्कूल	3	—	—	0—03	0—04
25.	पनेला शरणार्थी मेगवालों की बस्ती (बाड़मेर-मुनावा रोड)	1—5	1—5	—	0—23	0—36
26.	नीम्बला से थुम्बली	7	4—8	2—2	0—52	0—59
27.	खड़ीन से विश्नोईयों का तला	5	प्रारम्भ नहीं हुई है।			
	योग . .	376—58	256—88	13—7	20—79	51—04

सड़क राहत कार्य तहसील-सिवाना (सम्वत 2037)

क. सं.	नाम सड़क कार्य	कार्य किया गया			खर्चा हुआ (लाखों में)	
		लम्बाई (कि. मी.)	गैवल (कि. मी.)	अधूरी रही (कि. मी.)	ट्रांसपोर्ट पर	लेबर पर
1	2	3	4	5	6	7
1.	पादरू से बालवरा	13	11	2	0–41	1–41
2.	समदड़ी से अजीत-रामपुरा	22	22	–	0–98	2–29
3.	पादरू से सिवाना मय खिड़ी वर्क्स	13	13	–	2–16	3–79
4.	रमणिया से कुण्डल	21	15	6	1–58	1–30
5.	पऊ से कांखी	6	6	–	0–44	1–60
6.	करमावास से सेवाली	13	13	–	0–32	3–03
7.	समदड़ी से रामपुरा	–	–	–	–	–
8.	पादरू से कुण्डल	14	14	–	2–71	1–97
9.	मजय से सामूजा	8	8	–	0–17	1–38
10	वामसीन प्याऊ से गांव	5	5	–	0–25	0–69
11.	मानावास से कोटड़ी	15	–	–	–	–
12.	घनवा से सराणा वाया जूनामीठा खेड़ा	10	6	4	0–01	3–11
13.	वामसीन से देवालियाली	5	5	–	0–13	0–69
14.	सिवाना से दन्ताला देवड़ा	5	5	–	0–25	1–94

1	2	3	4	5		7
15.	दन्ताला से अरणियाणा लूदरड़ा	8	5–5	1–5	0–22	0–80
16.	सिवाना खाखरलाई से मेली	8	—	—	—	—
17.	निम्बलाना में तेजवाड़ा भाटाला धरवला की ढ़ाणी डामर सड़क	18	8	10	0–01	0–26
18.	ए / आर गौदों का बाड़ा	1–5	1–5	—	0–11	0–27
19.	लाखेटा से कोटडी	3	3	—	0–22	0–37
20.	मोकलसर से खण्ड जिला सीमा	9	9	—	1–29	0–58
	योग ..	197–50	151–00	23–5	11–31	25–48

तहसील पचपदरा (सड़क राहत कार्य) सम्वत् 2037

क्रम संख्या	नाम सड़क कार्य	कार्य किया गया			खर्चा हुआ (लाखों में)	
		लम्बाई कि. मी.	ग्रेवल कि. मी.	अधूरी रही (कि. मी.)	ट्रांसपोर्ट	लेबर पर
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालोतरा से खेड़	6	6	—	0–56	2–51
2.	ए। आर रूपजी का रोजा बेरी	2–7	2–7	—	0–45	0–46
3.	भीमरलाई से चांदेसरा	8	—	8	—	4–49
4.	सिनली से तिवाड़ा	10	10	—	0–20	0–40
5.	कल्याणपुरा से समदड़ी-सिवाना	45	20	25	4–27	9–35
6.	पाटोदी से परेऊ गिड़ा कानोड़ बाटाऊ	80	17	63	7–13	15–97
7.	ए। आर सराणा	2–5	2–5	—	0–21	0–49
8.	पचपदरा बायतू सड़क से गोल फांटा गोल स्टेशन भीमरलाई	12	3	9	0–31	1–25
9.	ए। आर कानाना	1–5	1–5	—	0–18	0–33
10.	डोली से गोदावास स्कूल शिवनगरी	8	8	—	0–63	0–52
11.	साथूनी से खनोड़ा फांटा, थोब मडापुरा	5	1	4	0–18	0–78
12.	टापरा से जागसा	6	6	—	0–20	1–38
13.	मूंगड़ा से उमरलाई	16	16	—	1–25	2–98
14.	पचपदरा बलाऊ सड़क से आंकड़ी सोकड़ा	5	5	—	—	0–85
15.	कोरणा से जास्ती	4	4	—	0–14	0–87
16.	सोखड़े से बेरी से आकड़ली	6	6	—	0–30	1–47

1	2	3	4	5	6	7
17.	पचपदरा से वायतू बागून्डी	48	—	—	1—76	4—52
18.	मेवानगर से वरिया	6	6	—	0—28	1—06
19.	ग्रासोतरा से खेताराम की प्याऊ	5	5	—	0—18	0—48
20.	पारलू से कांकराला	10	10	—	0—19	1—85
21.	कांकराला से भिडारन	3—5	3—5	—	0—11	0—20
22.	ए/ग्रार दड़सी का बाड़ा	3	3	—	0—15	0—23
23.	भाडू जाटियान से बलाऊ	3	2	1	—	0—31
24.	ए/ग्रार नवोड़ा बेरा स्कूल	3	—	3	—	0—01
25.	ए/ग्रार खूटवेरा से गांव	3	2—5	0—5	0—12	0—52
26.	सांवरी माता का मन्दिर (पचपदरा-बायतु सड़क)	1—12	0—5	—	—	0—06
27.	शिवनगरी से गोदावास	7	6	1	—	0—55
28.	चारलाई से गोदावास	7	4	3	0—21	0—47
29.	लोहारी ढाणी से रणीया	8	5	3	0—23	0—24
30.	देशीपुरा वाया सांखला की ढाणी से डोली कोरणा	18	18	—	0—77	1—50
	योग ..	342—70	173—20	120—5	20—41	55—90

345

सड़क राहत कार्य-तहसील चौहटन (सम्वत् 2037)

क्र. सं.	नाम सड़क कार्य	लम्बाई	कार्य किया गया: ग्रेवल (कि. मी.)	कार्य किया गया: अधूरी रही (कि. मी.)	खर्चा हुआ (लाखों में): ट्रान्सपोर्ट पर	खर्चा हुआ (लाखों में): लेबर पर
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाखासर से गडरा 17/0 से 47/0, 65/0 से 74/0, 79/0 से 113/0, 123/0 से 127/0	77	17	60	2–50	9–87
2.	नेतराड से बामणोर	9	9	–	2–69	0–71
3.	सेडवा से भणिया बामणोर बाछड़ाऊ	31	29	2	1–50	2–73
4	ए/आर गोलिया	6	6	–	0–38	1–44
5.	जालबेरी से सोवड़ी	8	8	–	0–45	2–05
6.	सेडवा से बिजराड वाया बुरान का तला, बावड़ी कलां	63	14	49	4–50	2–40
7.	ए/आर फागलिया वाया गंगा सरिया	14	0–9	13–17	0–19	1–78
8.	ए/आर उपरला	5–30	5–30	–	0–70	1–58
9.	साइयों का तला (बाखासर-चौहटन रोड)	3	–	3	–	0–48
10.	बाड़मेर-चौहटन रोड दस मील से आंकोड़ा गांव	4	3	1	0–20	0–96
11.	चौहटन बाछड़ाऊ रोड फांटा लीलसर गांव तक	1–2	1–2	–	0–13	0–15
12.	गांधव बाखासर फांटा मन्दिर गंगासरिया	1	1	–	0–22	0–47
13.	सेडवा से बाखासर रोड फांटा सैमों की ढाणी से भंवार	5	4	1	0–55	1–18
14.	कोनरा से नवातला वाया हटादा अदरीम का तला, गोहड का तला, तालसर, जालीला, वीसासर, सारला	55–30	7–50	45–8	1–50	6–48
15.	धारागर से कारजी नफन वाया जैसार रतासर, भोजासर	32	4–80	27–20	1–00	2–19

1	2	3	4	5	6	7
16.	चौहटन से मीठडा वाया नते का तला भैदूसर तक	32	5	27	80–80	3–72
17.	साता से देवा की ढ़ाणी, हाथला वाया फकीरों की तला	14	4	10	0–70	1–81
18.	भूणिया से नवातला राठौडान	8	6	2	0–22	1–11
19.	बाखा से बीकेडी	10	$1\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	0–45	0–80
20.	सालारिया से सिहानिया वाया भंवार	18	11	7	2–70	1–92
21.	लीलसर से बामणोर वाया पंवारिया का तला	17	3	14	0–50	0–35
22.	इसरोल से गोरला	7	–	7	–	0–57
23.	ए। आर आंटीया	5	2	3	0–40	0–63
24.	शोभाला नवातला वाया लडियाला	5	5	–	1–00	0–70
25.	सोनड़ी से गंगासरा	14	3	11	0–60	1–34
26.	ए। आर बावड़ी वाया बूठ	6–50	4–60	1–9	1–00	0–78
27.	ए। आर गोहड़ का तला	5–50	2–00	3–5	0–50	0–89
28.	आलमसर से हटादा	7–50	4–75	2–75	1–00	0–91
29.	अरटी से एकल	3	3	10	0–75	0–73
30.	कितनोरिया नलकूप से सांवा	4	3	1	0–20	0–89
31.	दूधवा से गंगाला	10	10	–	0–38	0–24
32.	मिठडाऊ से गुमाने का तला	6	–	6	–	0–62
33.	नवातला से घुडासर	7	2–5	4–5	0–33	0–92
34.	श्रोगाला से सिसवा	6	–	6	–	0–10
35.	बुरहाना का तला से कुदनपुरा	4	4	–	1–25	0–56
36.	भुणिया से राणासर	6	3–5	2–5	0–20	1–58
37.	ए। आर सणाऊ	1–50	–	1–50	–	0–08
38.	सांवा से सदराम की बेरी	5	–	–	–	–
39.	पनोरिया से केरिया	4	4	–	1–10	0–57

1	2	3	4	5	6	7
40.	उपरला से खड़ीन	3–20	2–50	0–07	0–50	0–33
41.	कुन्दनपुरा से भणियों का	5	2–5	2–5	1–00	0–24
42.	आक्रोड़ा से विश्नोईयों का सारा गांव	3	—	—	—	—
43.	खारिया से घारासर	14	7	7	0–80	0–02
44.	ए। आर कापराऊ	3	1–86	1–14	0–40	0–28
45.	घनाऊ से रवासर	5	4–75	0–25	1–30	0–46
46.	ओगाला से गोड़ा	9	6	3	0–60	0–25
47.	गांधव वखासर रोड से फांटा गिड़ा	4	1–6	2–4	0–45	0–25
48.	ए। आर बिसाणिया	5	—	5	0–50	0–69
49.	कोनरा-बूठ	7–50	1–00	6–05	0–40	0–09
50.	भाटिया नेतराड़ रोड़	6	2	4	0–40	0–63
	योग ..	599–50	221–51	359–73	116–94	59–53

सड़क राहत कार्य तहसील-बाड़मेर (सम्वत् 2037)

क्र. सं.	नाम सड़क कार्य	लम्बाई कि. मी.	कार्य किया गया		खर्चा हुआ (लाखों में)	
			ग्रेवल कि.मी.	अधूरी रही कि. मी.	ट्रान्सपोर्ट पर	लेवर पर
1	2	3	4	5	6	7
1.	राणीगांव से सनावड़ा	15	7	8	0.26	0.69
2.	धोरीमना से धनाउ वाया भूणिया कितनोरिया	14	5	9	1.54	1.24
3.	बालेरा से जूनापतरासर	21/2	21/2	—	0.19	0.37
4.	बाड़मेर से गुड़ा वाया महिवार गरल नोसड़ा ग्रावेल सुडाला	21	6	15	2.22	2.46
5.	धोरीमना से गुड़ा	31	7	24	1.31	5.38
6.	सनावड़ा से गुड़ा	35	35	—	3.72	2.48
7.	रामसर से बालेवा	22	22	—	1.70	2.66
8.	एप्रोच रोड ग्राम छोटू	11	10	1	2.45	0.97
9.	नाडयों की ढाणी से सिसाव	13.5	13.5	—	1.40	2.82
10.	एप्रोच रोड सणपा	6	6	—	0.25	0.53
11.	एप्रोच रोड गुड़ीसर	10	6	4	0..6	2.24
12.	एप्रोच सड़क नवातला राठौड़ान					
13.	नोखडा से होड	21	21	—	0.48	0.94
14.	निम्बलकोट से सणपा	32.5	28	4.5	1.16	1.88
15.	नोखड़ा से लोहारवा	33.5	—	33.5	—	0.36
16.	एप्रोच रोड ग्राम लूखू	3.90	3.90	—	0.17	0.92
17.	एप्रोच रोड दह	2	2	—	0.35	0.20

1	2	3	4	5	6	7
18.	ए. आर नोख स्कूल	4	1	3	0.26	0.52
19.	बाड़मेर लोको से शिवकर	12	11	1	0.72	2.21
20.	हीरा की ढाणी-सवाई पदमसिंह	14	12	2	0.04	2.85
21.	गागरिया से बिजरियाड़	71.80	11.30	60.50	1.50	2.83
22.	जालीपा से जीप्सम हाल्ट	10	10	—	56.00	0.95
23.	मत्तरू मलवा कंवरली	19	14.5	5	0.72	8.17
24.	ग्रेवल सड़क मंगले की बेरी	3	3	—	0.33	0.19
25.	एप्रोच सड़क ग्राम हाथीतला	2.5	2.5	—	0.44	0.52
26.	एप्रोच सड़क रामसर का कुआ	4	—	4	—	0.60
27.	एप्रोच सड़क ग्राम समरखिया	1	1	—	—	0.24
28.	नगर से जूना	1	1	—	0.07	0.22
29.	भोजासर स्कूल से नौसर भाखरी	7	6	1	1.00	3.10
30.	वारासण से गुडा	3.5	3.5	—	0.34	0.54
31.	कसटाई पंचायत (भवन) बाड़मेर सिणधरी रोड	3	[illegible]	—	0.21	0.77
32.	ग्राम दूदिया (भागता भाली खुरद रोड)	5.5	5.5	—	0.40	1.00
33.	राणीगांव से धनाऊ सय कोचे के निर्माण	21	18	3	4.35	3.59
34.	ए/आर सोनड़ी	7	6	1	0.40	0.68
35.	ए/आर इन्द्रोही	1.6	1.5	0.1	0.11	0.36
36.	ए/आर वोधेरा	1.5	1.5	—	0.5	0.40
37.	ए/आर कवास	1	1	—	0.26	0.16
38.	सिहाना से भादरर	9	9	—	0.45	0.78
39.	ए/आर बादरा	5	5	—	0.18	1.12
40.	ए/आर जूठों की ढाणी	7	7	—	0.60	1.50

1	2	3	4	5	6	7
41.	सदराम की बेरी, रामजी का गोल	56	32	24	11.00	6.02
42.	बनिया साड़ा धोरा से भाडपूरा कोसरिया, छीतर का पारचोसला	31	29	4	2.68	6.31
43.	छीतर का पार से कोलू वाया कोसरिया	16.5	16.5	—	1.50	4.00
44.	वाटाडू रतऊ वाया शहर	12	12	—	2.40	4.20
45.	वाड़मेर दिसाला वाया रेल्वे बेल नं. 3	22.5	22.5	—	1.40	3.37
46.	कपूरडी से रोहीली	9	9	—	0.27	1.12
47.	कानोड से सन्तरा वाया चिड़िया	18	15	3	0.74	1.78
48.	वी. टी. सड़क वाटाडू वाया काश्मीर झाक	33	—	—	0.89	7.21
49.	ग्रेवल सड़क इन्द्रोही से सूरा वाया जायब	23	14	9	0.93	3.36
50.	नाद से मूगरिया	16	16	—	0.40	1.50
51.	भाचमर से गगाला वाया तामलियार	25	6	19	0.75	3.3[illegible]
52.	वायतू से कोसल	52	17	35	2.58	6.69
53.	गादेसरा से गांव	68	16	42	3.51	1.14
54.	सिणदरी से छोटू	36	16	20	1.38	85.21
55.	रावत सर से सरली वाया गंगासरिया	15	5	10	—	3.21
56.	बूठ से साता	55	6	49	0.40	—
57.	निम्बलकोट से ग्राडेल	10	8	2	0.73	1.97
58.	सणपा से होड़	8	5	3	0.29	1.30
59.	ए/ग्रार मंगले की बेरी स्कूल से छोटू स्कूल	8	8	—	2.30	1.38
60.	ए/ग्रार गाधव खुर्द	2	2	—	0.42	0.64
61.	बोडवा से नोसर भाखरी	5	1¼	3¾	—	0.65
62.	चवा से नोखडा वाया सांजटा	30	1	29	—	0.54
63.	गुडा से जालोर	—	—	—	—	1.06
64.	मालपुरा फाटा से नगर	33	15	18	3.12	4.92

1	2	3	4	5	6	7
65.	सणपा से डडाली	8	8	—	2.40	1.14
66.	मुका से करना	9	9	—	2.69	1.89
67.	सवाड पदमसिंह से शहर	10	10	—	1.24	2.68
68.	लोहरवा से नाईयों की ढाणी	14	—	14	—	1.64
69.	बाटाडू से सन्तरा वाया कोलू शकदड़ा	33	4	19	0.74	4.08
70.	देरासर से वसर।	11	10	1	0.41	2.20
71.	मागता से मेहलू	14	2	12	—	1.86
72.	गुडीसर से दिगाला	12	1	11	0.2	0.11
73.	उत्तरलाई से वायतू पटरी कार्य	41	—	—	3.28	—
74.	कवास से बाटाडू पटरी कार्य	31	—	—	0.43	—
75.	भाडखा से कोसल	14	9	5	0.34	0.83
76.	धोरीमना से लाल डूंगरी	24	—	24	—	1.25
77.	धोरीमना से साता	44	10	34	0.80	0.67
78.	आलपुरा से गाधव खुर्द वाया	18	5.5	12.5	2.00	1.60
79.	परेऊ से हीरो की ढाणी	25	—	25	—	2.40
80.	चिबा से होलाणी	6	—	6	—	0.54
81.	परेऊ से वडनावा वाया माडपुरा	10	10	1.52	1.32	8.4
82.	नोसर से भीमरलाई	12	9	3	0.48	0.58
83.	सिणदरी से जालोर 44 कि.मी.	—	—	2.42	1.88	—
84.	वायतु से सिणदरी डामर सड़क	42	—	—	2.02	1.22
85.	लोहारवा से केरिया	35	8	27	0.60	1.83
86.	सिणदरी से गुडारामजी का गोल पटरी कार्य	70	—	—	3.27	60.18
87.	गुडासर से बोला	4.5	4.5	—	0.42	0.51
88.	सोनडा से नांद	70	6	1	0.40	1.68
89.	सीयाणी से भदरू	3	1.5	1.5	0.18	0.52

1	2	3	4	5	6	7
90.	स्वीकार से कुडला	7	—	—	0.1	0.10
91.	डामर ग्रीन सड़क बिशाला	1	—	—	0.43	—
92.	किसन का तला से बाटाडू	3	—	—	3.30	1.66
93.	कालू से कानोड	7	2	5	—	1.99
94.	धोनडी नाडी से भूरटिया	7	7	—	2.22	0.93
95.	भीभडा से बायतू	25	14	11	0.7	0.83
96.	तामलीयार कांटा से सेतराऊ	7	7	—	1.50	0.19
97.	खरीया राठोड़ान से चाडवा राठोड़ान	5	—	5	—	0.22
98.	गाधरिया से पाथी का पार	7	—	7	—	0.47
99.	गायरिया से विजराड रोड से सुराली मेंगवालों की स्कूल	1.80	1.50	0.3	0.30	0.22
100.	पाबूसरिया से राडिया	6	4.5	1.5	0.53	0.76
101.	भालीखाल से उडासर	11	—	11	—	0.98
102.	भागता से उंछासर रेत हटाने का कार्य	20	—	अर्ध वर्क पूर्ण	—	0.76
103.	झाथीतला से भल	7	1½	5½	—	0.97
104.	ए/आर गाधन कलां	1	—	0.20	0.4	—
105.	वाम्णीर से सूरते की बेरी	5	—	—	—	—
106.	दूधीया से बाभणोर सुरते की बैरी	4	4	—	1.57	0.36
107.	माली से भाटाला	6	6	—	1.61	1.28
108.	डूगेरी का तला से आडेल का तला	34	अर्ध वर्क पूर्ण	—	—	0.83
109.	सारापार से खेडा बाया वागुण्डी	24	11	23	—	1.11
110.	होलाणी से तरली लापून्दड़ा	8	—	8	—	0.54
111.	खोखसर से जिला सीमा फलसूंड	8	—	—	2.08	1.04
112.	हीरा की ढाणी से गिडा	7	—	5	—	0.47
	योग —	1848.60	767.45	732.79	158.97	236.11